लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5TH LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

Price : Two Rupees

विषय-सूची CONTENTS

अंक 14, सोमवार, 11 मार्च 1974/20 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 14, Monday, March 11, 1974/Phalguna 20, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	MEMBERS SWORN	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
246. अधिक उत्पादन लागत के कारण स्वदेशी जहाजों का कम उत्पादन	Low Production of Indigenous Ships due to High Cost of Production ..	5–6
247. भारतीय खाद्य निगम के उपरि खर्च कम करने हेतु नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें ।	Recommendations of the Committee appointed to reduce overhead charges of FCI	6–7
248. बम्बई पत्तन में पत्तन-सुविधाओं को बढ़ाना	Expansion of Harbour Facilities at Bombay Port	8–9
251. गुजरात में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न का स्टाक	Stock of Foodgrains at Fair Price Shops in Gujarat	9–11
254. नई दिल्ली में 'केरल हाउस' का निर्माण	Construction of 'Kerala House' in New Delhi	11–12
260. केरल को चावल का आवंटन	Allotment of Rice to Kerala	12–15
242. जगन्नाथ मंदिर, पुरी	Jagannath Temple, Puri	15–16
249. सरकार द्वारा वनस्पति का उत्पादन अपने नियंत्रण में लिया जाना तथा और अधिक लाइसेंसों का दिया जाना	Taking-over production of Vanaspati and issue of more licences	16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
241. मध्य प्रदेश को खाद्यान्न की सप्लाई	Foodgrains for Madhya Pradesh ..	16–17
243. फसल बीमा की मार्ग-दर्शी योजना	Pilot Scheme of Crop Insurance ..	17
244. बच्चों की देख-रेख संबंधी समन्वित सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्यों में उच्च स्तरीय समन्वय	High Level Coordination in States to Implement Integrated Child Care Services Schemes	17–18
245. दोषपूर्ण आर० एस०-09 ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Defective RS-09 Tractors ..	18–19

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
250.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों का समय से पूर्व प्रचार करने के बारे में जांच करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति — ICAR Enquiry Committee on Premature Publicity on Agricultural Research Achievements	19-20
252.	हिमालय शिपिंग लिमिटेड, कलकत्ता — Himalayan Shipping Ltd. Calcutta ..	20
255.	बीजों का निर्यात — Export of Seeds	20–21
256.	'ओपन स्कूल' तथा प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप — Open Schools and Models of Primary Education	21
257.	आधार बीजों (फाउन्डेशन सीड्स) का सुरक्षित भंडार बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता — Central Aid for Creation of Buffer Stock of Foundation Seeds ..	21–22
258.	ग्रामीण महाविद्यालय शिक्षा — Rural College Education ..	22
259.	खाद्य तेल का आयात — Import of Edible Oil	22–23
260.	केरल को चावल का आवंटन — Allotment of Rice to Kerla	23
अता० प्र० संख्या		
2404.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा छत्ता लाल मैन स्कीम का नगर निगम को हस्तांतरण — Transfer of Chatta Lal Main Scheme by DDA to Municipal Corporation	23
2405.	भारतीय नौवहन निगम द्वारा तेल की बचत — Oil Saving by Shipping Corporation of India	24
2406.	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं — Road Accidents in Delhi ..	24–25
2407.	केरल में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम — Crash Programme for Rural Employment in Kerala	25
2408.	दिल्ली में स्कूलों के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन-मान — Revised Pay Scales of Teachers Delhi Schools	25–26
2409.	गवर्नमेंट सैकेन्डरी आर्ट टीचर्स एसोसिएशन, दिल्ली द्वारा ज्ञापन — Memorandum by Government Secondary Art Teachers Association, Delh, ...	26–27
2410.	जयदेव पार्क, दिल्ली में मिडल/हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलना — Opening of Middle/Higher Secondary School in Jaidev Park, Delhi ..	27
2411.	दिल्ली परिवहन निगम के त्रिनगर स्थित बस स्टाप पर बूथ और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था — Provision of Booth and Telephone Facilities at Trinagar DTC Bus Stop	27
2412.	विश्वविद्यालय तकनीकी, चिकित्सा, माध्यमिक तथा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्यों को सहायता — Aid to States for University Technical, Medical, Secondary and Elementary Education	28
2413.	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को हुई हानि — Losses suffered by CRTC ..	28
2414.	बीजों के मूल्य में उतार-चढ़ाव — Fluctuation of Price of Seeds ..	28–29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2415. सुपर बाजार, नई दिल्ली में पूंजी निवेश और निदेशक की नियुक्ति की कसौटी	Capital invested and criteria of appointment of Director in Super Bazar New Delhi	29
2417. मध्य प्रदेश में छोटे ट्रैक्टरों की कम सप्लाई	Short Supply of Small Tractors in Madhya Pradesh	29
2418. दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाये जा रहे अलाभप्रद बस मार्गों को प्राइवेट परिचालकों को देना	Handing Over of Uneconomic Routes run by DTC to Private Operators ..	29–30
2419. गन्दी बस्तियां हटाने और सुधार योजनाओं का कार्य दिल्ली नगर निगम से ले लिया जाना	Taking over of Slum Clearance and Improvement Schemes from DMC	30
2420. महानगरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का विकास	Development of Public Transport System in the Metropolitan Cities ..	30–31
2421. भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न उतारने चढ़ाने संबंधी खर्चे	Handling Charges of Foodgrains by FCI	31
2422. परिवहन के विकास और राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिए पंजाब को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Punjab for Development of Transport and Construction of National Highways	31–32
2423. उड़ीसा द्वारा खाद्यान्न की मांग और उसकी सप्लाई	Demand and Supply of Foodgrains to Orissa	32-33
2424. अंडमान द्वारा चावल की मांग और उसकी सप्लाई	Demand and Supply of Rice to Andamans	33
2425. एट्टीकुलम (केरल) में प्रकाश-स्तम्भ का निर्माण-कार्य	Construction work of Light House at Etikulam (Kerala)	33
2426. राज्य ग्रन्थ अकादमियों को दिये गये अनुदान और उनका व्यय	Grants and expenditure of State Granth Akademies	34
2427. भवनों के लिए सीमेंट अथवा उसके स्थान पर अन्य सामग्री के प्रयोग में कमी	Reduction in use of Cement or its substitute for Building	34
2428. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नियुक्त तदर्थ अध्यापक	Ad-hoc Teachers Employed in Govt. Schools, Delhi	34–35
2429. शिक्षा की समान पद्धति की कार्यान्विति के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Implementation of Uniform pattern of Education	35
2430. केरल में मेन सैन्ट्रल रोड के विकास की योजना	Scheme for the Development of the Main Central Road in Kerala ..	35–36
2431 कोचीन शिपयार्ड में बनाये जाने वाले जहाजों की किस्म और अन्य ब्यौरा	Type and particulars of Ships to be produced at Cochin Shipyard ..	36–37
2432. क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तक निर्माण करने के बारे में 'यूनेस्को' की सिफारिशें	UNESCO Recommendations regarding Book production in Regional Languages	37

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2433. आवास तथा नगरीय विकास निगम को ऋण की मंजूरी	Grant of Loan to H UDCO ..	37
2434. उच्च न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित किये गये भूमि अधिनियम की स्थिति	Position of Land Acts struck down by High Courts	38–39
2435. यूरिया खाद का उत्पादन और इसकी काला बाजारी	Production of Urea Fertilizer and its Black Marketing	39
2436. जूट टैक्नोलोजी अनुसंधानशाला, कलकत्ता में जूट के डंठलों से अखबारी कागज तैयार करने की निकाली गई विधि	Technique developed in Jute Technology Research Institute, Calcutta for production of Newsprint from Jute Stalks	39–40
2437. महाराष्ट्र कृषि भूमि विधेयक, 1973	Maharashtra Agricultural Land Bill, 1973	40
2438. जाली चैकों द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खाते में से धनराशि निकाले जाने के समाचार	Alleged withdrawal of amount from SBI Account of Aligarh Muslim University by Forged Cheques ..	40
2439. यूरिया उर्वरक का काला बाजार	Blackmarketing of Urea Fertilizers ..	40–41
2440. वनों के अन्धाधुन्ध काटे जाने और निर्वनीकरण का कारण—बाढ़	Flood as a cause of indiscriminate cutting of Forests and Deforestation	41
2441. पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण टैक्सी के किरायों में वृद्धि	Increase in Taxi Fares due to increase in price of Petrol	41
2442. वर्ष 1974-75 में उर्वरकों की अनुमानित कमी	Expected Shortage of Fertilizers in 1974-75	42
2443. संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की विभागीय परिषद् की बैठक	Meeting of Departmental Council of JCM	42–43
2444. रूस में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी	Students Studying in USSR	43
2445. डेनिश सरकार के साथ सहयोग द्वारा पशुओं के लिए टीके तैयार करना	Production of Cattle Vaccine in Collaboration with Danish Government	44
2446. कोचीन शिपयार्ड द्वारा तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन	Implementation of Third Pay Commission Report by Cochin Shipyard	44
2447. शिपयार्ड की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थापना स्थल का चयन	Selecting of Suitable sites for Location of Shipyard	45
2448. कर्नाटक में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा तमिलनाडु में एक फर्म को बिजली सप्लाई करने के बदले में चेज़िस प्राप्त करना ।	Chasis obtained by the States Road Transport Corporation in Karnataka against the supply of Power to a firm in Tamil Nadu	45
2449. शराब बेचने वालों द्वारा जनजातियों के व्यक्तियों का शोषण	Exploitation of Tribals by Liquor Vendors	45–46

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U.S.Q. Nos.	SUBJECT	PAGES
2450.	दिल्ली परिवहन निगम के बस-बेड़े में नई बसों की प्रस्तावित वृद्धि Proposed addition of new buses to DTC Fleet	46
2451.	विभिन्न संग्रहालयों से चुराई गई मूर्तियां और पेन्टिगें Idols and paintings stolen from various Museums	46
2452.	तमिलनाडु में रासायनिक उर्वरकों की कमी Shortage of Chemical Fertilizers in Tamil Nadu	46–47
2453.	सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी नियम Land Ceiling Laws in Comm and Areas	47
2454.	दिल्ली में पानी की सप्लाई का बंद होना Failure of Water Supply in Delhi ..	47
2455.	खाद्य वितरण की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन Changes in present Food Distriubution System	48
2456.	कृषि उत्पादन के लिये मानक कार्य क्रमों का एकीकरण Integration of Standaid Programmes for Agricultural Production	48
2457.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न गोदामों की संख्या बढ़ाने संबंधी योजना Scheme to increase number of Food grain Godowns during Fifth Five Year Plan	49
2458.	नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आयोजित जूनियर कलर्क ग्रेड की परीक्षा Junior Clerks Grade Examination by NDMC	49
2459.	जुडिशियल सेमिनार Judicial Seminar	49–50
2462.	छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए ग्रामीण ऋण प्रणाली में आमूल परिवतन करना Overhauling of Rural Loan System for Small Farmers and Landless Labourers	50–51
2463.	आल इंडिया टैक्सी मैन यूनियन से प्राप्त ज्ञापन Memorandum from the All India Taxi-men's Union	51
2464.	ईंधन के उपयोग में सरकारी परिवहन की प्राथमिकता Priority to Public Transport in Utilisation of fuel	51
2465.	सामान्य योजना सहायता स्तर से ग्रामीण जल संभरण संबंधी योजनाएं Schemes for Rural Water Supply outside the normal Plan Assis-tance	52–53
2466.	पश्चिम बंगाल में परमानेन्ट लाइ-एविलिटी होम्स में विस्थापित, व्यक्तियों का पुनर्वास Rehabilitation of Displaced Persons in Permanent Liability Houses in West Bengal	53
2467.	ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबंध Ban on Import of Tractors	53
2468.	मछली पकड़ने के लिए नौकाओं के निर्माण के लिए नार्वे से सहायता Aid from Norway for Manufacture of Fishing Trawlers	53–54

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U.S.Q. No.	SUBJECT	PAGES
2469. राजकोट नगर के लिये पेयजल की सप्लाई में कमी	Short supply of drinking water in Rajkot City	54–55
2470. कर्नाटक के कुओं में पेयजल	Drinking Water Wells in Karnataka	55–56
2471. दिल्ली नगर निगम के करौल बाग ज़ोन में सम्पत्ति कर निर्धारण	Assesment of Property Tax in Karol Bagh Zone of Municipal Corporation of Delhi	56
2472. बेरोजगार कृषि स्नातकों को परती भूमि का आवंटन	Allotment of Fallow Land to unemployed Agriculture Graduates	56
2473. मंदसौर और रतलाम जिलों के चीनी व्यापारियों को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी लाने के लिए दिए गए परमिट	Sugar dealers of Mandsaur and Ratlam Districts given permits to bring sugar from U.P. and Maharashtra	57
2474. बंजर भूमि के सुधार की केन्द्रीय योजना	Central Scheme for Improvement of Barren Land	57–58
2475. कृषकों को प्रोत्साहन बोनस तथा भूमि विकास व्यय देना	Incentive Bonus and Land Development Expenditure to farmers ..	58–59
2476. पांचवीं योजना के दौरान कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम	Farmers Training Programme during Fifth Plan	59
2477. वर्ष 1973-74 में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अंत र्गत आवासीय योजना और ग्रामीण गोदाम	Housing Schemes and Rural Warehouses under Crash Programme for Rural Employment for 1973-74	59
2478. पांचवीं योजना के दौरान कृषि और डेरी उद्योग में सहायता के लिये न्यूजीलैंड के साथ करार	Agreement with New Zealand for aid in Agriculture and Dairy Industry during Fifth Plan	60
2479. मोटे अनाज के परिवहन पर छूट	Relaxation of Movement of Coarse Grain	60–61
2480. फरवरी, 1974 में आवासीय तथा नगरीय विकास निगम द्वारा योजनाओं का अनुमोदन	Approval of Schemes by HUDCO in February 1974	61
2481. चावल का कम उत्पादन	Low production of rice	61–62
2482. मोटे अनाज के परिवहन पर लगाए गए अंतर्राज्यीय प्रतिबंध को हटाने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात का अनुरोध	Request from Maharashtra and Gujarat to lift inter-State restriction on movement of coarse grain	62–63
2483. छिपा कर जमा किए गए खाद्यान्नों का पता लगने के बाद खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट	Fall in price of foodgrains due to unearthing hoarded foodgrains ..	63
2484. पांचवीं योजना के दौरान हज़ीरा में शिपयार्ड	Shipyard at Hazira during Fifth Plan	63–64
2485. आदिवासी कृषकों को बंजरभूमि का आवंटन	Allotment of barren land to tribal Peasants	64

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2486.	खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के बारे में मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers on Food Production Programme	64-65
2487.	मोटे अनाजों पर शुल्क लगाने की योजना	Coarse Grain Levy Plan..	65
2488.	ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही	Steps to increase firewood supply in rural areas	65
2489.	पालामउ जिले में कन्हार नदी पर एक पुल का निर्माण	Construction of a Bridge over Kanhar River in Palamau District	66
2490.	यू० एस० कान्फ्रेंस द्वारा अधिभार लगाया जाना	Levy of surcharge by US Conference	67
2491.	खाने के तेल की कमी	Shortage of edible oil ..	67
2492.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन	Agitation by FCI employees Union ..	68
2494.	डीजल की कमी के कारण दिल्ली में गैस से अतिरिक्त बसों का चलाया जाना	Operation of Additional Buses in Delhi with Gas due to shortage of Diesel	68-69
2495.	संकर सोरगम अथवा बाजरा के मूल्यों में कमी	Decline in price of Hybrid Sorghum for Bajra	69
2496.	नगरीय क्षेत्रों में आवासीय स्थानों की कमी	Shortage of Dwelling Units in Urban Areas	69-70
2497.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं तथा विद्यार्थियों की संख्या	Number of lectures, Research Scholars and Students in Jawaharalal Nehru University	70
2498.	भारतीय विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों द्वारा अमरीकी फ़ाउन्डेशनों के साथ सहयोग	Indian Universities and Educational Institutions collaboration with US Foundations	70
2499.	कोचीन शिपयार्ड बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Cochin Shipyard Board	70-71
2500.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चित्तौड़गढ़, राजस्थान में बिक्री हेतु गला-सड़ा बाजरा सप्लाई किया जाना	Supply of Rotten Bajra by FCI for Sale in Chittorgarh, Rajasthan ..	71-72
2501.	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये राज्यों को गेहूं का आवंटन	Allotment of Wheat to States Earmarked for Industrial Workers ..	72
2502.	आर्गेनिक खाद बनाने का अभियान	Campaign to Mobilise Organic Manure Sources	72-73
2503.	खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य उचित दर की दुकानों की अपेक्षा अधिक होना	Higher Prices of Foodgrains in Open market than at Fair Price Shops ..	73
2504.	विद्यालय शिक्षा के लिये समरूप ढांचा	Uniform structure for School Education	73
2505.	अहमदाबाद में सूती कपड़ा श्रमिकों के लिये मकान	Houses for Textile Workers at Ahmedabad	74

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2506. कांडला पत्तन पर जहाजों का उपलब्ध न होना	Non Availability of Vessels at Kandla	74
2507. पांचवीं योजना के दौरान सरकारी फार्म स्थापित करना	Setting up of State Farms during Fifth Plan	75
2508. गेहूं व्यापार के सरकारीकरण को समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to do away with take over of wheat trade	75
2509. भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता यूनिट के चिकित्सा बिल	Medical bills of FCI Calcutta Unit ..	75–76
2510. भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का स्टाक	Wheat stock with FCI	76
2511. राष्ट्रीय बीज निगम जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Enquiry Committee on National Seeds Corporation ..	76
2512. कलकत्ता पत्तन पर नौभरक (स्टेवेडोर) प्रणाली को समाप्त करना	Abolition of the Stevendore System at Calcutta Port	76–77
2513. महाराष्ट्र द्वारा गेहूं के वसूली मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of procurement price of wheat by Maharashtra	77
2515. मछली पकड़ने के लिये नौकायें तथा उनका आयात	Fishing Trawler and their import ..	77–78
2516. शिक्षा तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध करना	Linking of Education and Research Programme to the needs of rural people	79
2517. नगरीय आवास योजना के लिये केरल को आवंटित धनराशि	Amount allotted to Kerala for Urban Housing Scheme	79–80
2518. केरल की उर्वरक की मांग	Requirement of Fertilizers of Kerala	80
2519. खरीफ की फसलों से उत्पादन	Kharif Production	81
2520. गत तीन मास में केरल की खाद्यान्नों की मांग तथा उसके लिये की गई सप्लाई	Demand and Supply of Foodgrains to Kerala during Last three Months ..	81
2521. राज्यों में खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन	Production of Foodgrains and Commercial Crops in States	81–82
2522. गन्ने की फसल पर पायरेला के आक्रमण का कीटाणु नियंत्रण विधि से मुकाबला करने के प्रयोग	Experiments in Biological Control method of Pyrilla Attack on Sugarcane	82–85
2523. गुजरात और महाराष्ट्र में गेहूं के व्यापार को हाथ में लिये जाना निष्फल सिद्ध होना	Wheat trade take over on its wayout in Gujarat and Maharashtra ..	83
2524. व्यापारी जहाजी बेड़ा बनाने के लिये जहाजों की खरीद	Purchase of Vessels to Build up the Merchant Marine Fleet	83–84

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2525. कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य	Target of Reclamation of Cultivable Land	84
2526. नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का संतुलित उपयोग	Balanced use of Nitrogenous Fertilizers	84–85
2527. राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम, दिल्ली की केन्द्रीय जांच व्यरो द्वारा जांच	CBI Enquiry into National Agro-Industrial Corporation, Delhi	85–86
2528. पश्चिम बंगाल के चावल मिलरों द्वारा चावल के अधिक वसूली मूल्य की मांग	Demand for Higher Procurement Price of Rice by Rice Millers of West Bengal	86
2529. कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of Colleges and University Teachers	86–87
2530. राज्यों में मध्यम/निम्न आय वर्गीय लोगों को गृह निर्माण के लिये दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि की मांग	Demand for increase in allocation for House Building Advances to Middle/ Low Income Groups in States	87–88
2531. सलाहकार समितियों के सदस्यों की नामपट्ट	Name Plates of Members of Consultative Committee	88
2532. राष्ट्रीय प्रेस कर्मचारी यूनियन, गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली को मान्यता	Recognition of Rastriya Press Karamchari Union, Government of India Press, New Delhi.	88–89
2533. वर्ष 1973 के दौरान चीनी का उत्पादन और उसका निर्यात	Production and Export of Sugar during 1973	89
2534. उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का सरकारी नियंत्रण में लिया जाना	Take over of Sugar Mills in U.P. ..	89
2535. दक्षिण में चीनी कारखानों के मालिकों द्वारा खुले बाजार में चीनी की बिक्री पर लगी सीमा में छूट देने के लिये अनुरोध	Request from Owners of Sugar Factories in South to Relax Free Sale Sugar Limit	89–90
2536. वनस्पति की कमी	Shortage of Vanaspati	90
2537. पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम से गेहूं और चावल की मांग	Demand for Wheat and Rice from West Bengal, Orissa and Assam ..	90–91
2538. दिल्ली दुग्ध योजना के पास दुग्ध टोकन के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र	Applications for Milk Token Pending with DMS	91–92
2539. मंत्रियों के पास भरती एवं कृषि योग्य भूमि	Ministers in Possession of fallow cultivable land	92
2540. धरती भूमि का क्षेत्र और उसका वितरण	Area of waste land and its distribution	92
2541. राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था और सुरक्षा सुदृढ़ बनाने में समुद्रतटीय नौवहन माल की ढुलाई की महत्वपूर्ण भूमिका	Important Role of Coastal Shipping in Cargo in the National Economy and Security	92–93

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2542. पोषाहार निगम	Nutrition Corporation.. ..	93–94
2543. खाद्य पदार्थों पर कृमिनाशक तथा कीटनाशक औषधियों के उपयोग पर रोक	Check on the use of Pesticides and Insecticides on Eatables	94–95
2544. कृषि उत्पादों का निर्यात	Export of Agricultural Products ..	95
2545. आमों के विपणन के लिये रेल परिवहन की आवश्यकता	Requirement of Rail Transport for Marketing of Mango	95
2546. राज्यों में उचित दर की दुकानों से वितरण हेतु गला-सड़ा बाजरा और अन्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई	Supply of rotten bajra and other food articles for distribution through Fair Price Shops in States	96
2547. दिल्ली में उचित दर की दुकानों में खराब किस्म का गेहू बेचने की जिम्मेदारी	Responsibility for sale of bad quality Wheat at Fair Price Shops in Delhi..	96
2548. दिल्ली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 'नृत्य' विषय रखा जाना	Introduction of Dance Subject in Government Higher Secondary Schools in Delhi	96–97
2549. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में सड़कों का निर्माण तथा विकास	Construction and Development of roads in Rajasthan during the Fifth Five Year Plan	97
2550. देश में नई गन्दी बस्तियों की वृद्धि रोकने के लिए विधान	Legislation to prevent new slums in the country	97
2551. समाज कल्याण कार्य में रत स्वयं सेवी संस्थाएं	Voluntary Organisations engaged in Social Welfare Work	97–98
2552. खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Free Market Sugar	98
2553. चम्बल नदी पर पुल का टूट जाना	Collapse of bridge on river Chambal ..	98–99
2554. कृषि उत्पादन पर तेल की कीमतों का प्रभाव	Impact of oil prices on Agricultural Production	99–100
2555. आगामी रवी मौसम में गेहूं का व्यापार सरकारी नियंत्रण में लिया जाना	Wheat take over in coming Rabi Season	100
2556. बागानों तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए बौछारी सिंचाई (स्प्रिंकलर इरीगेशन)	Sprinklers Irrigation for Plantations and Commercial Crops	100–101
2557. राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के प्रशिक्षकों को लाभ	Benefits to instructors of NFC.. ..	101
2558. प्रतिनियुक्तियों पर आये कर्मचारियों के कारण भारतीय खाद्य निगम में फालतू कर्मचारी	Surplus Employees in FCI due to Deputationists	101–102

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2559.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन / Amendment of AMU Act	.. 102
2561.	बच्चों के कथित दत्तक बना कर ले जाने वाला गिरोह / Alleged Child Adoption Racket	.. 102
2562.	भारतीय नौवहन का विकास / Growth of Indian Shipping	 102–103
2563.	आयातित उर्वरक में केरल का भाग / Share of Kerala in Imported Fertilizers	103
2564.	भूमिहीन श्रमिकों को सरकारी खाली भूमि में बसाना / Settlement of Landless Labourers on Government Waste Land	 103
2565.	पांचवीं योजना में कृषि के लिए नियत की गई धनराशि / Funds allotted for Agriculture during Fifth Plan	 103–104
2566.	केन्द्र द्वारा सड़कों के लिये दिये गये ऋणों और राज सहायता के राज्य-वार आंकड़े / State-wise break up of loans and Subsidies for Roads	 104
2567.	महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग / National Highways in Maharashtra	104–1 5
2568.	विदेशों में इंजीनियरों के प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्तियां / Scholarship for Overseas Training to Engineers	 105
2569.	मोटे अनाज की बिक्री, खरीद तथा लाने ले जाने पर रोक / Restrictions on Sale, Purchase and movement of Coarse Grains	.. 106
2570.	हल्दिया पत्तन का निर्माण कार्य पूरा होना / Completion of Haldia Dock	 106
2571.	कृषि के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता / Central Aid to States for Agriculture	106–107
2572.	कलकत्ता बस्ती विकास परियोजना के लिये निधि / Fund for Calcutta Bustee Development Projects	 107
2573.	पटसन की खेती के अधीन अतिरिक्त भूमि / Additional Area under Jute Cultivation	107
2574.	कलकत्ता में सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि / Rise in price of Mustard Oil in Calcutta	107–108
2575.	चम्बल नदी पर पुल / Bridge over the Chambal River	.. 108
2576.	सरकारी आवास के आवंटन की प्रतीक्षा सूची / Waiting list for Allotment of Government Accommodation	 109
2577.	गरीबों को मोटा अनाज सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की योजना / Scheme for Cheaper Coarse Grains to the Poor	 109
2578.	सार्वजनिक नौवहन कम्पनियों द्वारा माल ढुलाई सेवा / Cargo Service by Public Shipping Companies	 179–111
2579.	मुगल लाइंस द्वारा कोंकण तट पर माल ढुलाई सेवा / Cargo Service on Kon Kan Coast by Moghul Lines	 111
2580.	मुगल लाइंस द्वारा फैरी सेवा के लिये सहयोग मांगना / Moghul lines sought cooperation for Ferry Service	 111

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2581.	दरभंगा फार्बिसगंज सड़क का निर्माण Construction of Darbhanga Forbesganj Road	 112
2582.	वेतन आयोग की प्रिंसिपलों संबंधी सिफारिशें Recommendations of Pay Commission concerning Principals	 112
2583.	किसानों को बीज के लिये गेहूं रखने की अनुमति Stock of Wheat Seed Allowed to Farmers	 112–113
2584.	पांचवीं योजना में संस्कृत का प्रसार और विकास Promotion and Development of Sanskrit in Fifth Plan	 113
2585.	संयुक्त राष्ट्र अतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता UNICEF Aid	.. 113–114
2586.	चुने हुए क्षेत्रों में फसल बीमा संबंधी प्रायोगिक योजनाओं पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया Response of State Governments on Pilot Schemes for Crop Insurance in Selected Areas	 114–115
2587.	दिल्ली प्रशासन द्वारा राष्ट्र रक्षा सेवा के प्रशिक्षकों की वरीयता निर्धारित करना Fixation of Seniority of NDS Instructors by Delhi Admn.	 115
2588.	मूल्य वृद्धि रोकने के लिये अनाज, चीनी और खाद्य तेलों का रक्षित भंडार बनाया जाना Buffer Stock of Foodgrains, Sugar and Edible Oils to check prices	 115–116
2589.	कालिजों को स्वायत्ता दर्जा Autonomous Status to Colleges	.. 116
2590.	गुजरात में बाजरा की वसूली Procurement of Bajra in Gujarat	.. 116
2591.	बेहतर प्रबंध के द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार Improvement in Agricultural yield through better Management	.. 117
2592.	केन्द्रीय पूल में राज्यों का चावल के अंश का अंशदान Contribution of share of Rice by States to Central Pool	 117–118
2593.	बिहार में पेय जल की व्यवस्था करने संबंधी लक्ष्य Target for drinking water in Bihar	.. 118
2594.	अमरीका से अनाज के लिये अनुरोध Request for U.S. Foodgrains	 119
2595.	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों को भूमि का आवंटन Allotment of land to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in Orissa	.. 119
2596.	साहित्य अकादमी के महापरिषद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व States representation in General Council of Sahitya Akademi	 119–120
2597.	वनस्पति के निर्माण के लिये आयातित तेल के अनुपात में वृद्धि Increase in proportion of imported oil for manufacturing Vanaspati	.. 120
2598.	बम्बई के लिये महानगर विकास प्राधिकरण Metropolitan Development Authority for Bombay	 121
2599.	महिलाओं में साक्षरता Literacy among Women	.. 121

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2600.	नदी परिवहन व्यवस्था के लिये गैर-सरकारी उद्यमियों को सहायता देने हेतु राज्यों को ऋण । Loans to States to help private Entrepreneurs for River Transport	.. 121-122
2601.	भूमिहीन आदिवासी परिवारों को अनुदान Grants to Landless Tribal Families	.. 122
2602.	वर्ष 1974 के दौरान भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी नये कानूनों की क्रियान्विति Implementation of New Land Ceiling Laws during 1974	 122-123
2603.	कुश्तियों को बढ़ावा देना Promotion of wrestling	.. 123-124
2604.	गुजरात द्वारा हरियाणा से सीधे खरीदे गये बाजरा, गेहूं और चावल की मात्रा Quantity of Bajra, Wheat and Rice purchased by Gujarat directly from Haryana	 124
	सभा पटल पर रखे गये पत्र Papers Laid on the Table	.. 124-125
	नियम 377 के अंतर्गत मामले Matters under rule 377	.. 126
(i)	संसद् की समितियों को वांछनीय जानकारी तुरन्त देने में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की असफलता, Failure of Ministries/Departments of Government of India to furnish information desired by Committee of Parliament	 126-127
(ii)	बिहार के एक गांव में एक जमींदार द्वारा दो आदिवासियों को जान से मारने तथा कई अन्य व्यक्तियों को घायल करने के कथित समाचार Reported killing of two Adivasis and injuring several others by a landlord in a village in Bihar	 126-127
	बम्बई की कुछ फर्मों द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने संबंधी प्रश्न के बारे में दिये गये मंत्री महोदय के उत्तर में कथित अशुद्धि के बारे में Re. Alleged inaccuracy in Ministers reply to Question about misuse of Import Licences by certain Bombay firms	 127
	गुजरात राज्य के संबन्ध में जारी की गयी उद्घोषणा की स्वीकृति संबंधी सांविधिक संकल्प---स्वीकृत Statutory Resolution re. Approval of proclamation in relation to the State of Gujarat—*Adopted*	.. 128

श्री राम निवास मिर्धा Shri Ram Niwas Mirdha	.. 128-131
श्री नूरूल हुडा Shri Noorul Huda	131-133
श्री वसंत साठे Shri Vasant Sathe	133-134
श्री भोगेन्द्र झा Shri Bhogendra Jha	.. 134-135
डा० महिपतराय मेहता Dr. Mahipatray Mehta	 135-136
श्री जगन्नाथराव जोशी Shri Jagannathrao Joshi	 137
श्री राम सहाय पाण्डेय Shri R. S. Pandey	137-138
श्री जै० मैथा गौडर Shri J. Matha Gowder	.. 138-14

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque	140–142
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	142–143
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	143–144
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	144
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	144–145
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	145–146
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	146–147
डा० कैलास	Dr. Kailas	147–148
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	148–149
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki	149
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	149–150
श्री भालजीभाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	150
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	151–156
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	156–160

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 11 मार्च, 1974/20 फाल्गुन, 1895 (शक)
Monday, March 11, 1974/Phalguna 20, 1895 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय**, पीठासीन हुए]
MR. SPEAKER *in the Chair*

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण
MEMBERS SWORN

1. श्री नूरूल हुडा (कछार)
2. श्री अरविन्द बाला पजनोर (पांडिचेरी)

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को 7 मार्च, 1974 के दोपहर बाद मद्रास में हुए 75 वर्षीय श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री कृष्णमाचारी का 25 वर्ष का लंबा संसदीय जीवन काल था उन्होंने 1937 में जब वह मद्रास विधान सभा के लिये चुने गये थे, अपना संसदीय जीवन आरम्भ किया जिसके सदस्य वे 1942 तक रहे। 1942 में वह केन्द्रीय विधान सभा में आये और स्वतन्त्रता प्राप्ति तक उसके सदस्य रहे। वह संविधान सभा के सदस्य भी रहे और उसके बाद अस्थायी संसद के भी। वह हमारे संविधान के निर्माताओं में से थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में उनका योगदान अद्वितीय था। 1952 से 1967 तक वह प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोक सभा के सदस्य रहे। एक विख्यात अर्थशास्त्री और अद्भुत देशभक्त श्री कृष्णमाचारी अनेक बड़े पदों पर आसीन रहे और उन्होंने उन पदों की शोभा बढ़ायी। वह 1952-55 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री, 1955-56 के दौरान वाणिज्य, उद्योग तथा लोह और इस्पात मंत्री, 1956-57 के दौरान वित्त, लोह और इस्पात मंत्री, 1957-58 के दौरान वित्त मंत्री, 1962-63 के दौरान आर्थिक तथा रक्षा समन्वय मंत्री तथा 1964-65 के दौरान वित्त मंत्री रहे। वह अनेक संसदीय समितियों के सदस्य तथा अध्यक्ष रहे और उन्होंने हमारी प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों तथा जनहित के अन्य महत्वपूर्ण विषयों में बड़ा योगदान दिया। महान विद्वत्ता और सभ्यता वाले इस देश के नेता की सलाह को बड़े आदर से सुना जाता था। वह दृढ़ निश्चय और महान विचारों वाले व्यक्ति थे। वह बहुत मृदु भाषी थे परन्तु उनके भाषण बहुत ज्ञानमय होते थे जो उनके

ज्ञान का परिचय देते थे। उनके निधन से राष्ट्र ने एक सच्चा देश भक्त और महान राजनीतिज्ञ खो दिया है।

हम अपने इस मित्र के निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करते हैं और मैं समझता हूं कि सभा संतप्त परिवार के संवेदना संदेश भेजने मेरे साथ शरीक होगी।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : गत वृहस्पतिवार को श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के निधन के दुखद समाचार को सुनकर मैं शोक से व्याकुल हूं। मैं एक दुखी मन से सरकार तथा इस सदन के एक सहयोगी के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने के लिये खड़ी हुई हूं।

श्री कृष्णमाचारी संसद में सुविख्यात थे। यहां उनकी प्रशासनिक गतिशीलता, उनके घोर परिश्रम, वादविवाद में बुद्धिमत्ता, प्रगति और समाज कल्याण के प्रति दृष्टिकोण, अर्थात् विभिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान का बहुत आदर था। बहुत कम लोगों को व्यापार तथा उद्योग की बारीकियों का गहन ज्ञान होता है। हमारी अर्थ व्यवस्था को नया रूप देने, उद्योगों की स्थापना करने, मशीन निर्माण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने में उनका योगदान अतुल्य रहा है। वह लोगों की निष्क्रियता को दूर करने तथा नौकरशाही के विरोध अथवा किसी अन्य प्रकार की बाध्य पर काबू पाने के लिये प्रभावशाली थे श्री एम० विश्वेशवरैया कहा करते थे कि हम में द्रुतगति से काम करने की प्रवृत्ति की कमी है। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी उन लोगों में से थे जो शीघ्रता से काम करते थे। प्रतिरक्षा और आर्थिक समन्वय के कठिन कार्यों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा सरकार के लिये बहुत लाभप्रद थी। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने हमारे पक्ष को बहुत योग्यता से प्रस्तुत किया। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का व्यक्तित्व तटस्थ था। उनकी इच्छायें तथा अनिच्छायें प्रबल थीं और सम्भवत: इसी कारण वे विवाद खड़े करते थे। लेकिन उनकी मित्रता दल और सिद्धान्तों की सीमाओं को लांघकर एक प्रकार से निरन्तर होती थी। नये विचारों, पुस्तकों, विज्ञान तथा कला में रुचि रखने से वे एक प्रभावशाली वार्ताकार बन गये थे। इसके बावजूद वह एक एकान्तवासी थे।

मैं श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को उनकी चर्चा परिचर्चा के कारण बहुत वर्षों से जानती आ रही हूं। दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों अर्थात् उनकी तथा पिताजी की मित्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होती थी। मुझे भी उनकी मित्रता तथा प्यार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके अनेक गुणों में मुझे उनकी निडरता और पहल करने की क्षमता बहुत सराहनीय लगी। हमारे राष्ट्रीय जीवन से एक महान व्यक्ति उठ गया है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा वाले मनुष्य बहुत कम होते हैं। मैं इस सदन में अपने दल तथा सरकार की ओर से श्री कृष्णमाचारी के परिवार तथा उनके मित्रों के बड़े परिवार के प्रति सहानुभूति तथा संवेदना प्रकट करती हूं। उनका निधन मेरी और सम्पूर्ण राष्ट्र की हानि है।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से आप के तथा प्रधान मंत्री के द्वारा श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के निधन पर व्यक्त की गयी संवेदना में शामिल होता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारी संवेदनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचायें।

श्री सोझियान (कुम्बकोणम) : अध्यक्ष महोदय, आप के तथा प्रधान मंत्री के द्वारा व्यक्त संवेदना में मैं भी शरीक होता हूं। इस सदन में बहुत से ऐसे लोगों के लिए, जिन्हें उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला, यह एक बड़ी हानि है। उनकी मृत्यु के साथ एक उर्बरा बुद्धि वाले तथा एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की हानि हुई है जो इस देश में अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नये विचारों की खोज में रहते थे। सरकार तथा इस सदन के द्वारा कोई कार्यक्रम स्वीकार किये जाने पर तो वे एक साहसी प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। उनकी लेखनी शक्तिशाली थी जिसमें कभी कभी तीखा व्यंग्य भी होता था। लेकिन उनके प्रति कभी भी किसी की बुरी भावनायें नहीं होती थीं। सदन से बाहर आने पर वे प्रत्येक से प्यार तथा मित्र भाव से मिलते थे, चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो। तमिलनाडु का निवासी होने के नाते मेरा उनके प्रति गहन अनुराग था। जब कभी वे आलोचना करते तो राजनीतिज्ञ उनकी ओर उन्मुख हो जाते थे। आप तथा सदन के नेता द्वारा व्यक्त भावनाओं में मैं शामिल होता हूं। अपने दल तथा अपनी ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचा दें।

***श्री एस० ए० गुरुगनन्तरूम्** (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, इस मास की 7 तारीख को श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की मृत्यु के साथ तमिलनाडु राज्य तथा देश ने एक महान नेता खो दिया है। भारत के राजनैतिक चित्र में स्वर्गीय टी० टी० कृष्णमाचारी, श्री सी० राजा-गोपालाचार्य की पंक्ति में आते थे। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी तमिलनाडु के एक ख्याति-प्राप्त उद्योगपति भी थे। उनकी मृत्यु से तमिलनाडु ही नहीं बल्कि समूचे देश को हानि हुई है। तमिलनाडु के लोग जब कभी नैवेली परियोजना के बारे में सोचें तो, उन्हें श्री कृष्णमाचारी की याद आयेगी। इसी प्रकार देश के लोग भी इस्पात परियोजनाओं के स्थापित होने से उनके प्रति ऋणी हैं। वे इस सदन के सदस्य थे, बाद में उद्योग मंत्री बने और दो बार भारत सरकार के वित्त मंत्री रहे। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की मृत्यु देश के लिये एक ऐसी हानि है जो पूरी नहीं हो सकती।

भारतीय साम्यवादी दल तथा अपनी ओर से मैं आप तथा प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त भावनाओं में शरीक होता हूं तथा आप से अनुरोध करता हूं कि आप शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचायें।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Mr. Speaker, Sir, I associate myself and my party with the sentiments expressed for the departed soul. May his soul rest in peace. I request you to convey our condolences to the bereaved family.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वतन्त्र दल की ओर से स्वर्गीय श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे 1957 में वित्त मंत्री के रूप में उन्हें जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और अन्तिम बार मैं ने उन्हें अस्पताल में श्री राजगोपालाचारी की मृत्यु शैय्या के पास देखा था। वह स्वयं अस्वस्थ होते हुए भी अस्पताल

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

आये थे यद्यपि कई अवसरों पर हमारी उनके साथ गरमा-गरमी हुई, तथापि हम उनका आदर करते थे क्योंकि वे दृढ़ विचारों वाले व्यक्ति होने के साथ-साथ स्पष्ट वक्ता भी थे। वह एक बहुत अच्छे प्रशासक भी थे। देश आज श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के सार्वजनिक जीवन से उठ जाने के कारण अधिक निर्धन हो गया है। मैं स्वतन्त्र दल की ओर से संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी संवेदना उस तक पहुंचा दें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री कृष्णमाचारी की मृत्यु से हमारे देश के राजनीतिक और आर्थिक मंच से काल ने एक महान और ओजपूर्ण व्यक्तित्व को छीन लिया है। वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखते थे और यही कारण है कि जब वह मंत्रिमंडल में थे तो भी उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण निराशापूर्ण नहीं था। उनके सिद्धान्तों में व्यवहारिकता का बाहुलय था। हम में से वे लोग भी, जिनके विचार उनके आर्थिक विचारों से भिन्न थे, यह मानते थे कि वह अपने मन में स्पष्ट ही थे और हमारे देश की आर्थिक विचारधारा में यही उनकी एक महान देन है। समाजवादी दल की ओर से मैं श्री कृष्णमाचारी के प्रति श्रजद्धांली अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

***श्री एम० मुत्तुस्वामी** (तिरुचेंगोड़) : अध्यक्ष महोदय, इस महीने की 7 तारीख को श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का निधन हो जाने से हमारे देश ने एक महान व्यक्ति को खो दिया है। जो अर्थशास्त्र के पंडित तथा विख्यात राजनीतिक विचारक थे। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी तमिलनाडु के औद्योगिक विकास में अधिक रुचि लिया करते थे। वह औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास में अनेक वर्षों तक देश की सेवा करते रहे। उनके निधन से हमारे देश ने एक ख्यातिप्राप्त नेता खो दिया है।

मैं अन्नाद्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम तथा अपनी ओर से अपने आप को उन भावनाओं के साथ सम्बद्ध करता हूं जो आप तथा प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त की गयी है और मैं आप को शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को हमारी संवेदनायें प्रेषित करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : श्रीमान जी, मैं अपने दल और अपनी ओर से अपने आप को सभा द्वारा व्यक्त भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं। मैं श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और आप से शोकसंतप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदनाओं को प्रेषित करने की प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण शोक व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिए मौन खड़े हो जायें।

इसके बाद सदस्यगण थोड़े समय के लिए मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अधिक उत्पादन लागत के कारण स्वदेशी जहाजों का कम उत्पादन

246. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज के उत्पादन के लिये कितने प्रतिशत सामग्री तथा उपकरणों का आयात किया जाता है; और

(ख) क्या अधिक उत्पादन लागत के कारण देश में जहाजों का उत्पादन कम होता है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आयातित सामग्री का मूल्य जहाज के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की कुल लागत का औसतन लगभग 50 प्रतिशत बनता है।

(ख) जी, हां, उत्पादन की ऊंची लागत कारणों में से एक कारण है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे ; कि क्या यह सच है कि कलकत्ता में गार्डन रीच वर्कशाप और राजा बागान गोदी वर्कशाप में ऐसे जहाजों का उत्पादन होता है जिनमें शत प्रतिशत देशीय सामग्री का उपयोग किया जाता है और यदि हां, तो देशीय जहाजों के उत्पादन करने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होती है? यदि देश में देशीय पोतों का उत्पादत किया जाता है, तो इन वर्कशापों को सहयोग देने के लिये क्या कार्यवाहीं की गयी है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक गार्डन रीच और राजा बागान डाक वर्कशापों का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि इन में कुछ जलयानों का उत्पादन किया जा रहा है जो समुद्र में जाने वाले जहाज नहीं हैं। राजा बागान गोदी वर्कशाप में मुख्यतय: अन्तर्देशीय जल परिवहन जलयान का उत्पादन होता है और गार्डन रीच वर्कशाप में कुछ 'लांचों' तथा अन्य प्रकार के जलयान का उत्पादन किया जाता है। वास्तव में, इनमें से कई जलयान का उत्पादन देशीय सामग्री से किया जाता है। यदि माननीय सदस्य आयात किये कल-पुर्जों तथा देशीय कलपुर्जों की प्रतिशतत: के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि लगभग 20--25 प्रतिशत कल पुर्जों का आयात किया जाता है और शेष कल पुर्जों का देश में उत्पादन किया जाता है।

जहां तक जहाज निर्माण सामग्री का सम्बन्ध है, कल पुर्जों के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिये की गयी कार्यवाही के वारे में मैं उन्हें बता सकता हूं कि हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि इन वर्कशापों के क्षेत्र के आस-पास काफी संख्या में सहायक उद्योगों का विकास किया जाये। वास्तव में हम उन्हें डिजाइनों, खाकों और तकनीकी जानकारी के रूप में कुछ न कुछ तकनीकी सहायता दे रहे हैं। हम सहायक उद्योगों के लिये सामग्री तथा आवश्यक आधारभूत ढांचा भी सप्लाई कर रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप भारतीय जहाज बनाने वाले कारखानों

के लिये 50 प्रतिशत देशीय उत्पादित कल पुर्जों का उत्पादन करना सम्भव हो पाया है जिनका केवल कुछ वर्ष पूर्व ही अधिकांशतः आयात किया जा रहा था।

श्री ए० के० एम० इसहाक : माननीय मंत्री ने बताया है कि देश में देशीय सामग्री से जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। क्या वह कृपा करके हमें बतायेंगे कि देश में देशीय उत्पादन करके कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होती है? तकनीकी जानकारी के संबंध में सभा में दिये गये आश्वासन के अतिरिक्त, देश में समुद्र में जाने वाले जहाजों का उत्पादन करने के लिये इन जहाज निर्माण वर्कशापों को कितना सहयोग दिया जाता है और उस तक्नीकी जानकारी के विकास के लिये कितना समय लगेगा?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि हम सहायक उद्योगों तथा अन्य उद्योगों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे; ताकि वे देश में ही कल पुर्जों का उत्पादन कर सकें।

विदेशी मुद्रा की बचत के संबंध में, मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि देशीय कल पुर्जों का विकास करके हमने 1967-68 में 11.06 लाख रुपये तक की विदेशी मुद्रा बचत की है और यह बचत बढ़कर 1968-69 में 28.58 लाख रुपये, 1970-71 में 83.17 लाख रुपये, 1971-72 में 167.10 लाख रुपये और 15 जुलाई 1972 तक 143.29 लाख रूपये तक हो गयी है।

भारतीय खाद्य निगम के उपरि खर्च कम करने हेतु नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें

\+

*247. **श्री नवल किशोर सिंह**
श्री प्रसन्नभाई मेहता } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की वसूली तथा उसके वितरण पर किए जाने वाले उपरि खर्चों को कम करने के लिए जांच करने हेतु एक समिति की नियुक्ति की थी, और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, और तत्सम्बन्धी सारांश क्या है?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट बहुत शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत कर देगी।

श्री नवल किशोर सिंह : राज्य सभा में प्रश्न संख्या 1523 के उत्तर में श्री अण्णा-साहिब शिन्दे ने बताया है कि इस समिति ने एक अन्य तकनीकी उप-समिति गठित की है और इस उप-समिति का प्रतिवेदन मिलने पर समिति अपनी राय देगी और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। क्या तकनीकी उप-समिति ने समिति को अपना प्रतिवेदन दे दिया है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : तकनीकी उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन महासमिति को भेज दिया है और महासमिति उस प्रतिवेदन पर विचार कर रही है, जो सरकार को शीघ्र से शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

श्री नवल किशोर सिंह : भारतीय खाद्य निगम के उपरि खर्च पर देश में व्याप्त चिन्ता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सदन को विश्वास में लेते हुए यह बताएगी कि तकनीकी उप-समिति ने समिति से क्या सिफारिशें की हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : महासमिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर इन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री के० लकप्पा : भारतीय खाद्य निगम ने उपरि खर्च का लाभ उठाते हुए कुछ अधिकारियों के गठजोड़ से अधिक उपरि खर्च दिखाकर अनियमितताएं की हैं; खाद्यानों के रख-रखाव में भी निगम को हानि हुई जानबूझकर अधिक उपरि खर्च दिखाने वाले इन अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? तकनीकी उपसमिति का गठन इसीलिए किया गया था। कि उपरि खर्च बहुत अधिक थे। यह भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के लिए ठीक नहीं है। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम को होने वाले घाटे का एक कारण यही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है, जहां तक तकनीकी उप-समिति का सम्बन्ध है, समिति ने अपना प्रतिवेदन महासमिति को दे दिया है। महासमिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मैं सभी पहलुओं की जांच करूंगा।

श्री बसंत साठे : समिति के प्रतिवेदन के विचाराधीन रहते हुए क्या मन्त्रालय भारतीय खाद्य निगम के उपरिखर्च में कमी करने के लिए कोई कार्यवाही कर रहा है और यदि हां, तो अब तक सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : भारतीय खाद्य निगम के उपरि खर्च को कम करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशें प्राप्त होते ही हम इस बात पर विचार करेंगे कि इन्हें किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा सकता है।

श्री बसंत साठे : क्या मन्त्री महोदय के कहने का अभिप्राय यह है कि तब तक कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, उपरि खर्च में कुछ ऐसी मदें भी हैं जिन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं, लेकिन कुछ ऐसी मदें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है और विचार किया गया था और गत एक अथवा दो वर्षों में पूर्ववर्ती वर्षों की अपेक्षा उपरि खर्चों में कमी हुई है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि उपरि खर्चों में अधिकता के कारण खाद्य निगम ठोस भूमिका अदा नहीं कर पाया अर्थात् खाद्यानों की सप्लाई कम मूल्य पर नहीं कर पाया बल्कि यह निगम एक वाणिज्यिक संस्था बन गया और कम कीमत पर अनाज वसूल करके अधिकतम मूल्य पर उपभोक्ताओं को सप्लाई करता रहा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : : यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इन खर्चों में न केवल परिवहन तथा छीज खर्च शामिल है बल्कि बिक्री कर, क्रय कर तथा अन्य कई कर भी शामिल हैं और यदि हम इन पहलुओं पर विचार करें तो पता चलेगा कि केवल भारतीय खाद्य निगम ही इन उपरि खर्चों में अधिकता के लिए जिम्मेवार नहीं है।

बम्बई पत्तन में पत्तन-सुविधाओं को बढ़ाना

*248. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन में पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के निर्धारित निर्माण कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सम्भवतया प्रश्न बम्बई पत्तन न्यास के गोदी विस्तार और बलार्ड पियर विस्तार योजनाओं से सम्बन्धित है। परियोजना के मुख्य समुद्री कार्यों के निर्माण में विलम्ब हुआ है जिसके एलीफेन्टा में खदान के कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त होने में ठेकेदार द्वारा लिया गया समय, सामग्री की प्राप्ति, समुद्रतल में सुरंग लगाने में प्रतिकूल निर्माण स्थल दशा, श्रम विवाद इत्यादि कारण हैं।

श्री एन० शिवप्पा : जहां तक पत्तन-सुविधाओं का सम्बन्ध है, सरकार ने दो पहलुओं पर विचार नहीं किया अर्थात् (1) नए बन्दरगाह का निर्माण करते समय, क्या प्राकृतिक क्षेत्र निर्यात क्षमता के विकास के अनुकूल है। दूसरा पहलू वर्तमान पत्तनों को सुधारना है। पत्तन न्यास ने काफी समय पहले अपने परियोजना प्रतिवेदन तथा सिफारिशों में योजना आयोग से लगभग 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति मांगी थी परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई। क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि योजना आयोग परियोजना प्रतिवेदन को स्वीकृति देगा और धन की स्वीकृति भी देगा ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक विस्तार योजना का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह पूरी हो चुकी है। निस्सन्देह इसमें विलम्ब हुआ है, लेकिन यह पूरी हो चुकी है और यदि माननीय सदस्य ब्यौरा चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं।

श्री एन० शिवप्पा : माल निर्यात करने सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हुए विलम्ब के कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इसके लिए अलग से नोटिस दिया जाए, क्योंकि यह प्रश्न जहाजों के ठहरने के स्थान तथा निर्यात में कठिनाइयों के बारे में है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच नहीं है कि भंडारण जैसी पूर्ण सुविधाओं के अभाव के कारण बम्बई पत्तन के माध्यम से होने वाले आयात और निर्यात कार्यों में बाधा पहुंची है, जिसके परिणामस्वरूप गत वर्ष महाराष्ट्र में अकाल पड़ने के दौरान पत्तन सुविधाओं के अभाव में जमा किए गए खाद्यान्न का काफी भाग बेकार हो गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी और ये सुविधाएं कब उपलब्ध कराई जाएंगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : पत्तन के वर्तमान विस्तार से बम्बई पत्तन पर माल को चढ़ाने और उतारने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होंगी।

जहां तक बम्बई पत्तन की वृहत योजना का सम्बन्ध है, नव शेवा योजना को योजना आयोग से स्वीकृति मिलने वाली है और स्वीकृति मिलते ही हम इसे क्रियान्वित करना शुरू करेंगे। इसके परिणामस्वरूप बम्बई पत्तन का विकास होगा।

गुजरात में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न का स्टाक

*251. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि गुजरात में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न के स्टाक की कमी है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). वर्ष के अन्त में भारत सरकार को केन्द्रीय स्टाक खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा देने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। खरीफ की फसलों के बाजार में आने से खाद्यान्नों के आवंटनों में जो कमी की गई थी, उसमें राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद कम अधिप्राप्ति करने पर विचार करते हुए, यथा सम्भव वृद्धि की गई थी। वर्ष 1973 के दौरान राज्य सरकार को दी गई कुल मात्रा 7.9 लाख मीटरी टन थी जबकि पिछले वर्ष दी गई मात्रा 3.1 लाख मीटरी टन थी। फरवरी, 1974 मास के लिए आवंटन फरवरी, 1973 में आवंटित मात्रा से अधिक था जोकि सूखे से प्रभावित अवधि थी।

श्री डी० डी० देसाई : गुजरात में बाढ़ें आई जिसके कारण काफी क्षेत्र, काफी एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई तथा फसलें नष्ट हो गईं। यह बात सब जानते हैं। गत वर्ष अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, और उससे पहले वर्ष में इस अवधि के दौरान गुजरात को बाढ़ राहत के रूप में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किया गया। दूसरे शब्दों में मुझे वर्ष 1972 और वर्ष 1973 में अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर माह में सप्लाई की गई खाद्यान्न की मात्रा के आंकड़े चाहिए।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : वर्ष 1973 में वर्ष 1972 की अपेक्षा कहीं अधिक खाद्यान्न की मात्रा गुजरात को सप्लाई की गई। माननीय सदस्य अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर में सप्लाई की गई खाद्यान्न की मात्रा के बारे में जानकारी चाहते हैं। मैं बता दूं कि अक्तूबर, 1973 में गुजरात को 58,000 टन, नवम्बर में 36000 टन और दिसम्बर में भी 36000 टन खाद्यान्न सप्लाई किया गया। इस वर्ष खरीफ की फसल पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छी थी, अतः खाद्यान्न की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उसकी मात्रा कम की गई। पर जब राज्य सरकार ने कहा कि उनके द्वारा अपेक्षित खाद्यान्न की मात्रा की वसूली करना सम्भव नहीं तो हमने यह मात्रा बढ़ा दी। जनवरी में 50,000 टन और फरवरी में 52,000 टन खाद्यान्न सप्लाई किया गया।

श्री डी० डी० देसाई : पहली राज्य सरकार ने और राज्यपाल के शासन के दौरान 'लेवी' की वसूली के लिए काफी संख्या में छापे मारे गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन छापों के परिणामस्वरूप कुल कितनी प्राप्ति हुई और अचानक ही ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ? क्या सरकार द्वारा सही अनुमान नहीं लगाए गए, यदि हां तो क्या भविष्य में कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने हेतु सही तरीके अपनाए जायेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने बताया, बाढ़ों के बावजूद इस वर्ष खरीफ की फसल पिछले वर्ष की अपेक्षा कहीं अच्छी रही और पिछले वर्ष प्राप्त 15 लाख टन खाद्यान्न की मात्रा की तुलना में इस वर्ष 23.44 लाख टन खाद्यान्न की मात्रा प्राप्त हुई। यदि माननीय सदस्य पिछले वर्ष किए गए आवंटनों को देखें तो उन्हें पता लगेगा कि इस वर्ष स्थिति बेहतर है।

श्री डी० डी० देसाई : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। उत्पादन के जो आंकड़े दिए गए हैं वह निश्चय ही विश्वसनीय नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य में राज्यपाल के शासन के दौरान उस सरकार द्वारा कितनी 'लेवी' इकट्ठी की गई ? यदि उत्पादन हुआ था तो दोनों सरकारों द्वारा वसूली क्यों नहीं की जा सकी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने पहले बताया, यह आंकड़े राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर मैं उत्पादन के आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री के० एस० चावड़ा : मोटे अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने लेजाने पर लगे प्रतिबंध के हटने से केवल कुछ समय पहले, गुजरात सरकार ने 50,000 टन बाजरा खरीदा था। किन्तु भारत सरकार ने इसको बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस समय भारत सरकार ने गुजरात सरकार को अनुमति क्यों नहीं दी। दूसरे आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्नों का स्टाक बिल्कुल नहीं है। गुजरात राज्य में खाद्यान्नों के समान वितरण के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल ही में मोटे अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर से प्रतिबंध हटाया गया है। अतः गुजरात के अतिरिक्त, अन्य स्थानों से खरीदे गए खाद्यान्न को तब तक कहीं नहीं ले जाया जा सकता था जब तक उस पर से प्रतिबंध न हटाया जाता और यह प्रतिबन्ध हाल ही में हटाया गया है। मोटे अनाज को अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता है : मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि गुजरात में स्थिति में काफी सुधार हुआ है और मूल्यों में भी काफी कमी हुई है।

श्री के० एस० चावड़ा : ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों का समान वितरण बिल्कुल नहीं है, इसलिए वहां की उचित दर की दुकानों में खाद्यान्न के स्टाक की कमी है। मैं कल ही वहां से वापिस आया हूं और स्थिति से भली भांति परिचित हूं। इसीलिए, यह प्रश्न मैंने आपसे किया है। मंत्री महोदय ने इस का उत्तर नहीं दिया।

डा० महिपतराय मेहता : मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से यह जानना चहता हूं कि क्या खाद्यान्नों के अकुशल और भ्रष्टाचार पूर्ण वितरण के कारण उचित दर की दुकानों में खाद्यान्नों की कमी हुई है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, वह किसी भी विशेष वर्ष में किसी राज्य को उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय पूल में से, खाद्यान्नों की उपलब्धता को देखते हुए, खाद्यान्न दे सकती है। जहां तक उत्पादन का संबंध है, वह पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर है। राज्य में ही खाद्यान्न उपलब्ध थे, इसलिए हमने खाद्यान्नों के आवंटन की मात्रा में कमी की। लेकिन यह मात्रा कोई सदा के लिए निश्चित नहीं है। जरूरत के समय गुजरात तथा अन्य राज्यों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री अमृत नाहाटा : पिछले वर्ष की अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुए क्या गुजरात सरकार को जो घाटा हुआ वह थोड़ा ही था और क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यदि वह वसूली करने में असफल होती है तो उसे केन्द्रीय पूल से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की मांग करने का भी कोई अधिकार नहीं ? उस स्थिति में क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को समुचित स्टाक की वसूली के लिए बाध्य किया गया।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक घाटे का सम्बन्ध है इसका पता तो केवल रबी फसल से प्राप्त होने वाली मात्रा के बाद ही लग सकेगा। किन्तु जहां तक खरीफ फसल का सम्बन्ध है, वह एक असाधारण फसल थी और यदि वसूली ठीक ढंग से की गई होती तो गुजरात सरकार को केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्न मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब भी वहां के मंत्री मुझे मिलने आए, मैंने उनसे कहा कि वह खाद्यान्न वसूली के कार्यों हेतु अपने कर्तव्यों और दायित्वों को अच्छी तरह निभाएं ताकि वितरन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई न हो।

Shri Arvind M. Patel : What was the target of the State Government regarding collection of levy with regard to Bajra and Coarse grains and how far they have been successful in this respect ?

Shri F. A. Ahmed : Exact figures are not known to me, but I have heard that sixteen or seventeen thousand tonnes of Bajra was purchased by the state government.

श्री बसंत साठे : माननीय सदस्य वसूली के आंकड़ों के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं। किन्तु उनके द्वारा वसूली न के बराबर हुई है। मेरे विचार में उन्होंने दस से बारह हजार टन चावल और कुछ हजार टन मोटे अनाज की वसूली की है।

नई दिल्ली में 'केरल हाउस, का निर्माण

*254 **श्री वयालार रवि**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन शर्तों के अन्तर्गत केरल सरकार को नई दिल्ली में 'केरल हाउस' बनाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) क्या यह करार अन्य करारों से भिन्न है जिनके अन्तर्गत अन्य राज्य सरकारों को अतिथि गृह बनाने के लिये अनुमति दी गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) परिसर सं० 3, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली के अन्तर्गत भूमि जिसे अब "केरल हाउस" कहते हैं, भूतपूर्व ट्रावनकोर और कोचीन राज्य ने मूल पट्टाधारी, सरदार शोभा सिंह से खरीदी थी, जो अब उन्हीं शर्तों पर केरल सरकार के पास है जो भूतपूर्व ट्रावनकोर और कोचीन राज्य के हितों के उत्तराधिकारी है, पट्टे की सब से महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पट्टाधारी, पट्टा कर्ता की पूर्व अनुमति के बिना, भवन के प्लान या संमुखदर्शन में किसी प्रकार की तबदीली नहीं कर सकता या उक्त परिसर में किसी भी प्रकार के व्यापार या धंधे को नहीं कर सकता या करने की अनुमति नहीं दे सकता है, या सिवाये रिहायशी प्रयोजन के किसी और प्रयोजन के लिये न तो उसका प्रयोग कर सकता है और न ही उसकी अनुमति दे सकता है।

(ख) जी, हां।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : विवरण पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि भूमि खरीदी गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह भूमि राज्य सरकार के कहने में है, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सुविधाओं में वृद्धि करने और वहां जन-सुविधाओं का विकास करने में कौनसा उपबन्ध राज्य सरकार के लिए बाधक है ?

श्री ओम मेहता : यह भूमि एक प्राइवेट व्यक्ति सरदार शोभा सिंह से खरीदी गई थी और पट्टे की एक शर्त यह थी कि :

"पट्टाधारी, पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना, भवन के प्लान या संमुखदर्शन में किसी प्रकार की तबदीली नहीं कर सकता या उक्त परिसर में किसी भी प्रकार के व्यापार या धंधे को नहीं कर सकता या करने की अनुमति नहीं दे सकता है, या सिवाय रिहायशी प्रयोजन के किसी और प्रयोजन के लिए न तो उसका प्रयोग कर सकता है और न ही उसकी अनुमति दे सकता है।"

यह शर्त केरल सरकार पर भी लागू होती है।

केरल को चावल का आबंटन

*260. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री सी० जनार्दनन } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल से केरल को फरवरी के मुकाबले मार्च, 1974 में चावल का कम कोटा दिया गया है, और

(ख) यदि हां तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : समाचारपत्रों में यह समाचार व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ था कि फरवरी की तुलना में मार्च में केरल सरकार को चावल के कोटे में केन्द्रीय सरकार ने कटौती कर दी है। मन्त्री महोदय के उत्तर को देखते हुए मैं उनसे तत्सम्बन्धी आंकड़ों की जानकारी चाहूंगा। फरवरी में कितना कोटा आवंटित किया गया और मार्च में कितना कोटा आवंटित किया गया ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : फरवरी में कुल 78,000 टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। मार्च में भी 78,000 टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। इसमें से फरवरी में 70,000 टन चावल था और मार्च में भी 70,000 टन चावल है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में भारी मात्रा में कीड़ों ने फसल नष्ट कर दी थी, क्या केरल सरकार ने बढ़े हुए कोटे के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था? यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने केरल सरकार की जरूरत पर विचार किया और केरल के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के साथ, जो जहां आये थे, विचार विमर्श करके आवेदन किया। जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि नवम्बर और दिसम्बर में 73,000 टन का हर महीने आवंटन किया गया था। इन सब तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् जनवरी में हमने कोटा बढ़ाकर 80,000 टन कर दिया था। बाद में फरवरी में हमने 78,000 टन दिया था और मार्च में भी 78,000 टन दिया।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि जनवरी में 80,000 टन खाद्यान्न दिया गया था और फरवरी तथा मार्च के महीनों में यह कोटा 78,000 टन कर दिया गया था। मैं इस बात की ओर उल्लेख करना चाहता था कि केरल में बहुत व्यापक क्षेत्र में कीड़ों की बीमारी फैली थी और इसके परिणामस्वरूप फसल बरबाद हो गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार 2,000 टन कोट घटाने के बजाय अधिक कोटा निर्धारित करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि आवंटन उपलब्धता और अन्य राज्यों की मांगों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। इन सब पर विचार करने के बाद मैं यह महसूस करता हूं कि केरल को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आवंटित किया गया है और इस बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : फरवरी और मार्च के लिए केरल को कितना ही कोटा क्यों न सप्लाई किया गया हो, मैं यह जानना चाहता हूं कि केरल में और विशेष रूप से कस्बों और उससे लगने वाले क्षेत्रों में प्रति यूनिट कुल कितनी मात्रा सप्लाई की जाती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह राज्य सरकार का मामला है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम केन्द्रीय पूल से आवंटन कर देते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : नहीं, नहीं। मेरा निवेदन यह है कि जब कोई राज्य सरकार चावल की किसी मात्रा के लिए अनुरोध करती है, तो वह अपनी जरूरत के आधार पर अपनी गणना करती है अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति/परिवार को वह कितनी मात्रा में सप्लाई की जायगी। सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय पूल से आवंटन करने की क्या कसौटी है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसका आधार राज्य में खाद्यान्न की उपलब्धता और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न की उपलब्धता है। राज्य भारी मात्रा में मांग कर रहे हैं। अगर हम उनकी मांग मांगों के अनुसार खाद्यान्न देने लगें, तो केन्द्रीय पूल में मुश्किल से ही खाद्यान्न बच पायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : वह सदन को थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं जोनल मीटिंग में, वह 80,000 टन सप्लाई करने के लिए सहमत हो गए थे .....

अध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। केरल में प्रति व्यक्ति अथवा परिवार को कितना खाद्यान्न मिलता है?

अध्यक्ष महोदय : इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मुख्य प्रश्न केरल को खाद्यान्न के आवंटन के बारे में है। श्री मालन्ना।

श्री के० मालन्ना : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केरल में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितनी कमी है और कमी को पूरा करने के लिए अथवा खाद्यान्न का वितरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार कौन से सिद्धान्त अपनाती है?

अध्यक्ष महोदय : आप से पहले श्री दीनेन भट्टाचार्य ने भी यही सवाल पूछा था।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, मैं आंकड़े दे सकता हूं। वर्ष 1971-72 में 13,73,000 टन उत्पादन हुआ था और वर्ष 1972-73 में 13,61,000 टन उत्पादन हुआ था। मैं माननीय सदस्य को इस बात की याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1972-73 में 57,000 टन की वसूली हुई थी और वर्ष 1973-74 में केवल 20,000 टन की ही वसूली हो सकी थी। इसलिए, वह यह बात देख सकते हैं कि जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, पिछले साल और इस साल में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं प्रति व्यक्ति वितरित होने वाले खाद्यान्न की मात्रा के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बार बार खड़े न हों। श्री एच० एम० पटेल।

श्री एच० एम० पटेल : सदन इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि राज्यों को आवंटित होने वाले खाद्यान्न की मात्रा की गणना किस आधार पर होती है। प्रति व्यक्ति उपयोग की कितनी मात्रा का लक्ष्य रखा जाता है और इसनें कितनी कमी होती है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे पास 2 दिसम्बर तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। उन आंकड़ों के अनुसार चावल की मात्रा 160 ग्राम प्रति व्यस्क व्यक्ति प्रति सप्ताह और गेहूं की मात्रा 80 ग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह है।

श्री सेझियान : मन्त्री महोदय ने यह कहा कि दिसम्बर में 160 ग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह का हिसाब लगाया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अखिल भारतीय औसत है। केरल के लिए 160 ग्राम निर्धारित करने की क्या कसौटी है? मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या उनके पास अखिल भारतीय औसत सम्बन्धी आंकड़े हैं, अथवा केन्द्रीय पूल में जितना भी खाद्यान्न होता है, वह आवंटित कर दिया जाता है अथवा क्या उन्होंने केवल केरल के लिए ही कसौटी बना रखी है । उन्होंने कहा कि केरल को 80,000 टन चावल की सप्लाई की गई। परन्तु, अधिकांशता, जितना आवंटित किया जाता है, उतना राज्य में नहीं पहुंच पाता । मैं यह जानना चाहता हूं कि दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के महीनों में आवंटित किए गए 80,000 टन की मात्रा में वस्तुतः केरल को कितना चावल प्राप्त हुआ ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जितना आवंटित किया जाता है, उतना उन्हें दे भी दिया जाता है और हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि जितने चावल का आवंटन किया गया है, वह वहां तक नहीं पहुंचा है । जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, चावल की मात्रा मेरे द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आधारित है और जब हम केन्द्रीय पूल से आवंटन करते हैं, तब उसको ध्यान में रखा जाता है।

श्री सेमियान : मान लीजिए, उनकी जरूरत 180 ग्राम है और राज्य की उपलब्धता 140 ग्राम है। क्या 40 ग्राम का जो अन्तर है, वही केन्द्रीय पूल से सप्लाई किया जाता है? कमी को पूरा करने के लिए आवंटित होने वाली मात्रा का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार का क्या मानदण्ड है ?

अध्यक्ष महोदय : वह अखिल भारतीय मानदण्ड के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : भारत सरकार के पास कोई अखिल भारतीय मानदण्ड नहीं है। यह हर राज्य के लिए अलग अलग है।

श्री रामचन्द्र कदनापल्ली : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें केरल सरकार से गेहूं का कोटा बढ़ाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न में नहीं उठता।

श्रीमती रोजा देशपाण्डे : तमिलनाडु राज्य केरल को 3000 टन चावल देने के लिए सहमत हो गया है मैं यह जानना चाहती हूं कि केन्द्र ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं दी है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहां तक चावल का सम्बन्ध है, उसके एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध है। अगर तमिलनाडु सरकार कुछ चावल देना चाहती है, तो वह उस केन्द्रीय पूल में दे सकती है और फिर हम निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेंगे कि कितनी अतिरिक्त मात्रा दी जा सकती है.... **(व्यवधान)**

Jagannath Temple Puri

*242. **Shri Phool Chand Verma**
Shri Gajadhar Majhi } : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(*a*) whether the Central Government are considering a proposal to declare Jagannath Temple in Puri a historical monument to be preserved by them ; and

(*b*) the present position in this regard ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : जी, हां। पुरी स्थित जगन्नाथ मन्दिर को राष्ट्रीय महत्व का एक सुरक्षित स्मारक घोषित करने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार से आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। इसी दौरान भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार मन्दिर का संरक्षण सम्बन्धी कार्य अगले वित्तीय वर्ष से आरम्भ हो जायेगा।

Taking over Production of Vanaspati and issue of Mole Licences

249. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether in the present situation Government propose to take over the production of Vanaspati ; and

(*b*) whether it is also under consideration as an alternative that some private industrial companies will be given more licences and some production will be made on cooperative basis ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी नहीं। उद्योग की लाइसेंसशुदा क्षमता और स्थापित क्षमता चालू जरूरतों या पांचवीं योजना के अन्त तक परिकल्पित क्षमता से भी अधिक पर्याप्त है।

Shri Dhan Shah Pradhan : Mr. Speaker, Sir, I had not asked about the Fifth Five year Plan. The honourable Minister is refering Fifth Five Year Plan in his reply. I had asked as to what steps are being taken by the government to check the black-marketing in Vanaspati ghee and what are the difficulties to produce Vanaspati ghee on co-operative basis ? When high officials in the big cities are finding it difficult to get Vanapati ghee, the situation in villages could be well imagined. What steps are being taken by the government to make supplies in rural areas.

Shri B. P. Maurya : Sir, So far as Agriculture Ministry is concerned, we fix the prices of Vanaspati and we do not have any control over its distribution.

So far as mian question is concerned, it is directly connected with it. As I have already stated in the reply that the installed capacity is more than the requirements and the licensed capacity is even much more. There is requirement of about 6·5 lakh tons and 78 mills, out of 120, which are in operation, have a production capacity of 11·76 lakh tons. There is, therefore, no question of giving any further licence.

So far as black-marketing is concerned, the government should have more vigorous over it. But so far as our Ministry is concerned, we fix the prices only.

Shri Dhan Shah Pradhan : What steps are being taken by the government to check balck-marketing ?

Shri Ishaque Sanbhli : If the Mill owners have raised the prices why does the government not take them over ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

Foodgrains for Madhya Pradesh

*241. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether there is acute food crisis in most of the Districts of Madhya Pradesh ;

(*b*) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to increase the quota of foodgrains ; and

(*c*) if so, the foodgrains quota given to Madhya Pradesh by the Central Government during the last six months ?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : (*a*) No, Sir.

(*b*) and (*c*) : Allotments are made keeping in view the overall availability of foodgrains in the Central Pool and the needs of deficit States.

The quantity of wheat demanded by the State Government and quantity allotted during the last six months is as follows :—

(In thousand tonnes)

Month	*Quantity demanded*	*Quantity allotted*
September, 1973	38·0	15·0
October, 1973	38·0	15·0
November, 1973	39·0	10·0
December, 1973	38·8	10·0
January, 1974	38·8	15·0
February. 1974	38·8	20·0

Pilot Scheme Of Crop Insurance

*243. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the main features of the pilot scheme of crop insurance introduced by the New India Insurance Company Limited?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : An experimental scheme of voluntary crop insurance for Hybrid-4 cotton originally introduced in Gujarat by the L.I.C. in 1972-73 kharif season has since been taken over and continued by the New India Assurance Company Ltd. as its successors for the scheme. The main features of the pilot scheme are as under :—

Number of farmers	121
Area covered	926 acres in Baroda district.
Period of policy	1973-74 kharif season from sowing to harvesting.
Perils covered	All risks but excluding wilful negligence of insured, theft, war and kindred risks.
Minimum guaranteed yield	700 kg. of kapas per acre.
Basis of indemnity	If the assessed yield falls below the minimum guaranteed yield, the shortfall is compensated at an agreed prices of Rs. 2·50 per kg.
Sum insured (Limit of insurers liability)	Rs. 1750/- per acre which is the estimated cost of cultivation per acre.
Premium charged to the farmer.	2% on sum insured out of which Rs. 17·50 is paid to the collaborating fertilizer company for field assessment.

The operation of the scheme is conditional on an integrated package of supplies and services being made available to the farmers to enable cultivation to be done under controlled conditions. In the case of the Gujarat scheme, such an integrated package is provided by the Gujarat State Fertilizer Company Ltd.

बच्चों की देख-रेख सम्बन्धी समन्वित सेवा योजनाओं के लिये राज्यों में क्रियान्वयन के लिये राज्यों में उच्चस्तरीय समन्वय

*244. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रालय पांचवीं योजना अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली बच्चों की देख-रेख सम्बन्धी समन्वित सेवा योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों में उच्च-स्तरीय समन्वय स्थापित करने पर विचार कर रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने उक्त योजना पर सहमति दे दी है; और

(ग) क्या जनवरी, 1974 में हुए राज्यों के समाज कल्याण मन्त्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) समेकित बाल विकास सेवा योजना में राज्य स्तर पर समन्वय समिति गठित करने की व्यवस्था है।

(ख) राज्य सरकारों को अभी तक कोई भी औपचारिक संदर्भ नहीं दिया गया है। तो भी, राज्य सरकारों के समाज कल्याण मन्त्रियों के 31 जनवरी, 1974 को हुए सम्मेलन में इस योजना पर सामान्यत: विचार विमर्श किया गया था।

दोषपूर्ण आर० एस०-09 ट्रेक्टरों की सप्लाई

*245. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतांत्रिक गणतन्त्र द्वारा हाल ही में हमारे किसानों के लिए कई दोष-पूर्ण आर० एस०-09 ट्रैक्टर सप्लाई किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों ने सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि वह उन्हें वापस ले तथा उनकी क्षति पूर्ति दे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : हाल ही में कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से कृषकों को कोई आर० एस०-09 ट्रेक्टर सप्लाई नहीं किए गए हैं।

पूर्वी जर्मनी से 1998 आर० एस०-09 ट्रेक्टर आयात किये गये थे और वर्ष 1970 तक ये ट्रैक्टर विभिन्न कृषि-उद्योग निगमों के माध्यम से कृषकों को सप्लाई किए गए थे। इन ट्रैक्टरों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय की शिकायतें प्राप्त होने पर पूर्वी जर्मनी से और ट्रैक्टरों का आयात शीघ्र बन्द कर दिया गया था। कृषि-उद्योग निगमों ने इन ट्रैक्टरों का वितरण 1969 तथा 1970 के दौरान किया था और शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात् निगमों ने और कोई वितरण नहीं किया। 21 फरवरी, 1971 को हस्ताक्षर हुए प्रथम करार तथा 13 दिसम्बर, 1972 को हस्ताक्षर हुए दूसरे करार की शर्तों के अनुसार ये ट्रैक्टर विदेशी सम्भरणकर्ताओं को वापिस किए जा रहे हैं।

(1) प्रथम करार :

प्रथम करार के उपबन्धों के अनुसार पूर्वी जर्मनी के सम्भरणकर्ताओं ने करार की शर्तों के अनुसार उस तिथि तक आशोधित हुए समस्त ट्रैक्टरों को वापिस लेना स्वीकार कर लिया था।

(2) द्वितीय करार :

द्वितीय करार के अनुसार प्रथम करार की परिधि के अन्तर्गत न आए समस्त बिके, न बिके, केन्नाबलाइड, आशोधित या अनाशोधित ट्रैक्टर इस करार की कुछ शर्तों के अनुसार वापिस लिए जायेंगे।

जिन कृषकों को नुकसान पहुंचा है उन्हें करार में की गई व्यवस्था के सिवाय कोई अन्य मुआवजा देने के सम्बन्ध में सरकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रभावित कृषकों को अत्यधिक प्राथमिकता के आधार पर डी० टी०-14 वी०, जेटर-2011, आदि आयातित ट्रैक्टरों के अन्य लोकप्रिय मेकों की पेशकश की गई थी। भारत सरकार ने विभिन्न कृषि-उद्योग निगमों की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त आबंटन भी किए हैं।

इन करारों में यह व्यवस्था है कि पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्ताओं की वितरण/विक्रय करने वाली संस्थाओं के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के पुनर्विक्रय की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ज्ञात हुआ है कि पूर्वी जर्मनी के स्थानीय एजेन्टों द्वारा वापिस लिए गए इन ट्रैक्टरों में से कुछ ट्रैक्टरों का उन्होंने सुधार कर लिया है और ये ट्रैक्टर किसानों को बेचे जा रहे हैं। विदेशी संभरणकर्ताओं के एजेन्टों ने ये ट्रैक्टर कृषकों को सीधे सप्लाई किए थे और ऐसे ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों का समय से पूर्व प्रचार करने के बारे में जांच करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति

*250. **श्री आर० बी० बड़े :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा कृषि अनुसन्धान की उपलब्धियों का बिना कोई व्यापक प्रयोग किए समय से पूर्व प्रचार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद जांच समिति ने उसकी कड़ी आलोचना की है;

(ख) क्या भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में सरकार का निर्णय भी इस प्रकार की बेबुनियाद उपलब्धियों से प्रभावित हुआ था जिसमें किसानों की वास्तविक कठिनाइयां तथा वास्तविक आय की उपेक्षा की गई है और;

(ग) इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में समाचार पत्रों और आकाशवाणी पर एक प्रायोजना समन्वयकर्ता (प्रोजेक्ट को-आर्डीनेटर) के विचारों के प्रचार का हवाला दिया है। ये विचार भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च बुलेटिन में "मल्टिपल क्रापिंग इन रूरल डिव्लपमेंट" शीर्षक वाले अध्याय में दिए गए थे। यह समाचार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान द्वारा जारी की गई किसी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि रिसर्च बुलेटिन के एक अध्याय पर आधार करके एक न्यूज एजेंसी द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार के रिसर्च बुलेटिन अनुसन्धान-

कर्ताओं में पारस्परिक ज्ञान और विचार विनिमय के लिए होते हैं। अतः जांच समिति ने जहां, "इस प्रकार के आंकड़े प्रचारित करने से पहले उनकी व्यवहार्यता की गहराई से जांच करने" पर जोर दिया है वहीं यह भी कहा है कि "हम यह महसूस करते हैं कि इस बारे में प्रेस की भी जिम्मेदारी है।"

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमालय शिपिंग लिमिटेड, कलकत्ता

*252. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालयन शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता एक नया और छोटा सा उपक्रम है;

(ख) उन्होंने कितने जहाज प्राप्त किए हैं और किस से प्राप्त किए हैं;

(ग) क्या इस उपक्रम ने हाल ही में राज्य व्यापार निगम के पटसन के माल को सूडान ले जाने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और यदि हां, तो क्या उससे लाइसेंस दिया गया था; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम ने उनके मन्त्रालय से बातचीत की थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी ने दो बरते हुए जहाज अर्थात रीजेंट पिओनी शिपिंग कम्पनी आफ पनामा से "एकन्दा देवी" तथा रत्नाकर शिपिंग कम्पनी कलकत्ता "गौरी शंकर" अधिग्रहण किए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

Export Of Seeds

*255. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether seeds which can grow without fertiliser and evolved by National Seeds Corporation have been exported abroad;

(*b*) if so, the names of the countries where seeds have been exported; and

(*c*) the foreign exchange earnedthereby ?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : (*a*) to (*c*). The National Seeds Corporation has not evolved seeds which can grow without fertilisers. The Corporation takes up production of seeds of high yielding varieties evolved by research organisations. These require optimum doses of fertilisers.

In view of this, the question of export by the National Seeds Corporation of seeds which can grow without fertilisers does not arise.

'ओपन स्कूल' तथा प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप

†*256. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "ओपन स्कूल" के सिद्धान्त के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई विचार किया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो प्राथमिक शिक्षा के कौन से वैकल्पिक स्वरूप विचाराधीन हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद इस प्रश्न की जांच कर रही है। इंगलैण्ड में 'खुले विश्वविद्यालय' के समान 'खुला स्कूल' प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए व्यवहारिक मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी संस्था मुख्यत: पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पर ही निर्भर रहती है। तथापि, सरकार के पास उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उपलब्ध जन-संचार साधनों और अपरम्परागत प्राविधियों को प्रयोग करने के प्रस्ताव हैं, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान, बच्चों के परम्परागत पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा के अलावा, प्राथमिक शिक्षा की निम्नलिखित किस्म की वैकल्पिक प्रणालियों के उपलब्ध होने की संभावना है :—

I. **अंशकालिक शिक्षा :** उन बच्चों के लिए जो औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरा समय नहीं दे सकते हैं।

II. **अनौपचारिक शिक्षा :** उन बच्चों के लिए जो स्कूल की अनुपलब्धता अथवा अन्य कारणों से किसी नियमित स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते हैं।

III. **बहुद्देशीय प्रविष्ठि :** एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए जो साधारणत: अपनी आयु के छठे वर्ष के बाद स्कूलों में दाखिला लेते हैं।

उक्त शिक्षा प्रणालियों को रेडियो और जहां कहीं भी संभव हुआ, टेलीविजन के पाठों द्वारा पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

आधार बीजों (फाउन्डेशन सीड्स) की सुरक्षित भंडार बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता

*257. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न फसलों के आधार बीजों (फाउन्डेशन सीड्स) का सुरक्षित भंडार बनाने के लिए कुछ धनराशि दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : अखिल-भारतीय महत्व की शंकर तथा स्व-परागण सम्बन्धी फसलों के आधार तथा प्रमाणित बीजों का सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) बनाने तथा उसकी व्यवस्था करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बीज निगम की सहायता के लिए 300.00 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। निगम से कहा गया है कि वह इस सम्बन्ध में सरकार को एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करें।

ग्रामीण महाविद्यालय शिक्षा

*258. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण महाविद्यालय शिक्षा का नया कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : सरकार ऐसे पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के पक्ष में है, जो समाज और विशेषकर ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा परामर्शदात्री मण्डली ने एक ऐसा कार्यकारी पेपर (वर्किंग पेपर) तैयार किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी सिफारिश की गयी थी कि ग्रामीण महत्व के विषयों को परम्परागत विश्वविद्यालय विषयों सहित अवर-स्नातक स्तर पर समुचित संयोजन के साथ आरम्भ किया जाना चाहिए। उक्त कार्यकारी (वर्किंग) पेपर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जा चुका है। आयोग का यह अभिमत है कि विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। आयोग ने इन पाठ्यक्रमों की मोटी रूप रेखाएं और संरचना तैयार करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करने का भी निर्णय किया है।

खाद्य तेल का आयात

*259. **श्री समर गुह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारत को खाद्य तेल सप्लाई करेगा ?

(ख) यदि हां, तो कौन सा तेल सप्लाई किया जाएगा, कितनी मात्रा में तथा इसके लिए कौन सी शर्तें स्वीकार की गई हैं,

(ग) क्या सोवियत संघ से प्राप्त होने वाले खाद्य तेल का मूल्य अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों से उपलब्ध सप्लाई की अपेक्षा कम है, और

(घ) क्या इस उद्देश्य से अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों का पता लगाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) . (क) से (ग) . 1974 के दौरान सोवियत रूस से 10,000 मीटरी टन सूरजमुखी के तेल की सप्लाई की एक पेशकश

पेश हुई है। यह सप्लाई वाणिज्यिक प्रकार की होगी। और इस के मूल्य और अन्य शर्तों पर सोवियत रूस के सम्भरणकर्ताओं के साथ बातचीत करनी होगी।

(घ) : जी हां। भारतीय राज्य व्यापार निगम खाद्य तेलों के लिए पूर्व और पश्चिम में विश्व की मंडियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

केरल को चावल का आबंटन

*260. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री सी० जनार्दनम : } क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल से केरल को फरवरी के मुकाबले मार्च, 1974 में चावल का कम कोटा दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा छत्ता लाल मैन स्कीम का नगर निगम को हस्तान्तरण

2404. **योगेश चन्द्र मुर्मू** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण या नगरीय विकास विभाग द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित किए गए छत्ता लाल मेन स्कीम के 19 क्वार्टरों के पट्टी को अभी तक इस तथ्य के बावजूद निष्पादित नहीं किया गया है कि एलाटियों ने दस वर्ष पूर्व दिल्ली निगम प्राधिकरण/निगम को परिसमापन की तय की गई पूरी-पूरी राशि अदा कर दी थी और कई बार अभ्यावेदन दिए हैं;

(ख) यदि इस बीच कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है तो वह क्या है; और

(ग) उक्त क्वार्टरों के पट्टों के निष्पादन को पूरा करने में कितना समय और लगेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) से (ग) . इन मकानों के पट्टा विलेखों का निष्पादन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि अलाटियों द्वारा किए गए भुगतानों की जांच पूरी नहीं हुई थी तथा पट्टा विलेखों का निष्पादन करने वाले अभिकरण पर विचार हो रहा था। इस तथ्य को देखते हुए कि गन्दीबस्ती सफाई योजना अब दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई है, इस मामले में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेने का प्रस्ताव है।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा तेल की बचत

2405. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौवहन निगम को 10 प्रतिशत तेल की बचत करने के अनुदेश जारी किए हैं ?

(ख) क्या सरकार 1.3 लाख टन प्रति वर्ष ईंधन तेल की बचत करना चाहती है ?

(ग) क्या यह अनुमान तेल की कीमतों में वृद्धि होने से पूर्व लगाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय नौवहन निगम को ईंधन के बारे में जारी की गई वर्तमान संशोधित नीति की मोटी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार ने ईंधन तेल के बचत के प्रश्न पर शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडीया को कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किये हैं। तेल की बचत के लिए शिपिंग कारपोरेशन ने खुद अपने जहाजों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे मुख्य इंजिनों को अधिकतम सतत दर के अश्व शक्ति के 70.00 प्रतिशत पर चलायें।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार ने जहाजों को बंकर की सप्लाई के बारे में तेल कम्पनियों को निर्देशिका जारी की है। ये शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के जहाजों पर भी लागू होती है। सामान्य रूप से जहाजों की न्यूनतम आवश्यक बंकरों की मांग पूरी की जाती है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

2406. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में ऐसी कितनी गम्भीर सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें मानव-जीवन की क्षति हुई ; और

(ख) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 442।

(ख) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं/किए जा रहे हैं।

(1) यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों तथा चौराहों में सुधार किये जा रहे हैं। 31-12-1973 तक दिल्ली में 104 चौराहों पर बिजली के स्वचालित यातायात सिगनल तथा 147 स्थानों पर जलती बुझती बत्तियां लगाई गई हैं।

(2) अपनी कार्यगति में वृद्धि करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस के लिए चार और जीपों, एक ट्रक और एक पिक-अप वैन खरीदने के लिए स्वीकृति जारी

की गई है। इसी उद्देश्य के लिए यातायात पुलिस को 20 मोटर साईकिल दिये गए हैं।

(3) यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से विस्तृत गति जांच अभियान चलाया जाता है विशेष कर यह कार्य दुर्घटना होने वाले स्थानों पर किया जाता है और जो व्यक्ति निर्धारित गति से अधिक गति पर गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है उसे सजा दी जाती है। सिगनलों की परवाह न करना, गलत तरीके से आगे निकलना, बिना ठीक सिगनल हुए मुड़ना आदि गलत ढंग से चालन के अन्य मामले जैसे भी पकड़े जाते हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है।

(4) स्कूल जाने वाले बच्चों को व्याख्यान एवं प्रदर्शनों द्वारा सड़क सुरक्षा हिदायतें दी जाती हैं। बहुत से स्कूलों में सड़क सुरक्षा कोर आयोजित किये गये हैं जिनमें केडटों को प्रारम्भिक यातायात नियंत्रण तथा सड़क के नियमों के पालन करने में प्रशिक्षण दिया गया है। यातयात अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों, अध्यापकों, वाणिज्यिक गाड़ियों के चालकों तथा अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को भाषण दिया जाता है ताकि उनमें सड़क सुरक्षा की भावना जागृत हो। सड़क सुरक्षा की हिदायतें देने के लिए जन माध्यम का भी विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है।

केरल में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम

2407. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल राज्य में द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार के लिए कार्यान्वित की जा रही कितनी परियोजनायें हैं;

(ख) क्या ऐसी कोई परियोजना कन्नूर जिले में कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) जिले में रोजगार के कितने अवसर बनाये गये हैं और इस परियोजना में अनुमानतः कितनी राशि व्यय होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में स्कूलों के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन-मान

2408. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस-किस श्रेणी के अध्यापक हैं, उनके वर्तमान वेतन-मान क्या हैं और तीसरे वेतन-आयोग की सिफारिशों के अनुसार और बाद में सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित वेतन-मान, श्रेणी-वार, क्या-क्या हैं;

(ख) क्या तीसरे वेतन-आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन-मान सभी श्रेणियों के अध्यापकों पर लागू कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार का विचार कब तक उनको क्रियान्वित कर देने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) अध्यापकों को मुख्य वर्ग, उनके वर्तमान वेतनमान तथा तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सख्या एल० टी०-6369/74)** ।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों का परिशोधन सरकार के विचाराधीन है।

गवर्नमेन्ट सैकेण्डरी आर्ट टीचर्स एसोसिएशन, दिल्ली द्वारा ज्ञापन

2409. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री गवर्नमेंट सेकण्डरी आर्ट टीचर्स एसोशिएशन दिल्ली द्वारा ज्ञापन के बारे में 9 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6455 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या मांगों पर विचार कर लिया गया है: और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मांग-वार क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

ड्राइंग अध्यापकों की मांगों तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वास्तविक स्थिति क्रमवार नीचे दी गई है:—

क्रम स०	मांगें	की गई कारवाई
(1)	(2)	(3)
1.	27-3-1970 से 250-550 रु० का वेतनमान स्वीकृत करना।	ड्राईग अध्यापकों को 250-500 रुपये का वेतनमान 27-5-1970 से स्वीकृत किया गया है।
2.	प्रति सप्ताह 6 पीरियड तथा लगातार दो पीरियड निर्धारित करना।	इसकी जांच की जा रही है।
3.	ठीक-ठीक वरीयता सूची तैयार करना।	वरीयता सूची तैयार कर ली गई है।
4.	आई० जी० डी० डिप्लोमा बम्बई को दो वर्षीय ड्राइंग डिप्लोमा के समकक्ष मान्यता देना।	250-550 रुपये के वेतनमान में ड्राइंग अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बम्बई के आई० जी० डी० डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी गई है।

(1)	(2)	(3)
5.	उन कक्षा अध्यापकों को जिन्होंने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है तथा भाषा अध्यापकों को अपना काडर बदलने की अनुमति देना ।	काडर बदलने की जो मांग की गई है, वह अनुमत्य नहीं है ।
6.	सभी स्कूलों में ड्राइंग कारनरों की स्थापना।	जिन स्कूलों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था, वहां ड्राइंग कारनर स्थापित किए गए हैं।
7.	पदोन्नति के लिए, राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्ली के दीर्घकालीन कला सेमिनार को मान्यता देना।	ऐसे सेमिनारों का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को बेहतर योग्यता और जानकारी प्रदान करना है ताकि विद्यालयों में शिक्षण की कोटि को सुधारा जा सके। अतः पदोन्नति के लिए उन्हें मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता।

जयदेव पार्क दिल्ली में मिडल/हायर सैकण्डरी स्कूल खोलना

2410. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री जयदेव पार्क, दिल्ली में मिडल/हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के बारे में 27 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4341 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है और प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने हेतु उपरोक्त स्कूल खोलने की आवश्यकता के बारे में मूल्यांकन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में यह स्कूल कब तक खुल जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) . (क) और (ख) · जयदेव पार्क, रोहतक रोड, नई दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिए निर्धारित भूमि के बारे में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही प्रगति पर हैं, क्योंकि इसका स्वामित्व विकास प्राधिकरण के पास नहीं है। स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है और अप्रैल, 1974 के अन्त तक इस संबंध में निर्णय लिये जाने की संभावना है।

दिल्ली परिवहन निगम के त्रिनगर स्थित बस स्टाप पर बूथ और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था

2411. **श्री टी० एच० गाबीत :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री दिल्ली परिवहन निगम के त्रिनगर स्थित बस स्टाप पर एक बूथ और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में 27 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बूथ पर इस बीच टेलीफोन लगा दिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : त्रिनगर बस स्टैन्ड पर एक टाइम कीपर बूथ की व्यवस्था की गई है और इस बूथ पर टेलीफोन की व्यवस्था करने का प्रश्न टेलीफोन प्राधिकारियों से सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय तकनीकी चिकित्सा, माध्यमिक तथा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्यों को सहायता

2412 **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को राज्यवार कुल कितनी सहायता दी गई ;

(ख) वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के दौरान तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्यवार कुल कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को राज्यवार कुल कितनी सहायता दी गई ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथासमय सभापटल पर रख दिया जायेगा ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को हुई हानि

2413. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को 1972-73 और 1973-74 के वर्षों में कितनी हानि हुई है; और

(ख) इस निगम की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार किन प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 1972-73 में केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को 38·14 लाख रुपये का घाटा हुआ। इसके 1973-74 के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) लोक उपक्रम संसदीय समिति ने अपनी 62वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि निगम को बन्द कर दिया जाये क्योंकि वाणिज्यिक रूप से यह संगठन लाभप्रद नहीं रहा है। समिति ने उक्त 62वीं रिपोर्ट पर "की गई कार्रवाई" रिपोर्ट में यह सिफारिश पुनः दुहराई। समिति की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

Fluctuation Of Price Of Seeds

2414. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(*a*) the fluctuations in the prices of seeds during the year 1972-73 : and

(*b*) the reasons for increase in the prices?

The State Minister in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (*a*) & (*b*): By and large, there has been no steep changes in the prices of the main types of seeds sold by Organisations like the National Seeds Corporation and State Farms Corporation of India during 1972-73. The National Seeds Corporation increased the price of wheat seed from Rs.170/- in 1971-72 to Rs. 200/- per quintal in 1972-73. This increase was necessitated on account of the higher procurement price paid to the seed growers. In case of the State Farms Corporation of India, the Corporation had increased the price of Moong seeds in 1972-73.

Capital Invested And Criteria Of Appointment Of Director In Super Bazar New Delhi.

2415. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(*a*) the capital invested so far by Government in Super Bazar, New Delhi; and

(*b*) the criterial adopted in regard to the appointment of Director of Super Bazar, New Delhi and the procedure followed in selection of Director by shareholders?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (*a*) The Government of India have so far invested an amount of Rs. 66·76 lakhs by way of share capital contribution in the Co-operative Store Ltd. (Super Bazar), New Delhi. Besides, a sum of Rs. 77·43 lakhs was given as loan (out of which the Super Bazar has repaid an amount of Rs. 19·03 lakhs, in accordance with the schedule of repayment), and Rs. 7·22 lakhs as grant.

(*b*) According to the byelaws of the Co-operative Stores Ltd , New Delhi. nine members of the Managing Committee are nominated by the Government of India, and the remaining six members are to be elected out of the shareholders other than the Government Selection of the nominated Directors is made by Government. so that they represent a cross-section of the community and include a Member of Parliament, besides other non-officials and representatives of the National Co-operative Consumers Federation. New Delhi Municipal Committee, Delhi Administration and Central Government.

मध्य प्रदेश में छोटे ट्रक्टरों की कम सप्लाई

2417. श्री गंगा चरण दीक्षित: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में छोटे ट्रैक्टरों की सप्लाई कम है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख). जहां तक छोटे ट्रैक्टरों का संबंध है मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड भोपाल एच० एम० टी० जेटर-2511 ट्रैक्टरों की बिक्री कर रहा है। निगम ने 189 ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिए भेजे गए आर्डर पर एच० एम० टी० ने 28-2-74 तक 149 ट्रैक्टर ही सप्लाई किये हैं । आशा है शेष ट्रैक्टर मार्च-अप्रैल, 1974 के दौरान सप्लाई कर दिए जाएंगे।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाये जा रहे अलाभप्रद बस मार्गों को प्राईवेट परिचालकों को देना

2418. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा इस समय चलाये जा रहे अलाभप्रद बस मार्गों को प्राइवेट परिचालकों को देने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गन्दी बस्तियां हटाने और सुधार योजनाओं का कार्य दिल्ली नगर निगम में लिया जाना

2419. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गन्दी बस्तियां हटाने गौर सुधार योजनाओं का कार्य दिल्ली नगर निगम से ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) निगम ने इस योजना को सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया था।

महानगरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का विकास

2420. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान पैट्रोल की बिक्री से प्राप्त आय में से कितनी धनराशि महानगरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए मंत्रालय को आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए नगरवार धन का आवंटन किया गया है और यदि हां, तो उसके आंकड़े क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1974 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक नगर में चलाई जाने वाली अतिरिक्त बसें कितनी हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). पैट्रोल पर लगाये गए हाल ही के अतिरिक्त महसूल से प्राप्त राजस्व में से नौवहन और परिवहन मंत्रालय को कोई निधि नहीं दी गई है। परन्तु इस बात पर सहमति हो गई है कि भारत सरकार विशेषकर उन महानगरों में सरकारी परिवहन पद्धति में सुधार के लिए कुछ वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने हेतु विचार कर सकती है, जहां पैट्रोल मूल्यों में वृद्धि के कारण व्यक्तिगत परिवहन से सरकारी परिवहन की यातयात के झुकाव के फलस्वरूप अधिक भार

पड़ा है। यात्रियों की जिन लघु अवधि वाली परियोजनाओं से शीघ्र लाभ होने की आशा है, उनके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के नगर परिवहन उपक्रमों से प्रस्ताव मांगे गए। कलकत्ता राज्य परिवहन निगम और वैस्ट उपक्रम द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम के बारे में, 1974-75 के बजट में 10.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इसमें उक्त वर्ष के दौरान निगम द्वारा 400 बसों की खरीद के लिए अपने सामान्य कार्यक्रम के अलावा 190 और बसों की लागत को पूरा करने के लिये है। इसमें अतिरिक्त डिपुओं के निर्माण, केन्द्रीय वर्कशाप के विस्तार और मौजूदा डिपुओं के नवीकरण जैसे बसों के परिचालन के लिए आवश्यक अवस्थापना पर खर्च करने के लिए व्यवस्था भी शामिल होगी।

भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी खर्च

2421. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971, 1972 और 1973 के लिए अलग-अलग 1 क्विंटल खाद्यान्न उतारने-चढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम का खर्च क्या था और मार्ग में कितनी हानि हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : 1970-71, 1971-72 और 1972-73 (अस्थायी) वर्षों के लिए भारत सरकार की ओर से खाद्यान्नों के संचलन भण्डारण और वितरण में भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रति क्विंटल की बिक्री पर किए गये सम्भालने संबंधी खर्च इस प्रकार हैं :—

	(रुपये/बिक्री क्विंटल)
1970-71 .	11.56
1971-72 .	14.86
1972-73 (अस्थायी) .	12.07

सम्भालने संबंधी इन खर्चों में बफर स्टाक रखने का खर्च भी शामिल है और 1971-72 में अपेक्षाकृत अधिक लागत, इस तथ्य के कारण थी।

भारतीय खाद्य निगम की पिछले तीन वर्षों की मार्ग तथा भण्डारण सम्बन्धी हानि जिसमें सम्भालने सम्बन्धी प्रभार भी शामिल हैं, इस प्रकार हैं :—

	खरीद और बिक्री पर प्रतिशतता
1970-71 . .	1.06
1971-72 .	1.09
1972-73 (अस्थायी) .	1.08

Financial Assistance to Punjab for Development of Transport and Construction of National Highways.

2422. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to State :

(*a*) the amount of financial assistance given by the Government to the Government of Punjab during the last two years for development of transport and construction of national highways ;

(*b*) The amount of financial assistance sought by the State Government for the purpose during the said period ; and

(*c*) the amount of financial assistance to be given to the State Government for the purpose during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (*a*) &(*b*). The Government of India has not given any grant or other financial assistace to Government of Punjab for development of Road Transport. In the field of Highways, the Government of India are mainly concerned with National Highways which are a Central subject. The entire expenditure on thier development and maintenance is, therefore, being met by the Government of India. Central financial assistance by way of loan is also given for selected State roads/bridges of inter state or economic importance. Further money is also provided for some special roads under some other schemes. The table below indicates the position regarding final requirements received from the Government of Punjab and the allotments made against those requirements under the various Schemes :——

	1971-72		1972-73	
	Final requirements intimated by State Government	Amount allotted	Final requirements intimated by State Government.	Amount allotted
	(In lakhs of Rupees)			
(*i*) Development and construction of National Highways	86·00	86·00	189·75	189·75
(*ii*) Special Roads	300·00	279·90	Not received	379·75
(*iii*) Central Road Fund	17·50	16·25	16·03	15·50
(*iv*) Loan assistanace for development of State Roads of Inter State or Economic Importance	6·55	6·55	Not received	2·00

(*c*) allocations for 1974-75 can be decided only after the Budget Estimates for that year have been voted by Parliament.

Demand and Supply of Foodgrains to Orissa

2423. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the quantity of wheat and coarse grain asked for by Orissa State Government from the Central Government during the last six months ;

(*b*) the quantity of foodgrains supplied by Central Government to Orissa State Government ; and

(*c*) the reasons for not supplying the required quantity of foodgrains to that State ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (*a*) & (*b*): A statement is attached.

(*c*) Allotment of foodgrains from the Central pool are made keeping in view the availability of stocks in the Central Pool, the needs of all the deficit States, market availability price position and othe relevant factors.

STATEMENT

Quantity of wheat and Coarse Grains demanded and supplied to Orissa.

(In '000 tonnes)

Month	Demanded		Supplied	
	Wheat	Coarse grains	Wheat	Coarse-grins
September, 1973	25·0	—	17·7	—
October, 1973 ..	25·0	—	8·3	—
November, 1973	25·0	—	5·9	—
December, 1973	15·0	—	6·6	—
January, 1974 ..	20·0	—	8·6	—
February, 1974	20·0	—	10·0*	—

*Allotment.

Demand and Supply of Rice to Andamans

2424. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice supplied to Andamans by the Central Government during the last five months ;

(b) the qunatity of rice demanded by the said State from the Central Government during this period ; and

(c) the reasons for not giving full quota of rice ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) *:* Supplies of foodgrains are made to State every month taking into account the overall availability in the Central pool, relative needs of various States, local market availablility and other relevant factors. Against the demand for 4·2 thousand tonnes of rice from the Central pool by the Andamans & Nicobar Administration for the period October, '73 to February, 74.' 3·5 thousand tonnes of rice were allotted. The quantity lifted upto 23rd February, 1974 amounted to 2·4 thousand tonnes. The lifting of the balance quantity is in progress.

एट्टीकुलम (केरल) में प्रकाश स्तम्भ का निर्माण-कार्य

2425. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कन्नानौर जिले में एट्टीकुलम प्रकाश-स्तम्भ के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसका निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 1-10-73 से एट्टीकुलम (माऊंट डेल्ली) पर नए दीपघर का निर्माण शुरु हो गया है। विभिन्न भवनों तथा दीपघर स्तम्भ पर कार्य प्रगति पर है।

(ख) निर्माण कार्य की नवम्बर, 1975 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

Grants and Expenditure of State Granth Akademies

2426. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(*a*) the amount of grants given to various State Granth Akademies so far and the expenditure incurred by them during the last three years; and

(*b*) the value of books sold so far by the akademies of the various States and the value of the books which are in their stocks separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The amount of grants given so far by the Government to various State Book Production Boards under the centrally sponsored Scheme of Production of University Level Books in Hindi and Regional Languages is Rs. 548·32 lakhs. The expenditure incurred by them during the last three years ending 31st March, 1973 was Rs.337·21 lakhs.

(d) According to the available information, the value of books sold so far by the differnence State Book Produdtion Boards is Rs. 129·17 lakhs. The various State Governments have been value of books which are in stock with the Book Production Boards, requested to report and the required information in this respect will be placed on the Table of the house, When received.

भवनों के लिए सीमेंट अथवा उसके स्थान पर अन्य सामग्री के प्रयोग में कमी

2427. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का विचार देश में सीमेंट की भारी कमी के कारण भवनों के लिए सीमेंट के प्रयोग में कमी करने की सम्भावना पर विचार करने या सीमेंट के स्थान पर अन्य उपयुक्त सामग्री का पता लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) : जी हां। सीमेंट के उद्योग में बचत करने के लिए, नीवों में तथा फर्शों के भीतर लाइम कंक्रीट तथा चिनाई और प्लास्तर में चूना-सीमेंट के मसाले का प्रयोग करने के अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। इस के अतिरिक्त, सामान्य पूल में चार मंजिले क्वार्टरों का निर्माण अब आर० सी० सी० फ्रेम की संरचना की बजाए भार वाहक दीवारों पर किया जाता है। भार वाहक निर्माण की यह तकनीक अपनाने से सीमेंट की खपत में बचत हुई है।

निर्माण में सीमेंट के एक भाग के स्थान पर राख का उपयोग करने की व्यवहार्यता का भी अध्ययन किया जा रहा है और इस बारे में कुछ प्रयोग भी किए गए हैं।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नियुक्त तदर्थ अध्यापक

2428. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वर्ष 1972-73 के दौरान कितने तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति की गई।

(ख) वर्ष 1973-74 में ऐसे कितने अध्यापकों की सेवाएं नियमित की गई; और

(ग) उनमें से शेष अध्यापकों की सेवाएं नियमित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा उन विभिन्न स्कूलों से सूचना एकत्र की जा रही है जिन्होंने तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की हैं। दिल्ली प्रशासन ने 19 फरवरी, 1974 तक ऐसे 430 अध्यापकों को नियमित कर दिया है।

(ग) ऐसे तदर्थ अध्यापकों को, जिन्हें नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है, चयन सूची की वैधता-अवधि के दौरान, यदि रिक्त स्थान उपलब्ध हो जाते हैं, तो उन्हें चयन सूची में उनकी स्थिति के क्रमानुसार खपा लिया जाएगा।

शिक्षा की समान पद्धति की कार्यान्वित के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

2429. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्कूल और कालेज की शिक्षा के लिय एक समान कार्यक्रम की कार्यान्वित हेतु विश्वविद्यालयों/राज्यों की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : राज्यों कों, विशिष्ट रूप से स्कूल तथा कालेज शिक्षा की एक समान प्रणाली को लागू करने के लिए केन्द्रीय सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, राज्यों को इस योजना के अन्तर्गत जो खण्ड अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, वे इस अनुदान का एक भाग अन्य बातों के साथ-साथ इस उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा बम्बई विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों को 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता प्राप्त हो चुकी है।

केरल में मेन सैन्ट्रल रोड के विकास की योजना

2430. **श्री वयालार रवि :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में मेन सेंट्रल रोड के विकास की कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना की मंजूरी दे दी है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : शायद माननीय सदस्य का आशय किलिमानूर-कोट्टराकरा-थिरुवल्ला-चंगनापुचेरी-कोट्टायम-इट्टुमानूर-कुरावलंगद-वृथातृकुलम-मुवातुपुजा-कीजील्लौंम-पैरुमबावूर मार्ग के साथ-साथ त्रिवेन्द्रम अंगमाली तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव है। उपलब्ध धन और अखिल भारत आधार पर सड़कों की परस्पर प्राथमिकता और राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर सड़कों के वर्गीकरण के लिए उल्लिखित मानदंडों को प्रत्येक सड़क कितना पूरा करती है, को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ-साथ इसे भी विचारार्थ नोट कर लिया गया है। चूंकि पांचवीं योजना अभी भी प्रारम्भिक चरण में है, अतः इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई शामिल की जा सकने वाली किसी सड़क के बारे में इस समय कुछ भी कहना समय पूर्व होगा।

कोचीन शिप यार्ड में बनाए जाने वाले जहाजों की किस्म और अन्य ब्यौरा

2431. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड के कार्य आरम्भ हो जाने के प्रथम चरण में बनाये जाने वाले जहाजों की किस्म और अन्य ब्यौरे की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है तथा यह शिपयार्ड भारतीय जहाजरानी उद्योग की पूछताछ करने तथा आर्डर देने के लिए कहां तक आकर्षित कर सका है; और

(ख) पहले जहाज की 'डिलीवरी' कब तक किए जाने की आशा है और उक्त शिपयार्ड के कार्य में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित सुनियोजित 'डिलीवरी' का ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कोचीन शिपयार्ड में बनाये जाने के लिए प्रस्तावित जहाजों की पहली शृंखला 75,000 डी० डब्लू० टी० पतामेक्ष खुले माल वाहक है जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार है :—

लम्बाई . . .	245.3 मी०
चौड़ाई (ढाली गई) : .	32.2 मी०
गहराई (ढाली गई) : .	18.7 मी०
कुल भार . . .	75,000 टन
सकल टन भार : . .	40,000 टन (निकटतम)
इंजिन शक्ति . . .	20,440 वी० एच० पी० 114 आर० पी० एम० के दर से

शिपयार्ड ने इस प्रकार के जहाज के लिए क्रयादेश देने के बारे में भारत में मुख्य-मुख्य पोत मालिकों के साथ बातचीत पहले ही शुरु कर दी है। नौवहन कम्पनियों ने पहले ही इस प्रकार के जहाज के लिए क्रयादेश देने में अपनी रुचि दिखाई है।

(ख) वर्तमान आयोजना के अनुसार पहले जहाज की अक्तूबर, 1977 में सुपुर्द किए जाने की संम्भावना है। प्रत्येक जहाज की वास्तविक सुपुर्दगी कार्यक्रम पर रुचि रखने वाले

पोत मालिकों के साथ किए जाने वाले पोत-निर्माण संविदाओं के भाग के रूप में बातचीत की जानी है।

क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तक निर्माण करने के बारे में यूनेस्को की सिफारिशें

2432. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यूनेस्को' ने सिफारिश की है कि भारत जैसे विकासशील देशों में विशेष रूप से, पुस्तक निर्माण विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में, विकास योजनाओं में शामिल की जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का विचार पुस्तक निर्माण को विकास योजनाओं में शामिल करने का है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) यूनेस्को द्वारा की गई सिफारिशों के अलावा भी क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तक निर्माण के विकास के अत्यन्त महत्व को सरकार समझती है। 1968-69 में शुरु की गई विश्वविद्यालय के स्तर की पुस्तकें हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 12 करोड़ रुपए का विनिधान रखा गया था। यह योजना, इस कार्य के लिए विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए स्वायत्व पुस्तक निर्माण बोर्डों द्वारा चलाई जाती है। इस परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 7 करोड़ रुपयों के अंतरिम विनिधान से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित कुल पुस्तकों की संख्या 31-12-1973 को 2027 थी।

आवास तथा नगरीय विकास निगम को ऋण की मंजूरी

2433. **श्री भान सिंह भौंरा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हाल ही की एक बैठक में यह निर्णय किया गया था कि आवास तथा नगरीय विकास निगम को मकानों के लिए ऋण दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कौन-कौन से केन्द्र लाभान्वित होंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) . पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में आवास तथा नगर विकास निगम को साम्या अंशदान तथा मार्कीट से ऋणों द्वारा क्रमशः 14 करोड़ रुपए तथा 76 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। आवास तथा नगर विकास निगम को राज्य आवास बोर्डों आदि से जो परियोजनाएं प्राप्त होती हैं उनके आधार पर वह इन अभिकरणों को मकान बनाने और प्लाटों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

उच्च न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित किये गये भूमि अधिनियम की स्थिति

2434. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों में उच्च न्यायालय ने भूमि अधिनियम के उपबन्धों को अवैध घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य) : (क) से (ग). हाल ही में पंजाब तथा हरियाणा उच्च-न्यायालय ने सिविल याचिका संख्या 3150/1973 (सूचा सिंह बजवा बनाम पंजाब राज्य) के सम्बन्ध में पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1973 के कुछ उपबन्धों को असंवैधानिक घोषित किया है। निर्णय की मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं :—

अधिनियम की धारा 4(4) में यह व्यवस्था है कि किसी नियत तिथि को परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित भूमि को सम्मिलित किया जाना है। उस भूमि में से पति और जहां पति की मृत्यु हो गई हो या उसके स्वामित्व में या उसके पास कोई भूमि नहीं हो उस मामले में पत्नी और किसी अन्य मामले में सबसे बड़े जीवित लड़के (जो परिवार का सदस्य है) को अनुज्ञेय क्षेत्र का चुनाव करना है और पंजाब भूमि सुधार नियम, 1973 के नियम 5(4) की व्यवस्था के अनुसार उसे आवश्यक घोषणा करनी पड़ती है। अधिनियम में यह व्यवस्था नहीं है कि ऐसा चुना गया अनुज्ञेय क्षेत्र सारे परिवार की सम्पत्ति होगी, अतः परिवार की जोत की अधिकतम सीमा की इकाई की भूमि पहले की भान्ति परिवार के अलग अलग सदस्यों के नामों पर रहेगी ताकि परिवार के अन्य सदस्यों को हानि होते हुए भी वे अपनी इच्छानुसार भूमि का स्वतन्त्रतापूर्वक क्रय-विक्रय कर सके। ऐसे उपबन्ध को हित में या कृषि सुधार के रूप में नहीं कहा जा सकता है, और इसे वैध या संवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता।

परिवार के अनुज्ञेय क्षेत्र के उपबन्ध में दूसरी कमी भी है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 31 ए(1) के दूसरे उपबन्ध का उल्लंघनकारी होने के कारण इसे अवैध बना देता है। अधिनियम में की गई परिभाषा के अनुसार यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य अधिनियम में निर्धारित किए गए अनुज्ञेय क्षेत्र के अन्तर्गत अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पहले भूस्वामित्व या बकब्जे के साथ बन्धकग्राही या पट्टेदार के रूप में किसी भूमि को अपने अधिकार में लेता है तो वह अधिनियम के लागू होने की तिथि को उस भूमि का धारक रहेगा और यदि उसे ऐसी धारित भूमि के स्वामित्व से अलग किया जाना हो, जो कि उसके अनुज्ञेय क्षेत्र के अन्तर्गत हो और उसकी वैयक्तिक खेती में हो, तो संविधान के उपबन्ध के अनुसार उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह मुआवजा बाजार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को यह पता नहीं था कि अधिनियम के अन्तर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग अलग रूप से धारित भूमि के क्षेत्र को किस सीमा तक कम किया जाए।

यह बात परिवार के सदस्य की, (जो कि अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी है) इच्छा पर छोड़ी गई है कि वह जोत की सीमा के अन्तर्गत धारित भूमि का चुनाव करे। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त अधिनियम के लागू होने तथा इसके प्रवृत्त होने की तिथि

से ही अधिनियम में परिवार के प्रत्येक सदस्य के, जैसे कि अधिनियम में परिभाषा दी गई है, सम्बन्ध में अनुज्ञेय क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई है।

अधिनियम में परिवार का अवास्तविक अर्थ दिया गया है और अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार व्यक्ति शब्द की परिभाषा में इसका अवास्तविक अर्थ दिया गया है। यह जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 की धारा 3(42) में व्यक्ति शब्द की परिभाषा के अनुसार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 367 के अनुसार जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 की धारा 3(42) के उपबन्ध संविधान में प्रयुक्त की गई अभिव्यक्तियों की व्याख्या के लिए लागू होने हैं और जिनकी परिभाषा उस अनुच्छेद में नहीं दी गई है।

पंजाब में राजस्व रिकार्ड में भूमि का इन्दराज परिवारों के नाम पर नहीं बल्कि अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर होता है। बनावटी परिभाषा के तौर पर किसी परिवार के अस्तित्व को नियत तिथि के सन्दर्भ में पिछली तिथि से नहीं माना जा सकता और बनावटी रूप से यह नहीं समझा जा सकता है कि उसके पास यह भूमि थी, जबकि वास्तव में उसके पास यह भूमि नहीं थी क्योंकि यह भूमि परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास अलग अलग रूप से थी।

इस निर्णय पर विचार किया जा रहा है।

Production of Urea Fertilizer and its Black Marketing

2435. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the quantity of Urea fertilizer produced in India during last year and the mode of its distribution in the country; and

(*b*) whether last year black marketing in urea fertilizer took place on a large scale and some traders amassed huge profits on that account?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (*a*) During the year 1972-73 (April-March) a total quantity of 14·14 lakh tonnes of Urea was manufactured in the country. A part of the quantity was distributed by cooperatives and institutional agencies and the remaining through *private dealers*.

(*b*) No reports about large scale black-marketing in Fertilisers have been received. However, State Governments have reported action taken by them under the Fertiliser (control) Order 1957 against some dealers indulging in black-marketing.

Technique Developed in Jute Technology Research Institute, Calcutta for Production of Newsprint from Jute Stalks

2436. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether Jute Technology Research Institute, Calcutta has developed a technique to produce newsprint from jute stalks after their fibre has been taken out;

(*b*) whether 20 lakh tons of jute stalks are thrown away every year, considering it a useless thing; and

(*c*) if so, the steps being taken by the Government to promote this process of producing newsprint?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (*a*) Yes, Laboratory experiments, carried out at the Jute Technological Research Laboratories, Calcutta have shown that newsprint quality paper, can be made out of jute stick.

(*b*) It is estimated that 35 lakh tons of jute sticks are produced annually in the country. No statistical figures are available for its present use as fuel, hedging and thatching. It is also not known how much quantity is not utilised for any purpose.

(*c*) The commercial exploitation of manufacturing process has not been feasible yet because the supply of raw material (jute stalk) is seasonal. Besides, collection and storage of raw material present some practical difficulties. However, it is understood that a Committee has been appointed by the Govt. of West Bengal, to promote the process.

महाराष्ट्र कृषि भूमि विधेयक, 1973

2437. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में राष्ट्रीय मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के मामले में महाराष्ट्र सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच मतभेद दूर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में महाराष्ट्र कृषि भूमि विधेयक उचित रूप से संशोधित किया गया है; और

(ग) क्या संशोधित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र कृषि भूमि (कृषि जोत की सीमा कम करने सम्बन्धी) और (संशोधन) विधेयक, 1972 के अधिकांश बकाया मुद्दों का परस्पर समाधान कर लिया है।

(ख) विधेयक में समुचित संशोधन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जाली चैकों द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खाते में से धनराशि निकाले जाने के समाचार

2438. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खाते में से जाली चैकों के द्वारा दो लाख रुपए की राशि निकाल ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है तथा उन पर मुकदमा चलाया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अलीगढ़ से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खाते में से धोके से 2,21,760 रुपए निकाले तथा सकारे जाने का आरोप लगाया गया है। विश्वविद्यालय ने अलीगढ़ की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

यूरिया उर्वरक का काला बाजार

2439. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उर्वरक एककों द्वारा बनाया गया यूरिया उर्वरक 55 रुपए प्रति बोरी के नियन्त्रित मूल्यों के स्थान पर 175 रुपए प्रति बोरी बिक रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो कालाबाजार करने वालों के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग). यूरिया के मामले में चोर बाजारी होने के सम्बन्ध में बिहार सरकार से पूछताछ की गई है। राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि खंड विकास अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापत्रों के आधार पर नियन्त्रित दरों पर यूरिया बेचा जा रहा है। परन्तु, उन्होंने चोर बाजारी के कुछ मामलों के सम्बन्ध में सूचना भेजी है। राज्य सरकार ने यह सूचना भी भेजी है कि अच्छी तरह से चोर बाजारी के मामलों की तेजी से छान बीन की जा रही है और अब तक चोर बाजारी के 63 मामलों में मुकदमें शुरु किए गए हैं।

244 वनों के अन्धाधुन्ध काटे जाने और निर्वनीकरण का कारण---बाढ़

2440. **श्री राम कंवर**: क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ओवरसीज डेवेलपमेंट काउंसिल, वाशिंगटन के मि० लेस्टर आर० ब्राउन का इस आशय का वक्तव्य देखा है कि भारत ने कुछ भागों में बाढ़ों का कारण हिमालय की तलहटी में पेड़ों का अन्धाधुन्ध काटा जाना और तेजी से निर्वनीकरण है; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Increase in Taxi Fares due to increase in price of Petrol

2441. **Shri Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(*a*) whether taxi fare has been raised in Delhi and other places consequent upon the increase in the price of petrol; and

(*b*) if so, the percentage of increase effected ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (*a*) *and* (*b*). Consequent upon the increase in the price of petrol in November, 1973, the State Governments and Union Administrations had raised the taxi fares varying from 30% to 50%. As a result of the further hike in the price of petrol on 1-3-1974 the Delhi Administration have again increased the taxi fares by about 11% with effect from 6-3-1974. Information in regard to the further increase in Taxi fares made or proposed to be made by the other State Governments and Union Administrations is not available.

2442. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में उर्वरकों की कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या वितरण प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो किस प्रकार ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) मौजूदा संकेतों से पता चलता है कि 1974-75 के दौरान, नाईट्रोजनयुक्त उर्वरकों की सप्लाई में लगभग 23 प्रतिशत और फासफोट युक्त उर्वरकों की सप्लाई में लगभग 36 प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है। पोटाशयुक्त उर्वरकों के सम्बन्ध में कमी की कोई सम्भावना नहीं है।

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित बहुत से कदम उठाये गए हैं :—

(1) देशी उर्वरक कारखानों की मौजूदा उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना ;

(2) यथा सम्भव उर्वरकों का अधिक मात्रा में आयात करने के लिए प्रयास करना।

(3) रासायनिक उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए शहरी और ग्रामीण कार्बनिक खाद के संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए प्रयास करना।

(4) उर्वरकों की वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

प्रत्येक फसल मौसम पहले सम्बद्ध राज्यों के परामर्श विभिन्न क्षेत्रों की मांगों का यथार्थ रूप से अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद राज्य सरकारों और उर्वरक विनिर्माताओं के परामर्श से सप्लाई योजना इस प्रकार से बनाई जाती है कि देश में तैयार हुए और आयातित उर्वरकों की यथा सम्भव इधर से उधार लाने ले जाने से बचाया जा सके। सप्लाई की योजना को तैयार करते समय इस बात को दृष्टि में रखा जाता है कि उर्वरकों की ढुलाई के लिए रेलवे उपयुक्त रूप मिल सके। योजना के अनुसार विनिर्माताओं द्वारा उर्वरकों की सप्लाई को जारी करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी किए जाते हैं। योजना के अनुसार उर्वरकों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई की स्थिति का आवधिक पुनरीक्षण किया जाता है।

संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की विभागीय परिषद की बैठक

2443. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की विभागीय परिषद की बैठक नियमित रूप नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या 24 और 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की बैठक में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने यह मामला उठाया था और यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय एवं संस्कृति विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त विभागीय परिषद है। इस परिषद को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय एवं संस्कृति विभाग के लिए दो अलग-अलग परिषदों में विभक्त किया जाना था। इसलिए उक्त परिषद की बैठकें कुछ समय से नहीं हो सकीं।

संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद में इस मामले का पुनरीक्षण किए जाने से इस प्रकार के बंटवारे का प्रश्न आस्थगित कर दिया गया है तथा फिलहाल उसी संयुक्त विभागीय परिषद को ही जारी रखने का निर्णय किया गया है। उसकी बैठक 15 तथा 16 अप्रैल 1974 को होनी निश्चित हुई है।

रूस में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी

2444. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 15 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ते हुए सहयोग को देखते हुए वहां अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों की संख्या कम से कम अमरीका तथा ब्रिटेन में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या के बराबर लाने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार रूस के विश्वविद्यालयों द्वारा चुने गए सभी भारतीय विद्यार्थियों को प्रवेश देने के मामले में अपनी सामान्य मंजूरी देने की भी है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारतीय छात्रों को, रूस के प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा जाता है। चूंकि उपलब्ध छात्र-वृत्तियों की संख्या, छात्रवृत्ति देने वाले देश द्वारा निर्धारित की जाती है अतः भारत सरकार द्वारा रूस में अध्ययनार्थ छात्रों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) रूस में अध्ययन करने हेतु छात्रों को अनुमति प्रदान करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वे रूसी विश्वविद्यालयों द्वारा चुने गए हों तथा रूस की सरकार उन्हें अनुमोदित कर दे।

डेनिश सरकार के साथ सहयोग द्वारा पशुओं के लिए टीके तैयार करना

2445. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के लिये टीकों के उत्पादन के लिए डेनिश सरकार के सहयोग से कोई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) डेन्मार्क की सरकार की सहायता से पशुओं के पैर तथा मुंह पका रोग के टीके तैयार करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दो केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं :—

(i) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बंगलौर

(ii) भारतीय कृषि उद्योग फाऊंडेशन, उर्लिकानोहन, पूना

उपर्युक्त के अतिरिक्त डेन्मार्क सरकार की सहायता से टीके तैयार करने के लिए दो या तीन और केन्द्र भी स्थापित करने का विचार है। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थान आदि का अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) डन्मार्क की सहायता से उपर्युक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए तैयार की गई अन्तरिम योजना संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-6370/74]

कोचीन शिपयार्ड द्वारा तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

2446. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन शिपयार्ड के प्रबन्धकों ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कोचीन शिपयार्ड में लागू नहीं किया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कोचीन शिपयार्ड के प्रबन्धकों ने श्रमिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों पर विचार करने के लिए निदेशक-मंडल की एक उपसमिति नियुक्त की थी; यदि हां, तो क्या उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि नहीं तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). कर्मचारियों के वेतनमानों के प्रश्न की जांच करने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड की उप समिति नियुक्त की गई। इसकी रिपोर्ट अगस्त, 1973 में प्राप्त हुई और विचार विमर्श के बाद प्रबन्ध और कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारियों/मजदूरों के बीच 8 फरवरी 1974 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें वेतन भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें निर्धारित की गई। यह समझौता 31 सिदम्बर, 1976 तक चालू रहेगा। शिपयार्ड ने अधिकारियों के वेतन ढांचे और अन्य सेवा शर्तों की भी घोषणा की है। ऐसा करते समय, अधिकारियों के लिये तीसरे वेतन आयोग द्वारा बनाये गये वेतनमानों को भी ध्यान में रखा गया है।

शिपयार्ड की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थापना स्थल का चयन

2447. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**
श्री एस० एन० मिश्र : } क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपयार्ड की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थापना-स्थल के चयन के लिये तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु गठित तकनीकी आर्थिक कार्यकारी दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) तकनीकी आर्थिक कार्यदल जिसका गठन राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माण स्थलों के मूल्यांकन करने के लिए किया था, की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है। देश में नए शिपयार्डों के निर्माण स्थल के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

कर्नाटक में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा तमिलनाडु में एक फर्म को बिजली सप्लाई करने के बदले में चेज़िस प्राप्त करना

2448. **श्री ए० के० कोव्राशट्टी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में राज्य सड़क परिवहन निगम ने तमिलनाडु में एक फर्म को बिजली सप्लाई करने के बदले में चेज़िस प्राप्त की है

(ख) यदि हां, तो इस सौदे का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसे सौदों में केन्द्र सरकार की सहमति की आवश्यकता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी :) (क) और (ख) : भारत सरकार को किसी ऐसे सौदे का पता नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

शराब बेचने वालों द्वारा जनजातियों के व्यक्तियों का शोषण

2449. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि शराब बेचने वाले जनजातियों के लोगों का शोषण कर रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वे जो कुछ मजूरी कमाते हैं, वह शराब बेचने वालों के पास जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विशेष रूप से बिहार और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिये क्या उपाय किये हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सरकार को पता है कि वर्तमान आबकारी नीति के कारण जनजातियों के लोगों को कुछ कष्ट हो रहा है। इसलिए सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष नीति तैयार करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम के बस-बेड़े में नई बसों की प्रस्तावित वृद्धि

2450. **श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री 1974-75 में दिल्ली में चलने वाली दिल्ली परिवहन की बसों की संख्या के संबंध में दिनांक 25 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब से लगभग 6 मास बाद जब दिल्ली परिवहन निगम के बस-बेड़े में लगभग 500 बसों की वृद्धि की जा चुकेगी तो कार्यालय जाने वालों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा लाइनों में प्रतीक्षा की अवधि में कितनी कमी हो सकेगी; और

(ख) इस विस्तार योजना के परिणामस्वरूप कितना आर्थिक लाभ होने की सम्भावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) समय-समय पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किये गए छुटपुट यातायात सर्वेक्षणों से पता चला है कि नगर परिचालन क्षेत्र में एक यात्री की औसत प्रतीक्षा समय 20 से 30 मिनट है। 590 बसों जिनके वर्ष 1974-75 के बौरान निगम द्वारा प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है के आजाने से आशा है कि मौजूदा मार्गों पर बारम्बारता बढ़ जायेगी, जिससे यात्रियों का प्रतीक्षा समय कम हो जायेगा। परन्तु इस समय इस प्रकार सम्भव प्रतीक्षा में समय में कितनी कमी होगी, उसका सही सही अनुमान लगाना कठिन है।

(ख) निगम को आशा है कि नये डिपुओं, केन्द्रीय वर्कशापों के विस्तार आदि जैसी अवस्थापना के बाद प्रति बस प्रति दिन 217 रुपए की मौजूदा औसत आय प्रति बस प्रति दिन 300 रुपये तक बढ़ जायेगी।

Idols and Paintings Stolen From Various Museums

2451. Shri Shanker Dayal Singh: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(*a*) the description of the idols and paintings stolen from various National Museums during the last year; and

(*b*) the number of idols and paintings which have been recovered and the number of persons against whom legal action has been taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (*a*) No idol or painting has been stolen from the National Museum or other Central Museums under the control of Government of India during 1973.

(*b*) Does not arise.

तमिलनाडु में रासायनिक उर्वरकों की कमी

2452. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि तमिलनाडु में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की भारी कमी है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप किसानों को चोर बाजारी दरों पर उर्वरक खरीदना पड़ता है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इसकी अतिरिक्त मात्रा के आवंटन का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां, 1973-74 से रबी मौसम के दौरान उर्वरकों की सामान्य कमी के फलस्वरूप, तमिलनाडु तथा लगभग सभी अन्य राज्यों को उर्वरकों की कुछ कमी का सामना करना पड़ा है।

(ख) प्राइवेट वितरकों के विरुद्ध चोर-बाजारी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चोर-बाजारी में लगे व्यापारियों के विरुद्ध मुकद्दमें शुरू कर दिए गए हैं और ऐसी कुचेष्टाओं को रोकने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) तमिलनाडु सरकार सहित लगभग समस्त राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा आंवंटित करने का अनुरोध किया है। उर्वरकों की उपलब्ध मात्रायें, विभिन्न राज्यों के मध्य, अर्ध-वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलनों में निश्चित की गई उनकी मांगों के आधार पर उचित ढंग से वितरित की जा रही है।

सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नियम

2453. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने से पूर्व उनमें भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी नियम लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी नियमों में उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) : जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों में उन्हें उक्त कानून में ही उल्लिखित तारीख या कानून के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित तारीख से लागू करने की व्यवस्था है।

दिल्ली में पानी की सप्लाई का बन्द होना

2454. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में चालू वर्ष के दौरान पानी की सप्लाई कितनी बार बन्द हुई और गत वर्ष की इसी अवधि के इस बारे में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि चालू वर्ष में कुछ क्षेत्रों में अब तक 23 बार पानी की सप्लाई में कमी हुई है जब कि गतवर्ष ऐसे मामलों की संख्या 14 थी। किसी भी समय पानी पूर्णतया बन्द नहीं रहा , न तो इस वर्ष और न ही गत वर्ष।

खाद्य वितरण की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन

2455. **श्री धामनकर :**
श्री वसनत साठे : } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार खाद्य वितरण की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए सामान्य सिद्धांतों की घोषणा कब तक करेगी ताकि इसको अधिक प्रभावी बनाया जा सके ;

(ख) क्या इस संबंध में आमूल परिर्तनोंपर विचार किया जा रहा है जिससे कि खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई की गति प्रदान की जा सके, अभाव की स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त स्टाक खरीदने में राज्य सरकारों को सहायता दी जा सके; और

(ग) क्या वितरण प्रणाली में परिवर्तनों से सभी राज्यों तथा उचित दर दुकानों को नियमित तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी जिससे कि लोगों के सामान्य जीवन में अस्त-व्यस्तता उत्पन्न करने वाली घटनाओं को रोका जा सकेगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों के अधीन खाद्यान्नों की सरकारी वितरण प्रणाली काफी वर्षों से लागू है। राज्य सरकारों राज्यों में स्थित उचित मूल्य की दुकानों पर नियन्त्रण रखती हैं और उनकी देख-भाल करती हैं । भारत सरकार ने उन्हें समय-समय पर यह सलाह दी है कि वे खाद्य वितरण प्रणाली के कार्या-चालन को सुधारने के लिए उपाय अपनाएं। उचित मूल्य की दुकानों से देने के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कमी तथा अधिशेष दोनों राज्यों से खाद्यान्नों की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए कहा गया है।

कृषि उत्पादन के लिए मानक कार्यक्रमों का एकीकरण

2456. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री श्रीकिशन मोदी : } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय कृषि उत्पादन की प्रक्रियाओं के मानक कार्यक्रमों का एकी-करण करने का विचार कर रहा है ;

(ख) क्या उक्त एकीकरण से संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं कार्यचालन दक्षता में वृद्धि संभव हो सकेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मंत्रालय के निकट सहयोग से भारतीय मानक संस्था फार्म उपकरणों तथा मशीनें, हाथ से चलने वाले उप-करण, बीच का परिसंस्करण करने वाले उपकरणों कीटनाशी औषधियों, कीटनाशी औषधियों के सुत्रीकरण, प्रचार सामग्री, सूक्ष्म जीव विषयक वैज्ञानिक विश्लेषणों, अनाज तथा दालों , खाद्यान्नों के संभालने तथा उनके कृषि उत्पादन के लिए अपेक्षित कीट नियंत्रण उपकरणों के लिए मानक तैयार करने में लगी हुई है।

(ख) तथा (ग) जी हां।

Scheme to Increase Number of Foodgrain Godowns During Fifth Five Year Plan

2457. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister **of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government have formulated a scheme to increase the number of food godowns during the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, their number State-wise?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : *(a)* & *(b)* . During the Fifth Five Year Plan, the storage and Warehousing capacity of 5 ·9 million tonnes is proposed to be constructed in the various States by the Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation and State Warehousing Corporations. Besides, a capacity of 4 lakh tonnes in the co-operative sector has also been targetted for construction. The statewise details are finalised on the basis of detailed surveys, buffer stock arrangements etc.

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आयोजित जूनियर क्लर्क ग्रेड परीक्षा

2458. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा फरवरी, 1972 में आयोजित जूनियर क्लर्क ग्रेड परीक्षा में सफल घोषित किये गये बहुत से उम्मीदवारों में से केवल कुछ एक को ही नौकरियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक कुल कितने उम्मीदवारों को नौकरियां दी गई हैं;

(ग) क्या स्नातकों को 100 रुपये मासिक वेतन पर अंशकालिक रूप से रोजगार देने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन स्नातकों को प्राथमिकता दी जायेगी जोकि उस परीक्षा में सफल घोषित हुए थे, और जिन्हें अभी नौकरी नहीं दी गई है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : **(क) तथा (ख)** . नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा फरवरी, 1973 में ली गई कनिष्ठ लिपिक ग्रेड परिक्षा में उत्तीर्ण 473 उम्मीदवारों में से अब तक 141 उम्मीदवारों को उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नौकरी के प्रस्ताव भेजे गये हैं।

(ग) तथा (घ). शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां देने की अपनी योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका ने यह भी निर्णय किया है कि 100 रुपए प्रतिमास वृतिका के आधार पर कनिष्ठ लिपिक रखे जाएं तथा उन्हें वर्ष 1974-75 में होनेवाली नियमित रिक्तियों पर नियुक्त कर दिया जाए। प्रशिक्षार्थी कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति भी इसी पेनल से की जा रही है।

जुडिशियल सेमिनार

2459. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री राम प्रकाश } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोई जुडिशियल सेमिनार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो मुख्य प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सेमिनार में भाग लिया था; और

(ग) वहां पर हुई बातचीत और निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधियों की एक सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई संख्य देखिये एल० टी० 6371/74**]।

(ग) अपराधियों के उपचार तथा अपराध के रोकथाम म जुडिशयरी तथा अन्य सुधार एजेंसियों के कार्य पर विचार विमर्श किया गया था। सेमिनार का मतैक्य था कि दंड न्याय की विद्रिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित अप्रोच होनी चाहिए और जुडिशियरी का सुधार सेवाओं के लिये सभी आपराधिक कानूनों की क्रियान्विति में एक महत्वपूर्ण कार्य है।

छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए ग्रामीण ऋण प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना

2462. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिये ग्रामीण ऋण प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के लिये राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि आयोग ने लघु तथा सीमान्त कृषकों एंवं कृषि श्रमिकों के लिये ऋण सेवाओं के संबंध में अपनी अन्तरीम रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ समेकित सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये विशेष सहकारी समितियों का संगठन करने की सिफारिश की। आयोग की रिपोर्ट पर योजना आयोग, बैंकिंग विभाग, सहकारिता विभाग, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया गया था।

2. यह निश्चय किया गया है कि जिन क्षेत्रों में सहकारिता का ढांचा कमज़ोर, और निष्क्रिय हो या विद्यमान न हो, वहां ऐसे संहत क्षेत्रों का चयन किया जाना चाहिए जिनमें कम से कम 10,000 की जनसंख्या हो और अधिक से अधिक एक सामुदायिक विकास खण्ड हो। ऐसे क्षेत्र में समेकित ऋण सप्लाई तथा सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक नई कृषक सेवा समिति स्थापित की जा सकती है। इस नई समिति से यह आशा की जाती है कि यह सभी प्रकार के आवश्यक ऋणों का भुगतान करेगी। उर्वरकों तथा अन्य कृषि आदानों की सप्लाई करेगी, यथा संभव परिसंस्करण तथा विपणन की व्यवस्था करेगी और स्वयं ही या अन्य संगठनों के साथ मिलकर अन्य सभी संबद्ध क्रियाकलाप अपने हाथ में लेगी। नई समिति के लिए वित्त व्यवस्था वाणिज्यिक बैंक या सहकारी समितियों द्वारा की जा सकती है। सभी कृषक,

कृषि श्रमिक और सभी ग्रामीण शिल्पी उस समिति के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों के हित की दृष्टि से इसके प्रबंध मण्डल में दो-तिहाई स्थान समाज के कमजोर वर्गों के लिये आरक्षित किये जा सकते हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना क्षेत्रों में 56 ऐसी समितियां स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठा रहे हैं। 13 समितियों का पंजीयन किया जा चुका है। नई समितियों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा सहायता तथा समर्थन प्रदान किया जाएगा।

आल इंडिया टैक्सीमैन यूनियन से प्राप्त ज्ञापन

2463. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तनम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को 30 नवम्बर, 1973 को आल इंडिया टैक्सीमैन यूनियन से से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मांग क्या है और उन पर क्या निर्णय किया गया है?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) आल इंडिया टैक्सीमैन यूनियन की फैडरेशन की मुख्य मांग यह थी कि टैक्सी मालिकों को कम मूल्य पर पैट्रोल सप्लाई किया जाए। उपभोक्ताओं के किसी विशेष वर्ग की रियायती दर पर पैट्रोल सप्लाई करने से कई गंभीर और प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो जायेगी और ऐसा करना, मोटर स्प्रिट के खपत में कमी करने के सरकारी उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगी। नवम्बर, 1973 में पैट्रोल की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को और संघ प्रशासनों ने टैक्सी किराया बढ़ा कर उचित संशोधन किया ताकि परिचालकों को कोई कोई हानि न हो।

फेडरेशन की अन्य मांगों में पैट्रोल में मिलावट की समस्या की जांच करने नकली/घटिया दर्जे के फालतू पुर्जों की मांरकिटिंग की जांच करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति कम मूल्य पर टैक्सी मालिकों के विशेष प्रकार की कारों की सप्लाई और टैक्सियों के तौर पर इस्तेमाल करन के लिए उन्हें पुरानी कारों को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराना शामिल है। ये मांगें संबंधित मंत्रालयों को बता दी गई है।

ईंधन के उपयोग में सरकारी परिवहन की क्षमता

2464. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ईंधन की कमी को देखते हुए सरकार उपलब्ध ईंधन के उपयोग के सम्बन्ध में सरकारी परिवहन को प्राथमिकता देती है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : भारत सरकार ने ईंधन के सप्लाई के मामले में सरकारी क्षेत्र परिवहन को हिदायत देने के लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।

सामान्य योजना सहायता स्तर से ग्रामीण जल संभरण सम्बन्धी योजनाएं

2465. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से जो सामान्य योजना सहायता से अतिरिक्त होगी, चलाई जाने वाली कोई ग्रामीण जल सम्भरण योजना विशेष अथवा योजनाएं उनके मंत्रालय के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक आरम्भ की गई और बनाई जा रही योजनाओं की रूपरेखा क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और राज्यवार कितने गांवों और जनता को इनसे लाभ पहुंचेगा;

(ग) क्या उनका मन्त्रालय ग्रामीण जल सम्भरण सम्बन्धी नई योजनाएं बनाने के ऐसे मामलों पर सीधे विचार करेगा अथवा राज्य सरकार के माध्यम से ही इन योजनाओं और अन्य आवश्यक ब्यौरों पर विचार किया जायेगा; और

(घ) देश में गांवों की कुल संख्या के अनुपात में ऐसे गांवों की प्रतिशतता और कुल संख्या कितनी है जहां अब भी पेय जल उपलब्ध नहीं है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने 1972-73 में त्वरित ग्राम जलपूर्ति कार्यक्रम नामक एक योजना आरंभ की थी जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को ग्रामीण जलपूर्ति योजना के उनके सामान्य राज्य प्लान प्रावधानों के अतिरिक्त शतप्रतिशत अनुदान के आधार पर निधियां दी जा रहीं है। इस योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित प्रकार के ग्रामों को सहायता दी जाती है :—

(1) ऐसे ग्रामों जहां यथोचित दूरी (जैसे 1 मील) के अन्तर्गत पेयजल का निश्चित जलस्त्रोत नहीं है।

(2) ऐसे ग्राम जिनके वर्तमान पेय जल स्त्रोतों की रक्षा अथवा शोधन की आवश्यकता है यदि एसे क्षेत्रों में है जो हैजा स्थानिकमारी अथवा नहरूआ क्रमिग्रस्त है, अथवा जिनमें फ्लोराइड, लवण अथवा अत्याधिक मात्रा में लोहा पाया जाना जैसे अन्य कारण हैं।

(3) ऐसे ग्राम जहां जन जातियों, हरिजनों जातियों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए पेय जल का प्रबन्ध अपर्याप्त है।

राज्यों को इन कसौटियों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने को कहा गया था तथा जिसके जबाब में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए और जांच पड़ताल करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने उन्हें मंजूर किया। इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार अनुमोदित योजनाओं की संख्या उनकी अनुमानित लागत तथा गत वर्ष राज्यों को दी गयी निधियां और चालू वर्ष के लिए किये गये नियतनों का एक विवरण पत्र संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6372/74]**

ये सभी योजनाएं राज्य सरकारों ने बनायी हैं तथा वे ही इनका निष्पादन कर रहीं हैं।

(घ) 1971 की जनगणना के अनुसार देश में ग्रामों की कुल संख्या 5.76 लाख है। अनुमान है कि चौथी योजना अवधि की समाप्ति पर देश में सुरक्षित पेय जल की उचित व्यवस्था के बिना लगभग 1.15 लाख ग्राम शेष रह जाएंगे अर्थात ऐसे ग्राम जहां पेय जल पूर्ति के लिए बिलकुल भी कोई साधन हीं है। ऐसे ग्राम जहां वर्तमान पानी के जल स्त्रोत या तो अत्याधिक खारा/नमकीन हैं अथवा हैजा स्थानिकमारी; नहरूआ, कृमि ग्रस्त, फलोराइड की अत्याधिक मात्रा आदि का होना जैसे स्वास्थ्य के लिए खतरों से ग्रस्त है।

पश्चिम बंगाल में 'परमानेंट लाइएबिलिटी होम्स' में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

2466. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में इस समय "परमानेंट लाइएबिलिटी होम्स" में कुल कितने व्यक्ति रह रहे हैं ; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिए पांचवीं योजना में कितना आबंटन किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) : लगभग 17000।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए पांचवीं योजना में कोई आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि छठे वित्त आयोग के एवार्ड के अनुसार 1 अप्रैल, 1974 से इस खर्च को राज्य सरकारें उठायेंगी ।

ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबन्ध

2467. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशीय निर्माताओं के कहने पर ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है जबकि इसकी देशीय सप्लाई लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गयी है ;

(ख) क्या ऊर्जा संकट ने फर्मों पर ट्रैक्टरों के प्रयोग करने को भी प्रभावित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) ट्रैक्टरों के आयात के प्रश्न के समस्त पहलुओं पर विचार किया गया है तथा मौजूदा विनिर्माण कार्यक्रम पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार ने ट्रैक्टर आयात न करने का निर्णय किया है।

(ख) और (ग): परिवहन संबंधी कठिनाइयों को छोड़कर कृषि मशीनरी को चलाने के लिए उपयोग मे आने वाले हाई स्पीड और लोस्पीड डीजल आयल की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय डीजल आयल की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। उस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे वितरण प्रणाली पर निरन्तर रूप से निगाह रखें ताकि कषको को पर्याप्त रूप से सप्लाई होती रहे ।

Aid from Norway for Manufacture of Fishing Trawlers

2468. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Norway will provide special assistance in the manufacture of fishing trawlers and other machinery under the Five year agreement concluded between India and Norway;

(*b*) the assistance given under a similar agreement concluded earlier; and

(*c*) the facts in this regard?

The State Minister in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (*a*) According to the 5 years bilateral Agreement entered into in November 1973 between the Government of Norway and the Government of India, Norway will provide developmental assistance to the extent of 42·6 million Norwegian Kroners towards strengthening of fishing vessel construction yards and obtaining fishery equipment.

(*b*) Under successive Agreements the Government of Norway provided aid to the extent of about Rs. 10 crores.

(*c*) The Indo-Norwegian Project has functioned from 1952 onwards under three supplementary agreements to the first main agreement and a subsequent second agreement. The agreements covered the following periods and objectives :

First supplement to the Main Agreement	: 24-1-53 to 21-4-56
Second supplement to the Main Agreement	: 21-4-56 to 27-11-61
Third supplement to the Main Agreement	: 27-11-61 to 31-3-67
Second Agreement	: 1-4-67 to 31-3-72

The objectives of the first supplement centred around Neendakara, Kerala State and covered :

(*a*) An increase in the return of the fisherman's activity.

(*b*) An efficient distribution of fresh fish and improvement of fish products.

(*c*) An improvement of the health and sanitary conditions of the fishing population; and

(*d*) Attain in general, a higher standard of living for the community in the project area.

The objectives of the second supplement were to expand the purposes of first supplement, provide certain facilities at the District Hospital, Quilon, Kerala State, make a start with the development of a new fishing centre in Cochin and improve the water supply in areas adjoining the project area.

The objectives of the third supplement were to modify and expand the project's objectives mentioned in the first and second supplements and to extend the project activities to Karwar in Karnataka State, Mandapam in Tamil Nadu and Cannanore in Kerala State.

The programmes mainly dealt with are :

(*i*) Assistance in mechanisation and deep sea exploratory survey programme.

(*ii*) Training of personnel in all aspects of fishing industry.

(*iii*) Provision of equipment and expert services.

The Objectives of the second agreement were :

(*a*) Completion of construction works initiated under the III supplementary agreements.

(*b*) Off-shore and deep sea exploratory fishing.

(*c*) Practical training and demonstration of modern technology ashore and at sea.

(*d*) Procurement of machinery and equipment for vessels and shore installations.

राजकोट नगर के लिए पेय जल की सप्लाई में कमी

2469. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट नगर के लिए पेय जल की सप्लाई में कमी होने की संभावनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति को घटित होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). गुजरात राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है तथा यथासंभव सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक के कुओं में पेय जल

2470. **श्री के० भालन्ना :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार से ऐसे गांवों के संबंध में जानकारी मांगी है जिनमें पेय जल के कुएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां तो इसकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या कुछ ऐसे भी कुएं हैं जिनमें पेय कालिमा लिये पानी निकलता है और कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनमें कुएं गर्मियों में सूख जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को राज्य को इस संबंध में क्या सुविधाएं उपलब्ध की हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित विशेष अन्वेषणों डिवीजनों को केन्द्र से शतप्रतिशत वित्तीय सहायता मिलती है और वे देश के दुर्गम, अभावग्रस्त और समस्या पूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण जल-पूर्ति की समस्या का मूल्यांकन करते हैं।

कर्नाटक राज्य के विशेष अन्वेषण डिवीजनों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1973 तक 18041 ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया था और इनमें से 11,245 ग्रामों को अभावग्रस्त दुर्गम तथा स्वास्थ्य के लिए समस्या मूलक समझा गया। इन ग्रामों का अलग-अलग विवरण इस प्रकार है :—

(1) अभावग्रस्त ग्राम	10,655
(2) हैजा स्थानिकमारी ग्राम	144
(3) नहरूआ कृमि ग्रस्त क्षेत्र	111
(4) अन्य स्वास्थ्य समस्या-मूलक ग्राम	335
कुल	11,245

(ग) तथा (घ). 1972 में, केन्द्र सरकार ने त्वरित ग्राम जलपूर्ति कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकारों से योजनाएं भेजने के लिए कहा था जिसमें, स्थायी रूप से असुविधाग्रस्त ग्रामों में ग्रामीण जलपूर्ति की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। चुने हुए ग्राम निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत आते हैं:—

(1) ऐसे ग्राम जहां यथोचित दूरी के अन्तर्गत पेयजल का निश्चित जल स्त्रोत नहीं है ।

(2) ऐसे ग्राम जिनके वर्तमान पेयजल स्त्रोतों की रक्षा अथवा शोधन की आवश्यकता है, यदि वे ऐसे क्षेत्रों में हैं जो हैजा स्थानिकमारी अथवा नहरूआ कृमि ग्रस्त हैं, अथवा जिनमें फ्लोराइड लवण अथवा अत्याधिक मात्रा में लोहा पाया जाना जैसे अन्य कारण हैं।

(3) ऐसे ग्राम जहां जनजातियों, हरिजनों आदि जैसे समाज के कमजोर वर्गों लिए पेयजल का प्रबंध अपर्याप्त है ।

कर्नाटक राज्य सरकार ने इस योजना में सम्मिलित करने के लिए 542.69 लाख रु० की 271 योजनाओं को भेजा है। केन्द्र ने 309.35 लाख रुपये की 245 योजनाओं का अनुमोदन किया जिनके अन्तर्गत 286 ग्राम आते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र ने 1972-73 के दौरान 105 लाख रुपए की राशि मुक्त की तथा 1973-74 के दौरान अब तक 70.00 लाख रु० की राशि दी है।

दिल्ली नगर निगम के करौल बाग जौन में सम्पत्ति का निर्धारण

2471. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नगर निगम में करौल बाग जोन के ऐसे मकानों की संख्या कितनी है, जिनका मूल्य सम्पत्ति का निर्धारिण हेतु उनके किराये के आधार पर न मानकर उनके बाजार मूल्य को आधार मानकर निर्धारित किया गया है ;

(ख) दिल्ली नगर निगम के करौल बाग जोन में ऐसे मकानों की संख्या कितनी है जिनका सम्पत्ति कर निर्धारिण हेतु मूल्य वास्तविक किराए को आधार पर मानकर निर्धारित किया गया है; और

(ग) दिल्ली नगर निगम के करौल बाग जोन में ऐसे मकानों की संख्या कितनी है, जिनके बारे में कर निर्धारण वास्तविक किराये के आधार पर नहीं है, बल्कि बाजार मूल्य के आधार पर किया गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग). करौल बाग जोन में लगभग 40,000 मकान हैं जिनका इस समय ब्यौरा देना संभव नहीं है जैसी कि मांग की गयी है। दिल्ली नगर निगम के करौल बाग जोन के क्षेत्राधिकार में स्थित मकानों पर सम्पत्ति कर लगाने के लिए उनका मूल्य दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 116 के उपबन्धों के अनुसार आँका गया है। कर योग्य मूल्य उसका वार्षिक किराए के आधार पर नियत किया गया था तथा किया जा रहा है जिस पर ऐसी भूमि या भवन को वर्ष प्रति वर्ष उपयुक्त रूप से किराए पर दिये जाने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में स्थित कतिपय भूमि और मकानों के लिए, भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय द्वारा निश्चित किये गये किराये को ही सभी मामलों में करयोग्य मूल्य निश्चित करने के लिए अपनाया गया है, सिवाये उन के, जहां किरायेदारों द्वारा दिया जा रहा वास्तविक किराया आरम्भ में नियत की गयी राशि से अधिक है।

2. मूल्यांकन की इस कसौटी को दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा सिविल दावा सं० 580/71 तथा आई० पी० ए० 54 से 61/72 द्वारा परिपुष्टि की गई है।

Allotment of Fallow Land to Unemployed Agriculture Graduates

2472. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the names of the States in which unemployed Agriculture Graduates are to be allotted Government fallow land on priority basis; and

(*b*) State-wise acreage of land to be allotted?

The State Minister in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (*a*) *and* (*b*) : Programmes of allotment of land are administered by the State Governments and it is for each State to decide on the policy in this regard in the context of local circumstances. The Government of India do not normally come into picture. According to the inf ormation available, only the State Government of Madhya Pradesh has a Scheme for allotment of land to unemployed Agricultural Graduates. All the State Governments were, however, requested to consider such a scheme in the light of local conditions.

Sugar dealers of Mandsaur and Ratlam Districts given permits to bring sugar from U. P. and Maharashtra

2473. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3977 on 10th December, 1973 regarding sugar dealers of Mandsaur and Ratlam Districts given permits to bring sugar from U. P. and Maharashtra and state :

(a) whether full information has since been received by the Government ;

(b) the acion taken so far on the basis of the information as well as complaints received ; and

(c) the action taken against the offenders with names thereof by th State Governments concerned ?

The Minister of State in the Ministery of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (*a*) to (*c*). A statement (Statement-I) **[Placed in the library. See No. L.T.-6373/74]** showing the details of 11 dealers of Mandsaur and two dealers of Ratlam District who were granted permits during 1970-71 for bringing sugar from Uttar Pradesh only and who sold sugar outside Madhya Pradesh, is attached. No dealers were given such permits during 1971-72.

Another statement (Statement-II) **[Placed in the library. See No. L. T.-6373/74]** showing details of prosecution launched by the Collector, Mandsaur, is also attached. Similar information in respect of Ratlam District is still awaited from the Government of Madhya Pradesh.

Central Scheme for Improvement of Barren Land

2474. Dr. Laxmi Narayan Pandeya
Shri Jagannathrao Joshi } : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state

(a) State-wise acreage of barren land ;

(b) the reclamation schemes of various States and the nature and extent of Central assistance therefor ;

(c) whether Central Governmentlhave issued any draft of an ideal scheme and suggestions to the States for improvement of such land ; and

(d) if so, the salient features thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (*a*) to (*d*) . A statement is laid on the Table of the Sabha.

(*b*) to (*d*) : Reclamation of land is primarily the concern of the State Governments. The Government of India have, however, sanctioned Schemes, to be undertaken by the States, for the purpose from time to time. A Centrally Sponsored Scheme for reclamation of cultivable waster land and resettlement of landless agricultural labourers was taken up during the 3rd Five Year Plan and was operated in the State of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharahstra, Mysore (Karnataka), Orissa, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Tripura and West Bengal. Under this Scheme, 0·19 million hectares of land was reclaimed. An expenditure of Rs.6·14 crores was incurred by the Government of India as grants and loans to the State Governments concerned.

During the 4th Five Year Plan a Centrally Sponsored Scheme for reclamation of ravinous land was taken up, as a pilot measure, to determine the technical and econcmic feasibility of large scale ravine reclamation both for agricultural production and for afforestation, in the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh , Gujarat and Rajasthan. Under this Scheme, a total area of 6,620 hectares is likely to be treated with an estimated expenditure of Rs. 186·31 lakhs. Suitable guidelines were issued to the States concerned for the formulation of this programme.

During the 5th Five Year Plan the following Schemes are proposed to be taken up in the Central sector for reclamation of land in the States :——

1. Pilot Projects for protection of table land and stabilisation of ravinous areas. Pilot projects are proposed to be taken up in the States of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh at a total cost of Rs. 400 crores. Guidelines for the programme will be issued to the States concerned.

2. Pilot Projects for reclamation of saline, alkali and water logged lands : A few Pilot Projects are proposed to be undertaken in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka to determine the technical and economic feasibility for large scale reclamation of such land in the country, at a total cost of Rs. 5·00 crores.

   Necessary guidelines for the scheme would be issued to the States concerned.

3. Pilot Projects for land colonisation for settlement of landless families Culturable waster land in compact block of 1200 acres each, in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Maharashtra, Orissa, Rajasthan Uttar Pradesh and West Bengal are proposed to be reclaimed for the settlement of landless familites for developing into self-supporting colonies at a total cost of Rs. 5·00 crores. Guidelines for the Scheme have been sent to the States concerned.

STATEMENT

a) According to the land use, statistics for the year 1970-71, the State-wise acreage of barren land in the country, is as under :—

Name of the States	Area of barren land (in thousand Hectares)
1. Andhra Pradesh	2,101
2. Assam	1,802
3. Bihar	1,060
4. Gujarat	4,200
5. Haryana	181
6. Himachal Pradesh	117
7. Jammu & Kashmir	244
8. Kerala	72
9. Madhya Pradesh	2,321
10. Maharashtra	1,773
11. Manipur	1,380
12. Meghalaya	1,905
13. Karnataka	839
14. Nagaland	985
15. Orissa	802
16. Punjab	208
17. Rajasthan	4,717
18. Tamil Nadu	832
19. Tripura	6
20. Uttar Pradesh	1,418
21. West Bengal	1,272
TOTAL	28,235

Incentive Bonus and Land Development Expenditure to Farmers

2475. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether Maharashtra Government have decided to pay fifteen rupees per quintal as incentive bonus and two rupees as land development expenditure to every farmer selling wheat;

(*b*) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to give incentive bonus and land development expenditure to the farmers in other parts of the country too?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Such a decision is reported to have been announced by the Maharashtra Government.

(b) & (c). The price and procurement policy for the ensuing rabi season 1974-75 will be finalised shortly in consultation with the State Governments.

Farmers Training Programme During Fifth Plan

2476. Shri Chiranjib Jha
Shri Shrikrishna Agarwal } : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce centrally-sponsored farmers training programme in 100 districts in the country during the Fifth Five Year Plan period;

(b) if so, disiricts selected and the criteria adopted in regard to selection of the districts; and

(c) the time by which the work regarding selection of these districts is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A Centrally sponsored Farmers Training Programme covered 100 districts in the country during the 4th Five Year Plan period. Apart from continuing them during the 5th Plan period, 50 more districts are proposed to be added under the Programme, thus making a total of 150 distrcts in the 5th Five Year Plan.

(b) The selection of new districts is still to be finalised. In the selection of the new districts, the broad criterion is that the selected districts should :

(i) have the maximum number of priority projects such as SFDA, MFAL, ICDP, DPAP, dry land farming project, High Yielding Varieties and multiple Cropping programme, Cash crops, fertilizer promotion programme etc. which form an integral part of agriculture production efforts in the district; and

(ii) be situated within the reception range of All India Radio Stations.

(c) The State Governments have been requested to identify the districts on the basis of above criteria, and communicate their recommendations and the order of priority to the Government of India for finalising the names. This selection is likely to be finalised shortly.

Housing Schemes and Rural Ware-Houses under Crash Programme for Rural Employment for 1973-74

2477. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of housing schemes framed for the weaker and poorer section of the society and the number of rural warehouses constructed under the crash programme for rural employment and approved by the Central Government for 1973-74, State-wise; and

(b) the allocations made for the implementation of these schemes State-wise?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b). Information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

पांचवीं योजना के दौरान कृषि और डेरी उद्योग में सहायता के लिए न्यूजीलैण्ड के साथ करार

2478. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री प्रसन्नभाई मेहता } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैण्ड ने कृषि और डेरी उद्योग के क्षेत्र में पांचवी योजना के दौरान पर्याप्त सहायता देने के बारे में आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या कोई करार किया गया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) . पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूजीलैण्ड से सहायता मिलने की आशा है । यह सहायता अधिकांशत: पशु सुधार, डेरी विकास, कृषि, पशु पालन, चरागाह, चारा विकास के लिए और इन क्षेत्रों में तथा अन्य क्षेत्रों में तकनीकी सहायता के संबंध में होगी ।

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता के संबंध में औपचारिक रूप से न्यूजीलैण्ड सरकार के साथ कोई करार नहीं हुआ है ।

मोटे अनाज के परिवहन पर छूट

2479. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन्**
श्री पी० एम० मेहता } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की समीक्षा करने के बाद कि मोटे अनाज की वसूली सिद्धान्तत: तथा व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई है सरकार ने मोटे अनाज के परिवहन पर लगे नियन्त्रण में ढील देने का निर्णय किया है ;

(ख) इस निर्णय से उपभोक्ताओं को कितनी सहायता मिलली है;

(ग) क्या कुछ राज्य उक्त निर्णय से सहमत नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उनकी आपत्तियां क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) . मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति और उनकी उपलब्धता की स्थिति पर बारीकी से विचार करने के बाद, उनके संचालन पर लगे प्रतिबन्धों में 24 जनवरी, 1974 को ढील दी गई थी और इस स्थिति की और समीक्षा कर 7 मार्च, 1974 से प्रतिबन्ध पूर्णतया उठा लिये गए थे । केन्द्रीय कृषि मन्त्री द्वारा इस सम्बन्ध में लोक सभा/राज्य सभा में 6 मार्च, 1974 को दिए गए वक्तव्य की प्रति संलग्न है । मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति 31 अक्तूबर, 1974 तक जारी रहेगी ।

इन ढीलों से देश में मोटे अनाजों की उपलब्धता में आम तौर पर सुधार हुआ है ।

(ग) और (ख) . भारत सरकार के इन निर्णयों के प्रति किसी राज्य ने कोई आपत्ति नहीं की है ।

विवरण

मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति और उनकी उपलब्धता की स्थिति पर बारीकी से विचार करने के बाद सरकार ने सभी राज्य सरकारों को जनवरी, 1974 के अन्त में यह सलाह देने का निश्चय किया :

(क) कि उनके अपने-अपने राज्यों में मोटे अनाजों के संचलन पर सभी प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहिए; और

(ख) मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे राज्य सरकारों के नामित एजेन्टों के लिए अन्य राज्यों से मोटे अनाज खरीदना और उन्हें भेजना संभव हो सके।

इस स्थिति की और समीक्षा की गई है और सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि देश भर में मोटे अनाजों का बिना किन्हीं प्रतिबन्धों के तुरन्त अबाध संचालन होना चाहिये।

फरवरी, 1974 में आवासीय तथा नगरीय विकास निगम द्वारा योजनाओं का अनुमोदन

2480. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन्** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय तथा नगरीय विकास निगम ने फरवरी, 1974 में 16 योजनाओं को अनुमोदित किया है; और

(ख) किन-किन राज्यों में मकान तथा फ्लैट बनाए जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित राज्यों में मकान तथा फ्लैट बनाये जायेंगे :—

1. मध्य प्रदेश;
2. गुजरात;
3. कर्नाटक;
4. हरियाणा;
5. तमिलनाडु; और
6. महाराष्ट्र।

चावल का कम उत्पादन

2481. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष चावल का उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या अगले वर्ष चावल की अच्छी फसल होने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) 1971-72 के दौरान चावल का उत्पादन 430.7 लाख मीटरी टन हुआ था । इसकी तुलना में, 1972-73 के दौरान चावल का उत्पादन 386.3 लाख मीटरी टन था । उत्पादन में गिरावट आंशिक रूप से क्षेत्र में कमी और आंशिक रूप में उत्पादन दरों में कमी की वजह से हुई थी । समस्त प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्रों में 1972-73 के दौरान चावल की फसलों के क्षेत्र में जो कमी हुई थी वह फसल की बुवाई की अवधि के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों की मौजूदगी कारण थी । देश के बहुत से भागों में सूखा पड़ने और अनियमित तथा कम वर्षा होने की वजह से विकास अवधि के दौरान भी फसल को नुकसान पहुंचा था। उत्पादन में मामूली वृद्धि केवल असम, उड़ीसा, पंजाब और तमिल नाडु में ही हूई थी। अन्य समस्त राज्यों में 1972-73 के दौरान कमी हुई है ।

(ख) और (ग) : 1973-74 के दौरान चावल के उत्पादन के पक्के अनुमान, चालू कृषि वर्ष के समाप्त होने पर, अर्थात किसी समय जुलाई-अगस्त, 1974 में ही उपलब्ध हो सकेंगे । तथापि मौजूदा संकेतों से आशा हो गई है कि 1973-74 के दौरान चावल की फसल काफी अच्छी होगी ।

मोटे अनाज के परिवहन पर लगाए गए अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध को हटाने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात का अनुरोध

2482. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात ने मोटे अनाज के परिवहन पर लगाए गए अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध को हटाने के लिए केन्द्र की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या केन्द्र ने अनुमति दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो इससे दोनों राज्यों में स्थिति किस हद तक सुधरी है;

(घ) क्या इन राज्यों ने विभिन्न राज्यों से मोटा अनाज खरीदा है;

(ङ) यदि हां, तो मार्च, 1974 तक गुजरात राज्य ने कितना मोटा अनाज खरीदा है;

(च) क्या मोटा अनाज खरीदने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य को वित्तीय सहायता दी है; और

(छ) क्या गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के पश्चात् वह कुप्रबन्ध दूर कर दिया गया है जिसका केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने आरोप लगाया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : **(क) और (ख)** : जी हां।

(ग) 24 जनवरी, 1974 को मोटे अनाजों के संचालन पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने से गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में मोटे अनाजों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को 6 मार्च, 1974 से पूर्णतया हटा लिया गया है।

(घ) और (ङ) : महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों ने अपने मनोनीत एजेन्टों के माध्यम से पंजाब और हरियाणा से मोटे अनाजों की खरीदारी की है। 5 मार्च, 1974 तक

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गुजरात के लिए वाणिज्यिक आधार पर पंजाब और हरियाणा में निम्न-लिखित मात्राएं खरीदी गई हैं :—

	(मीटरी टन में)
(1) हरियाणा	
(क) बाजरा	9,445
(ख) मक्का	345
(2) पंजाब	
बाजरा	17,500
जोड़	27,290

(च) जी नहीं ।

(छ) केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने गुजरात के खाद्य प्रशासन पर कुप्रबन्ध का आरोप लगाते हुए कोई भी वक्तव्य नहीं दिया था ।

छिपा कर जमा किए गए खाद्यान्नों का पता लगने के बाद खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट

2483. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपा कर जमा किये गये खाद्यान्नों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा व्यापक अभियान शुरू किये जाने की योजना के बाद खाद्यान्नों के मूल्यों में काफी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : जमाखोरी निरोधक उपायों से कुछ हद तक उपलब्धता के सुधार होने में सहायता मिली है लेकिन खुले बाजार के मूल्यों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

पांचवीं योजना के दौरान हजीरा में शिपयार्ड

2484. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से पांचवी योजना की अवधि के दौरान सूरत के निकट हजीरा (ताप्ती) में एक शिपयार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विस्तृत ज्ञापन तथा परि-योजना प्रतिवेदन भेजा था;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ने इसे पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) और (घ) : कई स्थानों जिनमें अनेक समुद्रवर्ती राज्य सरकारें भी शामिल हैं से अपने राज्यों में शिपयार्डों की स्थापना के लिए सुझाव प्राप्त हुए । राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माण स्थलों (जिनमें हजीरा भी शामिल है) का तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने तथा अनुशासित स्थलों पर लाभ सहित बताये जाने वाले जहाजों की प्रकार एवं आकार बताने के लिए एक तकनीकी आर्थिक कार्य दल गठित किया गया इस दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है । देश में नये शिपयार्डों के स्थान के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। सरकार का पांचवी योजना में दो नये शिपयार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Allotment of Barren Land to Tribal Peasants

2485. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether a proposal is under consideration to allot barren land to landless tribal peasants for cultivation purposes, after making it fertile;

(*b*) whether the land will be reclaimed by tractor and other machinery on behalf of Government and the land holder adivasi will be required to bear the minimum expenditure thereof; and

(*c*) if so, the outlines of the scheme?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (*a*) Land being a State subject, its allotment to the landless tribal peasants concerns the State Governments. As such the question of considering any such proposal in this regard by the Government of India does not arise.

However, in the six pilot Projects for Tribal Development, located in the State of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, assistance is given by the Tribal Development Agencies for—(*i*) development of Government waste land or public land and settling the same with landless tribal families and (*ii*) development of private lands of the deserving tribal families in the Project areas.

(*b*) & (*c*) : Such waste land is reclaimed by mechanical means and also by physical labour of the tribal beneficiaries and the local tribal labour as available. The financial assistance given by the Tribal Development Agencies for such reclamation work is generally to the tune of 75% to 100% in case of Government and public waste land, and 50% to 75% in case of private tribal lands on different items of work/expenditure. The balane is expected to be met by the beneficiary tribals either through labour contribution or by loan given by the State Government or obtained from the Institutional sources.

खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के बारे में मुख्य मंत्रियों की बैठक

2486. श्री डी० डी० देसाई
श्री पी० गंगादेव } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उर्वरकों की कमी को देखते हुए खाद्य उत्पादन कार्यक्रम पर चर्चा करने हेतु राज्यों के मुख्य मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से जनवरी, 1974 में नयी दिल्ली में बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को उर्वरकों की कमी तथा खाद्य उत्पादन कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करने के लिए नहीं अपितु उन्हें मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति संबंधी कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करने के लिए अलग अलग बुलाया गया था । तथापि, उर्वरकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए रासायनिक उर्वरकों के कारगर उपयोग तथा कार्बनिक खाद के उपयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए जनवरी के प्रथम सप्ताह में राज्यों के कृषि तथा नगर विकास संबंधी विभागों के राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था ।

(ख) सरकार ने इस बैठक में उर्वरकों की सीमित उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई थी :

1. उर्वरकों का देशी उत्पादन बढ़ाने तथा सम्भव सीमा तक आयात की व्यवस्था करना ।
2. रासायनिक उर्वरकों का कारगर उपयोग ।
3. शारीरिक श्रम तथा खरपतवार नाशी औषधियों की सहायता से खरपतवार पर नियन्त्रण पाना ।
4. कार्बनिक खाद के साथ रासायनिक उर्वरकों का पूरक उपयोग करना ।
5. अधिक उत्पादनशील किस्म की फसलों के क्षेत्र को बढ़ाना ।
6. अधिक संभाव्य क्षमता वाले चुनींदा क्षेत्रों में, जिनमें प्रयासों को संकेन्द्रित करना ।

मोटे अनाजों पर शुल्क लगाने की योजना

2487. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि खरीफ के मोटे अनाजों पर शुल्क की योजना प्रायः असफल हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : खरीफ 1973-74 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य की तुलना में मोटे अनाजों की अब तक की गई वास्तविक अधिप्राप्ति पिछड़ गयी है, हालांकि अब तक की गई अधिप्राप्ति की मात्रा पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान की गई अधिप्राप्ति की मात्रा से कहीं अधिक है । इस मामले की सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ समीक्षा की गई है और वे अधिप्राप्ति की रफ्तार में तेजी लाने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही

2488. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी की सप्लाई में वृद्धि करने के वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दीर्घावधि उपाय के रूप में तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं सम्मिलित की गई हैं । योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

योजना का नाम	केन्द्रीय सहायता का प्रतिमान	पांचवी योजना के लिये व्यवस्था
1. मार्गदर्शी परियोजनाओं के रूप में बेकार भूमि, पंचायत भूमि तथा गांव की सांझी भूमि में मिश्रित किस्म के पेड़ लगाना ।	100 प्रतिशत	800 लाख रुपये
2. उजड़े हुए वनों में पुन: पेड़ लगाना	50 प्रतिशत	750 लाख रुपये
3. रक्षा-पट्टियां लगाना	50 प्रतिशत	250 लाख रुपये
		1800 लाख रुपये

मिश्रित किस्म के पेड़ लगाने की योजना के अन्तर्गत बेकार भूमि, पंचायत भूमि, आदि में पेड़ लगाए जायेंगे । उजड़े हुए वनों में पुन: पेड़ लगाने की योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो ईंधन की लकड़ी की कमी महसूस करने वाली बस्तियों के समीप हैं । "रक्षा पट्टियां लगाने" की योजना को विशेषकर उन शुष्क क्षेत्रों में प्रारम्भ करने का विचार है, जहां पेड़ दूर-दूर पर उगे हैं, और तेज हवाऐ चलती हैं । इन रक्षा पट्टियों से उन शुष्क क्षेत्रों को ईंधन की लकड़ी, मिलेगी, जहां ईंधन की लकड़ी की अत्यधिक कमी है ।

उपर्युक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त, फार्म वानिकी सम्बन्धी एक अन्य योजना भी राज्य योजना के रूप में राज्य क्षेत्र में सम्मिलित की गई है । पांचवी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में इस योजना के लिए 804.20 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

ईंधन के वर्तमान संकट को दूर करने के लिए शीघ्र उपाय के रूप में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे उन क्षेत्रों का पता लगायें, जहां कोयला बनाने तथा ईंधन की लकड़ी का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सके और ईंधन की लकड़ी की वर्तमान सप्लाई बढ़ाने के लिये उसे खपत केन्द्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सके ।

Construction of a Bridge over Kanhar River in Palamau District

2489. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(*a*) whether Bihar have submitted any proposal to the Central Government regarding construction of a bridge over Kanhar River in Palamau District;

(*b*) if so, the main features thereof; and

(*c*) whether the Central Government have accorded sanction to it?

The Deputy Minister in the Ministry Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (*a*) *to* (*c*) : The proposal for the construction of a bridge over Kanhar river on Rohla-Ramanujaganj-Ambicapur road in Bihar State on Bihar-Madhya Pradesh border at an estimated cost of Rs 10 lakh has already been approved by the Central Government in 1971 under the Central Laon assistance Programme of State Roads of Inter-State or Economic Importance. The Madhya Pradesh Government has also agreed to share the cost on 50 : 50 basis.

यू० एस० कन्फ्रेंस द्वारा अधिकार लगाया जाना

2490. **श्री के० मांलन्ना :**

श्री नवर किशोर शर्मा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्टकोस्ट आफ इंडिया पाकिस्तान, यू० एस० कान्फ्रेंस ने 10 दिसम्बर, 1973 से 30 प्रतिशत अधिभार लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो 10 दिसम्बर, 1973 से पहले कितना अधिभार वसूल किया जा रहा था,

(ग) क्या गल्फ अरेबियन सी-औरियैन्ट एग्रीमेन्ट, बम्बई-आस्ट्रेलिया एग्रीमेन्ट आदि जैसी अन्य कान्फ्रेंसों ने भी विभिन्न दरों के अधिभार लगाये हैं, और

(घ) क्या उनमें से कुछ इन प्रभारों को समाप्त कर दिया है, और यदि हां, तो कितना ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : सम्भवतया उल्लेख भारत-पाकिस्तान/अमेरिका पश्चिमी तट लगाये गये बम्बई पोर्टकनजेशन सरचार्ज से है। सम्मेलन ने 24-10-73 को 25 प्रतिशत अधिभार लगाया । 10-12-1973 को इसको बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया । परन्तु 8-2-74 को इसे चरणों में कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया और बाद में 31-3-1974 तक बन्द कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) : विभिन्न सम्मेलनों रेट-एग्रीमेन्ट शिपिंगलाइन्स द्वारा लगाये गये अधिभार का ब्यौरा और अधिभार में की गई कमी समाप्ति संलग्न विवरण में दी गई है :

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6374/74]

खाने के तेल की कमी

2491. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल के इस समय में मूंगफली के तेल में भारी तेजी आई जिससे इसके मूल्य में असामान्य वृद्धि हो गई और वनस्पति के मूल्यों में वर्तमान तेजी के कारण उत्पादन हुए अतिरिक्त भार मूंगफली के तेल का मूल्य निषेधात्मक हो जायेगा ;

(ख) क्या मूंगफली की 65 लाख टन की उत्तम फसल के बावजूद खाने के तेलों की सप्लाई में दो लाख टन की कमी होने का अनुमान है; और

(ग) क्या उक्त कमी को सोयावीन तेल का आयात करके पूरा किया जायेगा और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाईब पी० शिन्दे) : (क) मूंगफली की फसल अच्छी सम्भावनाओं की वजह से अगस्त, 1973 के प्रारम्भ से ही मूंगफली के तेल के मूल्य गिरने शुरू हो गये थे। नवम्बर के प्रारम्भ तक मूल्यों का गिरना जारी रहा। उसके बाद से, अच्छी फसल होने के बावजूद कुछ विभिन्न कारणों से फिर मूल्यों का बढ़ना जारी हो गया। आगामी महीनों में मूंगफली के तेल के मूल्यों पर कुछ घटकों और विशेषकर खाद्य तेलों की समूची सप्लाई और मांग की स्थिति का प्रभाव पड़ेगा। वनस्पति के मूल्य, मूंगफली के तेल और इसके निर्माण में उपयोग होने वाले अन्य तेलों के मूल्यों को ध्यान में रखकर निश्चित किये जाते हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान मूंगफली के तेल और प्रमुख तिलहनों के उत्पादन के अखिल भारतीय अंतिम अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने के पश्चात अर्थात किसी समय जुलाई-अगस्त, 1974 में ही उपलब्ध हो सकेंगे। अतः चालू वर्ष के दौरान तेल की सप्लाई में होने वाली कमी के बारे में ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, प्रारम्भिक संकेतों से यह आशा हो गई है कि चालू वर्ष के दौरान तिलहनों और तेल का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक होगा।

(ग) पिछले वर्ष की तरह, देशी उपादन की कमी को आयात द्वारा पूरा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु विश्व मण्डी के ऊंचे मूल्यों तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध होने वाली विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कुछ बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन

2492. श्री वयालार रवि :

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ ने प्रबन्धकों से अपनी मांगें पूरी कराने हेतु आन्दोलन शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और मामले के निपटारे के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : **(क) और (ख)** : भारतीय खाद्य निगम यूनियन (उत्तर) ने वेतन-समिति गठित करने, अंतरिम राहत देने और अन्य सेवा-शर्तों में कुछ परिवर्तन करने संबंधी अपनी मांगों को मनवाने के लिए 11 फरवरी, 1974 से आन्दोलन शुरू किया था। तथापि, प्रबन्धक के साथ विचार-विमर्श होने के बाद, 26-2-1974 को आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था।

Operation of Additional Buses in Delhi with Gas due to Shortage of Diesel

2494. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(*a*) whether in view of the shortage of diesel it is proposed to operate additional buses in Delhi with gas; and

(*b*) if so, from what date?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (*a*) There is no such proposal under consideration.

(*b*) Does not arise.

संकर सोरगम अथवा बाजरा के मूल्यों में कमी

2495. **श्री बी० वी० नायक : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खरीफ की फसल के बाद कहीं भी संकर सोरगम या बाजरे के मूल्यों में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कहां; और

(ग) कितनी कमी हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) से (ग) : सितम्बर के अन्त में मूल्यों की तुलना में संकर सोरगम (ज्वार) के अद्यतनमूल्यों में कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों के बहुत से केन्द्रों पर गिरावट की प्रवृत्ति थी । मूल्य में यह गिरावट 12 रुपये और 23 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थी ।

उसी अवधि के दौरान, महाराष्ट्र में भी संकर बाजरा के मूल्यों में 25 रुपये और 68 रुपये प्रति क्विंटल के बीच गिरावट देखी गई थी । तथापि, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में मिश्रित प्रवृत्ति थी ।

नगरीय क्षेत्रों में आवासीय स्थानों की कमी

2496. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में आवासीय स्थानों की कमी का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) नगरीय क्षेत्रों में आवासीय स्थान उपलब्ध कराने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) तथा (ख) : : ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । 1971 की जनगणना के दौरान मकानों के सूचीकरण अभियान में एकत्रित किए गये अनन्तिम व्यौरे पर आधारित राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, रहने योग्य कच्चे मकानों को छोड़कर, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी 30 लाख एककों से अधिक होगी । राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) देश में मकानों की कमी बहुत अधिक है । साधनों पर दबाव तथा सिंचाई, विद्युत्, कृषि आदि जैसे अन्य क्षेत्रों की समतुल्य मांगों के कारण आवास को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गई

थी : उपलब्ध सीमित निधियों के कारण सरकार ने विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं, के माध्यम से, जो देश भर में चल रही है निम्न आय वर्ग के लोगों की आवासीय स्थिति में सुधार करने के लिए अपने प्रयत्न मुख्यत: इस ओर केन्द्रित किये हैं।

राज्य सरकारों तथा उनके सांविधिक अभिकरणों को आवास तथा नगर विकास की परियोजनाओं की अर्थ-व्यवस्था करने के लिए आवास तथा नगर विकास निगम के नाम से केन्द्रीय सरकार के एक उपक्रम की भी स्थापना की गई है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी सांविधिक आवास बोर्डों की स्थापना की है जो मकानों के निर्माण के लिए ऋण लेते हैं।

Number of Lecturers, Research Scholars and Students in Jawaharlal Nehru University

2497. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(*a*) the number of Lecturers, Research Scholars and students separately, in Jawaharla Nehru University ta present; and

(*b*) the number of foreign students in the said University and the subjects of their study?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (*a*) *and* (*b*) : A statement is attached.

[Pleaced in the Library. See No. L.T—6375/74]

भारतीय विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों द्वारा अमरीकी फाउंडेशनों के साथ सहयोग

2398. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) : क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न फाउंडेशनों विशेषकर अमरीकी फाउंडेशनों पर लगे प्रतिबन्धों में ढ़ील दे दी है और भारतीय विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थानों और फेक्ट्रीज़ को उनसे सहयोग करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) : यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) : इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है। किन्तु कुछ ढ़ाँचा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है जिससे भारत में विदेशी शिक्षा कार्यकलाप को इस तरह चलाया जा सके जो अधिक से अधिक सार्थक हों।

कोचीन शिपयार्ड बोर्ड का पुनर्गठन

2499. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक बोर्ड का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है,

(ख) : यदि हां तो नये बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं,

(ग) बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने के लिए क्या मानदण्ड रखे गये हैं, और

(घ) क्या सरकार को उक्त बोर्ड के गठन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुयी है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :

(क) जी हां। 31-1-1974 को बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

(ख) 1 वाइस एडमिरल एन० कृष्णन--अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
2 श्री वाई० कृष्णन--निदेशक (सरकारी)
3 श्री पी० एच० त्रिवेदी--(निदेशक) (सरकारी)
4 श्री एस० कस्तूरी--निदेशक- (सरकारी)
5 श्री एस० वालकृष्ण-निदेशक (सरकारी)
6 श्री एच० सी० सेथवा--निदेशक (सरकारी)
7 श्री एन० गोपालकृष्णन नायर--निदेशक (सरकारी)
8 रिय एडमिरल एस० एच० शर्मा--निदेशक (सरकारी)
9 श्री एन० महालिगम--निदेशक (गैर-सरकारी)
10 श्री के० ए० दामोदर मैनन--निदेशक (गैर-सरकारी)
11 श्री ए० सी० जोसे-निदेशक (गैर-सरकारी)
12 श्री पी० पी० उम्मरकोया-निदेशक (गैर-सरकारी)

(ग) गैरसरकारी नामित व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका यथेष्ठ अनुभव है और वे निदेशकों के बोर्ड में नियुक्त किये गये हैं क्योंकि सरकार का विचार है कि उनकी नियुक्ति शिपयार्ड के हित में है;

(घ) जी हां, माननीय सदस्य श्री सी० के० चन्द्रप्पन जिन्होंने यह प्रश्न किया है, ने शिकायत भेजी है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चित्तौड़गढ़, राजस्थान में बिक्री हेतु गला-सड़ा बाजरा सप्लाई किया जाना :

2500. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

श्री वसन्त साठे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खोद्य निगम ने चित्तौड़गढ़, राजस्थान में उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचे जाने के लिए गला-सड़ा बाजरा सप्लायी किया है।

(ख) यदि हां तो यह अनाज कितनी मात्रा में सप्लायी किया गया है और क्या यह अनाज मानव उपयोग के योग्य नहीं था,

(ग) क्या इस मामले में राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शिकायत की है, और

(घ) क्या उक्त मामले की जांच की गयी है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ :) आपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रहीं है और सूचना मिलने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये राज्यों को गेहूं का आबंटन

2501. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कर्मचारियों के लिए निश्चित विभिन्न राज्यों को गेहूं के आबंटन में निरंतर कमी होती रही है।

(ख) यदि हां, तो गत वर्षो के दौरान मासिक नियतन कितना कितना हुआ, और

(ग) क्या खाद्यान्नों की अपर्याप्त सप्लायी के कारण औद्योगिक उत्पादन में विशेषकर बिहार के इस्पात संयत्रों में विपरीत प्रभाव पड़ा है, और यदि हां, तो इन क्षेत्रों को गेहूं का अधिक नियतन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की उपलब्धता, कमी वाले सभी राज्यों की आवश्यकताओं बाजार में उपलब्धता, मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को प्रत्येक मास केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है अन्तरित वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और केन्द्रीय उसरकार किसी जिले अथवा वर्ग विशेष को न तो कोई सीधे आबंटन करती है और न ही अलग स्टाक रखती है। राज्य सरकारों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि खाद्यान्नों की अपर्याप्त सप्लायी में से औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

आर्गनिक खाद बनाने का अभियान

2502. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आयातित उर्वरक की उलब्धता में अवरोध को देखते हुए आर्गनिक खाद को बढ़ाने के स्रोतों को ढूंढ़ने का व्यापक अभियान चला रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) से (ख) : जी हां, शहरी मल, ग्रामीण कूड़े गन्दे नालों के पानी की उपयोगिता हरी खाद आदि स्थानीय सार संसाधनों के विकास के लिए राज्य की प्लान स्कीमों के रूप में अखिल भारतीय आधार पर योजना विधि में चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य को तीव्र करने के उद्देश्य से पांचवीं योजना के दौरान देश में खाद्य के श्रोतों का पता लगाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना में केन्द्रीय कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ मुख्य योजनाएं शुरू करने का विचार है जो नीचे दी गयी हैं :—

1. शहरी कूड़ा करकट से औद्योगिक खाद बनाने के लिए 45 मैकेनिकल कम्पोस्ट प्लांट स्थापित करना।

2. कृषि उत्पादन के लिए गन्दे नाले के पानी का उपयोग करना।

3. ईंधन के रूप में गैस और कृषि उत्पादन के लिए खाद तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर गैस संयत्र स्थापति करना।

4. शहरी कम्पोस्ट खाद को श्रेष्ठ तरीके से करने वाली स्थानीय निकायों को पुरस्कार देना।

5. सबसे अच्छा देहाती कम्पोस्ट तैयार करने वाली ग्रामपंचायतों को पुरस्कार देना।

6. किसानो के संघों द्वारा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन।

शहरी कम्पोस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजनावधि के अन्त तक एक साल में 75 लाख मीटरी टन कम्पोस्ट तैयार करने का विचार है। ग्रामीण कम्पोस्ट/गोवर की खाद की तैयारी के लिये पांचवी योजना का लक्ष्य 3500 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य उचित दर की दुकानों की अपेक्षा अधिक होना

2503. **श्री पी० गंगादेव:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के विभिन्न मूल्य खुले बाजार में उचित दर की दुकानों की तुलना में 20 से 40 प्रतिशत तक अधिक हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ख) : खाद्यान्नों के उत्पादन और उपलब्धता की सामान्य कमी होने के कारण खुले बाजार में चल रहे मूल्य उचित मूल्य की दुकानों की अपेक्षा अधिक हैं। उचित मूल्य की दुकानों के मूल्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य से संबंधित हैं लेकिन खुले बाजार के मूल्य मांग और सप्लायी के नियम से शासित होते हैं।

विद्यालय शिक्षा के लिए समरूप ढ़ांचा

2504. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् पांचवीं योजना काल में, विद्यालय स्तर को शिक्षा के ढांचे में समरूप लाने के उद्देश्य से नया पाठ्यक्रम लागू करने हेतु राज्यों के सहयोग से गहन कार्य शुरु करने पर विचार कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित किए गए मसौदे पर परिषद् को उन से कोई टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं : और

(ग) यदि हां तो क्या उनकी जांच कर ली गयी है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, हां,

(ख) और (ग) : कुछ राज्यों ने अपनी टिप्पणियां भेजीं थी। समिति अभी विस्तृत पाठ्यचर्या तैयार करने पर कार्य कर रही है।

अहमदाबाद में सूती कपड़ा श्रमिकों के लिये मकान

2505. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद नगर में सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिक अपनी 350 रु० मासिक वेतन सीमा के कारण आवास बोर्ड, गुजरात के मकान प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार इस वेतन-सीमा को 350 रु० से बढ़ाकर 500 रु० तक बढ़ाने का निर्णय करेगी जैसा कि श्रीनगर में हुए राज्यों के आवास मंत्रियों की बैठक में निर्णय किया गया था ; और

(क) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त एकीकृत आवास योजना के अधीन बनाए गए मकानों को केवल औद्योगिक कर्मचारियों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के पात्र व्यक्तियों को दिया जा सकता है यदि इनकी मासिक मजदूरी/वेतन 350 रु० से अधिक नहीं हो।

(ख) सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने 350 रु० प्रतिमास की वर्तमान आय सीमा को नहीं बढ़ाने का निश्चय किया है।

(ग) सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित योजना के अधीन बनाये गये सहायता प्राप्त किराया आवासों के उन व्यक्तियों को देने का है जो निम्न आय वर्ग में हैं। अतः योजना में किये गये 350 रु० प्रतिमास की वर्तमान आयसीमा के प्रावधान को बढ़ाना सम्भव नहीं पाया गया।

कांडला पत्तन पर जहाजों का उपलब्ध न होना

2506. **श्री सोम चन्द सोलंकी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन बातों का पता है कि कांडला में जहाज उपलब्ध न होने के कारण समुद्रपार क्रेताओं को वे वस्तुएं समय पर नहीं भेजी जा सकतीं जिसका ठेका किया हुआ है ?

(ख) क्या इस कठिनाई के कारण भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की आय में कमी होगी और हम समुद्रपार देशों के क्रेताओं की मुकाबला करने वाले अन्य देशों की ओर जाने से रोक नहीं सकते, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का तुरन्त क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : कांडला में जहाजों की अनुपलब्धता का उल्लेख केवल मोटे तौर से है। खास संबंधित वस्तुएं और उनके गंतव्य स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया है। कांडला में नौवहन स्थान उपलब्धता की आम स्थिति यह है कि कांडला से यू० के० महाद्वीप और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे बड़े-बड़े समुद्र पारीय गंतव्यस्थानों तक काफी नियमित नौवहन सेवा है। जहां तक दूसरे गंतव्य स्थानों का प्रश्न है। जब तक 500 से 1000 टन तक का न्यूनतम आर्थिक भार उपलब्ध नहीं किया जाता तब तक कांडला में शिपिंग लाइन्स के जाने के लिए राजी करना कठिन है।

(ग) नौवहन स्थान प्राप्त करने में पोत वाहकों की सहायता के लिये सरकार के पास नौवहन महा निदेशालय बंबई में भाड़ा जांच ब्यूरो है।

पांचवीं योजना के दौरान सरकारी फार्म स्थापित करना

2507. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकारी फार्म स्थापित करने का निर्णय किया है : और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये फार्म स्थापित किए जाएंगे तथा कब स्थापित किए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). पांचवीं योजना के दौरान भारतीय राज्य फार्म निगम ने गुजरात, बिहार, नागालैंड और मध्य प्रदेश में अतिरिक्त फार्म स्थापित करने का निर्णय किया है। ये फार्म उन फार्मों के अतिरिक्त होंगे जिन्हें निगम इस समय चला रहा है। इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

गेहूं व्यापार के सरकारीकरण को समाप्त करने का प्रस्ताव

2508. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री भारत सिंह चौहान } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं व्यापार के सरकारीकरण को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवासी के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता यूनिट के चिकित्सा बिल

2509. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता स्थित एक यूनिट में चिकित्सा बिलों की राशि थोड़ी ही अवधि में 22 लाख रुपए से बढ़कर 82 लाख रुपए हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी गई, और

(ग) क्या भारत सरकार ने मामले की जांच की है और यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन परिचालन) कलकत्ता के कार्यालय में 1970-71 से 1972-73 तक चिकित्सा सम्बन्धी दावों की प्रतिपूर्ति पर इस प्रकार खर्च हुआ :—

(लाख रुपयों में)

	अधिकारी	कर्मचारी	जोड़
1970-71	0.77	22.11	22.88
1971-72	1.26	47.04	48.30
1972-73 . .	2.78	87.98	90.76

(ख) दावेदर अधिकांशतः संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन परिचालन) के कार्यालय के श्रेणी 2,3 और 4 के कर्मचारी थे ।

(ग) निगम ने चिकित्सा संबन्धी दावों के भुगतान की कार्यविधि का पर्याप्त रूप से युक्तियुक्त करण और उसे सख्त बना दिया है । संदिग्ध दावों की निगम द्वारा छान-बीन की जा रही है और जिन मामलों में सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध प्रत्यक्षतः सबूत होते हैं उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए भेजा जाता है । भारतीय खाद्य निगम ने बिलों की छानबीन करने और भुगतान करने की विधि को भी सख्त बना दिया है और नियन्त्रण अधिकारी की ऐसे बिलों को पास करने की धनराशि सम्बन्धी सीमा नियन्त्रित कर दी गई है ।

भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का स्टाक

2510. श्री एस० एन० मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं के स्टाक में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके गोदामों में गेहूं के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) सप्लाई की स्थिति में सुधार के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम के पास पहली फरवरी, 1974 को गेहूं का कुल स्टाक लगभग 8.74 लाख मी० टन था जिसमें अन्य सरकारी एजेन्सियों के पास स्टाक सम्मिलित नहीं था । अधिप्राप्ति और आयात कर इस स्टाक को यथा संभव बढ़ाया जा रहा है ऽ

राष्ट्रीय बीज निगम जांच समिति का प्रतिवेदन

2511. श्री एस० एन० मिश्र : क्या कृषि मंत्री राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकरण के बारे में 12 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(2क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों की शिकायतों तथा इस निगम में कुप्रबन्ध के मामलों जांच की करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन का सारांश क्या है,; और

(ग) इस निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता पत्तन पर नौभरक (स्टेवेडोर) प्रणाली को समाप्त करना

2512. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को हाल ही में कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष की ओर से नौभरक (स्टेवेडोर) प्रणाली को समाप्त करने संबंधी कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त प्रणाली को समाप्त कर देने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : (क) से (ग). हमारे बड़े पत्तनों में मौजूदा नौभरण पद्धति में परिवर्तन करने के लिये जिनमें इस कार्य का राष्ट्रीयकरण भी शामिल है, सरकार को विभिन्न स्थानों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन आयुक्तों से एक नोट प्राप्त हुआ जिसमें यह सुझाव दिया गया कि अखिल भारत आधार पर गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् मौजूदा पद्धति में परिवर्तन किया जाए।

सरकार कोई निर्णय करने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

महाराष्ट्र द्वारा गेहूं के वसूली मूल्यों का पुनरीक्षण

2513. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार ने अगले मौसम से गेहूं की वसूली मूल्यों का पुनरीक्षण कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार ने 1974-75 मौसम के लिए गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य घोषित कर दिया है, हालांकि समूचे देश के लिए गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से अभी घोषित किया जाना है।

मछली पकड़ने के लिये नौकायें तथा उनका आयात

2515. **श्री बेकारिया:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की राज्यवार संख्या कितनी है ?

(ख) क्या सरकार उक्त नौकाओं के आयात पर विचार कर रही है।

(ग). यदि हां, तो क्या गुजरात में मछली पकड़ने के लिए कोई लाईसेंस जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) देश में मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नावों में बड़े मात्स्यकी जलयानों की राज्य-वार (1973-74) संख्या नीचे दे दी गयी है। तथापि, विशेषकर बड़े जलयानों के कार्य कलाप के मूल स्थान निर्धारित नहीं हैं।

राज्य	यंत्रीकृत नावें (1973-74 के अन्त में)	50-150 फुट के मछली पकड़ने वाले बड़े जलयान (केन्द्रीय मात्स्यकी संस्थानों द्वारा काम में लाए गये जलयानों को छोड़कर)	50-150 फुट के मात्स्यकी जलयान (केन्द्रीय मात्स्यकी संस्थानों से संबद्ध)
आंध्र प्रदेश .	374	2	4
गुजरात .	2000	3	1
केरल . .	1314	12	14
तामिलनाडू . .	1027	6	6
महाराष्ट्र	2918	18	6
कर्नाटक	1100	2	2
उड़ीसा .	122	4	2
पश्चिमी बंगाल . .	5	—	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	2	—	2
गोआ . .	168	3	2
लक्षद्वीप . . .	115	—	—
पांडिचेरी . .	151	—	—
	9296	50	41

(ख) से (घ), सरकार ने समिति संख्या में 23.25 मीटर और 30.35 मीटर के मछली पकड़ने के जलयानों को आयात करने के विषय में जून 1973 में एक योजना अधिसूचित की थी। इस योजना के अन्तर्गत 50 जलयानों आयात करने का प्रस्ताव है। अधिसूचना के प्रतिउत्तर में मछली पकड़ने के 208 जलयान आयात करने के लिये 69 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन-पत्रों पर सरकार विचार कर रही है।

समुद्र में मछली पकड़ना ऐसा उद्योग नहीं है जिसके लिए लाइसेंस दिये जाएं। गुजरात सरकार ने मछली पकड़ने के दो जलयान आयात करने के लिए आवेदन पत्र दिया है। इस आवेदन पर विचार किया जा रहा है और अभी तक आयात करने के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

शिक्षा तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध करना

2516. **श्री वेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा : } क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि एक कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षा तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं से सम्बद्ध किया जाना चाहिये;

(ख) क्या इस संबंध मे कोई ठोस सुझाव हैं ; और (ग) यदि हां, तो वे क्या हैं और विशेष रूप से गुजरात में उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवी योजना में कृषि-शिक्षा की योजनाओं को इस प्रकार से गठित किया जा रहा है कि ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विश्वविद्यालयों का बुनियादी स्वरूप सेवापरक रखा जाए। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जा रहा है।

(1) विद्यार्थियों को इस प्रकार का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए कि वे ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी कौशल अर्जित कर सकें।

(2) समस्यापरक और आवश्यकताओं पर आधारित अनुसंधान का नियोजन करके।

(3) राष्ट्रीय प्रदर्शन फार्म-सेवा केन्द्र इत्यादि के द्वारा विस्तार शिक्षा की गति तीव्र करके।

(ग) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि-अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार की योजनाओं बनाई हैं ।

नगरीय आवास योजना के लिये केरल को आवंटित धनराशि

2517. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल की नगरीय आवास योजना के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ख) अन्य राज्यों को आवंटित धनराशि की तुलना में यह राशि कितनी कम या अधिक है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) नगरीय आवास योजना के नाम की कोई स्कीम नहीं है। तथापि इस मंत्रालय द्वारा बनायी गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं जो सामान्यत: शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं, राज्य क्षेत्र में हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना से राज्य प्लान की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है तथा राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं तय करके उनके अनुसार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं (जिसमें आवास

योजनाएं शामिल हैं) के लिये केन्द्रीय समेकित सहायता का नियतन करने और उसे उपयोग करने के लिये स्वयं सक्षम हैं। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल के नगरीय आवास योजना के लिये कोई धनराशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल की उर्वरक की मांग

2518. **श्रीमती भार्गवी तन्नप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुल कितने उर्वरक की मांग है;

(ख) उर्वरक की इस कुल वार्षिक मांग में से कितने प्रतिशत मांग देशी उत्पादन से पूरी की जाती है तथा कितने प्रतिशत मांग आयात से;

(ग) केरल राज्य में उर्वरक की वर्तमान वितरण प्रणाली क्या है; और

(घ) क्या दोहरी वितरण प्रणाली को समाप्त करने तथा सहकारी समितियों जैसे सरकारी एजेंसी के हाथ में कुल वितरण व्यवस्था सौंपने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) क्षेत्रीय सम्मेलनों में अनुमान लगाया गया था कि खरीफ 74 (फरवरी-जुलाई-74) के लिये केरल राज्य को 21740 मीटरी टन एन, 10650 मीटरी टन पी० और 14460 मीटरी टन के० ओ० की आवश्यकता होगी।

(ख) केवल खरीफ 74 के मौसम के लिये 1974-75 के मौसम के लिये 1974-75 हेतु राज्य की मांगों और सप्लायी की योजना को अंतिम रूप दिया गया है और रबी (अगस्त-जनवरी) मौसम के के लिये योजना को मौसम के ठीक प्रारंभ होने से पहले अर्थात जून-जुलाई, 74 में अंतिम रूप दिया जायेगा तथापि, खरीफ 74 के दौरान, देशी विनिर्माताओं को राज्य की नाईट्रोजनयुक्त और फोस्फेटयुक्त उर्वरकों की कुल मांगों के लगभग 61% भाग को पूरा करना है। इन उर्वरकों की मांगों के शेष भाग को आयातों से पूरा किया जाएगा। पोटाशयुक्त उर्वरकों की सारी मांग आयातित भण्डारों से पूरी करनी पड़ेगी।

(ग) और (घ) राज्य के अन्तर्गत जो उर्वरक वितरित किये जाते हैं वे आयातित भण्डारों या देशी विनिर्माताओं से प्राप्त होते हैं। जहां तक केरल राज्य में आयातित उर्वरकों के वितरण का संबंध है राज्य सरकार को सभी पूरी मात्रा सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि के माध्यम से वितरित करने के लिए दी हैं।

इस समय राज्य में तैयार देशी उर्वरकों का वितरण आंशिक रूप से सरकारी एजेंसियों और आंशिक रूप से प्राइवेट व्यापारियों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार देशी विनिर्माताओं पर जोर देती रही है कि वे अपने उत्पादन का अधिक से अधिक भाग सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरित करें। सबसे बड़े देशी विनिर्माता अर्थात, भारतीय उर्वरक निगम के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि इस निगम को अपने उत्पादन का कम से कम 50% भाग सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरित करना चाहिए। अन्य देशी विनिर्माता भी प्रायः अपने उत्पादन का काफी भाग सरकारी संस्थानों के माध्यम से ही वितरित करते हैं।

खरीफ की फसलों से उत्पादन

2519. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान खरीफ की फसल के अनुमानत: कितना उत्पादन हुआ : और

(ख) इससे पहले के तीन वर्षों के उत्पादन की तुलना में यह उत्पादन कितना न्यूनधिक है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1973-74 के खरीफ तथा अन्य खाद्यान्नों उत्पादन के अखिल भारतीय अंतिम अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने के बाद अर्थात किसी समय जुलाई-अगस्त, 1974 में उपलब्ध हो सकेंगे। तथापि, प्रारंभिक रिपोर्टों से यह पता लगता है कि 1972-73 के खरीफ उत्पादन की तुलना में 1973-74 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन, अधिक होगा और चालू वर्ष की अवधि में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन का 670 लाख मीटरी टन का उत्पादन लक्ष लगभग प्राप्त हो जायगा।

(ख) 1970-71 से 1972-73 तक के तीन वर्षों की अवधि के खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लाख मीटरी टन
1970-71	68.92
1971-72	62.99
1972-73	57.23

गत तीन मास में केरल को खाद्यान्नों की माग तथा उसके लिये की गई सप्लाई

2520. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में केरल के खाद्यान्नों संबंधी मांग कितनी रही ;

(ख) क्या उसे उसकी मांग के अनुसार पूरी सप्लाई की गयी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस राज्य की कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई की गयी और कम सप्लायी करने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 386 हजार मी० टन।

(ख) और (ग). केन्द्रीय भण्डार की कुल उपलब्धता, अन्य राज्यों की सापेक्षा आवश्यकताओं बाजार में उपलब्धता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय भण्डार से केरल के खाद्यान्नों की सप्लाई की जाती है। पिछले तीन महीनों के दौरान केरल की खाद्यान्नों की आबंटित/सप्लाई की गई कुल मात्रा लगभग 237 हजार मीटरी टन थी।

राज्यों में खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

2521. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तामिलनाडू, तथा अन्य राज्यों में गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने का कितना-2 उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : वर्ष 1973-74 की अवधि के गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ना के उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमान तथा उनका राज्यवार ब्यौरा कृषि वर्ष समाप्त होने पर, अर्थात किसी समय जुलाई-अगस्त, 1974 में उपलब्ध होंगे। गत दो वर्षों अर्थात् 1971-72 और 1972-73 की अवधि के पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तामिलनाडू तथा अन्य राज्यों के इन फसलों के उत्पादन के अनुमान संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 6376/74]

गन्ने की फसल पर पायरेला के आक्रमण का कीटाणू नियंत्रण विधि से मुकाबला करने के प्रयोग

2522. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत में गन्ने की फसल पर पायरेला के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये वनस्पति रक्षा निदेशालय द्वारा प्रयोग में लाये गये कीटाणु नियंत्रण विधियों के अनुभव का ब्यौरा क्या है।

(ख) गन्ने की फसल की रक्षा करने के लिये अब तक प्रयोग में लाये जा रहे सामान्य रसायनों के छिड़काव की तुलना में यह तरीका कैसा है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कितने क्षेत्रों में इस तरीके का प्रयोग किया गया और इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) भविष्य में गन्ने की फसल पर पायरेला के आक्रमण को रोकने के लिये सरकार की योजना क्या है ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) गत वर्ष उत्तर भारत पर गन्ने की फसल पर पायरेला कीटों का बड़े पैमाने पर हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश और बिहार में अप्रैल और मई, 1973 में इन कीटों पर रासायनिक औषधियों से काबू पाने का काम हांथ में लिया गया था। तथापि जुलाई-अगस्त, 1974 में जब इन राज्यों की सरकारों ने गन्ने की फसल पर पायरेला के प्रकोप के जारी रहने की सूचना दी तो इसके नियंत्रण के लिये किये गये आवश्यक उपायों का जायजा लेने के लिये वनस्पति रक्षण निदेशालय और राज्य सरकारों ने सम्मिलित रूप से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पायरेला, उनके अंडे और शिशु कीटों के परिजीवी जमा हो रहे थे। इसे दृष्टिगत रखते हुए वनस्पति रक्षण निदेशालय ने पूर्वी उतर प्रदेश और बिहार में कीटनाशी रासायनिक औषधियों का निरंतर छिड़काव न करने के विरुद्ध सिफारिश की ताकि परिजीवी निर्बाध रूप से विकसित हो सके और पायरेला पर काबू पा सकें।

(ख) समान्यत: कीटों पर कीटनाशी रासायनक औषधियों के प्रयोग से काबू पाने की अपेक्षा जेवीय नियंत्रण विधि बेहतर है। पाइरेला के मामले में जेवीय नियंत्रण पाइरेला के पर-जीवियों के पर्याप्त संख्या में विद्यमान होने पर निर्भर करता है।

जुलाई-अगस्त, 1973 में एक सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया था कि परजीवी पर्याप्त संख्या में तैयार हो रहे हैं, तो रसायनिक क़ीटनाशी औषधियां न छिड़कने और जैवीय विधियों को इन पर काबू पाने देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार जुलाई, 1973 से जिस क्षेत्र पर रासायनिक औषधियों का छिड़काब नहीं किया गया और उस पर पाइरिला परजीवी नियंत्रण के लिए छोड दिया गया, उसका क्षेत्र 7.4 लाख हैक्टर था ।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वनस्पति-रक्षण संगठन पाइरिला क़ीटों और उनके परजीवियों पर निगरानी रख रहे हैं पाइरिला पर कारगर ढंग से नियंत्रण करने के लिए यदि सामान्य रूप से पाइरिला परजीवी पर्याप्त संख्या में विकसित न हुए तो इन्हें कृत्रिम रूप से वहां छोड़ने क़ी व्यवस्था करना आवश्यक हो जाएगा। इस प्रयोजन से गोरखपुर में जैबीय केन्द्र, स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर परजीवियों का पालन करके उन्हें छोड़ सक़ें। तथापि, यदि परजीवियों से पाइरिला क़ीटों पर प्राकृतिक ढंग से नियंत्रण न पाया जा सका, तो रासायनिक ढंग से नियंत्रण पाने क़ी विधि अपनाई जाएगी।

गुजरात और महाराष्ट्र में गेहूं के व्यापार को हाथ में लिया जाना निष्फल सिद्ध होना

2523. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री यमुना प्रसाद मंडल } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने क़ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य क़ी ओर दिलाया गया है कि गुजरात और महाराष्ट्र में गेहूं के व्यापार का सरकारी अधिकार लिया जाना निष्फल सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार क़ी क्या प्रतिक्रिया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) और (ख). महाराष्ट्र में गेहूं का थोक व्यापार लेने क़ी नीति चल रही है। तथापि, गुजरात सरकार ने खुले बाजार में गेहूं क़ी उपलब्धता सुधारने के लिए 31 मई, 1974 तक स्टाक क़ी सीमा रखने के बारे में गेहूं व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश क़ी कुछेक धाराओं क़ो स्थगित कर दिया है।

व्यापारी जहाजी बेडा बनाने के लिये जहाजों की खरीद

2524. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने क़ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का व्यापारी जहाजी बेड़ा बनाने के लिये जहाजों क़ी खरीद के लिये आर्डर दे दिये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इनक़ो खरीदा जायेगा तथा कितने जहाज खरीदे जाएंगे।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). जहाज क़ी जहाजी कम्पनियों द्वारा खरीद क़ी जाती है न कि सीधे सरकार द्वारा इस समय विभिन्न देश जिनके जहाजों के लिये आदेश दिये गये हैं निम्नप्रकार है :—

देशों का नाम	जहाजों की संख्या
1. बेलजियम	3
2. फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी	2
3. जर्मन लोकतंत्र गणराज्य	5
4. जापान	5
5. पोलैण्ड	1
6. रोमानिया	8
7. स्पेन	6
8. स्वीडन	2
9. यू० के०	2
10. यू० एस० एस० आर०	3
11. यूगोस्लोविया	13
कुल	53

कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य

2525. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री प्रबोध चन्द : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि को, राज्यवार, कृषि योग्य बनाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख). राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार चौथी-पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 3,24,517 हैक्टर क्षेत्र के लक्ष्य के मुकाबले में नवम्बर, 1972 तक 1,64,803 हैक्टर खेती योग्य परती भूमि का सुधार किया जा चुका है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6377/74]

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का संतुलित उपयोग

2526. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विज्ञानिकों ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के किसान नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं : और यदि हां, तो इन राज्यों में नाइट्रोजन उपयोग का अनुपात कितना है : और

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लम्बी अवधि में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से हानिकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है, इस हानिकर परम्परा को रोकने और इसके विरुद्ध किसानों को चेतावनी देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख). पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा उड़ीसा के कृषक अपनी फसलों में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वे अभी भी सिफारिश की गई मात्रा से काफी कम नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं। तथापि, एन० पी०$_2$ ओ$_5$ तथा के$_2$ ओ के उपयोग में असंतुलन है, लेकिन जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है, यह असंतुलन कम होता जा रहा है :—

राज्य	खपत का अनुपात	
	1969-70	1973-74
	एन पी$_2$ ओ$_5$ के$_2$ ओ	एन पी$_2$ ओ$_5$ के$_2$ ओ
पंजाब	23.6 : 3.4 : 1.0	12.4 : 3.7 : 1.0
हरियाणा	26.5 : 2.2 : 1.0	22.7 : 3.7 : 1.0
राजस्थान	20.8 : 5.5 : 1.0	13.1 : 2.7 : 1.0
गुजरात	12.6 : 6.3 : 1.0	10.8 : 4.7 : 1.0
उड़ीसा	5.9 : 1.6 : 1.0	5.8 : 1.6 : 1.0

राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम, दिल्ली की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2527. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम दिल्ली द्वारा धनराशि के दुर्विनियोजन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में फील्ड सम्बन्धी जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है और विचाराधीन कागजात सरकार के विचाराधीन प्रलेख निरीक्षक को 8-10-1973 को उनकी राय लेने के लिए भेजे गए थे। भारत के विचाराधीन प्रलेख निरीक्षक ने तुलना को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ और कागजातों की मांग की। तदनुसार अपेक्षित कागजात एकत्र करके कुछ अन्य प्रलेखों के साथ 15-12-73 को उनके पास भेज दिए गए थे। चूंकि अनेक विस्तृत प्रलेखों की तुलना की जानी है, अतः इस निरीक्षण को पूरा करने में कुछ समय लग जायेगा। तथापि, विचाराधीन प्रलेखों के सरकारी निरीक्षक की राय मिल जाने पर इस मामले को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

इस मामले को अंतिम रूप देने में विलम्ब इस कारण हुआ है कि जिस अधिकारी को जांच का यह कार्य सौंपा गया था वह मामले की कुछ महीने तक जांच करने के बाद एक गम्भीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हो गया था । इस प्रकार यह जांच एक अन्य अधिकारी को सौंपनी पड़ी जिसे दस्तावेजों का अध्ययन करने में कुछ समय लग गया । इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर ठहरे हुए अनेक साक्षियों से पूछ-ताछ करनी थी और कई कागजात एकत्र किए जाने थे ।

पश्चिम बंगाल के चावल मिलरों द्वारा चावल के अधिक वसूली मूल्य की मांग

2528. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के चावल मिलों ने चावल के अधिक वसूली मूल्य की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) ? (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-मान

2529. **श्री रामावतार शास्त्री**
चौधरी राम प्रकाश } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें छः महीने से भी पहले प्रस्तुत कर दी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई थीं और उनको किन शर्तों पर लागू करने के लिए सिफारिश की गई थी;

(ग) तीसरी तथा चौथी योजना की अवधि के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों और कालेजों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव लागू करने के लिए शर्तें क्या थीं; और

(घ) क्या सरकार का विचार वेतनमानों के प्रस्तावित पुनरीक्षण के संबंध में वही शर्तें लागू करने का है यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क), (ख) और (घ) विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों को परिशोधित करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें मई, 1973 में प्राप्त हुई थीं । इनकी जांच की जा रही है ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों को परिशोधित करने की योजना कार्यान्वित की । उसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं :—

(1) आयोग, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक किए गए अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत वहन करेगा।

(2) परिशोधित वेतनमान निम्नलिखित के लिए अनुमत्य नहीं होंगे :—

(क) किसी विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर ऐसे सरकारी कर्मचारी जो विश्वविद्यालय के पूरे प्रशासनिक नियन्त्रण तथा अनुशासन के अधीन नहीं हैं; तथा

(ख) यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी विश्वविद्यालय में पुनर्नियुक्त किया गया हो।

II. आयोग ने उन कालेजों को भी तीसरी योजना के दौरान आयोग की सहायता से परिशोधित वेतन-मानों को स्वीकार करने की अनुमति दे दी जो वेतन-मानों के परिशोधिन की दूसरी योजनागत योजना को कार्यान्वित नहीं कर सके थे। आयोग ने पुरुषों के कालेजों तथा महिला कालेजों पर हुए अतिरिक्त व्यय का क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत वहन करना इस शर्त पर स्वीकार किया कि बकाया राशि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/संबंधत कालेज द्वारा पूरी की जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा (2च) के अन्तर्गत लाए गए सभी कालेज सहायता पाने के हकदार होंगे।

III. 1966-71 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों के परिशोधन की योजना भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी। उसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं :—

(1) परिशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने में होने वाले अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा, जोकि 1 अप्रैल, 1966 से शुरू होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) राज्य सरकारें पूरा बकाया व्यय वहन करेंगी तथा इसकी जिम्मेदारी अथवा उसका कुछ अंश विश्वविद्यालयों अथवा प्राइवेट कालेजों के प्रबन्ध पर नहीं डालेंगी।

(3) परिशोधित वेतनमानों को 31 मार्च, 1971 के बाद बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारें अपने ऊपर लेंगी।

Demand for Increase in Allocation for House Building Advances to Middle/Low Income Groups in States

2530. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(*a*) whether any of the States has made a demand to the Central Government for increasing their allocation of funds towards house buildings in low and middle income groups advances to be given to prospective house builder in the respective States :

(*b*) if so, the extent thereof; and

(*c*) Governments reaction thereto?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (*a*) *to* (*c*) : The following social housing schemes of the Ministry of Works & Housing, under which financial assistance is admissible for construction of houses, are in the State sector :—

(*i*) Low Income Group Housing Scheme,

(*ii*) Middle Income Group Housing Scheme, and

(*iii*) Village Housing Projects Scheme.

Central financial assistance for the implementation of all the State sector scheme (including housing) is given to the State Governments in the shape of 'block loans' and 'block grants' without being tied to any particular scheme or Head of development The State have full freedom to allocate funds for the various Housing Schemes according to requirements and priorities to be determined by them.

Name Plates of Members of Consultative Committees

2531. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether the Government of India use both the languages, Hindi and English in their work;

(*b*) if so, whether the name plates of the members of the Consultative Committees constituted for various Ministries are often written in English only;

(*c*) if so, the reason for the attitude of neglect towards Hindi; and

(*d*) the reaction of Government thereto?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The name plates of Members of Parliament used at the time of the meetings of the Consultative Committees are already both in English and Hindi;

(*c*) & (*d*) The question does not arise in view of (*a*) & (*b*) above.

राष्ट्रीय प्रेस कर्मचारी, यूनियन गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली को मान्यता

2532. श्री रामावतार शास्त्री
श्री भोला मांझी : } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 14 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4442 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रेस कर्मचारी यूनियन, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली को मान्यता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी सरकार ने इस प्रश्न को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में आदेश कब तक जारी करेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : प्रेस को यूनियनों/एसोसिएशनों की सदस्यता की जांच करने के बाद निर्णय लिया जायेगा ।

वर्ष 1973 के दौरान चीनी का उत्पादन और उसका निर्यात

2533. **श्री राम भगत पासवान**
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि चालू वर्ष के उत्पादन में से लगभग 8 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 में चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ तथा कितनी चीनी का निर्यात हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन : 36.78 लाख मी० टन ।
निर्यात : 1.95 लाख मी० टन ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

2534. **श्री राम भगत पासवान**
श्री यमुना प्रसाद मंडल } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दो चीनी मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : जी हां । उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 115 के उप नियम (2) के अधीन लार्डकृष्ण शुगर मिल, सहारनपुर और अमृतसर शुगर मिल, रोहना कलां, का प्रबन्ध 10 जनवरी, 1974 को संभाल लिया था । यह इसलिए किया गया था क्योंकि चालू मौसम में इन दोनों फैक्ट्रियों ने पिराई कार्य प्रारम्भ नहीं किया था और जिससे चीनी के उत्पादन की हानि हुई जोकि समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक है ।

दक्षिण में चीनी कारखानों के मालिकों द्वारा खुले बाजार में चीनी की बिक्री पर लगी सीमा में छूट देने के लिए अनुरोध

2535. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री एम० सुदर्शनम } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के चीनी कारखाना मालिकों ने सरकार से खुले बाजार में चीनी की बिक्री पर लगी सीमा में छूट देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां,। दक्कन शुगर फैक्ट्रीज़ एसोसिएशन और साउथ शुगर मिल्स एसोसिएशन (तमिलनाडू शाखा) ने चीनी कारखानों द्वारा प्रत्येक सप्ताह बिक्री करने के बारे में सरकार द्वारा लगाये गए प्रतिबन्ध, जोकि प्रत्येक माह में निर्मुक्त खुली बिक्री की चीनी के कोटे में 20 प्रतिशत से कम न हो, में ढील देने के लिए अनुरोध किया है ।

(ख) अभ्यावेदनों पर विचार हो रहा है।

वनस्पति की कमी

2536. श्री प्रबोध चन्द्र
श्री वसन्त साठे } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि वनस्पति निर्माताओं द्वारा वनस्पति का कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : सरकार ने कभी-कभी इस आशय की रिपोर्ट अखबार में देखी है लेकिन उनमें जांच करने लायक कोई विशेष बात नहीं थी ।

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम से गेहूं और चावल की मांग

2537. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू मौसम में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आसाम में अभी तक धान और चावल की वसूली कितनी हुई है,

(ख) पिछले पांच महीनों के दौरान चावल और गेहूं भजने के लिए इन राज्यों द्वारा केन्द्र से की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र ने कितनी मात्रा में मांगों की पूर्ति की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और असम के राज्यों में चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान 28 फरवरी, 1974 तक सरकारी एजेंसियों (राज्य सरकारों समेत) द्वारा कुल चावल की अधिप्राप्त मात्रा (चावल के हिसाब से धान समेत) संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) और (ग) : पिछले पांच महीनों (अक्तूबर, 1973 से फरवरी, 1974 तक) के लिए उपर्युक्त राज्यों से गेहूं और चावल की प्राप्त मांग नीचे दी जाती है :—

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	मांग	आवंटन
पश्चिमी बंगाल	920	611
उड़ीसा	105	45
असम	125	50

विवरण

चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान 28 फरवरी, 1974 तक सरकारी एजेंसियों (राज्य सरकार समेत) द्वारा अधिप्राप्त चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की मात्रा।

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)
पश्चिमी बंगाल . .	122
उड़ीसा	135
असम	110

Applications for Milk Token Pending with D.M.S.

2538. Shri Atal Behari Vajpayee
Shri Jagannathrao Joshi } : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the number of applications against which milk tokens have not been issued by Delhi Milk Schemes;

(*b*) the date on which first application in the waiting list for milk token was received; and

(*c*) the time by which milk token will be issued to the last applicant?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (*a*) As on 31-1-74, 93,260 applications for milk tokens were pending with the D.M.S.

(*b*) & (*c*) Applications for milk tokens are registered in different categories. The latest month for which applications are pending for each category is given below :

S. No.	Category	Month of registration of oldest application
1.	(*a*) VIP I	February, 1971
	(*b*) VIP II	October, 1971
2.	Medical	February, 1972
3.	Defence	February 1972
4.	Govt. officers	October, 1971
5.	Other Govt. employees	July, 1970
6.	Special circumstances	October, 1971
7.	General	December, 1968.

The D.M.S. is presently distributing approximately 2·86 lakh litres of milk utilising 100% of its present installed capacity. Issue of milk tokens in any substantial number is, therefore, not possible at present. However, the installed capacity of the DMS is being expanded from present 3 lakh litres daily to 3·75 lakh litres daily. The expansion is expected to be completed very shortly whereafter it is expected that milk tokens will be issued by the DMS to majority of the applications who are in the waiting list.

मंत्रियों के पास परती एवं कृषि योग्य भूमि

2539. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके पास परती एवं कृषि योग्य भूमि है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक के पास विभिन्न प्रकार की कितनी भूमि है तथा वे कहां पर है और उसमें गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, हुए उत्पादन का विवरण क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : **(क) और (ख)** . एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6378/74]**।

परती भूमि का क्षेत्र और उसका वितरण

2540. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में परती भूमि के रकबे का राज्यवार ब्यौरा क्या है :

(ख) परती भूमि को वितरित करने और लोगों के सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या क्रियवाही की है; और

(ग) क्या कृषि संबंधों संबंधी टास्क फोर्स के निष्कर्षों को क्रियान्वित कर दिया गया है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन्हें क्रियान्वित कर दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) तथा (ख)** . एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6379/74]**।

(ग) कृषि संबंधी कृतिक दल की रिपोर्ट भूमि सुधार के बारे में पांचवी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का आधार समझा गया था । कृतिक दल की सिफारिशों के आधार पर योजना तैयार कर ली गई है और योजना आयोग द्वारा राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों को मार्ग-दर्शन की रूपरेखाएं भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था और सुरक्षा सुदृढ़ बनाने में समुद्रतटीय नौवहन द्वारा माल की ढुलाई की महत्वपूर्ण भूमिका

2541. **श्री घामनकर**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे समुद्र तटीय नौवहन द्वारा ढोये जाने वाले माल और टन भार की उपलब्धता की ओर उचित और शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:

(ख) क्या समुद्र तटीय टन भार में वृद्धि हो रही है अथवा कमी हो रही है, यदि वृद्धि हो रही है, तो उसकी प्रतिशतता कितनी है, यदि कमी हुई है, तो इसके क्या कारण है, और व्यापार में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं।

(ग) क्या समुद्र तटीय नौवहन संबंधी समस्याओं और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने के लिये अभी हाल में कोई समिति नियुक्त की गई थी और उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) समुद्र तटीय नौवहन का उचित तर्कसंगत आधार पर विकास करने के लिये समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कब तक विचार करने और उन्हें क्रियान्वित करने की संभावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) तटीय नौवहन भार जो स्वतन्त्रता के समय 1.19 लाख जी० आर० टी० था दिसम्बर, 1964 में बढ़कर 4.12 लाख जी० आर० टी० हो गया। इसके पश्चात यह 1-11-1973 को घटकर 1.99 लाख जी० आर० टी० रह गया। तब से टन भार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और 1-2-1974 को 2.31 लाख जी० आर० टी० था। तटीय नौवहन में कमी होने का मुख्य कारण पर्याप्त माल की दीर्घकालीन उपलब्धता के बारे में निश्चितता का अभाव था।। अब यह निर्णय किया गया है कि पांचवीं योजना के अन्त तक तटीय नौवहन के लिये प्रतिवर्ष 65 लाख टन कोयला आवंटित किया जाये अन्य माल सहित इससे तटीय नौवहन को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

(ग) नेशनल शिपिंग बोर्ड ने तटीय नौवहन सम्बन्धी विभिन्न मामलों की जांच के लिये एक उप समिति की स्थापना की। नेशनल शिपिंग बोर्ड की राय सहित इस उप समिति की रिपोर्ट सरकार को अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। नेशनल शिपिंग बोर्ड का सुझाव है कि तटीय नौवहन का सुदृढ़ अनुरक्षण एवं विकास केवल ऐसी समाकलित नीति ढांचे के आधार पर किया जाये जिसमें निम्नलिखित पहलू आते हैं :—

(1) परिचालन के लागत पर नियन्त्रण।

(2) राजस्व में स्थिरता।

(3) उपरोक्त (1) तथा (2) संबंधी भाड़ा दरों को नियत करना।

(4) प्राप्त किये जाने वाले जहाजों की प्रकार।

(5) प्राप्ति की विधि।

(6) अनुषंगी मामले।

(घ) नेशनल शिपिंग बोर्ड की राय पर सरकार विचार कर रही है।

पोषाहार निगम

2542. श्री धामनकर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पोषाहार विकास योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये पांचवीं योजना में जिस पोषाहार निगम की परिकल्पना की गई है उसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी;

(ख) यह निगम किस स्थान पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया जाना सुनिश्चित कर लिया गया है ताकि पोषाहार के लिये स्थानीय संभावनाओं का पूरा-पूरा विकास और उपयोग किया जा सके तथा पोषाहार कार्यक्रम में सुधार किया जा सके जिसके लिये पांचवीं योजना में 405 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, और

(घ) क्या प्राथमिकता के आधार पर विशेषकर, देश के लाखों मन्दपोषित बच्चों के लिये पोषाहार कार्यक्रम सम्बन्धी कोई योजनाएं आरम्भ की जायेंगी ताकि उन्हें अपेक्षित पोषक आहार मिल सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) . पौष्टिक खाद्य पदार्थ विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसमें राज्य सरकारों के सक्रिय रूप से भाग लेने की परिकल्पना की गई है।

(घ) यह निगम, जब स्थापित हुआ, तब इसकी सरकारी अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रमों की पौष्टिक खाद्य पदार्थों की विशेष आवश्यकताएं पूरी करने और जरूरतमन्द वर्गों के प्रयोग के लिए उचित मूल्यों पर पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने की भी सम्भावना है।

खाद्य पदार्थों पर कृमिनाशक तथा कीटनाशक औषधियों के उपयोग पर रोक

2543. **श्री धामनकर**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा आसानी से खरीद कर कुछ ऐसी कृमिनाशक तथा कीटनाशक औषधियों का लापरवाही से प्रयोग किया जा रहा है जोकि खाद्यान्नों को दूषित करने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं ;

(ख) क्या खाद्यान्नों, शाक सब्जियों, दूध और जल पर उनके प्रभाव का पता लगाने हेतु, प्रयोग किये गये हैं और विश्लेषण किया गया है ताकि उनके प्रयोग पर प्रभावी रोक तथा नियन्त्रण लगाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पूर्वोपाय किए गए हैं कि मानव उपभोग के लिये दिए जाने वाले खाद्यान्न और शाक-सब्जियां सुरक्षा तथा सहन सीमाओं के भीतर हों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) कीटों, रोगों, खरपतवार, चूहों आदि पर काबू पाने के लिए देश के किसान काफी मात्रा में कीटनाशी औषधियों का (जिनमें कृमिनाशी औषधियां भी शामिल हैं) प्रयोग कर रहे हैं। कीटनाशी औषधियों का विपणन राज्यों के कृषि विभागों, सहकारी समितियों और गैर-सरकारी व्यापारियों के डिपुओं के माध्यम से किया जाता है। प्रायः रसायनों का प्रयोग सावधानी से किया जाता है।

(ख) चुनी हुई संस्थाओं व संगठनों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की देखरेख में अनाजों, अन्डों, शाक-सब्जियों आदि खाद्य वस्तुओं का सीमित तथा तदर्थ आधार पर सैम्पलिंग और विश्लेषण किया जाता है। इन विश्लेषणों से कीटनाशी तथा कृमिनाशी औषधियों के अवशिष्ट की मौजूदगी का पता चला है। वर्ष 1965-71 तक

की अवधि में विश्लेषण किए गए 924 नमूनों में से 228 नमूनों में डी० डी०टी०, बी०एच०सी० और मालाथियों के कीटनाशी अवशिष्ट मौजूद पाये गए हैं । अधिकांश नमूनों में कीटनाशी औषधियों के अवशिष्ट उतनी ही मात्रा में पाए गए जितनी के लिए खाद्य मिलावट नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत उनके मिलाने की अनुमति दी गई थी।

(ग) स्वास्थ्य तथा परिवार योजना मंत्रालय द्वारा लागू किए गए खाद्य मिलावट अधिनियम में खाद्य वस्तुओं में कीटनाशी औषधियों के अवशिष्टों के लिए सहन सीमा निर्धारित की गई है । कृमिनाशी औषध अधिनियम के अन्तर्गत कृमिनाशी औषधियों के प्रयोग के तरीकों के बारे में भी निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है। राज्य और केन्द्रीय सरकारों की विस्तार एजेन्सियों के माध्यम से किसानों को भण्डारण तथा खेतों में कीटनाशी औषधियों के ठीक-ठीक प्रयोग के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। कीटनाशी औषधियों के उचित प्रयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रदर्शनों के अतिरिक्त पोस्टर, इश्तहार भी नियुक्त किए जा रहे हैं । सरकार ऐसी कीटनाशी औषधियों की सिफारिश करने के प्रयत्न कर रही है जिनका तत्कालिक प्रभाव पड़ सके ।

कृषि उत्पादों का निर्यात

2544. **श्री० पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में इस वर्ष निर्यात मूल्यों और वसूली में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) हमारे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का लाभ उठाने के लिये कृषि निर्यात को नियमित करने के लिए किन कार्यवाहियों पर विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है ।

आमों के विपणन के लिये रेल परिवहन की आवश्यकता

2545. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में आमों की फसल होने की संभावना को देखते हुए बिना किसी हानि और बरबादी के पूर्ण तथा कुशल विपणन के लिये रेल परिवहन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है; और

(ख) क्या सरकार इस दिशा में उचित व्यवस्था करने के लिये रेलवे से इस मामले पर विचार करने के लिये तैयार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) . विभिन्न रेलें अलग-अलग जिंसों के उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में रेल परिवहन की आवश्यकता का जायज़ा संबंधित निकायों के साथ समय-समय पर परामर्श करके लेती हैं। इन जिन्सों में आम भी शामिल हैं। अभी विभिन्न राज्यों में आम की फसल का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकना कठिन है। इस संबंध में समुचित व्यवस्था करने के प्रश्न को रेलवे के साथ उठाया गया है।

राज्यों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु गला-सड़ा बाजरा और अन्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई

2546. **श्री वीरभद्र सिंह**
श्री एम० एस० संजीवीराव } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों ने राज्यों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु गला-सड़ा बाजरा तथा अन्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई की है, और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से शिकायत की है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों में खराब किस्म का गेहूं बेचने की जिम्मेदारी

2547. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली में उचित दर की दुकानों में खराब किस्म का गेहूं बिकने के लिये नागरिक संभरण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उत्तरदायी है, और

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 'नृत्य' विषय रखा जाना

2548. **श्री मूल चन्द डागा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 'नृत्य' एक पूर्ण विषय के रूप में रखा गया है और यदि हां, तो किस सत्र से;

(ख) गत तीन वर्षों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में नृत्य सिखाने के लिये कितने अध्यापक नियुक्त किये गये हैं तथा उनके लिए क्या न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं ;

(ग) ऐसे कनिष्ठ नृत्य अध्यापकों की संख्या कितनी है जिनकी अर्हताएं नए नियुक्त अध्यापकों के समान है परन्तु वे उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ा रहे है और 165-350 रुपये का ग्रेड ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी टी०जी०टी०/पी०जी०टी० वेतनमान न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां, 1972-73 वर्ष से एक स्कूल में।

(ख) 1973-74 के शैक्षिक सत्र के मध्य से केवल एक अध्यापक की नियुक्ति की गई थी, किन्तु उनको प्राथमिक कक्षाओं में शौकिया (हावी) नृत्य सिखाने के लिये नियुक्त किया गया है और उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं पढ़ाने के लिए पहले किया गया प्रबन्ध जारी है।

निर्धारित न्यूनतम योग्यता, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (4 वर्षीय पाठ्यक्रम) से नृत्य में डिग्री है ।

अथवा

मान्यताप्राप्त संस्थान (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) से नृत्य में डिप्लोमा।

(ग) केवल एक ।

(घ) वेतनमान उस ग्रेड में दिया जा रहा है जिसमें नियुक्ति की गई थी। कोई अन्य वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठता।

Construction and Development of Roads in Rajasthan during the Fifth Five Year Plan

2549. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the amount sanctioned to Rajasthan State for the construction and development of roads during the Fifth Five Year Plan indicating the names thereof separately as also the names of the roads which will be completed during this plan?

Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : Since the Fifth Five Year Plan is still in a preparatory stage, it is premature to give an idea of the programme of works.

Legislation to Prevent New Slums in the Country

2550. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(*a*) whether Government are proposing to enact any legislation to prevent the increase of new slums in the country; and

(*b*) whether the matter was discussed in the last meeting of the Housing Ministers of the States?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (*a*) & (*b*). No, Sir.

Voluntary Organisations Engaged in Social Welfare Work

2551. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(*a*) the present number of voluntary organisations in each State in the country engaged in social welfare work with the financial assistance received from the Central Government indicating the nature of work being done by them as also the annual amount of financial assistance received by these organisations during 1973-74; and

(*b*) the amount allocated for these voluntary organisations during the Fifth Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (*a*) *and* (*b*) . In the field of welfare of the weaker sections of our society, the voluntary organisations in this country have played a very significant role. The approach of Social Welfare Department has, therefore, been to closely associate the voluntary sector in the administration of the welfare services. Thus, the information asked for would cover thousands of institutions. The financial assistance given to these voluntary organisations operating in the field of welfare is dependent on the capacity of individual organisations to render

the desired services. Even during the Fifth Plan period the attempt would be to increasingly associate the voluntary sector in the implementation of the welfare programmes admitted for inclusion in the Fifth Plan.

खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि

2552. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि दिसम्बर, 1973 में उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप चीनी का मूल्य खुले बाजार में बहुत अधिक बढ़ गया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्पादन शुल्क प्रति क्विंटल केवल 19 रुपये 50 पैसे पड़ता है जबकि वास्तविक वृद्धि उत्पादन शुल्क लगाए जाने से पहले वाली प्रचलित कीमतों में 25 से 50 रुपये तक हुई है,

(ग) क्या खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के संबंध में कोई 'स्वैच्छिक' मूल्य समझौता हुआ है,

(घ) क्या इस समझौते को कार्यरूप नहीं दिया गया और इसका उपयोग केवल खुले बाजार में ऊंचे मूल्य पर बिकने वाली चीनी से प्राप्त होने वाली आय पर आयकर बचाने के उद्देश्य के लिए किया जाता है, और

(ङ) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि और करापवंचन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : **(क) और (ख)** : जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

चम्बल नदी पर पुल का टूट जाना

2553. **श्री मधु लिमये**
श्री जगन्नाथ राव जोशी } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 3 पर चम्बल नदी पर पुल था जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने उदघाटन किया था, तब उसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ पुलों में से एक बताया गया था,

(ख) क्या उक्त के टूट जाने के क्या कारण थे,

(ग) इस पुल के टूट जाने के क्या कारण थे,

(घ) क्या पुल बनाने के स्थान पर भूमि और चट्टानों संबंधी स्थिति का उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था, और

(ङ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि यह राजमार्ग देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रागमार्गों में से एक है, इस पुल का फिर से निर्माण किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग चम्बल नदी के ऊपर देश में सबसे ऊंचा निम्मजक समझे जाने वाला पुल का श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15-3-1960 को उद्घाटन किया गया ।

(ख) जी नहीं । 24-2-1973 को इसके एक पाये के लगभग दो फुट धस जाने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया । बाद में पुल के 2434 फुट लंबाई में लगभग 572 फुट पुल का मवलित सीमेन्ट कन्क्रीट मेहरावी पाट 23-4-1973 की रात को गिर गया ।

(ग) से (ङ) विशेषज्ञों की तकनीकी समिति नियुक्त की गई है जो पुल के गिर जाने के कारण की जांच करेगी और यह सुझाव देगी कि क्या वर्तमान पुल की मरम्मत की जा सकती है या क्या नया पुल बनाना जरूरी होगा । समिति की अपनी रिपोर्ट शीघ्र देने की संभावना है । उसके बाद मौजूदा पुल के भाग के पुनर्निर्माण के कार्य या नये पुल के निर्माण पर विस्तृत डिजाइन परियोजना इत्यादि तैयार करने के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

कृषि उत्पादन पर तेल की कीमतों का प्रभाव

2554. **श्री मधु लिमये**
श्री एम० एम० संजीवीराव } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कृषि उत्पादन पर तेल की कीमतों के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है :—

(ख) क्या उत्पादन तथा उर्वरकों के प्रयोग तथा कीटनाशक औषधियों के प्रयोग तथा विशेषकर ट्रैक्टरों और तेल इंजनों के लिए डीजल तेल की उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) कृषि उत्पादन पर तेल की बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव के संबंध में अभी कोई वृद्धि वृहत अध्ययन नहीं किया गया है ।

रासायनिक उर्वरकों तथा वनस्पति-रक्षण रासायनिकों के उत्पादन के लिए पैट्रोलियम उत्पादों का पोषक तत्वों के रूप में उपयोग किया जाता है । ट्रैक्टर, हारवेस्टिंग कम्बाइन तथा पावर टिलरों के लिए हाई स्पीड डीजल तेल का उपयोग किया जाता है । विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई नहीं होती या बिजली पर्याप्त उपलब्धि नहीं होती, डीजल पम्पों को चलाने के लिए हाई स्पीड तथा लाइट डीजल आयल का भी उपयोग किया जाता है । देशी उर्वरक संयंत्रों के लिए पैट्रोलियम पर आधारित पौष्टिक तत्वों की सप्लाई बनाई रखी जा रही है और जब तक इसमें कटौती करना आवश्यक नहीं समझा गया तब तक उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । तथापि, उर्वरकों का निर्यात करने वाले देशों को पैट्रोलियम की कम सप्लाई होने के कारण विदेशों से होने वाली रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ा है । उर्वरकों की कम उपलब्धि का हमारे कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । जहां तक कीटनाशक औषधियों पर प्रभाव पड़ने का संबंध है, कुछ क्षेत्र इस बात के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि कीटनाशी औषधियों के निर्माण के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की सुनिश्चित सप्लाई की व्यवस्था को बनाये रखा जाना चाहिए । जहां तक ट्रैक्टर तथा पम्प सेटों आदि के लिए हाई स्पीड तथा लाइट

डीजल तेल का संबंध है, परिवहन की कठिनाइयों के कारण सप्लाई में कुछ अनियमतताएं अवश्य हुई हैं। फिर भी कृषि मशीनरी तथा उठाऊ सिंचाई के लिए सप्लाई जारी रखी जा रही है। तथापि, कृषि मंत्रालय इस संबंध में पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों से सम्पर्क रख रहा है। देश में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां मांग अधिक है, डीजल तेल की उपलब्धि तथा उनकी सप्लाई पर निगाह रखने के लिए पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

आगामी रबी मौसम में गेहूं का व्यापार सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

2555. **श्री मधु लिमये : क्या कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं का व्यापार सरकारी नियंत्रण में लेने की अपनी नीति को आगामी रबी-मौसम में जारी रखेगी,

(ख) क्या राज्य स्तर पर गेहूं की खरीद पर एकाधिकार होगा अथवा क्या यह निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया जायेगा,

(ग) क्या आगामी फसल के लिये गेहूं के वसूली मूल्य/समर्थन मूल्य अखिल भारतीय आधार निर्धारित कर दिये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). आगामी रबी मौसम '1974-75) के लिए अधिप्राप्ति मूल्य समेत अधिप्राप्ति नीति को 16-3-1974 को नई दिल्ली में होने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जायेगा।

1974-75 के रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं का गारन्टी-बद्ध साहाय्य मूल्य देशी लाल किस्म के लिए 80 रुपये प्रति क्विंटल और देशी साधारण सफेद और मैक्सिकन किस्मों का 85 रुपये प्रति क्विंटल, निर्धारित किया गया है।

बागानों तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए बौछारी सिंचाई (स्प्रिंकलर इरीगेशन)

2556. **श्री मधु लिमये : क्या कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के जल-संसाधनों की बचत करने की दृष्टि से देश में बौछारी सिंचाई आरम्भ की गई है ;

(ख) क्या चाय तथा काफी बागानों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त इसमें अन्य क्षेत्रों में बहुत कम प्रगति हुई है ;

(ग) क्या रुई तथा मूंगफली जैसी अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिये इसे आरम्भ करने की व्यवहार्यता का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्वेषण के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : **(क)** तथा **(ग)** . छिड़काव सिंचाई का सीमित पैमाने पर परीक्षण किया जा रहा है। इसका बड़े पैमाने पर उपयोग के सम्बन्ध में मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं है।

(ग) जी हां ।

(घ) छिड़काव सिंचाई जल उपयोग की एक अधिक कारगर पद्धति है । छिड़काव सिंचाई से उपलब्ध होने वाले सीमित जल की सहायता से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होती है। परन्तु बड़े पैमाने पर अपनाने के लिये अभी इसकी आर्थिक उपयोगिता का मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के प्रशिक्षकों को लाभ

2557. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के प्रशिक्षकों को, जिन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में प्रवेश किया है, केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सभी लाभ देने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). यह पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के जिन प्रशिक्षकों ने राज्य सरकार सेवा में प्रवेश किया है वे निम्नलिखित लाभ पाने के हकदार होंगे ।

(i) केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा, राज्य वेतनमानों में वेतन निर्धारण तथा सेवा निवृत्ति लाभों के लिये शामिल की जाएगी ।

(ii) इन प्रशिक्षकों को राज्य सेवा में खपाते समय उन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन मिलने वाले वेतन तथा भत्ते सुरक्षित रखे जाएंगे ।

(iii) ऐसे प्रशिक्षक जो ऊपर II में बताए अनुसार अपना वेतन सुरक्षित किए जाने पर संबंधित राज्य वेतनमानों में वेतन वृद्धि अर्जित नहीं कर पा रहे हैं उन्हें उनका वर्तमान केन्द्रीय वेतनमान जारी रखने का विकल्प दिया जाए और उनके वर्तमान केन्द्रीय वेतनमानों के बराबर वेतनमानों में राज्य केडर में विशेष पद बनाए जाएं। किन्तु केन्द्रीय वेतनमान में होने वाला कोई भावी परिशोधन, जोकि इस वेतनमान के बराबर ही होगा, ऐसे व्यक्तिगत वेतनमानों को प्रभावित नहीं करेगा ।

प्रतिनियुक्तियों पर आये कर्मचारियों के कारण भारतीय खाद्य निगम में फालतू कर्मचारी

2558. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में लगभग 7,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों को फालतू घोषित किये जाने का एक कारण यह भी है और यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर आये इन कर्मचारियों को उनके मूल कार्यालयों में वापस न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार से भारतीय खाद्य निगम में कार्य के साथ आए 4774 कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य प्रतिनियुक्तों की संख्या केवल 539 है । इन में से अधिकांश संचलन, लेखा, रेलवे-दावे आदि जैसे विशेषीकृत कार्यों को

करने वाले हैं और इसलिए उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है। प्रतिनियुक्तियों के होने के कारण कर्मचारियों को फालतू घोषित नहीं किया गया था।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन

2559. **श्री एस० एम० बनर्जी**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अग्रेतर संशोधन किए जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन किए जाएंगे; और

(ग) क्या परिषद् इन संशोधनों से सहमत हो गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों को कथित दत्तक बना कर ले जाने वाला गिरोह

2561. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि दत्तक बनाने सम्बन्धी सामान्य कानून के न होने से (हिन्दुओं के अतिरिक्त) भारतीय बच्चों को भारत से बाहर ले जाया जाता है और बेईमान व्यक्ति गार्जियन्स एण्ड वार्ड्ज़ एक्ट, 1890 के अन्तर्गत कानूनी व्यवस्था का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

(ख) क्या देश के कुछ वकील भी इस गिरोह में शामिल हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस गिरोह की जांच करने का है और यदि हां तो वह जांच किस प्रकार की होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नौवहन का विकास

2562. **श्री सी० जनार्दनन**

श्री एम० कतामुतु : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाज सेवा देश के विदेशी व्यापार के साथ बराबरी नहीं कर रही हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) सम्पूर्ण समुद्रपार व्यापार में भारतीय जहाजों ने कुल कितना माल ढोया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) देश के बढ़ते हुये व्यापार की मदद करने के लिये राष्ट्रीय नौवहन टनभार को बढ़ाना पड़ा है। इस समय परिचालनात्मक टनभार 30.17 लाख जी० आर० टी० है और 21.97 लाख जी० आर० टी० के लिये क्रयादेश दिया गया है। पांचवीं योजना के लिये प्रस्तावित लक्ष्य 86.40 लाख जी० आर० टी० है इससे हम कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादन में अपने समुद्रपारीय व्यापार का 100 प्रतिशत जापान को लोह अयस्क के निर्यात का 50 प्रतिशत यूरोप को 100 प्रतिशत लोह अयस्क निर्यात और लाइनर व्यापार का लगभग 50 प्रतिशत वहन कर सकेंगे।

(ग) 1972-73 के दौरान भारतीय नौवहन ने भारत के समुद्र भारतीय व्यापार का 18.9 प्र० श० वहन किया।

आयातित उर्वरक में केरल का भाग

2563. **श्री सी० जनार्दनन**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक का आयात करने का है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कोई भाग केरल राज्य को अलाट किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). जी हां।

आयातित उर्वरकों का एक भाग केरल राज्य को आवंटित किया जायेगा।

भूमिहीन श्रमिकों को सरकारी खाली भूमि में बसाना

2564. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूमिहीन श्रमिक परिवारों को 28 फरवरी, 1974 तक सरकारी खाली भूमि में बसाया गया है तथा कहां-कहां बसाया गया है; और

(ख) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के परिणामस्वरूप सरकार को प्राप्त भूमि पर कितने भूमिहीन श्रमिक परिवारों को बसाया गया है तथा राज्यवार उसके आंकड़े क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). दो विवरण सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-6380/74]**

पांचवीं योजना में कृषि के लिए नियत की गई धनराशि

2565 : **श्री विक्रम महाजन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में कृषि के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) क्या पांचवीं योजना के अन्त तक कृषि उत्पादन में देश के आत्मनिर्भर हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि के लिए 4935 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र में 2,681 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी है, जिससे कृषि को सीधे लाभ पहुंचेगा।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित खाद्यान्नों के निर्धारित लक्ष्यों के पूरा होने से न केवल देश इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो जायेगा, बल्कि इससे सुरक्षित भण्डार बना सकने में भी मदद मिलेगी। जहां तक वाणिज्यिक फसलों का प्रश्न है, पांचवीं योजना में इनके विकास का लक्ष्य ऐसा रखा गया है कि देश की आवश्यकताएं पूरी करने के अतिरिक्त निर्यात की आवश्यकताएं भी पूरी की जा सकें।

केन्द्र द्वारा सड़कों के लिये दिये गये ऋणों और राज सहायता के राज्यवार आंकड़े

2566. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा सड़कों के लिये राज्य क्षेत्र में (एक) 1971-72 (दो) 1972-73 और 1973-74 से फरवरी, 1974 के अन्त तक दिये गये ऋणों और राज सहायता के राज्यवार आंकड़े क्या है,

(ख) क्या राज्यों को ऐसे ऋण अथवा राज सहायता देने के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) राज्य क्षेत्र में सड़कों के लिये किसी सदृष्ट योजना ऋण सहायता राज सहायता के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़क के कुछ चुने हुये वर्गों के लिये कुछ ऋण सहायता राज सहायता की व्यवस्था है। योजनावार अपेक्षित सूचना देने वाले सात विवरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गए देखिये संख्या एल० टी० 6381/74**]

(ख) जी हां।

(ग) धन की उपलब्धता के अनुसार केन्द्रीय ऋण सहायता की व्यवस्था उन कुछ चुनी हुई सड़क पुल योजनाओं के लिये की जाती है, जोकि या तो अन्तर्राज्यीय महत्व की है या जोकि उनके द्वारा सेवित क्षेत्र के द्रुतगति से आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त सीमित अनुदानों आवंटनों द्वारा कुछ धन की व्यवस्था की केन्द्रीय सड़क निधि से ऐसी परियोजनाओं के लिये की जाती है। इसके अलावा कुछ विशेष सड़क पुल परियोजनाओं के लिये कुछ अनुदानों की भी व्यवस्था की जाती है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

2567. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है,

(ख) वे किन किन क्षेत्रों से होकर जाते हैं और उनकी लम्बाई कितनी है, और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनमें से प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस प्रकार और कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). महाराष्ट्र में और वे इलाके जिनसे विभिन्न राजमार्ग गुजरते हैं, को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है। महाराष्ट्र में राजमार्ग की कुछ लम्बाई 2861 कि० मी० है।

(ग) चूंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है अतः कार्यों के आर्यक्रम के बारे में कुछ बताना समय पूर्व होगा। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6382/73)**

विदेशों में इंजीनियरों के प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्तियां

2568. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में छात्रवृत्तियों के लिए सरकार ने हाल ही में आवेदन-पत्र मांगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियों की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या इन छात्रवृत्तियों के लिए किन्हीं प्रत्याशियों का चयन किया गया है; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो चयन कब किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) से (घ). ब्रिटिश उद्योग महासंघ, लन्दन ने वर्ष 1974 में ऐसे प्रौढ़ इन्जीनियरों के लिए चार छात्रवृत्तियों की पेशकश की थी जिन्हें 4-12 महीने के विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और जिन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित किया जाता है। शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रिकों और सिक्किम के राष्ट्रिकों से खुले विज्ञापन द्वारा इन छात्रवृत्तियों के लिए नवम्बर, 1973 में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे।

उक्त छात्र वृत्तियों की पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं —

(1) कम से कम द्वितीय श्रेणी में इन्जीनियरिंग डिग्री अथवा इंजीनियरिंग में समकक्ष डिप्लोमा।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात् कम से कम पांच वर्ष का उद्योगकीय व्यवहारिक अनुभव ।

(3) 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं।

इस प्रायोजन के लिए गठित चयन समिति ने इन छात्रवृत्तियों के लिए विद्यार्थियों का यथाविधि साक्षात्कार लिया था और इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर छः विद्यार्थियों के नाम दाता संगठन को मनोनीत किए गए थे। इन छात्रवृत्तियों के लिए की गई पेशकश की शर्तों के अन्तर्गत, अन्तिम चयन ब्रिटिश उद्योग संघ द्वारा उपलब्ध स्थानों के आधार पर किया जाएगा। अन्तिम चयन अगस्त/सितम्बर, 1974 में किसी समय होने की संभावना है जब अन्तिम रूप से अनुमोदित छात्रों के नाम अधिसूचित किए जाएंगे ।

मोटे अनाज की बिक्री, खरीद तथा लाने-ले जाने पर रोक

2569. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों की किन किस्मों को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है, और

(ख) 24 जनवरी, 1974 से पूर्व इन मोटे अनाजों की बिक्री, खरीद तथा लाने ले जाने पर किस प्रकार की रोक लगाई गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, जो और छोटी मिलेट मुख्यतया मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6383/74]**।

हल्दिया पत्तन का निर्माण कार्य पूरा होना

2570. **श्री रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पत्तन का निर्माण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ख) विलंब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) हल्दिया परियोजना के भाग के रूप में तेल पोतों के वहन के लिये तेल घाट अगस्त, 1968 में पूरा होगा और चालू कर दिया गया। मौजूदा संकेतों के अनुसार हल्दिया गोदी पद्धति के 1974 के उत्तरार्द्ध में चालू किये जाने की संभावना है।

(ख) हल्दिया गोदी पद्धति देश में अपने किस्म की एक ही पद्धति है और भारतीय इंजीनियरों और विशेषज्ञों के द्वारा ही उसकी सारी योजना डिजाइन बनाए गये हैं और वही उसका निष्पादन कर रहे हैं। हल्दिया जैसे विस्तार और आयाम वाली परियोजना के लिये स्वाभाविक विभिन्न तकनीकी और अन्य समस्याओं और उनकी सभी पेचीदगियों के साथ वे निपटाने आ रहे हैं। इनमें से कुछ थी—विस्तृत जल सर्वेक्षणों के बाद निर्धारित गहननर डूबावों की प्रत्याशित उपलब्धता के आधार पर लाक के आयाम में परिवर्तन, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले किये जा रहे गहरे खुदाई कार्य के लिये गोदी पद्धति में लाक प्रवेश पर जल की सतह को नीचे करने में कठिनाइयां, इस्पात और सीमेन्ट की सामान्य कमी, निर्माण सामग्री के लाने ले जाने के लिये वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई श्रम की कम उत्पादकता और प्रतिवर्ष कार्य समय की उपलब्धता में काफी कमी के लिये जिम्मेदार वर्षा ऋतु के दौरान कार्य स्थितियों में प्रत्याशित कठिनाइयां और कुछ देशी निर्माताओं द्वारा संयंत्र और उपकरण की सप्लाई में देरी है तकनीकी समस्याओं के हल करने और सीमेन्ट इस्पात 2 वैगनों आदि की कमी को दूर करने के लिये प्रत्यन किये गये हैं।

कृषि के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2571. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को विशेष कृषि सहायता के लिये कोई धनराशि दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कुल धनराशि कितनी है और उसका राज्यवार व्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). प्रत्यक्षत: इस प्रश्न का सम्बन्ध 1972-73 के दौरान आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम आदि विशेष कृषि कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता है। 1973-74 के दौरान ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया से है।

कलकत्ता बस्ती विकास परियोजना के लिये निधि

2572. **श्री सरोज मुखर्जी**
श्री राम सहाय पांडे } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बस्ती विकास परियोजना के लिए धन जुटाने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं :

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का निर्माण और आवास विभाग बृहत् कलकत्ता के विकास के लिए खर्च की जा चुकी 11 करोड़ रुपये की रकम अदा करने से इन्कार कर रहा है जबकि अन्य नगरों के ऐसे विकास पर खर्च की गई समूची राशि केन्द्रीय सरकार ने ही दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) से (ग). 1972-73 तक, कलकत्ता की बस्ती सुधार योजना के लिये 7.83 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। 2 करोड़ रुपए की और राशि देने के आदेश हाल ही में जारी किए गए हैं।

पटसन की खेती के अधीन अतिरिक्त भूमि

2573. **श्री पीलू मोदी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कई हजार हेक्टेयर अधिक भूमि में पटसन की खेती कराना चाहता है।

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त भूमि पर यह खेती की जायेगी; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितना पटसन और उपलब्ध होगा और इससे क्या निर्यात द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा की आय होगी और यदि हां, तो इस बारे में कितनी आय होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). पांचवीं योजना के अन्त तक बहु-फसली कार्यक्रम के अन्तर्गत 80,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में पटसन की खेती करने का विचार है। इससे पांचवीं योजना के अन्त तक लगभग 6 लाख अतिरिक्त गांठों का उत्पादन उपलब्ध होने की संभावना है।

भारत कच्चे पटसन का प्रमुख निर्यातकर्त्ता नहीं है। भारत मुख्य रूप से तैयार माल का निर्यात करता है। तथापि, इससे कच्चे पटसन के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी और पटसन उद्योग के लिए कच्चे माल की सप्लाई बढ़ेगी।

कलकत्ता में सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि

2574. **श्री पीलू मोदी**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता तथा आस-पास के उपनगरों में सरसों के तेल के भाव 10.50 रुपये प्रति किलो से बढ़ जाने की समाचार की ओर दिलाया गया है जो वृद्धि अभूपूर्व है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, । सरकार को कलकत्ता तथा देश के अन्य केन्द्रों में इसकी ऊंची कीमतों की जानकारी है।

(ख) तिलहनों तथा तेलों के मूल्यों में दृढ़ता की प्रवृत्ति सारे देश में है और इसके कारण 1972-73 में तिलहनों की अच्छी फसल न होने के कारण पिछले स्टाक का कम होना, सट्टेबाजी और जमाखोरी तथा आम मूल्यों में वृद्धि है। सरसों के तेल की उपलब्धि में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें वनस्पति घी बनाने के लिए पहले सरसों के तेल के उपयोग में कटौती करना और इसके बाँद इसे बिलकुल बन्द कर देना, वनस्पति कारखानों द्वारा परिष्कृत तेल के उत्पादन पर नियंत्रण भी शामिल है। यह नियंत्रण उनके पिछले उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए लगाया गया है, जिसका अर्थ है इन कारखानों द्वारा परिष्कृत सरसों के तेल के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना। इसके साथ-साथ देश में अन्य तिलहानों के साथ साथ सरसों और तोरिया के उत्पादन की वृद्धि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और तोरिया तथा तोरिया-तेल के आयात की भी व्यवस्था की गई है।

Bridge Over the Chambal River

2575. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(*a*) the amount of loans and assistance given by the Central Government to the State Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh so far, for the construction of the proposed bridge over the Chambal river linking Sheopur in Morena District of Madhya Pradesh and Sawai Madhopur in Rajasthan;

(*b*) the Government's future scheme in regard to construction of the bridge; and

(*c*) the details of the report submitted to the Government by the State Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (*a*) *to* (*c*) . A loan assistance of Rs. 70 lakhs was approved for the construction of the proposed bridge over the Chambal river on the Sheopur-Sawai Madhopur Road under the Central Aid Programme of State Roads of inter-State or economic importance in the 4th Plan, and this loan was to be shared by the Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan on a 50: 50 basis. The actual execution of the work has however to be undertaken by the Rajasthan PWD. Sometime back the Rajasthan Government intimated that the cost of this bridge project as also of certain other schemes included in the aforesaid approved Central Aid Programme pertaining to Rajasthan had gone up from Rs. 190 lakhs to Rs. 350 lakhs in view of rise in rates of material, labour wages, design requirements, etc. and wanted the loan assistance to be increased accordingly. Since this was not found feasible, the Rajasthan Government have suggested a revision in the programme so as to limit it upto the available loan of Rs. 190 lakhs. The revised proposal does not include the Chambal bridge project. The Government of Rajasthan however want this project to be considered for loan assistance in the 5th Plan. A view on the Rajasthan Government s proposal has yet to be taken in consultation with the Planning Commission and the Ministry of Finance. It is, therefore, not possible at this stage to indicate their reaction. It is also premature to indicate the position regarding the 5th Plan at this stage as it is still in the preparatorystage.

Waiting List for Allotment of Government Accommodation

2576. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(*a*) the number of Government employees in the waiting list for allotment of Government accommodation;

(*b*) the number of persons allotted Government accommodation and the years upto which various categories of employees have been allotted such accommodation; and

(*c*) the steps taken by Government to provide the housing facilities to the maximum number of persons?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (*a*) & (*b*) The Ministry of Works and Housing deals only with general pool accommodation and not with accommodation controlled by other Ministries/Departments, such as Defence, Railways, P. & T., etc. Accommodation in the general pool at present exists in 9 cities. A statement showing the number of Central Government employees waiting for allotment of accommodation, the number of those allotted Government accommodation and the years upto which various categories of employees have been allotted accommodation is attached. [*Placed in the Library See No. LT—6354/74*]

(*c*) For want of funds and other resources, it may not be possible to build more quarters in the general pool in the near future.

Scheme for Cheaper Coarse Grains to the Poor

2577. Shri B. S. Chowhan
Shri Khemchandbhai Chavda } : Will the Minister of **Agriculture be pleased to state :**

(*a*) whether till 1960, the poor labourers, farmers, and other people lived on coarse grains such as millet, barley, gram, maize and pearl millet which were cheaper than wheat;

(*b*) if so, the scheme formulated by Government to make available coarse grain to that poor section of people at rates cheaper than that of wheat; and

(*c*) the time by which it will be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (*a*) *to* (*c*) Coarse-grains continue to be the staple food of certain sections of the population. These are also distributed through the Public Distribution System in States where they are consumed. The Central issue price of coarse-grains have always been fixed at levels lower than the issue price for wheat.

सार्वजनिक नौवहन कंपनियों द्वारा माल ढुलाई सेवा

2578. श्री मधु दण्डवते : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की उन नौवहन कम्पनियों के नाम क्या है जो माल ढुलाई सेवा करती हैं, और

(ख) इस माल ढुलाई सेवा के मार्ग क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया तथा मुगल लाइन लि० सरकारी क्षेत्र में दो जहाजी कम्पनियाँ हैं जो कि माल सेवाओं का संचालन करती हैं।

(ख) जिन मार्गों पर यह माल सेवाएं चलाई जाती हैं उनको सूचित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित वे मार्ग हैं जिन पर शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया तथा मुगल लाइन लिमिटेड द्वारा माल सेवाएं चलाई जाती हैं।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

1. समुद्रपारीय लाइनर माल सेवाएं

ईस्ट कोस्ट आफ इंडिया। बंगला देश/आस्ट्रैलिया
वेस्ट कोस्ट आफ इंडिया/आस्ट्रेलिया
ईस्ट कोस्ट आफ इंडिया / फार ईस्ट जापान
वेस्ट कोस्ट आफ इंडिया/ फार ईस्ट जापान
इंडिया/ ब्लैक सी पोर्टस
इंडिया यू० के०/कान्टीनेन्ट
इंडिया/पोलेंन्ड
इंडिया/यू०एस०ए०/(अटलान्टिक और ग ल्फ आफ मैक्सिको)
इंडिया/यू०एस०ए०/कनाडा (पैसिफिक कोस्ट)
ईस्ट कोस्ट आफ इंडिया/ईस्ट कनाडा/ग्रेट लेक्स
इंडिया/अरब रिपब्लिक आफ/इजिप्ट।
ईस्ट कास्ट आफ इंडिया/विस्ट एशिया (गल्फ)
वेस्ट कोस्ट आफ इंडिया/विस्ट एशिया (गल्फ)
इंडिया/वेस्ट एशिया (रेड सी)
वेस्ट कास्ट आफ इंडिया /ईस्ट अफ्रीका
इंडिया जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक
इंडिया/एड्रियाटिक
इंडिया/मारीशस
ईस्टकोस्ट आफ इंडिया/बंगलादेश/न्यूजीलेंड
इंडिया/लीबिया

2. समुद्रपारीय यात्री एवं माल सेवाएं

बोम्बे ईस्ट अफ्रीका
मद्रास मलेशिया/सिंगापुर
रामेश्वरम् तलाइमन्नार (भारत/श्रीलंका)

3. अन्य सेवाएं

समुद्रपारीय तेलवाहक सेवा
समुद्रपारीय खुले मालवाहक सेवा
तटीय तेलवाहक सेवाएं

तटीय सूखा माल सेवाएं (कोयला और नमक के लिए)

विश्वव्यापी अनेमी सेवाएं

मुख्य भूमि और अण्डमान के बीच यात्री और माल सेवाएं

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में अन्तर द्वीपीय सेवाएं मुख्य भूमि और लक्ष्यद्वीप के बीच सेवाएं

मुगल लाइन लिमिटेट

भारत और वेस्ट एशिया (गल्फ) के बीच यात्रा एवं माल सेवा

अनेमी सेवा कोंकण तट पर तटीय यात्री एवं माल सेवा

तटीय सूखा माल सेवा (कोयला और नमक के लिए)

मुगल लाइन्स द्वारा कोंकण तट पर माल ढुलाई सेवा

2579. **श्री मधु दण्डवते : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोकण तट पर मुगल लाइन्स द्वारा माल ढुलायी सेवा नहीं की जाती, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) मुगल लाइन्स कोंकण तटीय यात्री सेवा को चलाती है जो कुछ माल भी ले जाती है।

(ख) मुगल लाइन्स ने सूचित किया है कि अपर्याप्त माल लाने ले जाने और सभी कोंकण पत्तनों में साथ-साथ घाट सुविधाओं का अभाव माल सेवाओं को केवल अलाभप्रद बना देते हैं।

मुगल लाइन्स द्वारा फैरी सेवा के लिये सहयोग मांगना

2580. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन्स ने फैरी सेवा की व्यवस्था करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का सहयोग मांगा है, जिससे कोंकण समुद्रतट के सभी पत्तनों पर यात्री सेवा की व्यवस्था की जा सके, और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). मुगल लाइन इन निजी नौका मालिकों की सेवाओं का इस्तेमाल कर रही है जोकि जहाजों और पत्तनों के बीच यात्री लाने ले जाने हेतु उनके ठेकेदारों के रूप में कार्य करते हैं, जहां उनके साथ-साथ घाट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जब भी इन सुविधाओं के प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो महाराष्ट्र सरकार का सहयोग प्राप्त किया जाता है। इस मामले में राज्य सरकार सहयोग देती आ रही है।

दरभंगा फाबसगंज सड़क का निर्माण

2581. **श्री हरिकिशोर सिंह**
श्री भोगेन्द्र झा } क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दरभंगा-फार्बिसगंज सड़क के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसके निर्माण में कोई विलम्ब हो रहा है तो क्या, और

(ग) इसके निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाये जायेंगे?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). डगमारा के तीन कि० मी० निचली ओर अस्थायी तौर पर चयनकृत परियोजना में सम्मिलित कोसी नदी पर एक पुल स्थान के अनुसार विस्तृत जांच और क्षेत्र सर्वेक्षण करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा कार्य के लिये विस्तृत नक्शे एवं अनुमान अभी तैयार किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्रस्तुत जांच और सर्वेक्षणों के अनुमान इस समय भारत सरकार के संवीक्षाधीन हैं।

वेतन आयोग की प्रिंसिपल सम्बंध सिफारिशें

2582. **श्री वी० मायावन**
श्री पी० ए० सामिनाथन } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के वेतन आयोग की दिल्ली के हायर सेण्डरी स्कूलों के प्रिंसिपलों संबंधी सिफारिशों को लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रिंसिपलों ने आगामी हायर सेकण्डरी परीक्षाओं का बहिष्कार करने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो ये सिफारिशें लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री पी० यादव) : (क) और (ख). दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों के परिशोधित वेतनमानों को श्रेणी-1 के अन्य पदों के साथ ही घोषित किया जाएगा, जिनके सम्बन्ध में अभी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) सरकार को प्रिंसिपलों की ऐसी किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है।

किसानों को बीज के लिये गेहूं रखने की अनुमति

2583. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को घरेलू उपयोग तथा बीच के लिये गेहूं जमा रखने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें कितना गेहूं रखने की अनुमति दी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6385/74**]

पांचवीं योजना में संस्कृत का प्रसार और विकास

2584. श्री वसन्त साठे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत के प्रसार और विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या विशेष उपाय किए जाएंगे ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार से पर्याप्त सहायता न मिलने से अनेक बहुमूल्य पाँडु-लिपियों का अनुवाद और उनकी व्याख्या नहीं की जा सकी है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। की जाएगी कि संस्कृत प्रेमियों के लाभार्थ बहुमूल्य पाण्डुलिपियों का अनुवाद हो जाए और वे प्रकाशित हो जाएं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) , चौथी योजना में संस्कृत के लिये 275 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि पांचवीं योजना में अनुरूप व्यवस्था 520 लाख रुपये है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है और इसके अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों ने संस्कृत को प्रोन्नति तथा विकास के लिये कई विशेष उपाय शुरू किए हैं जिसमें संस्कृत अध्यापन के आधुनिक तकनीकों का उपयोग, अध्यापक प्रशिक्षण और प्रकाशन शामिल हैं। यह मंत्रालय राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों और व्यक्तियों को संस्कृत के विकास को विशिष्ठ परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पद्धति के अनुसार प्रोत्साहन देना जारी रखेगा।

2. जहां तक पाण्डुलिपियों का सम्बन्ध है पांचवीं योजना में 50 लाख रुपये की योजनागत व्यवस्था सिर्फ संस्कृत साहित्य के निर्माण के लिये ही की गई है जिसमें संस्कृत पाण्डुलिपियों का प्रकाशन तथा उनकी ग्रथ सूची भी शामिल है। स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को पाण्डुलिपियों के आलोचात्मक संस्करण तथा उनकी ग्रंथ-सूचियां प्रकाशित करने के लिये अनुदान दिये जाते हैं। संस्थान, पाण्डुलिपियों के सर्वेक्षण, अधिग्रहण, संरक्षण, माइक्रोफिल्म बनाने तथा इनके प्रकाशन के सम्बन्धित कार्यक्रम के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता

2585. श्री वसन्त साठे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता को अधिक उद्देश्य-पूर्ण और निष्पक्ष ढंग से पांचवीं योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम से संबंध करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना में रखे जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य बात क्या है, राज्यवार और कार्यक्रमवार कितनी 'युनिसेफ' सहायता मिलेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) . संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से मिली सहायता का उपयोग उन नियमित विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है जो राष्ट्रीय आधार पर बनाए जाते हैं, न कि क्षेत्रीय आधार पर। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय आपात निधि की सहायता का ब्यौरा अभी अन्तिम रूप से तैयार किया जाना है। तो भी, सहायता पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए होगी । पहले वार्षिक प्रस्ताव होते थे, परन्तु इस बार वार्षिक प्रस्तावों के स्थान पर पंचवर्षीय वचनबद्धता का प्रस्ताव किया जा रहा है। आशा है कि इस प्रकार वह संदर्श प्राप्त हो जाएगा जो उपयोगी योजना के लिए आवश्यक है। इस के अतिरिक्त इस सहायता का उपयोग उन कार्यक्रमों पर किया जाएगा, जिन का स्पष्ट रूप से बात कल्याण से सम्बन्ध हो और उसके साथ-साथ छोटे बच्चों संबंधी सेवाओं पर बल दिया जाएगा।

चुने हुये क्षेत्रों में फसल बीमा सम्बन्धी प्रायोगिक योजनाओं पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया

2586. श्री शशि भूषण
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुने हुए क्षेत्रों में फसल बीमा के लिये और अधिक प्रायोगिक योजनाएं आरम्भ करने हेतु भारत सरकार और साधारण बीमा निगम के संयुक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही ; और

(ख) इस समय कौन-कौन सी फसल बीमा योजनाएं चल रही हैं और उनके परिणाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) . भारत सरकार तथा सामान्य बीमा निगम ने एच-4 कपास के संबंध में गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में चालू फसल बीमा योजना के आधार पर चुने हुए क्षेत्रों में चुनी हुई फसलों के लिए मार्गदर्शी योजनाएं शुरू करने के संबंध में राज्य सरकारों को लिखा है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मार्गदर्शी योजना शुरू करने के लिए उपयुक्त फसलों, क्षेत्रों और सहायता करने वाली ऐसी उपयुक्त एजेंसियों का भी पता लगाएं जो विकास की मूल सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केरल राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं। इनमें से महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आवश्यक मूल सुविधाएं प्रदान कर सकने वाले संगठन का पता लगाया है और वह अपेक्षित फील्ड सेवाएं करने के लिए सहमत हैं। महाराष्ट्र में आगामी खरीफ मौसम में जलगांव जिले में एच-4 कपास की एक मार्गदर्शी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत 1,000 एकड़ क्षेत्र होगा।

2. इस समय, गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में एच-4 कपास की एक मार्गदर्शी योजना 926 एकड़ के क्षेत्र में चल रही है। इस योजना के परिणाम चालू खेती के बाद ही

मालूम हो सकेंगे। तथापि, भारी वर्षा और जलक्रान्ति से लगभग 25 एकड़ पर खड़ी फसल को क्षति होने के कारण 23,067 रुपये की सीमा तक के दावे प्राप्त हुए हैं, जबकि जोखिम की निबल प्रीमियम राशि 16,216 रुपये हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा राष्ट्र रक्षा सेवा के प्रशिक्षकों की वरीयता निर्धारित करना

2587. **श्री के० लकप्पा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने 1 नवम्बर, 1972 से राष्ट्र रक्षा सेवा के कितने शिक्षकों को नौकरी में खपाया है; और

(ख) सरकार का विचार राष्ट्र रक्षा सेवा के प्रशिक्षकों की वरीयता किस प्रकार निर्धारित करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) और (ख)**. दिल्ली के स्कूलों में सेवारत उन 337 रा० अनु० योजना के अनुदेशकों को, जिनमें से अधिकांश 110–200 रुपये के केन्द्रीय वेतनमान में और कुछ 150–240 रुपए के केन्द्रीय वेतनमान में थे, दिल्ली प्रशासन द्वारा 220–430 रुपए के वेतनमान में, गैर स्नातकों के मामले में भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताओं में छूट देकर नए अध्यापकों के रूप में नियुक्ति की पेशकश की गई थी। नियुक्ति की पेशकश के अनुसार वे एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखे जाने थे तथा पिछली सेवा का कोई लाभ दिए बिना ही नए प्रवेशकों के रूप में उनकी वरीयता निर्धारित की जानी थी। जिन्होंने नियुक्ति के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उन्हें दिल्ली प्रशासन द्वारा 1 नवम्बर, 1972 से खपाया गया है तथा उसी तारीख से शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के ग्रेड में उनकी वरीयता गिनी गई है। उनकी पारस्परिक वरीयता में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

मूल्य वृद्धि रोकने के लिये अनाज, चीनी और खाद्य तेलों का रक्षित भंडार बनाया जाना

2588. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं के बढते हुए मूल्यों को रोकने के लिए अनाज, चीनी और खाद्य तेलों का पर्याप्त रक्षित भंडार बनाने की किसी योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). यद्यपि बफर स्टाक रखने के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने पर ही आरक्षित स्टाक तैयार करना सम्भव होगा।

जहां तक चीनी का संबंध है, चीनी की सप्लाई और मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए बफर स्टाक तैयार करने का निर्णय लिया जा चुका है। तथापि, इसकी कार्यान्विति आन्तरिक खपत और निर्यात की जरूरतें पूरी करने के बाद चीनी की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

जहां तक वनस्पति का सम्बन्ध है (1) बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी क्षमता की उपलब्धता, (2) भण्डारण के दौरान भारी स्टाक रखने की लागत और किस्म में सम्भावी गिरावट, और (3)

चालू आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए हाल ही के वर्षों में कच्चे तेलों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं रही है, इन तथ्यों की दृष्टि में वनस्पति का बफर स्टाक तैयार करना एक व्यवहार्य कार्य नहीं समझा गया है।

कालेजों को स्वायत्ता दर्जा

2589. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्राधिकारियों से सिफारिश की थी कि कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाये; और

(ख) क्या विश्वविद्यालयों के समक्ष यह प्रस्ताव रखने से पूर्व, देश में छात्र असंतोष को देखते हुए इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुलहसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अक्तूबर, 1973 में विश्वविद्यालयों को एक नोट परिचालित किया था जिसमें स्वायत्त कालेजों को सहायता के मानदण्ड, मार्गदर्शी रूपरेखाएं और पद्धति को शामिल किया गया था तथा उनसे योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ख) जी, नहीं। आयोग को प्रस्ताव करने से पहले मामले पर विचार करना विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है।

गुजरात में बाजरा की वसूली

2590. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चालू वर्ष के लिये बाजरे का वसूली लक्ष्य क्या रहा है ;

(ख) वसूली कितनी मात्रा में की गई है; और

(ग) यदि वसूली लक्ष्य से कम हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1.5 लाख मीटरी टन।

(ख) फरवरी, 1974 के अन्त तक 13157 मीटरी टन।

(ग) हालांकि अभिप्राप्ति अभी भी की जा रही है, लेकिन अभिप्राप्ति की गति धीमी है। गुजरात में बाजरा की धीमी गती होने के कुछेक मुख्य कारण ये हैं :—

(1) कटाई के समय अत्याधिक वर्षा के कारण क्षति होना। इससे फसल की किस्म और कुल उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था।

(2) उपर्युक्त (1) की दृष्टि में व्यापारियों पर लेवी को 50 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करना।

(3) बाजार मूल्य और अधिप्राप्ति मूल्य में अन्तर होने के कारण उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा स्टाक को रोक रखने की प्रवृत्ति।

(4) राज्य में लगातार राजनीतिक आन्दोलन चलते रहना।

बेहतर प्रबन्ध के द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार

2591. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि देश में बेहतर प्रबन्ध के द्वारा **औसत** कृषि क्षेत्रों में सुधार किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या उनका वक्तव्य किसी वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है, यदि हां, तो उसका क्या आधार है ;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में प्रबन्ध को बेहतर बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उनके लिये क्या करने का विचार है ?

कृषि **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (**क**) से (**घ**). कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 10 फरवरी, 1974 को तिरुपति में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के पांचवें दीक्षांत समारोह में अपने भाषण में बेहतर प्रबन्ध के द्वारा उत्पादकता और उत्पादन में सुधार करने की दिशा में अधिक ध्यान देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों से प्रार्थना की । यह वक्तव्य राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रायोजना के अन्तर्गत एकत्र किये गये आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है । सन् 1971-72 के दौरान हमारे कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किसानों के खेतों में किये गये प्रदर्शनों के परिणाम निम्नलिखित हैं :—

अनाज की औसत उपज (क्विंटल प्रति हैक्टर) सन् 1971-72

	चावल	गेहूं	मक्का	ज्वार	बाजरा
अखिल भारतीय औसत	11.5	13.8	8.9	4.6	4.6
राष्ट्रीय प्रदर्शन औसत	36.8	45.0	39.2	42.6	26.8

इस प्रकार से यह जाहिर है कि बेहतर प्रबन्ध और निवेशों (खेती में प्रयोग किये जाने वाले साधन जैसे उर्वरक, रसायन आदि) का कारगर प्रयोग करने से हमारी प्रमुख फसलों की उत्पादकता में काफी सुधार होने में मदद मिल सकती है ।

बेहतर प्रबन्ध के **सिद्धांत का प्रचार** करने के लिए भारत सरकार ने अधिक संख्या में छोटे पैमाने पर प्रदर्शन करने का **कार्य पहले ही शुरू कर** दिया है । इस प्रकार के प्रदर्शनों को "प्रबन्ध मिनीकिट प्रदर्शन" के नाम से पुकारा जाता है । **सन् 1973** के दौरान, धान की फसल में इस प्रकार के प्रदर्शन अधिक संख्या में किये गये । पांचवीं **पंचवर्षीय** योजना के दौरान अन्य फसलों जैसे दालों में इस कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय पूल में राज्यों का चावल के अंश का अंशदान

2592. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने केन्द्रीय पूल में चावल का अपना अंशदान कर दिया है ;

(ख) विभिन्न राज्यों से चावल के अंशदान की मात्रा निश्चित करने में क्या कसौटी अपनाई गई है; और

(ग) राज्य के कमी वाले इलाकों को चावल की सप्लाई की आवश्यकता को देखते हुए क्या कर्नाटक के लिए निर्धारित कोटा बहुत अधिक है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चालू खरीफ विपणन मौसम में धान/चावल की अधिप्राप्ति अक्तूबर, 1974 के अन्त तक चलती रहेगी । बहुत सारे राज्यों ने केन्द्रीय पूल को किस्तों में चावल देना शुरू कर दिया है । राज्यों द्वारा दी गई मात्रा का मौसम के समाप्त होने के बाद पता चलेगा ।

(ख) अंशदान की मात्रा, अनुमानित उत्पादन, राज्य के अन्दर चावल की उपलब्धता, राज्य के अन्दर खपत की औसत आदत, पिछले अनुभव आदि को ध्यान में रख कर राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित की जाती है ।

(ग) कर्नाटक के सम्बन्ध में अधिप्राप्ति का लक्ष्य और केन्द्रीय पूल को दी जाने वाली मात्रा राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित की गई थी और उसे उपयुक्त समझा गया है ।

बिहार में पेय जल की व्यवस्था करने सम्बन्धी लक्ष्य

2593. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और अवास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार के अभावग्रस्त गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों, और तत्सम्बन्धी कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या आवश्यक उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) . बिहार सरकार ने सूचित किया है कि जल पूर्ति कार्यक्रम, जैसा कि उस पर चौथी योजना में विचार किया गया है, सूखा/अभावग्रस्तता के संदर्भ में नहीं बनाया गया था । तथापि, वर्ष 1971-72 में राज्य में राज्य के अकालपीड़ित, अभावग्रस्त तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए 188 लाख रुपए की योजनाएं निष्पादित की गई थीं । 17950 नलकूप, 23 कुएं, 80 खुदे हुए नलकूप बनाए गए थे और 50 कुओं को गहरा किया गया था ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए गए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, 7000 हस्त-चालित नलकूपों, 1500 कुओं, 350 खुदे हुए नलकूपों, नलों द्वारा पानी देने की 22 योजनाओं के लिए 210 लाख रुपए दिए गए हैं । अब तक, 7000 नलकूप, 924 कुएं, 311 खुदे हुए नलकूप पूरे हो गए हैं तथा नल द्वारा पानी देने की दो योजनाएं पूरी हो गई हैं । शेष योजनाओं पर कार्य चल रहा है ।

पांचवीं योजना में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, 29 करोड़ रुपए की लागत से 6512 अभावग्रस्त ग्रामों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

अमरीका से अनाज के लिये अनुरोध

2594. **श्री एम० कतामुतु**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 40 लाख टन अमरीकी अनाज लेने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि का आवंटन ।

2595. **श्री गजाधर माझी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में भूमि प्राप्त करने और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों और खेतिहर मजदूरों को उसे अलाट करने के बारे में सरकार के लक्ष्य क्या थे ; और

(ख) राज्य में अब तक अलाट की गई भूमि के बारे में क्या प्रगति हुई है और चालू योजना की शेष अवधि में कितनी भूमि उन्हें अलाट कर दी जाएगी ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख). उड़ीसा में चौथी योजना की अवधि में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों और खेतिहर मजदूरों को आवंटन के लिए भूमि अधिग्रहण करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । तथापि जुलाई, 1972 से जनवरी, 1974 तक 1,63,000 व्यक्तियों में 1,91,000 एकड़ भूमि वितरण की गई थी । भूमिहीन लोगों को सितम्बर, 1973 से सितम्बर, 1974 तक के लिए 1,50,000 एकड़ भूमि वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

साहित्य अकादमी के महापरिषद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व

2596. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी के महापरिषद् में सभी राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् में 21 राज्यों के प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी यादव) : (क) अकादमी के संविधान के अनुसार, आम परिषद् में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्यों में से प्रत्येक राज्य से, राज्य सरकार के परामर्श से कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना गया एक-एक व्यक्ति शामिल होगा ।

(ख) 1. डा० सी० नारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) ।
2. श्री विश्वनारायण शास्त्री (असम) ।

3. श्री पणीश्वर नाथ 'रेणु' (बिहार) ।
4. श्री झीना भाई देसाई 'स्नेहरश्मी' (गुजरात) ।
5. पण्डित स्थानुदत्त शर्मा (हरियाणा) ।
6. डा० के० एम० जार्ज (केरल) ।
7. श्री हरिशंकर परसायी (मध्य प्रदेश) ।
8. श्री रणजीत देसाई (महाराष्ट्र) ।
9. श्री टी० गीतचन्द्र सिंह (मणिपुर) ।
10. प्रो० आर० एस० लिंगडोह (मेघालय) ।
11. श्री आब्द रंगाचार्य (कर्नाटक) ।
12. श्री मनोरंजन दास (उड़ीसा) ।
13. श्री साधु सिंह हमदर्द (पंजाब) ।
14. श्री लक्ष्मी नारायण कौशिक (राजस्थान) ।
15. श्री के० एस० महादेवम (तमिलनाडु) ।
16. डा० आर० एन० देव (त्रिपुरा) ।
17. श्री अमृतलाल नागर (उत्तर प्रदेश) ।
18. श्री आनन्द शंकर रे (पश्चिम बंगाल) ।

श्री अली मोहम्मद लोन ने, जो कुछ समय पहले तक जम्मू तथा कश्मीर के प्रतिनिधि थे, इस्तीफा दे दिया है । हिमाचल प्रदेश और नागालैण्ड से नामांकनों की प्रतीक्षा है ।

वनस्पति के निर्माण के लिए आयातित तेल के अनुपात में वृद्धि

2597. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आयातित तेल के अनुपात में वृद्धि करने की सरकार ने अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इसके उत्पादन में वृद्धि होगी और क्या इसकी कीमत में भी कमी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वनस्पति तैयार करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आयातित तेल के अनुपात की उपान्तिक पखवाड़े में देशी तेलों, मूल्यों और उसमें किए गए अपेक्षित समायोजन के संदर्भ में, प्रत्येक पखवाड़े में समीक्षा की जाती है । अतः चालू पखवाड़े में इसे विभिन्न जोनों में शून्य से बढ़ाकर 9.3 प्रतिशत कर दिया गया था जबकि पिछले पखवाड़े में अनुपात में 14.0 प्रतिशत से 27.9 प्रतिशत की अनुमति प्रदान की गई थी।

(ख) आयातित तेल (जोकि देशी तेलों की तुलना में सस्ता होता है) के अनुपात में पाक्षिक समायोजन करने का उद्देश्य , उपान्तिक पखवाड़े के दौरान देशी तेलों के मूल्यों में परिवर्तन होने के बावजूद वनस्पति के मूल्य पहले से बनाये रखने का है। इनका वनस्पति के उत्पादन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है ।

बम्बई के लिए महानगर विकास प्राधिकरण

2598. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को बम्बई के लिए महानगर विकास प्राधिकरण बनाने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने बम्बई महानगर क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण की स्थापना की अत्यन्त आवश्यकता के लिए राज्य सरकार पर बल दिया है जो विभिन्न विभागों तथा स्थानीय निकायों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी पर नियंत्रण रखेगा तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगा और इस प्रकार वह महानगर क्षेत्र में इन अभिकरणों के विकास प्रयत्नों का समन्वय करेगा ।

महिलाओं में साक्षरता

2599. **श्री भोला मांझी** : क्या शिक्षा, और समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं की कुल साक्षरता क्या है ?

(ख) देश में इस समय साक्षर महिलाओं की प्रतिशतता क्या है ।

(ग) प्रत्येक राज्य में कितनी लड़कियां प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा पा रही हैं ;

(घ) कितनी लड़कियों ने हाई उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा पूरी कर ली है; और

(ङ) वे कुल महिलाओं की संख्या के कितने प्रतिशत हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) 1971 की जनगणना के अनुसार साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 4,82,26,400 थी ।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार साक्षर महिलाओं की प्रतिशतता 18.72 % थी ।

(ग) 1968–69 में प्राथमिक स्तर पर लडकियों की संख्या के संबंध में राज्यवार स्थिति अनुबन्ध में दी गई है । (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०–6386174) 1971 में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की कुल संख्या 2,23,87,000 थी ।

(घ) 1971 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार, मैट्रिकुलेट महिलाओं की संख्या, जिसमें उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लडकियां भी शामिल हैं, 37,36,500 थीं ।

(ङ) 1.42 प्रतिशत ।

नदी परिवहन व्यवस्था के लिए गैर-सरकारी उद्यमियों को सहायता देने हेतु राज्यों को ऋण ।

2600. **श्री एम० एस० पुरती : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गैर-सरकारी उद्यमियों के नदी वाहनों के आधुनीकीकरण के लिये उन्हें सहायता देने हेतु राज्य सरकारों को आसान शर्तों पर ऋण देने का फैसला किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या गंगा नदी में पटना से फरक्का तक नदी परिवहन सेवा आरम्भ करने हेतु पांचवीं योजना में कोई व्यवस्था की गई है, और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) गंगा में सेवाएं चलाने के लिए पांचवीं योजना में 2 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है ।

(ग) ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

भूमिहीन आदिवासी परिवारों को अनुदान

2601. श्री एम० एस० पुरती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन परिवारों को भूमि अलाट करते समय आदिवासी परिवारों को अनुदान देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भूमिहीन आदिवासी परिवारों को भूमि आवंटित करते समय उन्हें अनुदान देने का कोई सामान्य फैसला नहीं किया है ।

तथापि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा स्थित छः आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाओं में आदिवासी विकास ऐजेंसियों भूमिहीन आदिवासी परिवारों को कृषि योग्य बनाई गई परती भूमि आवंटित करते समय लगभग तीन कृषि मौसमों के लिए उन्हें आवश्यक आदानों की सहायता देती हैं जिसमें हल के लिए बैल, कृषि औजार आदि भी शामिल हैं । ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भूमिहीन परिवार व्यवस्थित और उन्नत कृषि कर सकें :

उपर्युक्त के अलावा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दीर्घकालीन और लघुकालीन सहायता देने की एक योजना भी बनाई जा रही है ताकि फालतू भूमि पाने वालों में से पात्र व्यक्ति कृषि-कार्य कर सकें जिनमें से बहुतों की अनुसूचित जातियों के होने की संभावना है ।

वर्ष 1974 के दौरान भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी नए कानूनों की क्रियान्वित

2602 : श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी राज्य सरकारों ने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नये कानूनों को वर्ष 1973 के अन्त तक क्रियान्वित करने की घोषणा की थी ।

(ख) यदि हां, तो भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्ष 1974 के दौरान भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नये कानूनों के इस क्रियान्वयन को पूरा करने का विचार और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) से (ग) . लगभग सभी राज्य सरकारों ने 1973 के अंत तक या तो भूमि की अधिकतम सीमा सम्बंधी कानूनों को संशोधित करने या नए कानून बनाने के बारे में विधि-निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने के उपाय किए थे। उनमें से कई राज्य सरकारों ने 1973 से काफी पहले इन कानूनों को लागू करना शुरू कर दिया था। वस्तुत: भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के क्रियान्वयन में काफी समय लगता है। इन कानूनों में प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में अलग अलग समय पर पूरा करने की व्यवस्था होती है। इस प्रकार भूमिधारियों को कुछ समय देना होता है ताकि वे अपनी भूमि की मात्रा और उसकी श्रेणी के बारे में विवरणियाँ दे सकें। जहां भूमिधारी विवरणियां समय के भीतर न दे सकें वहां इन कानूनों में राजस्व प्राधिकारियों के लिए यह व्यवस्था है कि वे ऐसी विवरणियों स्वयं प्राप्त करें। इन विवरणियों की जांच करना, अधिकतम सीमा के अंतर्गत भूमि लेने के लिए भू-स्वामी को बुलाना, फालतू भूमि को अधिकार में लेना, पात्र लाभानुभोगियों की सूची तैयार करना, भूमि का अधिग्रहण करने की दशा में दी जाने वाली धनराशि का निर्धारण करना, फालतू भूमि का वितरण करना आदि प्रत्येक क्रिया में समय लगता है। इनमें कितना समय लगेगा इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यह भी अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है कि अपील की कार्यवाही, संशोधन, आदि में कितना समय लग जायेगा। अत: भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नए कानूनों को निश्चित रूप से 1974 तक क्रियान्वित करने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम बनाना कठिन है।

Promotion of Wrestling

2603. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(*a*) the action taken by Government so far for promoting wrestling in India;

(*b*) the number of Committees for promoting wrestling in the country at present and the number of those, out of them, which have been recognised by Government and the basis of recognising them;

(*c*) the number of wrestlers sent abroad for wrestling during the last two years and the particulars of those, out of them, who won the prizes; and

(*d*) the criteria adopted in selecting the wrestlers sent abroad and whether any allegation of favouritism has also come to the notice of the Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare & Culture (Shri Arvind Netam) : (*a*) The Ministry of Education and Social Welfare have taken various measures for the promotion of sports and games in the country. Financial assistance is extended to all recognized Sports Federations/Associations, which also, include the two recognised Federations for wrestling, for holding National Championships, visits of teams abroad, inviting foreign teams for sports events in India and Coaching of National teams. The recognized Federations/Associations for Wrestling have also been available themselves of the admissible concessions.

(*b*) Two National Federations/Associations have been recognized in wrestling. One of them is responsible for the Free-Style and Greco-Roman Style of Wrestling, and the other for the Indian Style Wrestling. Recognition was granted on the recommendation of the All India Council of Sports, after the concerned Federation/Association fulfilled the prescribed conditions.

Another Federation which claims to work in the field of Greco-Roman and Free-Style Wrestling has recently come into being. As only one Federation is granted recognition in one game/sport, the newly formed Federation's claim for recognition involves its acceptance as a more representative body than the one already recognised. The case would be considered on merits in consultation with the All India Council of Sports.

(c) A statement giving the particulars of wrestling teams sent abroad during the years 1972 & 1973 is attached (Annexure).

(Placed in the Library. See No. L.T—6387/74)

(d) Only the Federation concerned with Greco-Roman and Free-Style wrestling sends teams abroad for participation in important international tournaments. According to the Statement of this Federation, selection of wrestlers is based on the performance of wrestlers in the National Championships. Final selection is made by a Selection Committee appointed by it. Government has received some reports alleging unfair selection of teams by this Federation. The allegations have, however, not been substantiated.

गुजरात द्वारा हरियाणा से शीघ्र खरीदे गए बाजरा, गेहूं और चावल की मात्रा

2604. **श्री के० एस० चावड़ा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा कम अनाज वाले राज्यों की सरकारों को फालतू अनाज वाले राज्यों से सीधे मोटा अनाज खरीदने की अनुमति देने सम्बन्धी निर्णय किये जाने से पूर्व गुजरात सरकार ने हरियाणा से 50,000 टन बाजरा खरीदा था जिसको ले जाने की अनुमति केन्द्रीय सरकार ने नही दी थी ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार को हरियाणा तथा अन्य राज्यों से, राज्यवार अब तक कितना बाजरा, गेहूं और चावल मिला है, और

(ग) प्रत्येक राज्य से बाजरा, गेहूं और चावल किस भाव पर खरीदे गये थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चीनी (पैक करना तथा चिह्न लगाना) संशोधन आदेश, 1973

और गुजरात पंचायत (संशोधन) अध्यादेश

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (पैक करना तथा चिह्न लगाना) संशोधन आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 511 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या (एल० टी० 6364/74]

(2) (एक) गुजरात राज्य के सम्बध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)

(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत गुजरात पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का गुजरात अध्यादेश संख्या 1) की एक प्रति, जो गुजरात के राज्यपाल द्वारा 24 जनवरी, 1974 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) अध्यादेश का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6365/74]

फल उत्पाद संशोधन आदेश, 1973 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं श्री अण्णासाहिब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अतर्गत फल उत्पाद (संशोधन) आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 800(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6366/74]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० सां० नि० 48(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० सां० नि० 49(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6367/74]

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : मद संख्या 4 के भाग (एक) और (दो) के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि फल उत्पाद आदेश के सम्बन्ध में यदि कोई बोटल पर फल उत्पाद आदेश संख्या लिखाना चाहे तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि बोतल में दस प्रतिशत कच्चे फलों का रस हो। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इन संशिलिस्ट पेय पदार्थों को, जिनमें कि थोड़ा बहुत रंग और फल की खुशबू डाली होती है, क्यों सम्मिलित कर रहे हैं। साथ ही उन 'साफट डिंक्स की जिनमें फलों का रस बिल्कुल नहीं होता कोई परिभाषा नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : जब सभा पटल पर पत्र रखे जा रहे हों तो प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती।

केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद का प्रतिवेदन आदि

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1971–72 के क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 6368/74]

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
Matters under rule 377

1. संसद की समितियों को वांछनीय जानकारी तुरन्त देने में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की असफलता।

2. बिहार के एक गांव में एक जमींदार द्वारा दो आदिवासियों को जान से मारने तथा कई अन्य व्यक्तियों को घायल करने के समाचार

श्री एच० एम० पटेल (ढुंढका) : मैं सभा का ध्यान संसद की समितियों के प्रति मंत्रालयों और मंत्रियों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति ने अपने सांतवें प्रतिवेदन में कहा है कि समिति को न दी जाने वाली विलम्ब से दी जाने वाली जानकारी पर दुख है। दो मंत्रालयों ने तो सचिवालय के बार बार याद दिलाने के बावजूद भी उत्तर नहीं भेजे। कुछ मंत्रालयों ने तो उनके प्रतिनिधियों को साक्ष्य हेतु बुलाए जाने के बाद जानकारी दी है। कुछ निकायों के बारे में जानकारी उनके गठन के 5 से 11 वर्ष बाद दी गई। समिति ने आगे कहा है कि समिति को मंत्रालय के बारे में जानकारी शीघ्रता से न दे पाने के बारे में जो स्पष्टीकरण दिया है उससे समाधान नहीं होता। उसकी राय में यह त्रुटि संबन्धित मंत्रालय की लापरवाही के कारण है। अन्त में समिति ने कहा है कि समिति द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के एक वर्ष बाद भी विधेयक पुरस्थापित नहीं किया गया। 10 मई, 1973 को समिति को विधि मंत्रालय ने सूचना दी थी कि विधेयक अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में पुरःस्थापित कर दिया जाएगा। साथ ही समिति ने यह आशा भी व्यक्त की है कि इसमें और विलम्ब नहीं होगा। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने कहा है कि कुछ मंत्रालय, स्पष्टीकरण हेतु भेजे गए नियमों को 6 महीने से अधिक अवधि तक वापिस नहीं भेजते।

कुछ नियम निम्नलिखित हैं जो साथ दर्शाई गई तिथि को स्पष्टीकरण हेतु मंत्रालय को भेजे गए थे :

(1) निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 (1968 का सा० आ० 1927)	वाणिज्य	14-5-71
(2) भारतीय रेलवे परिवहन सेवा भर्ती नियम, 1968 (1968 का सा० सां० नि० 2204)	रेलवे (रेलवे बोर्ड)	7-5-71
(3) खड़की छावनी (नियंत्रण) मिलों का पर्यवेक्षण उपविधियों 1970 (1970 का एस० आर० ओ० 206)	रक्षा	4-12-71
(4) नारियल जटा बोर्ड सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) उपविधियां 1969 (1969 का एस० आर० 2000)	औद्योगिक विकास	28-6-72
(5) विमान (दूसरा संशोधन) नियम 1972 (1972 का सा० सं० नि० 324)	पर्यटन और नागर विमानन	26-9-72

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । संसद को यह अधिकार है कि वह यह देखे कि उसके द्वारा अधीनस्थ प्राधिकारियों को नियम इत्यादि बनाने हेतु दिए गए अधिकार का प्रयोग अधिनियम के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं ।

मुख्य रूप से दो बातें हैं । एक तो पूछी गई जानकारी को देने में बहुत समय लगाया जाता है दूसरे कभी यह जानकारी बिल्कुल देते ही नहीं । मेरे विचार में संसद सदस्यों की समिति के प्रति तो अधिक आदर सम्मान होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर नियम समिति से चर्चा करना चाहूंगा और यह भी देखूंगा कि इस संबंध में किसी नियम की व्यवस्था की जा सकती है । यदि यह मामला सभा के अवमान में आता है तो मैं इसका भी अध्यन करूंगा । यह बात बिल्कुल भी उचित नहीं है कि मंत्री अथवा मंत्रालय किसी भी मामले के प्रति जो उनके ध्यान में लाया गया है उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाये और चुपचाप बैठे रहें । मैं सभी समितियों के सभापतियों की एक बैठक बुलाऊंगा और जानकारी एकत्र करुंगा कि इस मामले में यह सब कैसे हुआ प्रधान मंत्री को भी इस मामले में कड़ा नोट भेजा जाएगा तथा ऐसे मामलों के बारे में भविष्य में क्या प्रक्रिया अपनाई जाए उसका भी विधान किया जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय मैं सदन का ध्यान धनबाद से 30 किलो मीटर दूर दुर्गाडीह ग्राम में एक जमींदार द्वारा आदिवासियों और भूमिहीन श्रमिकों पर चलाई गई गोली की ओर दिलाना चाहता हूं इस घटना में दो व्यक्ति मारे गए । फुछ व्यक्ति बहुत बुरी तरह घायल हुए और अब वे अस्पताल में पड़े हैं । यह कोई नवीन घटना नहीं है । बिहार के जमींदार तो आदिवासियों और भूमिहीन श्रमिकों पर अत्याचार करते आ रहे हैं । कुछ समय पहले हमने गृह मंत्री का ध्यान बिहार के पूर्णिया जिले में संथाल जाति के व्यक्तियों के जिन्दा जला देने सम्बन्धी समाचार की ओर आकर्षित किया था और तब मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी पूर्वापाय किए जाएंगे और अब फिर एक नई घटना घट गई है । मैं इस घटना के बारे में मंत्री महोदय से विशिष्ट वक्तव्य चाहता हूं और यह आश्वासन चाहता हूं कि भविष्य में बिहार के आदिवासियों और भूमिहीन श्रमिकों के साथ ऐसा अत्याचार पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सरकार को स्वेच्छा से इस संबध में वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री बंसत साठे (अकोला) : नियम 377 के अन्तर्गत उठाए गए मामलों के बारे में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

गृह मंत्रालय तथा क्रामिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं जानकारी एकत्र करुंगा और आपको भेज दूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय को आज ही वक्तव्य देना होगा यह गंभीर मामला है ।

बम्बई की कुछ फर्मों द्वारा आयात लाईसेंसों का दुरूपयोग करने संबन्धी प्रश्न के बारे में दिये गये मंत्री महोदय के उत्तर में कथित अशुद्धि के बारे में

Re : Alleged inaccuracy in Ministers reply to qnestion about misuse of Import Licences by certain Bambay firms

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारी कार्यवाही को पढ़ा है और आपने जब यह आपित्त उठाई तो उसके बाद प्रो० चट्टोपाध्याय ने अगले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वह समय तथा तिथि के बारे में निश्चित नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय यदि मैं उनके स्थान पर होता तो मैं निदेश 115 के अन्तर्गत तीन दिन बाद एक वक्तव्य देता जिसमें कहता कि अमुक पृष्ठ पर अमुक पैराग्राफ में दी गई तिथि सही नहीं है और सही तिथि यह है । आप इस मामले को निर्णय अधीन रखें ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला दिसम्बर के अन्तिम दिनों में संसद में उठाया गया था और उसके बाद दूसरे सत्र के शुरु होने के बीच के समय में मंत्री महोदय ने मुझे पत्र लिखा और उसमें कहा कि उन्हें तिथि के संबंध में कुछ गलतफहमी हो गई है । और इसके लिए उन्हें खेद है अत: जहां तक इस मामले का संबंध. है उन्होने स्वयं को सही कर लिया था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु सदन को तो बिश्वास में नहीं लिया गया । मैं विषेशाधिकार समिति के समक्ष यह मामला रखूंगा पत्र के बारे में पहले मुझे कुछ नहीं बताया गया । मुझे भी पत्र की एक प्रति दी जानी चाहिए थी ।

अध्यक्ष महोदय : आप फाइल देख सकते हैं । आप स्वयं इस पर निर्णय करेंगे । मैं मामला श्री पटेल पर छोड़ता हूं मैं फाइल उनको देता हूं ।

श्री ज्योतिमेय बसु : यह उचित नहीं है जब सदन में इस कार्य के लिए समिति बनी है फिर आप यह काम सदस्यों पर क्यों छोड़ रहे हैं । विशेषाधिकार समिति इसकी जांच करेगी और अपना निर्णय देगी ।

आज संसद को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया जा रहा तभी मंत्रीगण झूठे वक्तव्य देने में नहीं हिचकिचाते ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : अब सुबह संसद भवन में मेरी टैक्सी को अन्दर नहीं आने दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आपके आदेशानुसार हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार के प्रश्न बिना पूर्व सूचना दिए नहीं उठा सकते ।

गुजरात राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उदघोषणा की स्वीकृति संबंधी सांविधिक संकल्प

Statutory Resolution re-Approval of proclamation in relation to the State of Gujarat.

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गुजरात राज्य के संबंध में 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा हेतु 5 घंटे का समय नियत किया गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ..... (व्यवधान) :

अध्यक्ष महोदय : इस समय आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते यह निर्णय पहले ही दिया जा चुका है कि इस पर आज चर्चा होगी ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : राज्य सभा में वैकल्पिक प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है फिर लोक सभा में इसे पेश करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए अनुमति देने वाला हूं । आप कृपया बैठ जाइए ।

प्रो० मधु दण्डवते : सांविधिक संकल्प की प्रक्रिया के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा आज होनी ही है । इसलिए स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

प्रो० मधु दण्डवते : राज्यसभा में वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जा चुकी है फिर लोक सभा में क्यों नहीं दी जा रही ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिन पूर्व आपने स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी थी और मैंने अनुमति दे दी थी । परन्तु सदस्यों की पर्याप्त संख्या के अभाव में स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका था ।.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव में केवल इतना जोड़ दिया जाए कि सभा राष्ट्रपति से अनुरोध करती है कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं मैं चर्चा की अनुमति देने वाला हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपका निर्णय चाहता हूं । क्या ऐसा प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के संशोधन के रूप में समझा जाएगा और क्या यह स्वीकार करने योग्य है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन के निर्णय के विरुद्ध स्वतन्त्र प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते ।

श्री राम निवास मिर्धा : 21 फरवरी को सदन को गुजरात में हाल ही में हुए दंगों के बारे में जानकारी दी गई थी । जन-धन हानि आगजनी तथा लोगों के हुए कष्टों को सुनकर हमारे मन में काफी रोष उत्पन्न हो गया है ।

इस समय देश अत्यन्त संकट की स्थिति से गुजर रहा है । देश को आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है और मूल्यों में वृद्धि होने के कारण खाद्यान्न और आर्थिक संकट भी हमारे समक्ष है और गुजरात इससे अछूता नहीं है । कुछ राजनीतिक दल अपने हितों के लिए लोगों की कठिनाइयों का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं । जिस प्रकार आन्दोलन से निपटा गया है तथा जिस प्रकार इसके कारणों तथा शिकायतों की ओर ध्यान दिया गया है उससे गुजरात में कांग्रेस पार्टी के भीतर यह असंतोष है । छात्रों तथा शिक्षकों ने भी गुजरात की समस्याओं को और जटिल बना दिया है । सरकार को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं संसद एक दूसरे पर चिल्लाने या बुरा भला कहने के लिए नहीं बनी है । माननीय सदस्य जानबूझ कर कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं । आप कृपया बैठ जाइए और मंत्री महोदय की बात को सुने ।

अध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आए, तब आप बोलें । कृपया बैठ जाएं । आप जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं ।

यदि आप मेरी बात नहीं सुन सकते तो आपका कर्तव्य सदन त्याग करने का है ।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : केन्द्रीय सरकार को राज्यों में बहुमत प्राप्त सरकार की कठिनाइयों, दलीय एवं जनसाधारण के बीच व्याप्त असंतोष को ध्यान में रखना पड़ा । हमने कानून के अनुसार गठित सरकार को सहायता प्रदान करना अपना कर्तव्य समझा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आप चुप रहें । यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो मुझे नियमों का पालन करना पड़ेगा या तो सदन इन्हें नियंत्रित करें या मुझे चर्चा को स्थगित करना होगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध का कोई प्रश्न नहीं ।

अब कृपया बैठ जाएं । यह संसद है । एक ओर तो 300 व्यक्ति है और एक ओर ये अकेले हैं । कृपया बैठ जाएं । यदि ये ऐसा ही करते रहें तो मुझे नियम का पालन करना होगा ।

श्री रामनिवास मिर्धा : इन परिस्थियों में हमने मुख्य मंत्री श्री चमनभाई पटेल को त्यागपत्र देने के लिए कहा । ऐसा करते हुए हमने राज्य के हितों को ध्यान में रखा । राज्य स्तर पर संवैधानिक मशीनरी के टूट जाने से राज्यपाल ने धारा 356 के अधीन राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजी ।

हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि गुजरात में सरकार बनाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । हमारे लिए यह मर्यादा का प्रश्न नहीं है । जब स्थिति सामान्य हो जाए तो अन्य सभी प्रश्नों की ओर हम अपना ध्यान देंगे । आगजनी लूट और हिंसा की घटनाओं का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता । दुर्भाग्यवश असंख्य निर्दोष व्यक्ति मारे गए तथा सम्पत्ति का नुकसान हुआ ।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इन्होंने कहा कि इतने लोग मारे गए । कितने लोग मारे गए ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था के प्रश्न वाली कोई भी बात नहीं है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : हमारा कर्तव्य सामान्य स्थिति पैदा करना है ताकि राज्य की अविलम्बनाएं समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा सके । मैं सदन के द्वारा गुजरात के लोंगो, से अपील करता हूं कि वे शांति का वातावरण पैदा करने में अपना सहयोग प्रदान करें ।

अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है । पूरी शांति कायम होने पर सरकार अन्य समस्याओं की ओर ध्यान देगी । लेकिन अभी मैं सदन से उद्घोषणा को स्वीकार करने की अपील करता हूं ।

श्री समर गुह (कंटाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों के अनुसार जब अध्यक्ष महोदय कुछ बोल रहे हों तो उस समय किसी को नहीं बोलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप भी ऐसा ही करते हैं ।

श्री समर गुह जब भी आप बोलते हैं तो मंत्री महोदय अपना वक्तव्य पढ़ना जारी रखते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बुलाया और अनुमति दी । मैंने बाधा डालने वाले लोगों को बैठने के लिए कहा ।

श्री समर गुह : जब आप बोल रहे थे तो मंत्री महोदय अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे और जो कुछ उन्होंने कहा, हम सुन नहीं पाए। क्या आप उन्हें पुन : वक्तव्य पढ़ने के लिए कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि अन्य बाधा डालें तो मैं उन्हें बैठने के लिए कह सकता हूं (व्यवधान) आप इस प्रकार का बाधा क्यों डाल रहे हैं ?

श्री देनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कम से कम इन दो पंक्तियों को जोड़ने की अनुमति दे दें।

अध्यक्ष महोदय : अब इसका समय नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं इसकी सूचना दो दिन पहले दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो इसे अनुमति मिल जाएगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कृपया जो कुछ मैंने कहा आप उसे पढ़े। यदि आप मुझे इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दें तो क्या हानि है। (व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपने इसे अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोगों की ओर से हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि कितने लोग मारे गए।

अध्यक्ष महोदय : अपने उत्तर में वे तथ्य देंगे।

श्री नूरूल हूडा (कचार) : लगभग दो महीने पहले से गुजरात भयानक स्थिति से गुजर रहा है। इस ओर सभा का ध्यान जाना ही चाहिए था। 100 लोगों की जानें पहले ही जा चुकी हैं। हजारों गिरफ्तार हुए हैं। शिक्षा संस्थाएं बंद पड़ी हैं तथा कर्मचारी और श्रमिक हड़ताल पर हैं।

यह उपद्रव भूखे और निर्धन लोगों द्वारा उचित मूल्य पर अनाज मांगने और लगातार बढ़ती मंहगायी तथा अधिक वेतनभोगी लोगों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और चोरबाजारी का विरोध करने पर शुरू हुआ। क्या उचित मूल्य पर अनाज मांगना अपराध है ? क्या आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर बढ़ती हुई मंहगायी का विरोध करना हिंसा है ?

राज्य की खाद्य स्थिति उस समय कैसी थी ? सरकार लोगों की खाद्य संबंधी निम्नतम आवश्यकता पूरी करने में असफल क्यों रही ? यदि सरकार गुजरात जैसी घटनाएं अन्य राज्यों में नहीं होने देना चाहती तो उसे इस पर गहराई से विचार करना चाहिए।

गुजरात में 5 लाख टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 1.75 कस्वा मीटरी टन अतिरिक्त अनाज था परन्तु केवल 1000 मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई। इतनी कम वसूली क्यों कर हुई ? यह सब मुनाफाखोरों और जमाखोरों तथा बड़े जमीं-दारों की सांठ गांठ के सामने सरकार द्वारा हथियार डाल देने के कारण हुआ। इस गठबंधन को अधिक से अधिक रियायतें दी गई तथा थोक व्यापार को हाथ में लेना कोरी बात ही रह गई।

अच्छी फसल होने के बावजूद भी 50 प्रतिशत मूंगफली गायब हो गई जिससे बेईमान व्यापारियों और जमाखारों ने लाभ उठाया। वनस्पत्ति घी, खाद्यान, गेहूं, धान आदि का गुजरात से बाहर खाड़ी के देशों को निर्यात तथा तस्करी हुई, जहां मूल्य बहुत अधिक मिलते हैं।

ऐसी परिस्थिति में खाद्यानों की सप्लाई घटाकर 15,000 मीटरी टन प्रतिमास करना अनुचित है क्योंकि राज्य की न्यूनतम मासिक आवश्यकता 70,000 मीटरी टन है। अत : छात्रों और जन सामान्य के विरोध-आन्दोलन से सारे राज्य में अव्यवस्था फैल गई है। राज्य के 50 नगरों और शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सरकार ने छात्रों, वामपंथी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है।

नवनिर्माण युवक समिति ने राज्य विधान सभा के भंग करने तथा मंत्रिमंडल के त्यागपत्र की मांग हेतु राज्यव्यापी कार्यक्रम बनाने का आवाह्न किया है। यदि केन्द्रीय सरकार समय पर कार्यवाही करती तो स्थिति सुधर जाती। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री के पास उत्तर प्रदेश में अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए तो काफी समय मिला किन्तु गुजरात में सामान्य स्थिति लाने के लिए अपना थोड़ा सा समय और शक्ति लगाने का उन्हें समय नहीं मिला। केवल इतना ही नहीं उन्होंने यह कह कर स्थिति को और बिगाड़ा कि गुजरात के धनाढ्य लोगों ने वहां आन्दोलन को और भड़काया है।

(श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुये)

(Shri Nawal kishore singh in the Chair)

प्रधान मंत्री द्वारा ऐसा कहना राज्य कांग्रेस मंत्रिमंडल के कुशासन के विरुद्ध खड़े हुए गुजरात के लोंगों में उत्पन्न अत्यन्त लोकप्रिय लहर की निंदा करना है।

विद्यार्थियों तथा सर्वसाधारण पर निर्मम अत्याचार किए गए। ब्रिटिश शासन के दौरान भी गुजरात के लोगों ने ऐसा नहीं किया। इस बार तो सेना तक बुलायी गयी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पहला भाषण कुछ छोटा होना चाहिए।

श्री नूरूल हूडा : जन आंदोलन का दमन करने हेतु सेना को प्रयोग में लाने का मैं कड़ा विरोध करता हूं। यह बहुत खतरनाक पूर्वोदाहरण है और जब तक सरकार सेना का अंधाधुंध प्रयोग करना बंद नहीं करेगी तब तक हमारे देश में लोकतंत्र का भविष्य बहुत अंधकारपूर्ण है।

गुजरात में राष्ट्रपति का शासन तभी लागू किया गया जब कि चिमनभाई मंत्रिमंडल को त्याग-पत्र देना पड़ा। अत : गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने से किसी समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि लोंगों की मौलिक आवश्यकताएं तो फिर भी पूरी नहीं हुई हैं।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि केन्द्र में और राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े व्यापारियों और जमींदारों के हितों में और उनके आदेशनुसार अपनी नितियों का निर्धारण करती है। इसी वजह से अवर्णनीय संकट, भुखमरी है। जब तक सरकार जनता विरोधी अपनी नितियों का अनुसरण करती रहेगी, जनता की भूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती और राजनैतिक स्थिरता भी नहीं आ सकती, भले कांग्रेस पार्टी राज्यों के अथवा केन्द्र के चुनाव में कितनी ही बड़ी विजय क्यों न प्राप्त कर ले।

गुजरात में लाखों कपड़ा मजदूर, मध्यमवर्ग के कर्मचारी, छात्र और कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापक विधान सभा को भंग करने और नए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। झूठी प्रतिष्ठा पर कायम रहने की क्या तुक है ? प्रधान मंत्री ने कहा है कि सामान्य स्थिति होने पर ही अगली कार्यवाही

की जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात की तथाकथित असामान्य स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है ? कल तक विधान सभा से 74 विधायक त्यागपत्र दे चुके हैं और 168 सदस्यों के सदन में सदस्यों की प्रभावी संख्या घटकर 94 रह गई है।

जिन लोगों ने भूख, गरीबी, महंगाई के विरोध में अपने जीवन का बलिदान किया है, वे गौरव के पात्र हैं। इस सरकार ने गुजरात की जनता के हितों की उपेक्षा करके बड़े जमींदारों-जमाखोरों और मुनाफाखोरों के गठजोड़ के सामने समर्पण कर दिया है। इस सरकार ने चुनाव जीतने के संकीर्ण स्वार्थ के लिए गुजरात की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि विधान सभा को तत्काल भंग किया जाय, सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को बिना शर्त रिहा किया जाय, खाद्यान्न की तत्काल सप्लाई की जाय और महंगाई रोकी जाय। नये चुनाव शीघ्र कराये जायें, जिससे लोग ईमानदार प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

मुझे आशा है कि गुजरात की जनता अपने शानदार संघर्ष को तब तक जारी रखेगी, जब तक कि विधान सभा भंग नहीं हो जाती और नये चुनावों के तारीखों की घोषणा नहीं हो जाती।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : इस प्रस्ताव के माध्यम से हमें गुजरात की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति पर विचार करने का अवसर मिला है, जिससे देश में चिन्ता और व्यग्रता है।

मैं इससे सहमत हूं कि प्रारम्भ में गुजरात का आन्दोलन यकायक आरम्भ हुआ, क्योंकि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई और अभाव की स्थिति थी और तत्कालीन सरकार स्थिति को ठीक प्रकार से नहीं संभाल सकी। पिछले वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष के 15 लाख टन की तुलना में 23 लाख टन हुआ था और राज्य सरकार अपनी जरूरत की स्वयं पूर्ति करने में असमर्थ थी। गुजरात सरकार की पूर्ण विफलता थी, क्योंकि 8 लाख टन अधिक अन्न की वसूली करने पर भी वह केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का अपना अंशदान नहीं दे सकी और केन्द्रीय सरकार से अधिक खाद्यान्न देने के लिए मांग की।

जब कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई और उचित दर दुकानों तथा अन्य दुकानों पर खाद्यान्न लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ, तो उन्होंने चिमनभाई पटेल सरकार को हटाने की मांग की। विधान सभा भंग करने की उनकी पहले मांग नहीं थी। केन्द्रीय सरकार जनता द्वारा और बहुमत की पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती थी, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने स्थिति पर निगाह रखी। पहले राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि निकट भविष्य में और कोई सरकार गठित नहीं की जायगी। जनता चाहती है कि राष्ट्रपति का शासन समाप्त किया जाय ? चुनाव रातोंरात तो हो नहीं सकते। इसके लिए भी समय चाहिए। चुनाव करने के लिए पहले स्थिति सामान्य करनी होगी। सरकार ने यह भी कभी नहीं कहा कि विधान सभा भंग नहीं की जायगी। विधान सभा भंग करने और नये चुनाव कराने के लिए पहले स्थिति सामान्य करना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आन्दोलन मूल्य वृद्धि अथवा भूख के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि 50,000 टन खाद्यान्न पहले ही भेज दिया गया है। अब आन्दोलन का लक्ष्य विधान सभा भंग करने का है। उसके बाद 'इन्दिरा हटाओ' का कार्यक्रम है। अब यह आन्दोलन राजनीति प्रेरित है और अतिवादी लोगों के हाथों में चला गया है। वे विधान सभा भंग करने के बाद भी सामान्य स्थिति लाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब यह आन्दोलन गुण्डों और बदमाशों के हाथों में चला गया है, जिनकी विदेशी एजेन्ट मदद कर रहे हैं। क्या इस आन्दोलन में ऐसा कोई नेता है जो सामान्य स्थिति सुनिश्चित कर ने की गारंटी दे सके ?

प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि विधान सभा भंग करने के मामले में सरकार का दिमाग खुला हुआ है। हम सबका यह प्रथम दायित्व है कि सबसे पहले स्थिति सामान्य होनी चाहिए। गुजरात की सड़कों पर नौजवानों की हत्या कराने से कोई लाभ नहीं।

अब यह राजनीति से प्रेरित आन्दोलन बन गया है और इस आन्दोलन से विरोधी दल अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। मैं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार विपक्ष की धमकियों के आगे नहीं झुकेगी।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Chairman, Sir, the situation in Gujarat has attracted the attention of the people throughout the country. It is not a matter of Gujarat alone, but it is a warning to all. The people in other states may also adopt the same methods as adopted by the people of Gujarat.

A Congress Member has rightly said that the State Government of Gujarat did not procure enough foodgrains inspite of increased production of foodgrains. The State Government was formed there by the ruling Congress. Big hoarders, Kulaks and landlords were elected on New Congress ticket and they formed the Government. These representatives did not allow the State Government to procure enough foodgrains.

It is a well-known fact that President's rule in Gujarat was imposed neither with the consent of Government of India nor that of the Prime Minister. It is not a matter of shame to bow before the wishes of the people. The President's rule in Gujarat was imposed by the agitation of the masses. Now time has gone, when representatives were elected for a term of five years and they allowed corruption and rising prices to flourish. It is a warning even to Lok Sabha that people would not allow the representatives to continue for a full term of five years, if corruption and rising prices are not checked.

It is very dangerous to call out army to crush such mass agitations. The army was told that they were being called to check communal riots. The violent incidents in Gujarat occurred due to police atrocities. The army personnel showed sympathy to the mass agitation, when it came to know that the movement was against the profiteering and rising prices. The army helped Nav Nirman Samiti to detect those godowns where hoarded essential consumer goods were kept. The army was asked not to help them in detecting godowns and distributing foodgrains. The army personnel are also the sons of the poor farmers and labourers. If they are asked to fire on the people, they may at one stage refuse to do so. Thus, the posting of army is a dangerous thing and they should be sent back to their barracks.

The reports of the Gujarat movement were not published correctly by the papers of the capitalists, that is why Shri Sathe called this movement, the movement by goondas. The Nav Nirman Samiti and 14 August Committee was formed by the trade union leaders and the committee had given calls for bandhs on 10th of January and 25th of January in the support of demands for procurement of foodgrains and its distribution at cheaper rates and against the rising prices. But the agitation was crushed and people were shot dead. It has been said that when the Govt. had gone, the demand for dissolution of assembly was a new demand. It is a very correct demand of the people, because not only the Government, but whole assembly was responsible for such state of affairs and people feared that similar government would be formed by the same Assembly.

It appears that Govt. is seeking time to play a new politics. The Government is hoping that new political combinations would solve the problem. But it is not so. The Government has to crush profiteering and black marketing, otherwise people would not support the Government, as they did in 1969, 1971 and 1972.

The Union Agriculture Ministry is also proposing to do away with the procurement of foodgrains at the speed at which it was being done last year. The new conspiracy is going on in the Centre also. If the problems are not solved and the promises are not kept, the Members of Parliament would have to face the same consequences as the MLAs in Gujarat. This should not be made a matter of prestige. The people s demand must be accepted.

Even today, when there is President's rule, the policies of Chimanbhai Government are being pursued. The profiteers, blackmarketeers and hoarders are not being arrested. The people have a genuine fear that the policies of the Government are not being changed. That is why they are demanding the dissolution of the assembly. If hoarding, blackmarketing and corruption is checked, the normalcy would also be restored. The entire Gujarat assembly is responsible for the wide-spread soaring prices, black-marketing, and profiteering. The people have come to know that the change of 1969 has gone in vain, because the member of the hoarders and black-marketeers is more inside the ruling party than outside. If such a movement is to be checked so that it might not spread throughout the country, the problems should be solved, otherwise people would not wait for a period of five years. The assembly should be dissolved and rising prices as well as profiteering should be checked. It is imperative to nationalise wholesale trade in foodgrains. The procurement work should be taken over by the Government. The marketed surplus should not be procured, but procurement should be adhered to more strictly and more vigorously. The strict measures would have to be taken against the black-marketeers and hoarders and the Government must ensure proper distribution of foodgrains.

During the elections in U.P., the Agricultural labourers, poor farmers and Harijans unitedly voted Congress to power, but if the Government follows the policy of the big landlords and the poor are allowed to be exploited, the people would not bear it for long. The incidents of Gujarat might be repeated in U.P. and Bihar also.

Therefore the Legislative Assembly in Gujarat should be dissolved forth with. And if you take up stern measures against the profiteers and hoarders, the very youngmen who are now agitating against you, would welcome you with garlands and would settle down peacefully when they would find that the foodgrains are being distributed to them properly. You should therefore arrange for the supply of essential commodities and you would find complete peace and order there. Otherwise there is no alternative; and there is every fear of spreading this sort of upheaval in other areas of the country.

In case the Assembly is not dissolved and the blackmarketeers, profiteers and hoarders are not brought to book, I fear that within a month or two the people would themselves start mass lootings and arson because a hungry man cannot keep quite for long. It is therefore high time that you should change the policy being worked upon now by Shri Chimanbhai's Government. In people's view this revolution is not the conspiracy of goondas or ante-social elements but it is the revolt of the people against the mal-administration and wrong policies. The remedy is now with the Central Govt. only since there is now President's Rule.

If the Government does not change it's policy the entire country will follow Gujarat. The people should impress upon the Government to dissolve the Assembly and check the rising prices and black-marketing.

डा० महीपतराय मेहता :(कच्छ) : अहमदाबाद की घटनाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि पूरी स्थिति को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का निष्कासित किया जाना तथा दूसरा उसके बाद होने वाली घटनाएं।

आन्दोलन अत्यावश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण भड़का और भ्रष्टाचार ने उसे बढ़ावा दिया। परिस्थिति ने यह रूप सहसा ही धारण किया। लोगों ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें हमारी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। कुछ मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के पश्चात् मुख्य मंत्री को निष्कासित किया

गया। प्रधान मंत्री ने बार-बार कहा है कि वह हालात के सुधरने पर विधान सभा को भंग कर देंगी। अतएव स्वाभाविक रूप से नये चुनाव होंगे। हमें नये निर्वाचनों से भय नहीं है। हमने पूरे देश में तथा उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में अपनी चुनाव लड़ने की क्षमता सिद्ध कर दी है। संगठन कांग्रेस वाले नाम तो महात्मा गांधी का लेते हैं परन्तु अहमदाबाद में एक हरिजन .....

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : आप संगठन कांग्रेस की बात करते हैं। अपनी काली करतूतों पर ध्यान दें।

डा० महिपतराय मेहता : संगठन कांग्रेस को भय है कि वे निर्वाचन हार जायेंगे। अहमदाबाद में 25 वर्षीय हरिजन विधायक को नगरपालिका भवन में ही तंग किया गया तथा पीटा गया था।

मैं छात्रों को चिमनभाई पटेल और उसकी भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिये बधाई देता हूं।

राज्य सभा के एक सदस्य के घर पर भी हमला किया गया। लोग बात तो कमजोर वर्ग के हित की करते हैं परन्तु सुरक्षा अपने हितों की करते हैं। कल ही एक विधायक का काला मुंह करके गधे पर चढ़ाया गया था। श्री मोरारजी देसाई को हिंसा रोकने का यत्न करना चाहिए।

श्री के० एस० चावड़ा : उन्हें आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

डा० महिपत राय मेहता: मैं उनका सम्मान करता हूं इसलिये उनसे निवेदन किया है। हमें सबसे पूर्व हालात सामान्य बनाने चाहियें। हमें छात्रों की सचाई पर विश्वास है। परन्तु अब स्थिति बहुत भिन्न हो गई है। श्री मावलंकर यहां नहीं हैं। वह बता सकते हैं कि नव-निर्माण समिति क्या है। उन्होंने इसे क्यों छोड़ दिया है? शायद इसलिये कि वह इस पर नियंत्रण नहीं रख सके। श्री चिमनभाई पटेल के मुख्य मंत्री बनने पर श्री बाजपेयी ने सर्वप्रथम बधाई दी थी। आज यही लोग विधान सभा के भंग करने की मांग कर रहे हैं। मैं विरोधी पार्टियों से निवेदन करता हूं कि वे पहले शान्ति स्थापित करने का प्रयास करें।

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधीनगर) : आपने गुजरात के लोगों की कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं कहा।

डा० महीपतराय मेहता : सभा भंग की मांग को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिये। यह आन्दोलन अनाज की कमी के विरुद्ध नहीं है अपितु राजनीतिक उद्देश्यों से लाया गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि जनता सही है। निस्सन्देह जनता की इच्छा पूरी होगी।

गान्धीनगर अभी भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। संगठन कांग्रेस के सदस्य भ्रष्टाचार की बात करते हैं। श्री देसाई को अपनी पार्टी की हिंसा के विरुद्ध व्रत रखना चाहिए। गांधी जी के नाम पर हिंसा पूर्ण कार्य करने वालों के विरुद्ध जाँच की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सरकार ने उनके विरुद्ध जाँच क्यों नहीं बिठायी?

डा० महिपत राय मेहता : आप सरकार से जाँच बैठाने के लिये कहें।

Shri Jaggannath Rao Joshi (Shajapur) : As the wishes of the people of Gujarat were not honoured the situation of the State deteriorated and if this state of affairs is allowed to continue it is likely to deteriorate further.

Allegations for the creation of this situation are levelled against political parties but in fact it is a mass agitation. The democracy can be established by rules and it has to be built by the people.

By the imposition of President's rule without dissolving the Assembly in Gujarat the Government has acted in a different manner.

In Orissa where members of the ruling party defected the opposition groups that were in a position to form government were not allowed to do so and the Assembly was dissolved. It is apparent that who is acting against the democracy.

We have been witnessing elections since 1952 and it is said that the elections were free and fair. When a party gets majority its leader is elected at Delhi.

In a House of 164, 74 legislators have resigned. Would you dissolve the assembly or not? Democracy can be established by making essential commodities available, checking rising prices and corrupt administration. In the procurement of foodgrains the government has acted in a half-hearted manner. It appears from the Chief Minister's conference that Government would be scrapping wheat procurement.

In Gujarat Jan Sangh has only three members in a House of 168. In spite of that it is being said that this is happening because of our party.

It is surprising that neither the Prime Minister has gone there nor she has sent the Minister concerned with the law and order to Gujarat. In the case of Andhra as well it was stated that needful would be done after restoration of normalcy. But nothing was done when the situation became normal.

The production of sugar is 42 lakh tons which is more than the demand. The system of its distribution may be improved. The installed capacity of vanaspati is 15 lakhs tonnes whereas its licensed capacity is 12 lakh tons and the production is only 6 lakh tons Gujarat produces groundnuts but 25000 tons are expected.

Mr. Chairman : When it is a fact that more than 70 members have resigned the dissolution of the House is a must cannot you make the people understand this thing.

Shri Jagannathrao Joshi : The house should have been dissolved at the time of the imposition of President's rule.

Shri Shyamnandan Mishra (Bhegusarai) : President's rule was imposed when 56 lives were lost. The Assembly would be dissolved after taking some more lives.

Shri Jagannathrao Joshi : If the government stick to it's stand more lives would be lost. These days every thing is dearer except human life.

Essential commodities are not available even though these are produced in abundance. This is the fault of the distribution system. Today every one has the right to live an honourable life. The stereo-type methods are adopted to control the agitations viz. Sec. 144, curfew, teargas, gun and there ends the matter. There is no psychology to deal with all such problems, human problems, as they are.

Similar methods are adopted to control the student agitations.

I congratulate the people who are fighting for downfall of corrupt administration. Manpower should be ready in future as well to dislodge the corrupt administration.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : It is regrettable that Shri Jai Prakash Narain, a peterman leader and statesman had exhorted the students to take the path of politics. He should

have put some pressure to calm down the students and to stop violence and arson in Gujarat. Shri Desai has decided to resort to hunger strike. May I know whether there is no other alternative?

I agree that there is corruption, adulteration and profiteering. It is for that reason that President's rule has been imposed in the state.

When Shri Jai Prakash Narain can change the dacoits, why cannot he use the same method to remove the corruption.

Shri Samar Guha : Dacoits can be changed but they cannot.

One opinion is that let them stop their agitations and thereafter the Government could be morally pressurised to dissolve the Assembly. Shri Morarji Desai has also an approach. He is in our very high esteem though there are only four Members belonging to Cong (O) here. He says he opposes violent agitations. But he should have asked the people to abstain from violent activities and assured them for putting more pressure on the Government to dissolve Gujarat Assembly.

Gujarat has been a very peaceful and peace-loving part of the country. That is the land of Ravi Shankar Maharaj and we feel very much ashamed of when we observe such happenings there. This would certainly prove disastrous for our democracy.

As regards corruption, we are all one to say that this evil should be eradicated. But the opposition should also realise their duties. They should not indulge in provocating the masses. If you feel that dissolution of the Assembly can bring about peace and order, if you are so sure, I would say that it should be dissolved.....

Shri Shyamnandan Mishra : We are unanimous on this matter.

Shri Ram Sahay Pandey : Also I would suggest that the Prime Minister may call the opposition parties and consult them over this issue which cannot be solved by resorting to firing or compelling the MLAs to resign, by giving them donkey-rides etc. etc. We have to anyhow protect of democratic institutions. He does not look nice that we resort to shooting the people when their are cries for foodgrains, eradication of corruption etc. Let us therefore have round-table conference and hit upon an effective solution instead of provocating the innocent people to indulge in violence, looting, arson, etc.

The Nav Nirman Samiti can be posed with a question as to what is guarantee for an end to these violent activities and bringing about peace, law & order after the demand for dissolution of the Assembly is acceded to ? Let the leaders here from .Gujarat assure us on this count. The first consideration is that of peace and order which we want to bring about are maintain at all costs.

Therefore, we all should ponder over this matter most seriously and active in a really most responsible way.

***श्री जे० माता गौडर (नीलगिरि)** : मैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल की ओर से गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी सांविधानिक संकल्प के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

आपको याद होगा कि श्री चिमन भाई पटेल ने हितेन्द्र देसाई मंत्रीमंडल को गिराने के तथा स्वयं मुख्य मंत्री बनने के उद्देश्य के संगठन कांग्रेस से अपने सहयोगियों सहित दल बदल किया परन्तु प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गान्धी की केन्द्र सरकार ने श्री घनश्याम ओझा को मुख्यमंत्री मनोनीत किया जोकि गुजरात विधान सभा के सदस्य भी नहीं थे । श्री चिमन भाई पटेल इस पर चुप नहीं रहे और उन्होंने अपने सहयोगियों की सहायता से ओझा मंत्रीमंडल को गिरा दिया तथा स्वयं मुख्य मंत्री बनने की अपनी

*तमिल भाषा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

आकांक्षा को पूरा किया परन्तु दुर्भाग्य से वह स्वयं भी छः मास से अधिक टिक नहीं सके उन्हें गुजरात के लोगों ने त्यागपत्र देने को विवश कर दिया। यहां तक कि उन्हें कांग्रेस दल से भी निष्कासित कर दिया गया। खेद तो इस बात का है कि उन्हें कांग्रेस से निकालने के बाद ही शासक दल उनके भ्रष्टाचार की बातें करता है।

शासक दल सहित सभी इस बात से सहमत हैं कि गुजरात का आन्दोलन स्वयं ही भड़का और इस के पीछे किसी राजनैतिक दल का हाथ नहीं था। नव निर्माण समिति द्वारा आयोजित यह आंदोलन खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई न होने पर आधारित था। लोगों को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। मूंगफली की भारी फसल होने के बावजूद गुजरात के लोगों को मूंगफली का तेल नहीं मिला जोकि भोजन की एक परम आवश्यकता है। कारण क्या था? यही कि चिमन भाई पटेल की सरकार ने जमाखोरों को खूब जमाखोरी करने की अनुमति दी तथा उसके बदले अपने दल के लिए चन्दे लिये। समाचार यह भी था कि स्वयं चिमन भाई पटेल ने खूब धन बटोरा। गुजरात के लोग भुखमरी तथा व्यापक भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सके और इस सरकार के पतन की एकमत होकर मांग करने लगे। केन्द्र सरकार ने भी गुजरात के लोगों को कुर्बानी का बकरा समझा परन्तु वे तो गिरि वनों के सिंह सिद्ध हुए और फिर सरकार पुलिस या सेना द्वारा भी उन्हें नहीं दबा सकी। लोगों ने भोजन मांगा तो उन्हें गोलियां खाने को मिलीं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने वालों को पुलिस का अत्याचार सहना पड़ा कहा जाता है कि 100 से अधिक युवक मारे गये और हज़ारों घायल हो गये। लोगों की दृढ़ता से विवश हो केन्द्र को गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा तथा चिमनभाई पटेल के मंत्रालय से त्याग पत्र दिलवाया।

कांग्रेस दल से निष्कासित होने के बाद श्री चिमन भाई पटेल ने कहा कि गुजरात की स्थिति को काबू में रखने के लिये उन्हें 1500 टन खाद्यान्न तुरन्त दिये जायें परन्तु केन्द्र ने नहीं दिया जबकि केन्द्र का यह दायित्व था कि कमी वाले क्षेत्रों को अनाज पहुंचाये। अब तो सरकार मुनाफाखोर तथा जमाखोरों को दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि सब कुछ तो अब उसी के हाथ में था। यदि केन्द्र सरकार गुजरात में खाद्यान्न पहुंचा देती तो ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा नहीं होती। यदि केन्द्र सरकार न कर सकती थी तो अतिरिक्त खाद्यान्न वाले राज्यों को कह सकती थी कि वही वहां खाद्यान्न उपलब्ध करा दें। उदाहणार्थ, हमारी तमिल नाडु सरकार दे देती। परन्तु एक पड़ोसी राज्य को अपने निकट के राज्य में लोगों को भूखों मरते देखकर भी चुपचाप दर्शक बने रहना पड़ा क्योंकि केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से केन्द्रीय मूल में ही अनाज भेजने को कहा, गुजरात में नहीं।

अब क्योंकि गुजरात के लोग दुःखी हैं, आन्दोलन कर रहे हैं तब प्रधान मंत्री का यह दायित्व है कि वह वहां का दौरा करें तथा लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को समझें। क्या उन्होंने अथवा उनके गृहमंत्री ने राज्य का दौरा किया? नहीं। वह उत्तर प्रदेश, पाण्डिचेरी आदि में चुनाव अभियान चलाती रहीं या आधारशिलायें रखती रहीं जिन्हें उन्होंने गुजरात के लोगों की समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण समझा। शासक दल कांग्रेस ने इन आन्दोलनों के लिये विपक्षी दलों को उत्तरदायी ठहराया है जिसमें संगठन कांग्रेस भी शामिल है जबकि पांडिचेरी तथा तमिलनाडु में चुनावों के लिये उसने संगठन कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में झिझक नहीं की। राजनैतिक स्वार्थों के लिये उन्होंने लोगों की कठिनाइयों की चिन्ता नहीं की।

गुजरात के लोग अब केवल यही चाहते हैं कि विधान सभा भंग कर दी जाये। परन्तु इस स्थिति में भी केन्द्र का कहना है कि विधान सभा को भंग करना हिंसा के आगे झुकना होगा। मैं कहना चाहुंगा कि इस हिंसा में तो गुजरात के लोगों की ही जानें जा रही हैं।

अन्त में मैं जानना चाहूंगा कि क्या अब केन्द्र सरकार ने गुजरात को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेज दिये हैं? सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर अतिरिक्त अनाज वाले राज्यों को कहना चाहिये कि वे वहां खाद्यान्न भेजें। दूसरे अब किसी विवाद में न पड़ कर तुरन्त ही गुजरात विधान सभा को भंग कर देना चाहिये। यह विचार का यह प्रसिद्ध कहावत है कि यदि एक आदमी को भी भूखों मरना पड़े तो वह सारे विश्व को समाप्त करने में भी नहीं सकुचायेगा। इस तथ्य को देखते हुए केन्द्र सरकार को तुरन्त ही गुजरात में खाद्यान्न भेजने चाहियें।

श्री ए० के० एम० इसहाक़ (बसीरहाट) : मैं इससे मदद का समर्थन करता हूं तथा इससे पूर्व मैं गुजरात में आन्दोलन के फलस्वरूप अनेकों लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता हूं तथा दुःखी परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं।

यह सभी मानते हैं कि खाद्यान्नों की कमी तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण ही गुजरात में आन्दोलन भड़का। यह बड़ी विचित्र सी बात है कि भारत के एक समृद्ध राज्य गुजरात में आवश्यक वस्तुओं के अभाव तथा मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप उपद्रव हुए। अतः वास्तविक कारण कुछ और ही था।

आज के समाचार पत्रों में गुजरात के आंदोलन की विशेष झांकी दी गई है। मदर लैंड ने लिखा है—"विधान सभा सदस्य को काला मुंह करके गधे पर बिठाया गया, क्रोधित लोगों ने उन्हें घसीटा" क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र देने से इन्कार किया था।

अतः आज सभा के सामने प्रश्न यह है कि हम भीड़ के उपद्रव के सामने झुक जायें अथवा कि संविधान के अनुसार शासन चलायें। एशिया का यही देश है जहां लोकतन्त्र बच पाया है शेष सभी देशों में बगावतें हुईं। परन्तु आज हमारे देश में भी लोकतन्त्र पर आक्रमण हुआ है।

बड़ी रुचि की बात यह है कि गुजरात में आन्दोलन के बाद वे लोग भी गठबंधन में आ गये जिनका उस राज्य में नामोनिशान भी नहीं थी। मार्कसवादी साम्यवादी भी वहां आ धमके। आज गुजरात के आन्दोलन में राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है सरकारी गोदामों, दुकानों, तेल के डिपुओं, बसों को नष्ट किया जा रहा है। लूट-मार की जा रही है। क्या यह सम्पत्ति किसी की निजी संपत्ति है? राष्ट्र की नहीं है जिसको बनाने के लिये अनथक प्रयास किये जाते हैं? सरकार इसे नहीं रोके? क्या विपक्ष का उत्तरदायित्व नहीं कि वह ऐसे कृत्यों की भर्त्सना करे? दुर्भाग्य से विपक्ष के किसी भी सदस्य ने इन विनाशकारी गतिविधियों की निन्दा नहीं की। वे कहते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण आन्दोलन हुआ परन्तु क्या उन्हीं वस्तुओं को नष्ट करके अधिक उत्पादन हो सकेगा? क्या विपक्ष ने लोगों को ऐसा करने से रोका?

आज हमारे लोकतन्त्र को आधारभूत बातों का ही हमारा विपक्ष वर्ग विरोध कर रहा है। देश के लोगों ने लोकतन्त्र को अंगीकार किया है संसद, विधान सभाओं आदि की सरंचना की है। अब यदि उनकी कोई शिकायतें हैं तो वे उन्हें एक ढंग से सामने रखें, यह गलत है कि इसके लिये गली-कूचों में उपद्रव व हिंसात्मक गतिविधियां की जायें। विपक्ष यह जान ले कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मैं यह सोच रहा था कि इस आन्दोलन के लिये वित्त कौन जुटा रहा है। आज समाचार पत्रों में लिखा है कि 1000 आन्दोलनकारी दिल्ली में हैं। उन्हें यात्रा-व्यय कौन दे रहा है? क्या वे तब तक गुजरात नहीं लौटेंगे जब तक कि विधान सभा भंग नहीं हो जाती? उन्हें धन कौन दे रहा है?.....(व्यवधान) आप सब्र से सुनिये। जब आप बोलते हैं तब हम सुनते हैं क्योंकि हमें इसका सलीका है और हम लोकतन्त्र की इज्जत करते हैं।

समाचार है कि जब गुजरात में सेना बुलाई गई तो लोगों ने उन्हें फूलों के हार पहना कर उसका स्वागत किया। कौन थे वे लोग जो सेना का इस प्रकार स्वागत कर रहे थे?

एक माननीय सदस्य : पुलिस के सिपाही।

श्री ए० के० एम० इसहाक़ : क्या यह मामूली बात है। आखिर वे छात्र किस वर्ग के थे जिन्होंने सेना के लोगों को फूल मालायें पहनाईं। क्या वे शोषक वर्ग के थे? ये छात्र सम्पन्न परिवारों के थे।

सभापति महोदय : गुजरात में सभी छात्र सम्पन्न परिवारों से संबद्ध है यह धारणा सही नहीं है।

श्री ए० के० एम० इसहाक़ : मेरी धारणा तो यही है श्रीमन कि अधिकांश छात्र सम्पन्न परिवारों के हैं।

मैं इस के पीछे उद्देश्य बताता हूं। गुजरात में संवैधानिक रूप से गठित सरकार तथा विधान सभा है। लोगों का दबाव है कि विधान सभा भंग की जाये जिसके पुनर्गठन पर चुनावों पर सरकार को भारी राशि खर्च करनी पड़ेगी। इसलिये स्थिति सामान्य होने तक कुछ समय दिया जाये ताकि विधान सभा से वह लाभ उठाया जा सके जिसके लिये उसे गठित किया गया था।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का कहना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिये विधान सभा सदस्यों के मतों की वजह से हम विधान सभा भंग नहीं कर रहे हैं। मगर हम तो गुजरात के बगैर भी अपना उम्मीदवार चुनवाने के लिये समर्थ हैं (व्यवधान) यह कारण नहीं है। वस्तुतः भीड़ की हिंसा के सामने समर्पण कर देना सही नहीं होगा। यदि कुछ लोग यह समझते हैं कि वह सरकार को कोई निर्णय करने को बाध्य कर सकते हैं तो वे गलती कर रहे हैं।

यह सभी जानते हैं कि श्री मोरारजी देसाई वर्ष 1971 में इस सभा के सदस्य बनने से अब तक यहां सभा में सर्वत्र शान्त रहे हैं और केवल यही भविष्यवाणी करते रहे कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार 18 महीने में समाप्त हो जायेगी। वह अवधि फरवरी, 1974 में समाप्त हो गई परन्तु प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी अभी तक अपने पद

पर हैं और बनी रहेंगी। श्री देसाई की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई। दूसरी ओर, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए और लोगों ने फिर श्रीमती गांधी को ही अपना भारी समर्थन दिया। उड़ीसा में भी यही हुआ।

श्री सोमचन्द सोलंकी : परन्तु गुजरात में 168 में से कांग्रेस के 140 सदस्य थे फिर भी चिमन भाई पटेल की सरकार केवल दो-तीन मास में ही समाप्त हो गई। इसी प्रकार .....

सभापति महोदय : आप बीच में मत बोलिये जब आपकी बारी आये तब ही आप बोलें नियम 349 के अनुसार आप व्यवधान नहीं डाल सकते।

श्री ए० के० एम० इसहाक़ : देश ने एक बार फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी में अपना विश्वास व्यक्त किया जिसे विपक्ष सदन सहन नहीं कर सका। मोरारजी देसाई ने किसी न किसी प्रकार गुजरात के आंदोलन को सफल बना दिया परन्तु यदि वह समझते हैं कि वह गुजरात के आन्दोलन के माध्यम से श्रीमती गांधी को अपदस्त कर सकते हैं तो वह खयाली पुलाव पका रहे हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : श्रीमन् वह राष्ट्रपति शासन के बारे में बोल रहे हैं अथवा कि श्री मोरारजी देसाई के बारे में। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ए० के० एम० इसहाक़ : यह आन्दोलन सौ प्रतिशत राजनैतिक स्वार्थों पर आधारित था तथा इससे अन्य दलों सहित जनता द्वारा बार बार निन्दित सिन्डीकेट का स्वार्थ निहित था।

इस अपील को मैंने उस समय देखा जब मैं दोपहर का भोजन करने के लिये अपने निवास स्थान पर गया। यह अपील बड़ी ही बेहुदा अंग्रेजी से भरी पड़ी है तथा इन्कलाब जिन्दाबाद का आन्दोलन शुरू करने को कहा गया है। यह अपील छपी हुई है। आखिर इस सब के लिये पैसा कहां से आता है। अतः यह सौ प्रतिशत राजनैतिक आधार रखती है।

इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि संविधानानुसार गठित विधान सभा को कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिये। या फिर पहले शांति स्थापित हो जाय फिर विधान सभा को भंग कर दिया जाये।

श्री के० एस० चावड़ा : सांविधिक संकल्प पर यह चर्चा बहुत पहले होनी चाहिये थी परन्तु विपक्ष के अनेक सदस्यों के अनुरोध किये जाने पर भी नहीं की गई।

आज गुजरात जल रहा है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जोकि खाद्यान्नों तथा जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के अभाव के लिये तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिये पुलिस के गोलीकांड से मारे गये या आहत हुए हैं। साथ ही मैं गुजरात के लोगों तथा विशेषकर वहां के छात्रों और अध्यापकों को इस आन्दोलन को आरंभ करने तथा चलाने के लिये बधाई देता हूं जिसके फलस्वरूप चिमन भाई सरकार का पतन हुआ है, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तथा मोटे अनाज के अन्तर्राज्यीय रूप से आने-जाने पर प्रतिबंध हटा है।

गुजरात में सामाजिक विज्ञान के एक स्कूल के प्रोफेसर के अनुसार वहां 53 प्रतिशत छात्रों को एक समय का भोजन नहीं मिल रहा है। उधर गुजरात के लोग सेना तथा पुलिस

की विभिन्न शाखाओं की बटालियनें तैनात की जा रही हैं परन्तु मजे की बात यह है की यह शक्ति भी वहां के लोगों को दबा सकने में असमर्थ रही है। इसीलिये मैं गुजरात के छात्रों तथा अध्यापकों को बधाई देता हूं।

आज समाचार पत्रों में छपा है कि केन्द्र सरकार नव-निर्माण समिति के नेताओं व सदस्यों को खरीदने के लिये भारी राशि खर्च कर रही है परन्तु सफल नहीं हो रही है।

गुजरात में मई 1971 तथा मार्च, 1972 में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। वहां संगठन कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिये दल-बदल कराये गये थे और फिर मार्च 1972 में चुनाव कराये गये थे। फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे के नाम पर कांग्रेस को 168 में से 140 स्थान मिले। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि यदि उनका दल सत्तारूढ़ हुआ तो नर्मदा जल विवाद भी हल हो जायेगा परन्तु न तो गरीबी ही हटी और न ही यह विवाद हल हुआ।

घनश्याम ओझा की सरकार भी दलबदल के फलस्वरूप गिरी और चिमन भाई पटेल की भ्रष्ट सरकार शक्ति में आई हालांकि उनकी सरकार प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध बनी थी।

मैं सदन को यह कहना चाहता हूं कि हितेन्द्र देसाई की सरकार के गिरने से पहले, गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं था। इसके लिये सत्तारूढ़ दल जिम्मेवार है। इस दल के विधायकों ने वहां के लोगों के हितों की परवाह नहीं की। वहां के विधान सभा सदस्य लोगों का विश्वास खो बैठे हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 21 मई, 1947 को अपने भाषण में भविष्यवाणी की थी कि यदि कांग्रेसजन सेवक के स्थान पर स्वामी बने तो आने वाले समय में देश में उपद्रव होगा लोग सफेद टोपी वालों को पीटेंगे और इस स्थिति का लाभ कोई तीसरी शक्ति उठायेगी। गुजरात में ठीक ऐसा ही हुआ है गुजरात से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये राष्ट्रपति राज कोई इलाज नहीं है। इसी कारण लोगों ने विधान सभा को भंग करने की मांग की है।

हिंसा का प्रयोग कोई भी करे, निन्दनीय है। नवनिर्माण समिति में राजनीतिज्ञ नहीं हैं। राजनीतिज्ञ स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसके लिये विरोधी दलों को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

मेरा सुझाव है कि विधान सभा को तुरंत भंग करके नये चुनाव कराये जायें, पुलिस की ज्यादतियों की न्यायिक जांच करायी जाये, मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाये, गिरफ्तार किये गये लोगों को तुरंत रिहा किया जाये तथा गुजरात को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजा जाये। मुझे आशा है कि सरकार इन सुझावों पर कार्यवाही करेगी।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : असंख्य मृत विद्यार्थियों तथा लोगों के प्रति मुझे सहानुभूति है।

हमें इस बात को मानना चाहिये कि किसी व्यक्ति अथवा दल विशेष ने यह उपद्रव शुरू नहीं किया। इसका मूल कारण कीमतों की वृद्धि तथा अन्न का अभाव था। हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि यहां मूल्य वृद्धि से सर्वसाधारण कठिनाई में पड़ जाता है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए

[Shri Jaganath Rao Joshi in the Chair] : गुजरात अन्न के मामले में कमी वाला राज्य है। अन्न वसूली के एकाधिकार तथा इस पर लगी अन्तर्राज्यीय पाबन्दियों के कारण स्थिति और बिगड़ गई। यहां पर नकदी फसलेंबहुत होती हैं। उन्हें यह देख कर बहुत निराशा हुई कि उनके उत्पादन को राज्य से बाहर भेजा जा रहा है और जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता है, उस पर पाबन्दी लगी है।

आरम्भ में आन्दोलन शिक्षा मंत्री तथा सिविल सप्लाई मंत्री को हटाने के लिये उठा और बाद में आन्दोलन ने अन्य मंत्रियों को हटाने के लिये भी मांग की। इस आन्दोलन पर काबू पाने की आशा थी लेकिन बाद में यह आशा भी धूल में मिल गई। आज वहां राष्ट्रपति राज है। अब विद्यार्थियों ने विधान सभा को भंग करने की मांग की है। इस मांग को पूरा करने से क्या समस्या हल होगी?

ऐसा कहा गया है कि यह आन्दोलन भ्रष्टाचार के विरोध में था। चुनाव व्यय के लिये विदेशों तथा कालेबाजार से ही पैसा आता है हमें चुनाव व्यय के इस प्रकार के स्त्रोतों को तुरन्त बंद करना चाहिये

हिंसा समस्या का कोई समाधान नहीं है। परन्तु इस मामले में हम, इसकी निन्दा नहीं कर सकते क्योंकि यदि अपना रोष प्रगट करने का कोई वैकल्पिक तरीका हो तो कोई भी अपने बच्चों को पीटना तथा सामान को नष्ट करना नहीं चाहेगा। उत्पादन में वृद्धि करने तथा बेरोज़गारी दूर करने से ही इस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

श्री एफ० ए० शमीम (श्रीनगर): : सरकार गुजरात के मामले में नासमझी से काम कर रही है। यह जन आंदोलन है। विरोधी दलों को इसके लिये दोषी ठहराया जा रहा है।

गुजरात के मामले में राजनैतिक दलों की स्थिति नगण्य हो गई है। सर्वव्यापी अभाव तथा भ्रष्टाचार ही इसका मूल कारण है। श्री चमन भाई पटेल को कांग्रेस से निकाल दिया गया है, और वे भी अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं गुजरात की विगड़ती स्थिति को सुधारने का एकमात्र इलाज वहां की विधान सभा को भंग करना ही है जिसके लिये सरकार को संवैधानिक प्रक्रियाएं नहीं देखनी चाहिये। गुजरात की स्थिति को देखते हुए वहां की विधान सभा को भंग करना ही अब उचित है। जब तक यह मांग पूरी नहीं की जायगी, उस समय तक वहां के लोग चैन से नहीं बैठेगें।

Shri M. C. Daga (Pali) : We cannot solve the problems in the mood of anger and violence which will only hit our democratic way of life. Decisions can not be taken through resorting to street fights. Political parties having faiths in the democratic principles cannot approve such methods. Such decisions should only be taken in the legislature and not in the streets.

We can not keep the democracy surviving in this country by resorting to violent method for solving the problems. We can hardly maintain our democratic values by indulging in violence, arson and obtaining resignations from the MLAs. It is notpr oper to make the MLAs to rides over a donkey. This is not a democratic way.

We admit that there are shortages and defective distribution system in the country but this is no way to solve the problems. Corruption can be eradicated through investigations and not by indulging in arson and looting. We should follow the precedent of Andhra which remaind a unified state after normalcy (*Interruptions*)

There is no place for violent agitations in a democracy. Our methods to solve the problems should not be violent.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं गुजरात के, जो महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, वीर युवकों तथा लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जिन्होंने भ्रष्ट शासन के विरुद्ध आन्दोलन किया है। शहीदों का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो कुछ गुजरात में घट रहा है वह जन आन्दोलन की भावना ही है और जितना शीघ्र सरकार इस स्थिति को समझे उतना ही अधिक सरकार और देश के हित में अच्छा होगा। आप गुजरात के युवकों, प्रोफेसरों, छात्रों तथा बुद्धि जीवियों को समाजविरोधी तत्व के नाम नहीं दे सकते। यह आन्दोलन बढ़ते हुए खाद्य मूल्यों के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिये छात्रों के आन्दोलन के रूप में आरम्भ हुआ। इसके पश्चात अत्यधिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आन्दोलन की भावना पैदा हुई। छुट-पुट हिंसात्मक कार्य के रूप में जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतिहास में ऐसा अवसर आता है जब हिंसा भी आवश्यक हो जाती है। यदि जन-जीवन से भ्रष्ट प्रक्रियाओं का उन्मूलन करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाता है तो यह स्वागत योग्य है। यदि भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ता जाये, तो हिंसा के सिवाय और कोई मार्ग नहीं रह जाता है। यदि संसदीय लोकतंत्र देश के सम्मुख आयी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, तो लोकतंत्र को समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा कौन सा मार्ग रह जाता है। यदि आवश्यकता पड़े, तो इस हिंसा से एक नयी राजनैतिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव भी हो सकता है यदि ऐसा हिंसा के बिना हो जाये, तो बेशक इसका सदैव ही स्वागत है।

विधान सभा को भंग न करके केन्द्रीय सरकार गुजरात में स्थिति को और अधिक बिगाड़ रही है। 168 विधायकों में से 74 विधायकों ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया है। क्या सरकार का विचार विधान सभा के 74 उप-चुनाव कराने का है ?

यदि पूर्व परम्पराओं के बारे में विचार करते है, तो हमें पता चलता है कि 1958 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी तो, केरल में नम्बूदरीपाद सरकार को बरखास्त कर दिया गया था और इसके तुरन्त बाद ही केरल विधान सभा को भंग कर दिया गया था। अब वही श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री है, तो वैसा ही किया जा सकता है जैसा कि 1958 में किया गया था।

यदि हम उड़ीसा की ओर देखते है, तो वहां की स्थिति और भी दयनीय है। जब श्रीमती नन्दिनी सत्पथी की सरकार के त्यागपत्र दे देने पर विरोधी पक्ष ने यह दावा किया था कि उसके 74 सदस्य होने के कारण वह सरकार बनाने में समर्थ है, तो भी विधान सभा को भंग कर दिया गया।

गुजरात की विधान सभा को भंग नहीं किया जा रहा है। किन्तु गुजरात की जनता का उपयोग वहां के राजनीतिज्ञ करते रहे हैं अतः, गुजरात में कोई भी चाल सफल नहीं होगी।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि गुजरात की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है इससे मुझे भारत की भूमि पर पुलिस और सेना द्वारा अन्धाधुन्ध गोलियों का चलाया जाना अत्यन्त बर्बरतापूर्ण दुखद घटना की याद आ जाती है। मैं इसे समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। लोगों की इच्छाओं का अवश्य ही सम्मान किया जाना चाहिये गुजरात विधान सभा को भंग किया जाना चाहिये और नये चुनाव कराने का आदेश दिया जाना चाहिये ताकि गुजरात की घटनायें भविष्य के लिये संकेत का कार्य कर सकें ।

मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं, क्योंकि गुजरात विधान सभा को भंग करने की सिफारिश नहीं की गई है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं या एक अपील कर सकता हूं कि इस चर्चा के समय को कम से कम एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : आप को अपना समय मिलेगा।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैंने इस वाद विवाद को बड़े ध्यान से सुना है। मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ है कि किसी ने भी सरकार द्वारा किये जा रहे संविधान के उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया है। यदि 168 सदस्यों वाली विधान सभा में 114 की संख्या होते हुए भी सरकार राज्य का प्रबन्ध करने में असफल रही है तो फिर सामान्य मार्ग उसे भंग करना ही है। संविधान में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन किसी बहाने से लागू किया जाये। इसे केवल तभी ही लागू किया जाना चाहिये जब राज्य का प्रशासन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो जाये ।

क्या मुख्य मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वहां का प्रशासन अस्त व्यस्त हो चुका है। किसी ने भी यह नहीं कहा है कि प्रशासन नहीं रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति निस्संदेह ही कठिन बन गई है, किन्तु यह वैसी नहीं है कि यह कहा जा सके कि वहां पूर्ण रूप से अराजकता है या कि सरकार कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में असमर्थ है। जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय भी यही आपत्ति उठायी गई थी। वहां भी सत्तारूढ़ दल का बहुमत था, किन्तु कुछ आन्तरिक मतभेदों के कारण यह महसूस किया गया था कि उनके झगड़ों को निपटाने के लिये कुछ समय दे दिया जाये और इसलिये, राष्ट्रपति के शासन को तब तक लागू कर दिया गया जब तक कि सत्तारूढ़ दल को पुनः सत्तारूढ़ किया जा सके तथा उसके तत्वावधान में चुनाव कराये जा सकें। भारी बहुमत होते हुए भी आन्ध्रप्रदेश में भी यही कुछ हुआ । यद्यपि वहां कानून और व्यवस्था बनी हुई थी, तथापि आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने की अनुमति दे दी गई और उनकी सिफारिश पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। क्या राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के लिये मुख्य मंत्री के परामर्श को अवश्य ही माना जाना चाहिये। आखिरकार संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को सिफारिश करने का अधिकार है।

गुजरात में आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों और अध्यापकों ने यह घोषणा की कि उनका असंतोष सरकार के प्रति है क्योंकि भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है जितना कि राज्य में कभी भी नहीं था। इसलिये उन्होंने कांग्रेस विधायकों की त्यागपत्र देने की मांग को मान लिया। सरकार के नेता ने त्यागपत्र दे दिया जबकि उस सरकार का 114 का बहुमत था। इसके पश्चात् नये चुनाव कराना ही सही मार्ग है

अब केन्द्रीय सरकार को एक कठिन निर्णय लेना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह बिल्कुल सही है कि कोई भी लोकतन्त्र जीवित नहीं रह सकता यदि हम भीड़ शाही के दबाव में आ जाते हैं। यदि सरकार पर त्याग पत्र देने के लिये दबाव डाला जाता है, तो मैं इस बात को समझ सकता हूं कि कोई ऐसी बात अवश्य ही की जानी चाहिए जिससे लोकतन्त्र की रक्षा हो। पिछले दो महीनों से राज्य में अराजकता का बोलबाला है तथा गुजरात के 40 नगरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। क्या किसी ने इस बारे में विचार किया है कि इन नगरों में रोजाना हजारों व्यक्ति मजूरी पर काम करने वाले हैं जिनको जीवन यापन करना दूभर हो गया है।

इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिये ? क्या इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि दबाव के आगे झुकने से इंकार न किया जाये। यदि वे दबाव के आगे न झुककर तब तक बने रहते हैं जबतक आखिरी सदस्य को त्यागपत्र के लिये विवश कर दिया जाता है, तो इससे उन्हें क्या लाभ होगा ? विधान सभा को तो भंग करना ही पड़ेगा ?

ऐसा लगता है और इसे मान भी लेना चाहिये कि समय की मांग को देखते हुए विधान सभा को भंग करने से नहीं बचा जा सकता। सरकार विधान सभा को भंग किये जाने की घोषणा क्यों नहीं करती ? मैं यह मानता हूं कि सामान्य स्थिति हो जाने से पूर्व चुनाव नहीं कराये जा सकते। सरकार को आज ही यह घोषणा कर देनी चाहिये कि सामान्य स्थिति होते ही विधान सभा को भंग कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सरकार नये चुनावों की घोषणा भी कर सकती है। नये चुनावों में कुछ समय तो लगेगा ही। सरकार को चाहिये कि वह इसी मार्ग को अपनाये।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि समाज विरोधी तत्व घुस गये हैं। जब भी ऐसे आन्दोलन होते हैं तब यह अनिवार्य हो जाता है कि समाज विरोधी तत्व स्थिति को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करें। यह बात मान ली गई है। परन्तु सरकार इन समाज विरोधी तत्वों को शान्ति प्रिय छात्रों और अध्यापकों की आड़ में छिपा रही है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये कि यदि जनता को इतनी कठिनाइयां न होतीं, तो छात्रों और अध्यापकों को इतनी अधिक सफलता न मिलती जो निचले स्तर के लोगों की कठिनाइयां के बारे में बता रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह मांग जनता की ही मांग है। मेरे विचार में उनकी मांग को मान लिया जाना चाहिये। इससे सभी उद्देश्य पूरे हो जायेंगे।

Dr. Kailas (Bombay South) : I support the resolution in regard to the imposition of President rule in Gujarat. I believe that the leaders like Sarva Shri Shyamnandan Babu, Samar Mukherjee and Mavlankar want that the democracy should remain in the country.

As regards the demand for the dissolution of the Assembly, there is no doubt that it is quite justified. At the same time nothing can be accepted under pressure. Normalcy should be restored first. If the peace is restored for 48 hours or 72 hours, the Government would certainly seriously consider this demand.

The present acts of violence, whereby banks and foodgrains shops have been looted, must be fully condemned. We are not against the demand for the dissolution of the Assembly but there should proper atmosphere for it. The Government cannot decide under pressure when the acts of violence are being committed.

So far as the question of corruption is concerned, there can be no two opinions that corruption must go. But the main point is this that how this work should be done.

The efforts should be made for the restoration of peace in Gujarat. I am sorry that so far none from the opposition has called for ending the violence.....

Shri K. S. Chanda (Patna) : I have asked for it.

Dr. Kailas : You might have said so. Perhaps the reason is this that I am unable to understand your language. I appeal to you to cooperate in bringing about peace and normalcy in Gujarat and no such thing should be done there by which the situation might deteriorate there.

श्री समर गुह (कन्टाई) : 15 अगस्त 1947 से लेकर भारत में कई जन आन्दोलन होते रहे हैं। किन्तु गुजरात के जन उपद्रव ने भिन्न रूप धारण कर लिया है।

गुजरात ने लोकतन्त्र के भविष्य की सुरक्षा करने के लिये एक नया मार्ग दिखाया है यदि चुनाव तन्त्र विफल और भ्रष्ट हो जाते हैं, तो इसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी ? इसका एक मात्र विश्व विख्यात मार्ग यह है कि लोग सशस्त्र हो जायें और सत्ता को अपने हाथ में ले लें। अत: मैं गुजरात के लोगों अथवा छात्रों को इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने समूचे भारत को एक नया मार्ग दिखाया है। हमने गत 25 वर्षों में इस प्रकार की गम्भीर चुनौती तथा इस प्रकार के जन आन्दोलन को नहीं देखा है। देश की स्थिति अत्यन्त विस्फोटक बन चुकी है। यह जन उपद्रव तो देश की 1942 की क्रान्ति से भी अधिक प्रभावशाली और ऐतिहासिक है। यदि सरकार गुजरात के मामले में मंजूरी दे देती है, तो ऐसा आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश एवं भारत भर में हो सकता है। गुजरात का यह जन उपद्रव ऐसा रूप धारण कर सकता है जो दिल्ली की सत्ता को भी हिला दे। सत्ताधारी दल को इसी बात का ही डर है कि गुजरात में भड़की हुई अग्नि देश के अन्य भागों में भी न फैल जाये। सत्ताधारी दल ने गुजरात की भूमि पर राजनीतिक हत्याकांड किया है। अत: इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता है कि केन्द्रीय सरकार के संकेत मात्र से यह राज्य किसी प्रकार के दवाव में आ गया है।

गृह मंत्री भी स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल होते रहे हैं। हम जानते हैं कि गुजराती लोग अहिंसा के अनुयायी रहे हैं। उन पर जैन धर्म का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। तो कौन सी ऐसी मुख्य बात हो गई जिसने इस समुदाय को जन उपद्रव का हथियार वना दिया है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली का सत्ताधारी दल सच्चे दिल से इस बारे में थोड़ा विचार करे।

गुजरात से मेरे मित्रों ने न्यायिक जांच, मुआवजा, खाद्यानों के वितरण के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने, गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्तियों को रिहा करने जैसी अनेक मांगे की है। मेरे विचार में इस जन आंदोलन को देखते हुये ये सभी मांगें असंगत है। वहां के लोगों ने खून बहा कर और कष्टों को सह कर तथा इतने अधिक शहीदों के जीवनों का बलिदान करके अपना इतिहास बनाया है। यह आन्दोलन बढ़े और भारत को एक नयी रोशनी तथा भविष्य प्रदान करे। ऐसा केवल राष्ट्रीय क्रांति की मंजुरी के आधार पर हो, ताकि दिल्ली का सत्ताधारी उनकी बात को माने, ताकि उस केन्द्र की वात को माने।

सरकार ने विपक्षी दल पर यह आरोप लगाया है कि वह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम करती है। आज गुजरात में राजनीति, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दल चाहे वे सतारूढ़ दल से संबंधित हों अथवा विरोधी पक्ष से, असंगत हो चुके हैं। मैं श्री मोरारजी

देसाई से अनुरोध करता हूं कि वह गुजरात में पनपी नई पीढ़ी, नयी क्रांति, नये उत्साह के साथ छीटा कशी न करें । भारत को उस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है ।

मैं पुन: सतारूढ़ दल तथा विरोधी दलों दोनों के लिये यह बात कहता हूं कि राजनीति का वर्तमान ढांचा, राजनीतिक दल, राजनीतिक मान दंड तथा राजनीतिक नैतिकता संगत नहीं रहे । इसी कारण से मुझे गुजरात के लोगों में बहुत आस्था है ।

मैं यह भी पुन: कह रहा हूं कि गुजरात ने एक नया इतिहास बताया है और समपूर्ण भारत के लिये लोकतांत्रिक क्रांति का एक नया मार्ग दिखाया है । यह नया मार्ग भारत में भविष्य, स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा समाजवाद के लिये एक पवित्र मार्ग है ।

सभापति महोदय : श्री सोलंकी (व्यवधान) श्री सोलंकी कृपया शांत रहिये ।

Shri Somchand Solanki (Gandhinagar) : I was to say that the manner in which the people of Gujarat has been dealt by the State Government and the ruling party would be condemned by everybody. Innocent people have been dragged from their houses and are fired upon. No. democratic Government can indulge in such barbaric acts as the Government of Gujarat has done. The Ruling Party has been practising the corrupt methods of influencing elections by spending money and giving fare slogans to the people. The result of the falsehood have been seen in Gujarat.

श्री बँसतसाठे पीठासीन हुए

(Shri Basant Sathe in the Chair)

The people of Gujarat are no doubt peace-loving, but everything has got a limit. The patience has been exhausted when they find that there is corruption, bribery and maladministration every where. They also find that the ruling party had given them empty and false salogans before the elections and the party is only interested in clinging to power by fair or foul means. You should stop the acts offering etc. In spite of the his majority in the Assembly, the ruling party had toresign. The Government should under stand this thing. The ruling party is power hungry and they do not want to part with the power. They want to stick to their seats and the have no consideration for the miseries of the people. Though they themselves are treading on wrong path yet they blame the opposition for violence and disturbances .In the first meeting held in Ahmedabad. The people of ruling party said that there was profiteering and the same had been resulting in the rise in prices. After hearing such remarks from the ruling party people students also joined the agitation. Here I would like to tender a good advice to Shri Dixit the Government should take steps to dissolve Gujarat Assembly without delay and no pre c ndition should be attached for it, otherwise there will be more agitation, more unrest and more trouble- The Government should give up its policy of 'divide and rule'. They should understand the feelings of Gujarat people before it is too late to mend.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Mr. Chairman, Sir, the recent violent incidents have attracted the attention of the people all over the country. A number of innocent people and students died in these incidents. We are sorry for this state of affairs. But Government had to take the action under compelling circumstances. I strongly condemn the hooliganism which takes place under the pretext of agitation. Some opposition parties are supporting it. The students and teachers participate in there violent agitations on the plea that they want to anni hilate corruption rampant in whole of the country and for this purpose they want politics and power in their hands. These people have no faith in the representatives who have been elected by the voters. Instead they want to nominate people of their choice for running the adminis tration. It is being argued that the students are demanding the dissolution of Gujarat Assem-

bly and so it should be done without delay. But if you will go on succumbing to every unjust demand of the students you cannot sustain parliamentary democracy in the country. Today they are demanding the dissolution of State Assembly and tomorrow they will ask for dissolution of Parliament. This is not the way of correcting the wrong things. So I request the members of all political parties to give serious thought to the problem and not to support the students and lead them in the wrong direction. A proper approach to see things in proper perspective should be developed in them.

Government deserve all praise for the firmness with which they have dealt with the situation. I advise the Government not to surrender to the hooliganism and not to allow the anti-social elements to operate by way of indulging in violence, loot and arson. The law and order situation should be kept in control at all costs. The question, whether the Assembly should be dissolved or not, should be considered only in the atmosphere of peace and calm. In the end, I request the central Government to continue to be firm and deal with such a situation in the same manner as they have done before so that normalcy and peace is restored there soon.

श्री भालाजी भाई परमार (दोहद) : श्रीमान्, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम, मैं यह जानना चाहता हूं कि शासक कांग्रेसी दल का बहुमत होते हुए भी गुजरात में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया? जहां तक मैं समझता हूं इसका प्रमुख कारण भ्रष्टचार व्याप्त मंत्रालय है। सत्ता में आने के लिये उन्होंने अपने ही दलवालों को गिराया और उचित तथा अनुचित सभी तरीके अपनाये। उन्होंने जमाखोरी, चोरबाजारी तथा मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन दिया और जनता के कष्टों को और अधिक बढ़ाया। अनाज का अभाव पैदा किया, उसके मूल्य बढ़ाये और जनता का खून चूसा। शासक दल जनता को अनाज उपलब्ध कराने में असफल रहा है। चूंकि सरकार इस समस्या को नहीं सुलझा सकी है इसलिए जनता का उससे विश्वास उठ गया है। अतः मैं यह कहता हूं कि उन्हें तत्काल पद-त्याग कर देना चाहिए और विधान सभा भंग कर दी जानी चाहिए ताकि गुजरात की स्थिति बद से बदतर न हो।

जनवरी और फरवरी 1974 में खाद्याभाव के कारण दंगे हुए। कर्फ्यू लगया गया और जनसाधारण पर अभूतपूर्व तथा अकथनीय अत्याचार ढाये गये। सी० आर० पी० और एस० आर० पी० दोनों ही प्रकार की पुलिस ने पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को असीम कष्ट दिया। यह पुलिस वहां से तत्काल हटायी जाये। पुलिसवालों ने गुजरात के लोगों पर जो अत्याचार किये है, उसकी न्यायिक जांच के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाये। गुजरात विधान सभा को तत्काल भंग किया जाये दंगों में मरने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाये। श्रीमती इन्दिरा गांधी को गुजरात स्वयं जाना चाहिए और वहां की जनता की करुण पुकार सुननी चाहिए तथा उनके कष्टों का निवारण करना चाहिए क्योंकि उन्ही के दल के कुप्रबन्ध के कारण गुजरात की, यह हालत हुई है। अन्त में, मैं दंगों में शहीद हुए लोगों के प्रति शोक और संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन् अभी हमें यह बताया गया है कि लगभग 250 छात्र, जो संवाददाताओं और संसद् सदस्यों को मिलना चाहते थे, गिरफ्तार कर लिए गये हैं। वे अपना अभ्यावेदन देना चाहते है और सरकार उनसे मिलना नहीं चाहती। यह

दिल्ली में हो रहा है । मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें और बतायें कि क्या वह उन्हें रिहा करेंगे । उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन् यहां छात्रों की गिरफ्तारी गृह मंत्री श्री दीक्षित के आदेशों से की गई है । अतः आप उन्हें निदेश दे कि वह छात्रों को रिहा कर दें ।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय को ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूं । आप इस घटना की ओर मंत्री महोदय और सभा का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं । मंत्री महोदय अपने उत्तर में इसका उल्लेख करेंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सभापति महोदय, बोट क्लब पर छात्र गिरफ्तार कर लिए गये हैं जो गृह मंत्री की उपेक्षा का विरोध कर रहे थे । जब दिल्ली में ऐसा हो रहा है, तो गुजरात में क्या हो रहा होगा, इस बात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । सभा की मांग है कि छात्रों को तत्काल रिहा कर दिया जाये । परन्तु छात्रों की रिहाई से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जनता के मौलिक अधिकारों का । जो व्यक्ति सरकार का विरोध शान्तिपूर्ण, उचित और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे चिन्ता इस बात की नहीं है कि छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि संघर्ष में यह तो होता ही है । परन्तु साथ ही मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि यदि सरकार ने सभा में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो फिर विरोधी दलों को अपने ही ढंग से काम करना पड़ेगा ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : हमें यह बताया गया है कि नवनिर्माण समिति के हाई कमान ने सरकार को लिखा था कि यदि विधान सभा भंग कर दी गई, तो वे छात्रों से अपनी कक्षाओं में जाने और शान्ति कायम रखने का अनुरोध करेंगे । क्या इस पृष्ठभूमि में यहां छात्रों का गिरफ्तार किया जाना उचित है? क्या इससे छात्र और अधिक नहीं भड़क उठेंगे ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : जब यह संकल्प पेश किया गया था, तब मंत्री महोदय ने यह अपील की थी कि पहले गुजरात में सामान्य स्थिति लायी जाये । गत एक सप्ताह से ये छात्र श्री दीक्षित सहित केन्द्रीय नेताओं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु छात्रों को उनसे मिलने नहीं दिया गया । आज वे बोट क्लब पर एकत्र हुए तो उन्हें पकड़ लिया गया । क्या इसी प्रकार से गुजरात में सामान्य स्थिति लायी जायेगी । मैं अनुरोध करता हूं कि अपना भाषण आरम्भ करने से पूर्व मंत्री महोदय छात्रों की रिहाई के आदेश दें ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय के संकल्प पर चर्चा को मैंने ध्यान से सुना है और राज्य की विद्यमान स्थिति पर मुझे गहरी चिन्ता और दुख है । मेरी इच्छा है कि सभी दलों के सदस्य मेरे राज्य गुजरात में स्वयं जाकर देखें कि वहां स्थिति कैसी है और वहां क्या हो रहा है । गुजरात में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर 11

फरवरी से राष्ट्रपति शास्न लागू कर दिया गया है । मंत्री महोदय यह चाहते है कि हम एक ऐसा संकल्प स्वीकार कर लें जो जानबूझकर अपर्याप्त और अपूर्ण रखा गया है। इसका कारण यह है कि विधान सभा का भंग किया जाना आनिवार्य है । यदि सरकार आज ऐसा नहीं करती, तो कल उसे ऐसा अवश्य ही करना पड़ेगा।

मैं यह बात बड़े दुःख से कहता हूं कि विधान सभा को भंग करने में विलेख करके मंत्री महोदय गुजरात तथा अहमदाबाद के मासूम लोगों का खून ले रहे हैं। जब सरकार तथा मंत्री महोदय जानते हैं कि विधान सभा को भंग किये बिना कोई चारा नहीं है तो फिर उसे भंग करने की बजाये यह सांविधिक संकल्प पैदा करना उचित नहीं है। इसी दृष्टिकोण से मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 356 के अधीन राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजी है। यह अध्यादेश भी अनुच्छेद 356 के अधीन जारी किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या फरवरी 1974 के बाद भी राज्यपाल ने कोई अन्य रिपोर्ट भेजी है जिसमें राज्य की वास्तविक स्थिति तथा संविधानिक व्यवस्था के भंग किये जाने की बात कही गई हों। यदि गृह मंत्री गुजरात की दिन-रात की स्थिति से भली प्रकार अवगत हैं और यह जानते हैं कि वहां संवैधानिक मशीनरी अस्त-व्यस्त हो गई हैं, तो फिर वह क्यों नहीं वहां की विभान सभा को तुरन्त भंग कर देते। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार को तो यह शोभा नहीं देता कि वह संविधान के किसी नियम विशेष का आश्रय लेकर लोगों की इच्छा की अनदेखी करती रहे। और फिर क्या सरकार अथवा गृह मंत्री पवित्र संविधान के सम्बंधों का सही अर्थ तथा शब्दों का पालन करते रहें हैं। जिसमें यह भी कहा गया है कि यदि देश के किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है तो वहां की विधानसभा को तुरन्त ही भंग कर दिया जाना चाहिये। परन्तु सरकार गुजरात के मामले में ऐसा नही कर रही है। विधान सभा को इस प्रकार निष्क्रिय रूप में विलंबित रखने की क्या तुक है ? इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की गयी है हांलांकि मै चाहता हूं कि केन्द्र के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाये। अत: विधान सभा को इस प्रकार निजीव रखना कोई अच्छी बात नही है। वस्तुत: यह संविधान का परोक्ष रूप में उल्लंघन ही है। आखिर इस देश में यहां के गृह मंत्री से अधिक कौन व्यक्ति अधिक परिस्थितियों से विज्ञ है तथा सूचना प्राप्त करने के लिये साधन-संपन है? गृह मंत्री कहते हैं कि सारी मुसीवत जनसंघ ने फैलाई है परन्तु राज्यपाल की रिपोर्ट में विभिन्न दलों की स्थिति के अनुसार जनसंघ के केवल तीन सदस्य हैं। क्या उन तीन सदस्यों ने ही इतनी बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। फिर इस सभा में मार्कसवादी, साम्यवादी सदस्य भी नहीं है फिर भी गृह मंत्री उस दल को उत्तरदायी बताते हैं मैं सरकार के विचार के विरुद्ध विरोध प्रकट नहीं कर रहा हूं परन्तु आन्दोलनकारियों जिनमें छात्र, प्रोफेसर तथा कपड़ा मिल मज़दूर तथा कर्मचारी, डाक्टर, वकील, किसान आदि लोग शामिल हैं उन्हें गुण्डे कहना शोभा नही देता जैसा मुझसे पूर्व बोलने वाले सदस्य ने कहा है । आप भारतीय समुदाय के एक बड़े वर्ग को गुण्डा कहते हैं क्योंकि उन्होंने आन्दोलन किया है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि गृह मंत्री तथा उनके सहयोगी श्री मिर्धा इस सभा को कम से कम वास्तविक तथ्य तो बतायें कि वस्तुत: वहां क्या कुछ हुआ । कठिनाई यह है कि केंन्द्रीय नेता तथा देश के लोग यह नहीं जानते कि हमारे राज्य में गत दो महीनों में क्या कुछ हो गया है । केंन्द्र सरकार को अनेक बातों का पता ही नहीं है । मैं पूछता हूं कि गृह मंत्री हमारे राज्य में स्वयं क्यों नहीं गये ? उन्होंने गृह सचिव को वहां भेजा क्या मंत्री

महोदय के पास गृह सचिव की रिपोर्ट है । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? वह रिपोर्ट सभापटल पर रखी जाये । हम लोकतंत्र में रह रहे हैं हमें वह जानकारी लेने तथा उस पर अपना मत प्रकट करने का हक है । जब तक आप हमें तथ्य नहीं बताते तब तक हम क्या जान सकते हैं कि वहां क्या कुछ हो रहा है ? आपने श्री कृष्णचन्द्र पन्त को भेजा, श्री गोखले को भेजा फिर अपने दल के सचिव श्री चन्द्रजीत यादव को भेजा । आप विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों को क्यों भेज रहे हैं । क्या आप को अपने ही लोगों पर विश्वास नही है ? या फिर शायद इन लोगों ने कुछ ऐसी सूचनायें दी हैं जो गृह मंत्री महोदय को रुचिकर नहीं लगी । मेरे विचार से यहाँ केंद्रीय नेताओं को तथा केंद्रीय सरकार को मेरे राज्य गुजरात की घटनाओं की सही जानकारी नहीं है वरना क्या उनमें इतना साहस नहीं कि वे उपयुक्त कार्यवाही करें और यहां वक्तव्य दें ?

हमारे राज्य में कोई एक मास पूर्व राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और वहां श्री सरीन तथा श्री सतारावाला को सलाहकार नियुक्त किया गया । श्री सरीन ने वहां प्रेस के लोगों तथा अन्य लोगों से बताचीत की तथा बताया कि वह स्थिति से निपटना चाहते हैं । शक्ति का उत्तर शक्ति में देना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में किया । मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था । वहां पर अनेक लोगों की जानें गई थी । परन्तु मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि श्री सरीन ने, अपनी इच्छा से या ऊंचे पदाधिकारियों के दबाव में आकर बहुत गलत और धोखा भरी सलाह दी कि वह गोली द्वारा वहां स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं ।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों सहित अनेक सदस्यों ने इसे गुण्डागिरी कहा है। अन्य लोगों ने इसे जन आन्दोलन कहा है । वस्तुतः यह युवकों तथा छात्रों द्वारा एक विद्रोह है तथा गुजरात की जनता इसमें शामिल है । यह पूरे महीने से चल रहा है तथा स्वतंत्र भारत में ऐसा आन्दोलन कभी इतने लम्बे समय तक नही चला । प्रायः सभी दलों के सदस्यों ने इस पर आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात जैसे शांतिप्रिय राज्य में इतना लम्बा और ऐसा आन्दोलन हुआ । केवल इतना ही नहीं बल्कि यह आन्दोलन भी अपनी तरह का एक ही है । वहां के लोगों ने पुलिस के निरन्तर अत्याचार का डटकर मुकाबला किया है । लोगों ने पुलिस कमिशनर के सामने छाती खोलदी और कहां कि यदि आप गोली मारना चाहते हो तो मारदो हम तैयार हैं । ऐसा वातावर्ण है गुजरात में ।

इसलिये यदि गृह मंत्री यह समझते हैं कि यह अन्दोलन दब रहा है तो वह गलती पर हैं । यह तो केवल तभी समाप्त होगा जब कि आप विधान सभा को भंग कर देंगे तथा बिना शर्त भंग कर देंगे आप यह समझने की भूल मत करें कि आन्दोलन बिखर रहा है । मैं आज ही अहमदाबाद से आया हूं । केंद्रीय गुप्तचर आफीसरों का यह मत सही है कि लोग आन्दोलन करते करते थक गये हैं परन्तु यह भी नहीं है कि वे विधान सभा भंग होने तक अपना आन्दोलन जारी रखेंगे । लोगों का आन्दोलन चिमनभाई सरकार के भ्रष्टाचार तथा अयोग्यता के विरुद्ध है परन्तु साथ मूल्यों में वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं के अभाव के विरुद्ध भी है । इसीलिये हमने केवल चिमनभाई सरकार को समाप्त करने की ही नहीं बलकि 140 भ्रष्ट विधायकों को अपदस्थ करने की मांग की थी ।

सिंचाई य विद्युत मंत्री ने मुझे बताया था कि चिमन भाई पटेल तथा अन्य मंत्रियों को ग्रामीण लोगों से बड़ा समर्थन प्राप्त है परन्तु इन दो महीनों में गांवों में भी अनेक बार कर्फ्यू लगाना पड़ा। इन आन्दोलन को केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित कहने की गात कहना तत्त्यों से आँखें मूदना है।

वस्तुत: हमारी सारी प्रणाली में ही भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। बहुत अधिक धन खर्च किये बिना संसद या बिधान सभा का सदस्य नहीं चुना जा सकता। मैं पूछता हूं कि क्या ये छात्र भी भारत के नागरिक और भविष्य में प्रशासन चलाने वाले नहीं होंगे? क्या हमें इन्हें समाज विरोधी तथ्यों की संज्ञा देना शोभा देता है? जब चिमनभाई को छः वर्ष के लिये कांग्रेस दल से निकाला जा सकता है तो क्या इन 140 विधायकों को जनता केवल कुछ महीनों के लिये भी विधान सभा से नहीं निकाल सकती। वे चाहे तो फिर चुनाव लड़ सकते हैं इसमें डरने की क्या बात है।

अब यदि सरकार यह कहती है कि वह हिंसा के सामने नहीं झुकेगी तो मैं पूछना चाहूंगा कि गत 27 वर्षों में यह सरकार कितनी बार अहिसां तथा कितनी बार हिंसा के सामने झुकी है? आप लोगों को हिंसा करने पर विवश क्यों करते हैं? संवैधानिक उपायों तक तो आप किसी की सुनते ही नहीं हैं, फिर लोग क्या करें?

मैं यह नहीं कहता कि लोगों को हिंसा का तरीका अपनाना चाहिये। कभी नहीं। और न ही हम यह कहते है कि सरकार हिंसा के सामने झुके परन्तु हमें लोगों की आकांक्षाओं का सामना तो करना चाहिये उनकी भावनाओं को तो समझना चाहिये।

प्रभुसत्ता का अर्थ सरकार की अत्याचारिक शक्ति का प्रतीक नहीं है। किसी राज्य की शक्ति का आधार ताकत नही बल्कि लोगों की इच्छा होती है। आज वह बात गुजरात के लोगों के लिये नहीं मानी गई है। अन्ततः लोगों की इच्छा ही प्रभुत्व पाती है।

विधान सभा को भंग करने से पूर्व शांति स्थापना की मांग करना उल्टी गंगा बहाना है। विधान सभा के भंग होते ही वहां सामान्य स्थिति पैदा हो जायेगी और फिर आप उचित समय के भीतर चुनाव करादें। सरकार उक्त कार्य की घोषणा करे।

कुछ सदस्यों ने पूछा है कि इसकी क्या गारंटी है कि विधान सभा भंग होने के वाद शांति स्थापित कर दी जायेगी। मैं पूछता हूं कि इसकी क्या गारंटी है कि विधान सभा भंग किये बिना आप शांति बनाये रख सकेंगे? सारी मशीनरी तो आप के हाथ में है, हिंसा, ताकत, संचार डाक समाचार पत्र, रेडियो, मंत्रीगण, विधायक सभी कुछ तो आपके हाथ में है फिर आप अन्य किसी से शाँति की गारंटी कैसे मांगते है? यदि आप नहीं तो फिर कौन हिंसा को रोकेगा?

हम हिंसा की निन्दा करते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिये। परन्तु हमें समस्या की गहनता को भी देखना चाहिये। हिंसा के मूल कारणों को समझना चाहिए अनेक वर्षों से हम हिंसा देखते आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग अपने को दलित तथा त्रस्त एवंम् उपेक्षित समझते हैं और वे अपनी अभिव्यक्ति केवल हिंसा के माध्यम से ही कर पाते हैं।

यदि सरकार अधिक उत्तरदायित्व, समझ-बूझ, सहानुभूति तथा लोकतंत्रात्मक ढंग से सही समय पर कार्यवाही करें—केवल हिंसात्मक प्रदर्शनों के बाद ही नहीं—तो लोगों में उनके प्रति विश्वास पैदा होगा और हिंसा समाप्त हो जायेगी।

अब वर्तमान अवरुद्ध स्थिति का हल यही है कि सरकार हमें प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये। देश में लोकतंत्र के महत्व को बनाये रखे। मैं मानता हूं कि विधायकों को धमकाना-डराना गलत है, बुरी बात है। कोई भी इसकी हिमायत नहीं करेगा परन्तु क्योंकि संविधान में किसी विधायक को संविधान सभा से वापस बुलाने का प्रावधान नहीं है इसीलिये लोग ऐसा करने पर बाध्य हुए हैं। सभा इस पहलू पर भी विचार करे कि यदि किसी विधायक या संसद सदस्य को उसके चुनाव क्षेत्र के लोग नहीं चाहते तो उसे वापस बुलाने की लिये कोई लोकतांत्रिक का (संवैधानिक) व्यवहार होना चाहिये ताकि लोगों को हिंसा तथा धमकियों व प्रताड़ता का सहारा न लेना पड़े। साथ ही यदि कोई विधायक भी हिंसा के लिये उत्तरदायी है जैसा कि मुझे पता लगा है कि गुजरात में कुछ विधायक चार छात्र की मौत के जिम्मेवार हैं। गोली से चार छात्र मारे गये। यह सौभाग्य की बात है कि कोई विधायक गंभीर तरह से घायल नहीं हुआ। इसलिये छात्रों में फूट डालने तथा उन्हें अपने साकून वानने के। उपाय नही किये जाने चाहिये। शुक्र है कि छात्र एकता में बंधे हैं। लोगों का सतारूढ़ कांग्रेस में, केंद्रीय नेताओं में विश्वास नहीं रहा है और यदि प्रधान मंत्री ने तुरन्त ही कार्यवाही नहीं की तो वे लोग प्रधान मंत्री की ईमानदारी पर भी सन्देह करने लगेंगे।

केन्द्रीय सरकार ने सदा ही गुजरात की उपेक्षा की है। पहले गुजरात देश में एक उदाहरण के रूप में सामने रखा जाता था। परन्तु आज केंद्रीय मंत्रीमण्डल में गुजरात का कोई मंत्री नहीं है (**व्यवधान**) मेरा मतलब है कि नीति निर्माण की स्थिति में नर्मदा के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। लोग समझते है कि प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रीगण गुजरात के लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं। यह धारणा अविलंब दूर की जानी चाहिये। आज हम केंद्र सरकार के इस उपेक्षापूर्ण रवैये पर खेद ही व्यक्त कर सकते हैं।

हम बहुत अधिक सीमा तक धोखा खा चुके हैं तथा और आगे नहीं खाना चाहते 150 छात्रों को गिरफ्तार करके यहां बुलाया गया कि उनसे बातचीत करेंगे परन्तु उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्या यही तरीका है अब आप इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लीजिये हम और आगे धोखा नहीं खायेंगे (**व्यवधान**)।

मेरे पास टाइम्स आफ इंडिया की एक कतरन है.....

सभापति महोदय : मैं आपको अधिकतम समय दे चुका हूं आप उसका गलत लाभ मत उठाइये। अब आप समाप्त कीजिये।

पी० जी० मावलंकर : मैं अभी समाप्त करता हूं। दो दिन से अहमदाबाद में सीमा सुरक्षा दल के 10,000 सिपाही तैनात है। मैने अपनी आंखों से इतने सिपाही देखे हैं। वे लोगों को और भड़काना चाहते हैं। लोगों को मत भड़काइये।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तुरन्त और कड़ाई के साथ कार्यवाही कीजिये परन्तु विवेक पूर्ण कीजिये। ऐसा न हो कि फिर डोर आपके हाथ से बिल्कुल ही छूट जाये।

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : श्रीमन् मैंने दोनों ओर से दिये गये भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है परन्तु जहां तक इस संकल्प का संबंध है किसी ने इसका विरोध नहीं किया है ···(व्यवधान) ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बंगूसराम) : श्री मावलंकर ने विरोध किया है ।

श्री उमा शंकर दीक्षित : श्री मावलंकर ने बहुत सी बातें परस्पर विरोधी कही हैं। अनेक स्थानों पर उन्होंने एक बात कह कर फिर स्वयं ही उसका खण्डन भी किया है। परन्तु एक बात जो कही वह यह फिर कभी भी सदस्य ने अपने भाषण में इस अध्यादेश का तथा तत्संबंधी संकल्प का विरोध नहीं किया है ।

श्री एम० एम० पटेल : मैंने इसे सर्वथा असंवैधानिक बताया है क्या यह इसका विरोध करना नहीं है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : आपने कहा है । परन्तु फिर भी आपने यह नहीं कहा है कि वह आदेश रद्द कर दिया जाये या उसकी स्वीकृति न दी जाये । श्री पटेल ने बड़ी ही प्रभावशाली और रचनात्मक भाषण दिया था तथा विषय का प्रतिपादन किया था ।

श्री के० एस० चावड़ा : व्यवस्था के प्रश्न पर आप सभाध्यक्ष थे तब हमने कहा था कि इस विधान सभा को निलंबित किये जाने के विरुद्ध हैं तथा उसे भंग किया जाना चाहिये था ।

सभापति महोदय : उनका कहने का ढंग अपना है । आप शांति से सुनिये । यदि आप को कोई स्पष्टीकरण चाहिये तो आप बाद में उसे पूछ लीजिये परन्तु अब बाधा मत डालिये। उन्हें बोलने दें ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने यह बात जानबूझ कर कही क्योंकि माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह आदेश जारी रहें क्योंकि इसके हटाने के बाद जैसी क्रिया हो जायेगी जिसे हम में से कोई भी नहीं चाहेगा । फिर विधान सभा को निलंबित करना या भंग करना इस संकल्प का विषय नहीं है ।··· (**व्यवधान**)

गुजरात में ऐसी असामान्य स्थिति पैदा होने के चार पांच कारण थे । अनेक सदस्यों ने कहा कि अभाव की स्थिति और मूल्यों में वृद्धि ने लोगों को प्रभावित किया यह भी कहा कि मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे तथा लोगों को उन पर संदेह था । एक सदस्य का कहना है कि इस समिति का अस्तित्व में आना सार्वजनिक जीवन यापन के एक नये निराले ढंग की खोज है । इस प्रकार विधायकों को डराना, धमकाना, उन्हें त्यागपत्र देने को बाध्य करना, सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करना यह उन्होंने एक सार्वजनिक जीवन बनाने का एक नया ढंग खोजा है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे खेद है कि आपने इसके गुणात्मक पहलू की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया है । गुजरात आंदोलन के आयोजक वस्तुतः गांधी जी के अनुयायी हैं ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इन्हीं परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी पड़ी गुजरात के माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं, जैसे कि खाद्यान्नों की सप्लाई ठीक की जाये, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाये, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर किया जाय, और विशेषकर विधान सभा को भंग किया जाय, विधान सभा भंग करने के बारे में सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें नीति अथवा सिद्धांत का कोई प्रश्न नहीं है और सरकार ने इसे प्रतिष्टा का प्रश्न नहीं बनाया हुआ है, हम यह चाहते हैं कि ऐसा कोई उदाहरण न रखा जाय जिसके कारण आने वाली पीढ़ी हमें दोषी बताये, ऐसे दबावों, धमकियों, आतंक तथा निर्वाचित सदस्यों को बेइज्जत करके विधान सभा भंग नहीं करायी जा सकती है । क्या हम ऐसा करके संसदीय लोकतंत्र को जीवित रख सकेंगे ?

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : खनिकों की हड़ताल के कारण ब्रिटेन की संसद भंग हो गई थी ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : ऐसा केवल हड़ताल के कारण नहीं हुआ । इसके अनेक कारण थे जिनमें हड़ताल भी एक कारण हो सकता है ।

प्रश्न यह है कि संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किस प्रकार अक्षुण्ण रखा जाय । लोकतंत्र हमारे लिये जीवन पद्धति है, हम इसकी हर कीमत पर रक्षा करना चाहते हैं, श्री ज्योतिर्मय वसु कुछ भी कहते रहें, उनका संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है जबकि हम अपने संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप पश्चिम बंगाल में गुप्त रूप से हत्यायें कराने में विश्वास रखते हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह नितांत झूठ है । कांग्रेस इसमें विश्वास नहीं रखती है ।

यदि एक एक करके सदस्यों को डरा धमका कर उन्हें विधान सभा से त्यागपत्र देने को मजबूर किया जाये तो फिर आखिर इसका परिणाम क्या होगा ? यदि कोई सदस्य संरक्षण चाहता है तो हम उसे सभी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता देंगे, यदि कोई माननीय सदस्य अपनी मर्जी से विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो यह एक बात है परन्तु यदि वह भय के कारण ऐसा कदम उठाता है तो बात कुछ दूसरी बन जाती है, गुजरात में सौ या दो सौ व्यक्तियों का झुंड किसी विधायक के घर में पहुंचकर उसे त्यागपत्र देने के लिये मजबूर कर देता है । क्या आप चाहते हैं कि देश में इस तरह की वारदातें हों ? अपनी इच्छा से विधान सभा भंग करना एक बात है परन्तु यदि दबाव में आकर ऐसा किया जाता है तो इस देश में स्वतन्त्रता तथा लोकतंत्र को कायम रखना कठिन हो जायेगा । मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें ।

श्री समर गुह तथा श्री मवलंकर समझते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार के कार्य कराके वे अपना काम निकाल सकते हैं, युवा वर्ग आदर्शवादी होता है, उनकी भावनायें होती हैं, वे अच्छे तथा मेधावी छात्र हैं, उनकी भावनाओं को गुमराह करके उनसे ऐसा काम कराया गया है, यह कहना गलत है कि वे मुझे देखना चाहते थे और मैंने इनकार कर दिया था।

इन युवा वर्ग को ऐसे भविष्य का प्रलोभन दिखाया गया जिनके कारण उन्हें ऐसा कार्य करने को विवश होना पड़ा, यहां जो विद्यार्थी आए हैं, उनके कुछ भिन्न विचार हैं परन्तु उन्हें भय है कि यदि वे यहां से युक्तिसंगत प्रस्ताव लेकर भी जायेंगे तब भी उन्हें भर्त्सना का शिकार होना पड़ेगा । इसलिये वे यहां से कोई प्रस्ताव ले जाने में हिचकिचा रहे हैं । यदि माननीय सदस्य का उद्देश्य विधान सभा ही भंग कराना है तब उन्हें इस प्रकार का मार्ग नहीं अपनाना चाहिये, वे वृथा ही युवाओं को भड़का रहे हैं, होना यह है कि विद्यार्थियों की भीड़ किसी विधायक अथवा संसद सदस्य के यहां जाकर उनसे जबरन पदत्याग की मांग करती है । हिंसा उतनी ही पुरानी है जब इंसान पैदा हुआ था और उसमें अपने बचाव के लिये हिंसा विद्यमान थी । परन्तु आज हम बहुत आगे बढ़ गये हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति जिसे गांधीजी के आदर्शों पर विश्वास है, इस प्रकार के कार्य करेगा, यदि कोई कहता है कि इस प्रकार के दबाव डालने का कार्य गांधीवादी तरीका है तो यह गांधीजी के साथ मजाक है ।

श्री समर गुह : महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जनता की स्वतन्त्रता का बल निरंकुश शासन के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ करने में है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : वे मुझे उद्धरण भेज रहे दें ताकि मैं उसकी सही व्याख्या उन्हें समझा सकूं ।

यदि माननीय सदस्य शांत चित्त से इन सभी बातों को सोचें तो वे मेरे इस विश्वास से सहमत होंगे कि इस प्रकार से समाज को आतंकित करना देश की राजनीतिक लोकतंत्र को क्षय करना तथा देश को हिंसा के पथ पर ले जाना सही नहीं है, इसका परिणाम अधिकनायकवाद की आवृत्ति में होगा, मुझे आशा है कि हम सब मिलकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे जो हमारे लोकतंत्र के जीवन के लिए घातक सिद्ध होगा ।

श्री एच० एम० पटेल ने जो कुछ कहा है, वह सरकार के विचारों से भिन्न नहीं है, उन्होंने कहा है कि वहां सामान्य स्थिति होने पर ही विधान सभा भंग करने के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा । एक दो दिन कोई घटनाएं न होने को ही हम सामान्य स्थिति नहीं कह सकते है । सामान्य स्थिति ऐसा वातावरण होता है जहां समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है, इस समय वातावरण ऐसा नहीं है जहां मामले पर बातचीत की जा सके ।

मैं जनता की भावनाओं को समझता हूं क्योंकि ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तब उसमें पुलिस अथवा सेना की सहायता ली जाती है, स्वभावतः आगजनी, लूट-मार आदि जैसे कार्यों में जब पुलिस अथवा सेना कार्यवाही करती है तब ऐसी बातें हो जाती है जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता है, न केवल हमें ही इस बात का दुःख है अपितु सब को दुःख होना स्वाभाविक है, इस तरह की स्थिति को पुलिस द्वारा निबटाना कोई अच्छा लगने वाला कार्य नहीं है परन्तु सरकार को ऐसी स्थिति से निबटने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है अन्यथा उसे सत्तारूढ़ होने का कोई अधिकार नहीं है ।

क्या यह उचित है कि इन सब बातों की जिम्मेदारी हम पर डाली जाये । इस सब खून खराबी की जिम्मेदारी उन पर है जिन्होंने इन नौजवानों को ऐसा सब करने के लिए भड़काया ।

श्री समर गुह : यदि किसी ने इन नौजवानों को भड़काया है तो वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस आदि की नृशंसता और बहसीपन है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : अपेक्षित वातावरण पैदा करने के लिए यह सही तरीका नहीं है, यहां कुछ ऐसे वक्तव्य दिए गए हैं जिनसे स्थिति और बिगड़ सकती है ।

जहां तक हमारा प्रश्न है, हम उचित उपायों से यथाशीघ्र सामान्य स्थिति लाना चाहते हैं । सामान्य स्थिति होने पर ही न केवल विधान सभा भंग करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है अपितु विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन पर भी विचार किया जा सकता है । इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस संकल्प को अपना अनुमोदन दें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : गृह मंत्री महोदय ने यह अपील की है कि हिंसा अथवा दबाव को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए । मैं भी यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा दल महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग से नहीं हटेगा, पर मेरा आरोप है कि यह सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ-साथ विधान सभा को भंग नहीं किया गया है । सारा आन्दोलन इसी को लेकर हुआ है, मेरा प्रश्न यह है कि खून-खराबी के स्थान पर सद्भावना द्वारा सामान्य स्थिति लाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है ? माननीय गृह मंत्री को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनका राष्ट्रपति चुनाव में विधान सभा को भाग लेने को कहने का इरादा नहीं है और न ही नई सरकार स्थापित करने का इरादा है, उनको यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनका राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव कराने का इरादा नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज गिरफ्तार विद्यार्थियों को रिहा किया जायेगा अथवा नहीं ? दूसरा, क्या विधान सभा भंग करने की घोषणा की जाएगी ?

श्री समर गुह : हमारे लोकतंत्र व्यवस्था में जनता की आवाज पहुचाने के लिए निर्वाचिन प्रतिनिधि की अवधि पांच वर्ष है, यदि जनता कुछ समय पश्चात अपने निर्वाचित प्रतिनिधि पर विश्वास खो बैठती है तो वह अपने विचारो को किस प्रकार अभिव्यक्ति दे सकती है, क्योंकि हमारे संविधान में जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है । सरकार ने दबाब में आकर मुख्य मंत्री को बदलकर राष्ट्रपति शासन लागू किया है । वे फिर क्यों नहीं जनता की मांग को मानकर विधान सभा को भंग करते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में चोरबाजारी के अपराध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, चूंकि यहां खन-खराबी में अनेक लोग मारे गए हैं तो क्या सरकार इन घटनाओं के कारणों को जानने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आयोग नियुक्त करेगी । क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सामान्य स्थिति के लौटने पर चुनाव कराये जायेंगे तथा विधान सभा भंग की जायगी । मंत्री महोदय का कहना है कि गुजरात में विधान सभा के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जा रहा है परन्तु ऐसी बात नहीं है । मैं एक ऐसे विधायक को जानता हूं जिन्होने स्वप्रेरणा से पदत्याग किया ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : जहां तक श्री मिश्र की पहली आपत्ति का प्रश्न है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो संविधान की भावना के विरुद्ध है, दूसरा, जहां तक राष्ट्रपति के चुनाव में विधान सभा के सदस्यों द्वारा भाग लेने का प्रश्न है, इसका निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे । यह एक कानूनी मामला है, इसलिए मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं । जहां तक आज हुई गिरफ्तारियों की बात है मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, यह काम संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का है जो कानून तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप उन्हें रिहा करेंगे ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस पर विचार किया जायेगा ।

Shri Jyotirmoy Bosu : I want to know whether the Assembly will be dissolved or not?

श्री उमा शंकर दीक्षित: जहां तक श्री बनर्जी का प्रश्न है, यह कहना मेरे लिए बहुत कठिन है, कि सामान्य स्थिति आने पर क्या किया जायेगा तथा सामान्य स्थिति की परिभाषा क्या है. यदि वहां दबाव धमकी तथा हिंसा की घटनाएं बंद हो जाती हैं तब हम यथाशीघ्र विधान सभा भंग करने पर विचार करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न है

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गुजरात राज्य के संबंध में 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 12 मार्च 1974/21 फाल्गुन, 1895(शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 12, 1974/ *Phalguna* 21, 1895 (*Saka*)

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]